34th

वार्षिक प्रतिवेदन

Annual Report

2016-17

e धागा
Dhaga

रा ह वि नि
NHDC

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

National Handloom Development Corporation Limited

(A Government of India Undertaking)

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

श्री शान्तमनु, आई.ए.एस.
Shri Shantmanu. IAS
अध्यक्ष
Chairman
विकास आयुक्त
(हस्तशिल्प एवं हथकरघा)
Development Commissioner
(Handicraft & Handlooms)

श्री आर.वी.एस. मणि
Shri RVS Mani
उप–सचिव
(समेकित वित्त प्रभाग)
Dy. Secretary (IFW)

श्री सर्वेपल्ली श्रीनिवास
Shri Sarvepalli Srinivas
प्रबंध निदेशक
Managing Director

श्रीमती शिखा रॉय पब्बी
Smt. Shikha Roy Pabbi
अशासकीय स्वतन्त्र निदेशक
Non Official Independent
Director

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
Key Managerial Personnel

श्री शक्तिवेल पेरूमालसामी
Shri Sakthivel Perumalsamy
अधिशासी निदेशक (वाणिज्य)
Executive Director (Commercial)

श्री नवीन गुप्ता
Shri Naveen Gupta
अधिशासी निदेशक (वित्त)
Executive Director (Finance)

34वां वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17
34th Annual Report 2016-17

रा ह वि नि
NHDC

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

National Handloom Development Corporation Limited
(A Govt. of India Undertaking)

विषय सूची

लक्ष्य एवं नैगमिक उद्देश्य	4
निगम सूचना	6
चौतीसवीं (34वीं) वार्षिक साधारण सभा की सूचना	8
अध्यक्ष का भाषण	18
निदेशकों की रिपोर्ट	24
निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक	56
नैगमिक अभिशासन का प्रमाण–पत्र	80
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	82
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	114
लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट का अनुलग्नक	122
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	144
वार्षिक लेखे	
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	146
तुलन–पत्र	152
लाभ एवं हानि का विवरण	154
लेखाओं पर टिप्पणियाँ	156
इक्विटी परिवर्तन पर टिप्पणियाँ	200
नकदी प्रवाह विवरण	202
कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार सूचना	204

Contents

Mission & Corporate Objectives	5
Corporation Information	7
Notice for Thirty Four Annual General Meeting	9
Chairman's Speech	19
Directors' Report	25
Annexure to Director's Report	57
Corporate Governance Certificate	81
Secretarial Auditor's Report	83
Auditor's Report	115
Annexure to Auditor's Report	123
Comment of The Comptroller & Auditor General of India under section 143(6) of the Company Act, 2013	145
Annual Account	
Significant Accounting Policies	147
Balance Sheet	153
Statement of Profit & Loss	155
Notes on Account	157
Statement of Change in Equity	201
Cash Flow Statement	203
Information Pursuant to Schedule III of the Company's Act, 2013	205

लक्ष्य व नैगमिक उद्देश्य

लक्ष्य

हथकरघा की उन्नति एवम् विकास के लिये राष्ट्रीय संस्था के रूप में अपनी सेवायें उपलब्ध कराना।

नैगमिक उद्देश्य

1. आपूर्ति श्रृंखला की बेहतर प्रबंधन (सप्लाई चेन मैनेजमेंट) प्रणाली द्वारा अच्छी गुणवत्ता का कच्चा माल जैसे कि सूत, रंग व रसायन आदि उपलब्ध कराकर अपनी प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाना।
2. उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग द्वारा अपने कार्य संचालन को औचित्यपूर्ण बनाए रखना।
3. विकास कार्यक्रमों का संचालन इस प्रकार करना कि योजनाओं/उत्पादों तथा विपणन माध्यमों आदि विषय में बुनकरों की जानकारी बढ़ाने में सहायता मिलें।
4. हथकरघा क्षेत्र के विकास हेतु कार्यक्रमों के त्वरित क्रियान्वयन के लिये केन्द्र सरकार की निधियां, ऋण तथा अनुदान आदि का हथकरघा संस्थाओं तक पहुँचाने का माध्यम बने रहना।
5. प्रशिक्षण तथा परामर्श के माध्यम से कार्मिकों के योगदान में वृद्धि करना तथा उनकी जीविकावृति मे प्रगति के सुअवसरों को सुनिश्चित करना।

Mission & Corporate Objectives

MISSION

To serve as a National Agency for the promotion and development of the Handloom sector.

CORPORATE OBJECTIVE

1. To enhance its competitive edge in providing quality raw material i.e. yarn, dyes & chemicals through improved supply chain management.
2. To maintain viability of operations through effective utilization of available resources.
3. To take up the development programmes so as to contribute to increasing the awareness of schemes/products and marketing avenues etc.
4. To continue to act as a channel for routing Central Government funds, loans & grants to handloom agencies to aid in speedy implementation of programmes for development of the sector.
5. To ensure increasing contribution from personnel through training/counselling and to ensure career progression opportunities.

निगम सूचना (30.09.2017)

श्री शान्तमनु — अध्यक्ष
विकास आयुक्त (हस्तशिल्प एवं हथकरघा)
वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

श्री सर्वेपल्ली श्रीनिवास — (प्रबंध निदेशक)

श्री आर.वी.एस. मणि
उप सचिव, समेकित वित्त प्रभाग, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

श्रीमती शिखा रॉय पब्बी — (अशासकीय स्वतंत्र निदेशक)

सांविधिक लेखा परीक्षक
मैसर्स ए. श्रीवास्तव एंड कंपनी
चार्टेड एकाउन्टेन्ट्स, लखनऊ

सचिवीय लेखा परीक्षक
मैसर्स नवनीत के. अरोडा एंड कं. एलएलपी
प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, नई दिल्ली

शाखा लेखा परीक्षक
मेसर्स जेकब एंड जॉर्ज, कन्नूर
मेसर्स मिश्रा एंड मिश्रा, कोलकाता
मेसर्स कृष्णा अनुराग एंड कंपनी, वाराणसी
मेसर्स विनोद ग्रोवर एंड एसोसिएट्स, पानीपत
मेसर्स डी.के. राव एंड एसोसिएट्स, हैदराबाद
मेसर्स एन.एम. एंड कंपनी, कोयम्बटूर
मेसर्स एस. बोस एंड कंपनी, गुवाहाटी
मेसर्स पीपीबी एंड कंपनी, भुवनेश्वर
मेसर्स गद्दम सत्यनारायण एंड कंपनी, विजयवाडा

प्रमुख बैंकर्स

इंडियन बैंक	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	इंडियन ओवरसीज बैंक
एच.डी.एफ.सी. बैंक	एक्सिस बैंक
पंजाब नेशनल बैंक	केनरा बैंक

नैगमिक कार्यालय
4वीं मंजिल, वेगमेन्स बिजनेस पार्क, टावर 1,
प्लाट नं. 3, सेक्टर नॉलेज पार्क–तृतीय,
सूरजपुर – कासना मेन रोड, ग्रेटर नोएडा
उत्तर प्रदेश – 201 306

Corporation Information (As on 30.09.2017)

Shri Shantmanu **(Chairman)**
Development Commissioner (Handicraft & Handlooms)
Ministry of Textiles, Govt. of India

Shri Sarvepalli Srinivas **(Managing Director)**

Shri R.V.S. Mani
Dy. Secretary, I.F.W.
Ministry of Textiles, Govt. of India

Smt. Shikha Roy Pabbi **(Non Official Independent Director)**

Statutory Auditors
M/s. A. Srivastava & Co.
Chartered Accountants, Lucknow

Secretarial Auditors
M/s. Navneet K Arora & Co. LLP
Practising Company Secretary, New Delhi

Branch Statutory Auditors
M/s. Jacob & George, Kannur
M/s. Mishra & Mishra, Kolkata
M/s. Krishna Anurag & Co., Varanasi
M/s. Vinod Grover & Associates, Panipat
M/s. D.K. Rao & Associates, Hyderabad
M/s. N.M. & Co., Coimbatore
M/s. S. Bose & Co., Guwahati
M/s. PPB & Co., Bhubaneshwar
M/s. Gaddam Satyanarayana & Co., Vijaywada

Principal Bankers
Indian Bank
Union Bank of India
HDFC Bank
Punjab National Bank
United Bank of India
Indian Overseas Bank
Axis Bank
Canara Bank

Corporate Office
4th Floor, Wegmans Business Park, Tower - 1,
Plot No. 03, Sector Knowledge Park - III,
Surajpur - Kasna Main Road, Greater Noida,
Uttar Pradesh - 201 306

चौतीसवीं (34वीं) वार्षिक साधारण सभा की सूचना

सूचना

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्यों को सम्पादित करने हेतु राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की 34वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, दिनांक 26 सितम्बर, 2017 को अपराह्न 4 बजे – चौथा तल, वेगमन्स बिजनेस पार्क, टॉवर–1, प्लॉट नं. 3, सैक्टर नॉलेज पार्क–III, सूरजपुर–कासना मेन रोड, ग्रेटर नोएडा–201306 पर आयोजित की जाएगी।

साधारण व्यवसाय

1. 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, निदेशकों के प्रतिवेदन और उस पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन को प्राप्त करना, उस पर विचार करना और अपनाना।

2. 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश घोषित करना।

3. वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए निदेशक मण्डल को प्राधिकृत करना।

विशेष व्यवसाय

4. विचार करने के लिए और यदि उपयुक्त समझा जाता है, तो संशोधनों के साथ या संशोधनों के बिना निम्नलिखित संकल्प को एक **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने के लिए :–

   "**यह पारित किया जाता है** कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 के प्रावधानों और अन्य सभी लागू प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों (जिसमें सभी वैधानिक संशोधन या लागू होने वाले समय के लिए पुनः अधिनियमन शामिल है), श्रीमती शिखा रॉय पब्बी (डीआईएन 07764529), जिन्हें कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 और वस्त्र मन्त्रालय के हथकरघा विकास आयुक्त द्वारा जारी आदेश संख्या 11/26/82–डीसीएच/रा.ह.वि.नि./(अंक IV) दिनांक 1 फरवरी, 2017 के अनुसार निगम के एक अतिरिक्त निदेशक (अशासकीय स्वतन्त्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया था, और वे इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक कार्यरत हैं, को एतद्वारा निगम के निदेशक (अशासकीय स्वतन्त्र निदेशक) के रूप में दिनांक 1 फरवरी, 2017 से 31 जनवरी, 2020 तक अर्थात तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।"

5. विचार करने के लिए और यदि उपयुक्त समझा जाता है, तो संशोधनों के साथ या संशोधनों के बिना निम्नलिखित संकल्प को एक **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने के लिए :–

   "**यह पारित किया जाता है** कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों और अन्य सभी लागू प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों (जिसमें सभी संवैधानिक संशोधन या उसके लागू होने के समय के लिए पुनः अधिनियमन शामिल है), श्री शान्तमनु (डीआईएन 06640820), जिन्हें कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 और वस्त्र मन्त्रालय के हथकरघा विकास आयुक्त द्वारा जारी आदेश संख्या 10(4)/93–डीसीएच/रा.ह.वि.नि. दिनांक 12 जून, 2017 के अनुसार निगम के अतिरिक्त निदेशक (पदेन अध्यक्ष) के रूप में नियुक्त किया गया था, और वे इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक कार्यारत हैं, को एतद्वारा निगम के निदेशक (पदेन अध्यक्ष) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

Notice for Thirty Fourth Annual General Meeting

NOTICE

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting of the National Handloom Development Corporation Limited will be held on Tuesday the 26th day of September, 2017, at 04:00 P.M at 4th Floor, Wegmans Business Park, Tower - 1, Plot No. 03, Sector Knowledge Park – III, Surajpur - Kasna Main Road, Greater Noida – 201306 to transact the following businesses:-

Ordinary Business

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements for the financial year ended 31st March, 2017 together with the Report of the Directors and Auditors thereon.

2. To declare dividend for the financial year ended 31st March, 2017.

3. To authorize the Board of Directors to fix the remuneration of the Auditors for the Financial Year 2017-18.

Special Business

4. To consider and, if deemed fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution** :-

   "**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 149, 152 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), Smt. Shikha Roy Pabbi (DIN 07764529), who was appointed as an Additional Director (Non Official Independent Director) of the Corporation in terms of Section 161 of Companies Act, 2013 and Order no 11/26/82-DCH/NHDC/(VOL.IV), dated 1st February, 2017 issued by Ministry of Textile office of the Development Commissioner for Handlooms and who holds the office upto the date of this Annual General Meeting be and is hereby appointed as Director (Non Official Independent Director) of the Corporation for a period of 3 years commencing from 1st February, 2017 to 31st January, 2020.**"**

5. To consider and, if deemed fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution** :-

   "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), Shri. Shantmanu (DIN 06640820), Director who was appointed as an Additional Director (Ex officio Chairman) of the Corporation in terms of Section 161 of Companies Act, 2013 and order no 10(4)/93 –DCH/NHDC dated 12th June, 2017 issued by Ministry of Textiles Development Commissioner for Handlooms and who holds the office upto the date of this general meeting be and is hereby appointed as Director (Ex officio Chairman) of the Corporation.**"**

6. विचार करने के लिए और यदि उपयुक्त समझा जाता है, तो संशोधनों के साथ या संशोधनों के बिना निम्नलिखित संकल्प को एक **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करने के लिए :–

"**यह पारित किया जाता है** कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 12 के प्रावधानों और अन्य सभी लागू प्रावधानों (यदि कोई हों) और इसके साथ पठित प्रासंगिक नियमों के तहत, निगम के पंजीकृत कार्यालय को 10वाँ–11वाँ तल, विकासदीप, 22 स्टेशन रोड, लखनऊ–226001, उत्तर प्रदेश से 4वाँ तल, वेगमन्स बिजनेस पार्क, टॉवर–1, प्लॉट नं. 3, सैक्टर नॉलेज पार्क–III, सूरजपुर–कासना मेन रोड, ग्रेटर नोएडा–201306 पर स्थानान्तरित करने के लिए निगम के सदस्यों की सहमति प्रदान की जाती है।

इसके अलावा यह भी पारित किया जाता है कि श्री सर्वेपल्ली श्रीनिवास, प्रबन्ध निदेशक को इस सम्बन्ध में अपेक्षित सभी ऐसे आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिनमें कम्पनी रजिस्ट्रार, कानपुर के पास ई–फॉर्म – निगम के पंजीकृत कार्यालय के स्थान में परिवर्तन 10वाँ–11वाँ तल, विकासदीप, 22 स्टेशन रोड, लखनऊ–226001, उत्तर प्रदेश से 4वाँ तल, वेगमन्स बिजनेस पार्क, टॉवर–1, प्लॉट नं. 3, सेक्टर नॉलेज पार्क–III, सूरजपुर–कासना मेन रोड, ग्रेटर नोएडा–201306 के लिए नोटिस जमा करना शामिल है।"

निदेशक मण्डल के आदेश के अनुसार
राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड

स्थानः ग्रेटर नोएडा
दिनांकः 22 सितम्बर, 2017

ह./–

कम्पनी सचिव

6. To consider and, if thought fit, to pass, with or without modification, the following resolution as a **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 12 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with the relevant Rules thereunder, the consent of the members of the Corporation be and is hereby accorded to shift the Registered Office of the Corporation from 10th -11th Floors Vikas Deep 22 Station Road Lucknow, Uttar Pradesh – 226001 to 4th Floor, Wegmans Business Park, Tower - 1, Plot No 03, Sector Knowledge Park – III, Surajpur - Kasna Main Road, Greater Noida – 201306.

RESOLVED FURTHER THAT Mr. Sarvepalli Srinivas, Managing Director be and is hereby authorized to take all such consequential steps required in this connection including filing of e-forms with the Registrar of Companies, Kanpur being the notice for change in location of the Registered Office of the Corporation from 10th -11th Floors Vikas Deep 22 Station Road Lucknow, Uttar Pradesh – 226001 to 4th Floor, Wegmans Business Park, Tower - 1, Plot No 03, Sector Knowledge Park – III, Surajpur - Kasna Main Road, Greater Noida – 201306.."

By order of the Board of Directors
National Handloom Development Corporation Limited

Place : Greater Noida
Date : 22nd September, 2017

Sd/-

Company Secretary

टिप्पणियाँ :

क) **प्रत्येक सदस्य को बैठक में भाग लेने, मत देने व प्रतिनिधि नियुक्त करने का हक है जो उसके स्थान पर मत दे सके तथा यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रतिनिधि निगम का सदस्य हो। प्रोक्सी के उचित और प्रभावी होने के लिए, ऐसे प्रतिनिधि का विवरण बैठक के आयोजन से कम से कम आठ घंटे पहले निगम के पंजीकृत कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए।**

ख) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 (1) के साथ पठित आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कारपोरेशन के अनुच्छेद 66 के तहत कम समय की सूचना में वार्षिक आम बैठक को बुलाने के लिए निगम के सभी सदस्यों की लिखित सहमति प्राप्त कर ली गई है।

ग) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के तहत विशेष कामकाज की प्रत्येक मद से सम्बन्धित तथ्यों को निर्धारित करने के लिए एक विवरण इसके साथ संलग्न किया गया है।

घ) निगम के वित्तीय विवरण और निदेशकों के प्रतिवेदन के साथ लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन संलग्न है।

ङ) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के तहत, एक सरकारी निगम के लेखा परीक्षक की नियुक्ति/पुनः नियुक्ति भारत सरकार के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक (सी एण्ड एजी) द्वारा की जाती है। उनके पत्र संख्या सीए.वी/सीओवाई/केन्द्रीय सरकार, एनएचएएनडीएल (11)/697 दिनांक 9 अगस्त 2017 द्वारा मैसर्स एम.ए.एन.वी. एण्ड एसोसिएट्स, (एफआरएन – डीई1867) चार्टेड एकाउन्टेन्टस, नोएडा, को निगम के वर्ष 2017–18 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुसार, उनका पारिश्रमिक निगम द्वारा सामान्य बैठक में तय किया जाएगा। शेयर धारक वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए लेखा परीक्षकों का उचित पारिश्रमिक तय करने के लिए, जैसा कि बोर्ड द्वारा उपयुक्त समझा जाए, बोर्ड को प्राधिकृत कर सकते हैं।

च) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत निदेशकों और प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिक (केएमपी) और उनकी शेयरधारिता के रजिस्टर, ठेके और समझौतों के रजिस्टर जिनमें निदेशकों के हित हों, को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए रखा गया है और अन्य सभी नोटिस में निर्दिष्ट दस्तावेज, सदस्यों द्वारा बैठक के दौरान बैठक के स्थल पर तथा निगम के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

छ) 34वीं वार्षिक आम बैठक के स्थान का गुगल मानचित्र इसके साथ संलग्न है।

Notes:-

a) **A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND, ON A POLL, TO VOTE INSTEAD OF HIMSELF. SUCH A PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE CORPORATION. PROXIES, IN ORDER TO BE VALID AND EFFECTIVE, MUST BE DELIVERED AT THE REGISTERED OFFICE OF THE CORPORATION NOT LATER THAN FORTY EIGHT HOURS BEFORE THE COMMENCEMENT OF THE MEETING.**

b) Written consent of all members under Article No. 66 of the Articles of Association of the Corporation read with Section 101(1) of the Companies Act, 2013 for calling Annual General Meeting at Shorter Notice, has been received.

c) A Statement setting out the material facts concerning each item of Special Business, pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013, is annexed hereto.

d) Financial Statements of the Corporation, Auditors' Report thereon together with the Directors' Report are enclosed.

e) Pursuant to Section 139(5) of the Companies Act, 2013, the Auditors of a Government Corporation are appointed/re-appointed by the Comptroller and Auditor General (C&AG) of India. M/s M A N V & Associates, (FRN- DE1867) Chartered Accountants, Noida, has been appointed as Statutory Auditors of the Corporation for the year 2017-18, vide their letter No. CA.V /COY/CENTRAL GOVERNMENT, NHANDL (11)/697 dated 09/08/2017.

Pursuant to Section 142 of the Companies Act, 2013, their remuneration shall be fixed by the Corporation in a General Meeting. The Shareholders may authorize the Board to fix up an appropriate remuneration of Auditors for the Financial Year 2017-18 as may be deemed fit by the Board.

f) The Register of Directors and Key Managerial Personnel (KMP) and their Shareholding maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013, Register of contracts and arrangements in which Directors are interested maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 and all other documents referred to in the Notice, will be available for inspection by the Members at the Registered Office of the Corporation on all working days during business hours and at the time of AGM of the Corporation at the venue of the Meeting.

g) Google Map of the Venue of the 34th Annual General Meeting is attached herewith.

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुरूप व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 4

श्रीमती शिखा रॉय पब्बी की अशासकीय स्वतन्त्र निदेशक के रूप में नियुक्ति को नियमित करना

वस्त्र मन्त्रालय के हथकरघा विकास आयुक्त द्वारा जारी आदेश संख्या 11/26/82–डीसीएच/रा.ह.वि.नि./ (अंक IV), दिनांक 1 फरवरी, 2017 के अनुपालन में श्रीमती शिखा रॉय पब्बी (डीआईएन 07764592) को दिनांक 30 मार्च, 2017 को हुई बैठक में दिनांक 1 फरवरी, 2017 से प्रभावी 3 वर्ष की अवधि के लिए निगम के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक (अशासकीय स्वतन्त्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया था।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) के प्रावधानों के सन्दर्भ में, श्रीमती शिखा रॉय पब्बी आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक कार्यारत रहेंगी।

श्रीमती शिखा रॉय पब्बी को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 और 152 और अन्य लागू प्रावधानों (यदि कोई हों) के तहत अशासकीय स्वतन्त्र निदेशक के रूप में दिनांक 1 फरवरी, 2017 से 31 जनवरी 2020 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त करने का प्रस्ताव है।

निगम ने श्रीमती शिखा रॉय पब्बी से कम्पनी (नियुक्ति और निदेशकों की योग्यता) नियम, 2014 के अनुसार फॉर्म डीआईआर 8 में एक वचनपत्र प्राप्त कर लिया है कि उन्हें कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) के तहत निदेशक बनने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है और उस आशय के लिए घोषणा भी प्राप्त कर ली है कि वह अधिनियम की धारा 149 (6) में दी गई स्वतन्त्रता के मानदण्ड को पूरा करती हैं।

श्रीमती शिखा रॉय पब्बी, जिनसे संकल्प सम्बन्धित है, को छोड़कर निगम के कोई भी निदेशक और प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिक या उनके सम्बन्धित रिश्तेदार सूचना की मद संख्या 4 में उल्लिखित संकल्प में रुचि नहीं रखते हैं।

श्रीमती शिखा रॉय पब्बी का प्रालेख (प्रोफाइल) तथा उनकी विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्रों का वर्णन निम्नानुसार है :–

श्रीमती शिखा रॉय पब्बी (53 वर्ष), ने अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर और कानून में स्नातक डिग्री हासिल की है। उन्होंने वकालत में आने से पहले एक विश्वविद्यालयी कॉलेज में अंग्रेजी व्याख्याता के रूप में कार्य किया। पिछले 26 वर्ष से वह उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर रही हैं।

वह वर्ष 2000 से 2002 तक अखिल भारतीय फिल्म सर्टिफिकेट अपीलीय ट्रिब्यूनल (एफसीएटी) की न्यायिक सदस्य रहीं।

दो दशक से अधिक अवधि की अपनी वकालत के दौरान उन्होंने मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार पर कानून की विभिन्न शाखाओं में बड़ी संख्या में मामलों की वकालत की है।

बोर्ड मद संख्या 4 में निर्धारित संकल्प की सदस्यों के अनुमोदन हेतु सिफारिश करता है।

मद संख्या 5

श्री शान्तमनु की निदेशक (पदेन अध्यक्ष) के रूप में नियुक्ति को नियमित करना

वस्त्र मन्त्रालय के हथकरघा विकास आयुक्त द्वारा जारी आदेश संख्या 10(4)/93–डीसीएच/रा.ह.वि.नि. दिनांक 12 जून, 2017 के अनुपालन में श्री शान्तमनु (डीआईएन 06640820) को दिनांक 18 मई, 2017 से निगम के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक (पदेन अध्यक्ष) के रूप में नियुक्त किया गया था।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) के प्रावधानों के सन्दर्भ में, श्री शान्तमनु आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक कार्यरत रहेंगे।

श्री शान्तमनु को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और अन्य लागू प्रावधानों (यदि कोई हों) के तहत निदेशक (पदेन अध्यक्ष) के रूप में दिनांक 18 मई, 2017 से नियुक्त करने का प्रस्ताव है।

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Item no 4

To regularize the appointment of Smt. Shikha Roy Pabbi as Non Official Independent Director.

In compliance with the Order no 11/26/82-DCH/NHDC/(VOL.IV), dated 1st February, 2017 issued by Ministry of Textile office of the Development Commissioner for Handlooms, Smt. Shikha Roy Pabbi (DIN 07764529) was appointed as an Additional Director designated as Non Official Independent Director in the Board of the Corporation for a period of 3 years effective 1st February, 2017 at its meeting held on March 30, 2017.

In terms of the provisions of Section 161(1) of the Act, Smt. Shikha Roy Pabbi would hold office up to the date of the ensuing Annual General Meeting.

It is proposed to appoint Smt. Pabbi as Non Official Independent Director under Section 149 and 152 of the Companies Act, 2013 and other applicable provisions, if any, to hold office for a period of 3 years commencing from 1st February 2017 to 31st January 2020.

The Corporation has received declaration from Smt. Shikha Roy Pabbi in Form DIR 8 in terms of Companies (Appointment & Qualification of Directors) Rules, 2014, to the effect that she is not disqualified under Section 164 (2) of Companies Act, 2013 and a declaration to the effect that she meets the criteria of independence as provided in Section 149 (6) of Act.

None of the Directors and Key Managerial Personnel of the Corporation or their respective relatives, except Smt. Shikha Roy Pabbi, to whom the resolution relates, is concerned or interested in the Resolution mentioned at Item No. 4 of the Notice.

The profile and specific areas of expertise of Smt. Shikha Roy Pabbi is provided as under:

Shikha Roy Pabbi (Age - 53 years) is a law graduate and post graduate in English Literature. She joined as Lecturer in English at a University College prior to joining the Bar Council. She is practicing Law for the last 26 years before the High Court and Supreme Court of India.

She was the Judicial Member of the All India Film Certificate Appellate Tribunal (FCAT) from the year 2000 to 2002.

During her law career over two decades she has handled a large number of cases from various branches of law on the original and appellate jurisdiction.

The Board recommends the resolution set forth in Item No. 4 for the approval of the Members.

Item no 5

To regularize the appointment of Shri Shantmanu as Director (Ex officio Chairman)

In compliance with the order no 10(4)/93 –DCH/NHDC dated 12th June, 2017 issued by Ministry of Textiles Development Commissioner for Handlooms, Shri. Shantmanu (DIN 06640820) was appointed as an Additional Director designated as Ex officio Chairman effective 18th May, 2017 in the Board of the Corporation.

In terms of the provisions of Section 161(1) of the Act, Shri. Shantmanu would hold office up to the date of the ensuing Annual General Meeting.

It is proposed to appoint Shri. Shantmanu as Director designated as Ex officio Chairman under Section 152 of the Companies Act, 2013 and other applicable provisions, if any, effective 18th May, 2017.

निगम ने श्री शान्तमनु से कम्पनी (नियुक्ति और निदेशकों की योग्यता) नियम, 2014 के अनुसार फॉर्म डीआईआर 8 में एक वचनपत्र प्राप्त कर लिया है कि उन्हें कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) के तहत निदेशक बनने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

श्री शान्तमनु (डीआईएन 06640820), जिनसे संकल्प सम्बन्धित है, को छोड़कर निगम के कोई भी निदेशक और प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिक या उनके सम्बन्धित रिश्तेदार सूचना की मद संख्या 5 में उल्लिखित संकल्प में रुचि नहीं रखते हैं।

श्री शान्तमनु का प्रालेख (प्रोफाइल) तथा उनकी विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्रों का वर्णन निम्नानुसार है :–

श्री शान्तमनु (51 वर्ष), जम्मू एवं कश्मीर कैडर के 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने दिनांक 18 मई, 2017 से वस्त्र मन्त्रालय, भारत सरकार में हथकरघा विकास आयुक्त के पद पर और राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य ग्रहण किया। वह एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्नातक हैं। इससे पहले, उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), जम्मू एवं कश्मीर; उपायुक्त, भूमि राजस्व प्रबन्धन और जिला प्रशासन, कारगिल; उपाध्यक्ष, कृषि और सहकारिता विकास; क्षेत्रीय निदेशक, कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मन्त्रालय; और पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय के आयुक्त एवं सचिव, जम्मू एवं कश्मीर और अन्य पदों पर कार्य किया था।

बोर्ड मद संख्या 5 में निर्धारित संकल्प की सदस्यों के अनुमोदन हेतु सिफारिश करता है।

मद संख्या 6

निगम के पंजीकृत कार्यालय को एक ही राज्य में एक शहर से दूसरे शहर में स्थानान्तरित करने पर विचार करना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 12 की उपधारा (5) के अनुसार, निगम के पंजीकृत कार्यालय को किसी भी शहर या शहर की स्थानीय सीमा के बाहर स्थानान्तरित करने के लिए सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित कर सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

वर्तमान में निगम का पंजीकृत कार्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ शहर में स्थित है। परिचालन दक्षता में सुधार के लिए निदेशक मण्डल ने पंजीकृत कार्यालय को उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रेटर नोएडा में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव रखा है और सदस्यों के अनुमोदन मिलने के तहत स्थानान्तरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

बोर्ड मद संख्या 6 में निर्धारित संकल्प की विशेष प्रस्ताव के माध्यम से सदस्यों के अनुमोदन हेतु सिफारिश करता है।

निगम के कोई भी निदेशक और प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिक या उनके सम्बन्धित रिश्तेदार सूचना की मद संख्या 6 में उल्लिखित संकल्प में रुचि नहीं रखते हैं।

निदेशक मण्डल के आदेश के अनुसार
राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड

स्थानः ग्रेटर नोएडा
दिनांकः 22 सितम्बर, 2017

ह./–

कम्पनी सचिव

सेवा में,

शेयरधारकों/निदेशकों/वैधानिक लेखा परीक्षकों/सचिवालीय लेखा परीक्षकों

The Corporation has received declaration from Shri. Shantmanu in Form DIR 8 in terms of Companies (Appointment & Qualification of Directors) Rules, 2014, to the effect that he is not disqualified under Section 164 (2) of Companies Act, 2013.

None of the Directors and Key Managerial Personnel of the Corporation or their respective relatives, except Shri. Shantmanu *(DIN 06640820)*, to whom the resolution relates, is concerned or interested in the Resolution mentioned at Item No. 5 of the Notice.

The profile and specific areas of expertise of Shri Shantmanu is provided as under:

Shri Shantmanu - (51 years), is an IAS of 1991 batch of Jammu & Kashmir cadre. He joined as Development Commissioner for Handlooms in Ministry of Textiles, Government of India and as ex-officio Chairman in National Handloom Development Corporation Ltd., w.e.f. 18th May, 2017. He is a Mechanical Engineering graduate. Prior to this, he served as CEO of J&K, Deputy Commissioner, Land Revenue Management and District Administration, Kargil; Vice Chairman, Agriculture & Cooperation Area Development; Regional Director, Personnel & General Administration, Ministry of Petroleum and Natural Gas and Commissioner & Secretary of Environment and Forests, Jammu & Kashmir amongst others.

The Board recommends the resolution set forth in Item No. 5 for the approval of the Members.

Item no 6

To consider shifting of the registered office of the Corporation from one city to another city within the same state.

Pursuant to sub-section (5) of Section 12 of the Companies Act 2013, Shifting of registered office of a Corporation outside the local limits of any city or town requires approval of the Members by way of passing of Special Resolution in General Meeting.

The Registered Office of the Corporation is presently situated at Lucknow in the State of Uttar Pradesh. With a view to improve the operational efficiency, the Board of Directors considered and subject to approval of the Members, approved the proposal for shifting the registered office to Greater Noida in the State of Uttar Pradesh.

The Board recommends the resolution set forth in Item No. 6 for the approval of the Members by way of Special Resolution.

None of the Directors and the Key Managerial Personnel of the Corporation and their relatives is concerned or interested, financial or otherwise, in the resolution set out at Item No. 6.

By order of the Board of Directors
National Handloom Development Corporation Limited

Place : Greater Noida
Date : 22nd September, 2017

Sd/-

Company Secretary

To,

The Shareholders/ Directors/ Statutory Auditors/ Secretarial Auditors.

अध्यक्ष का भाषण

प्रिय शेयरधारको,

मुझे आप सभी का निगम की 34वीं वार्षिक आम बैठक में स्वागत करने पर अत्यन्त हर्ष का अनुभव हो रहा है। वार्षिक आम बैठक (एजीएम), तुलन पत्र और दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों के प्रतिवेदन की सूचना आपके समक्ष पहले ही प्रस्तुत कर दी गई है और आपकी अनुमति से उसे मैं पढ़ा हुआ मान लेता हूँ। मेरा विचार है कि आपको सम्बोधित करने और निगम के निष्पादन पर अपने दृष्टिकोण और भावी परिदृश्य को साझा करने का मुझे विशेषाधिकार है।

निष्पादन विवरण:

आपके निगम ने वर्ष 2016–17 के दौरान 2,993.52 करोड़ रुपए (गत वर्ष – 2,406.04 करोड़ रुपए) का कारोबार किया है। कर के पश्चात निवल लाभ पूर्ववर्ती वर्ष में 24.08 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर वित्त वर्ष 2016–17 में 28.88 करोड़ रुपए हुआ है।

आपके निगम ने गत वर्ष में 7.31 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2016–17 के दौरान 8.70 करोड़ रुपए लाभांश देने की सिफारिश की है।

यह अत्यधिक सन्तोष का विषय है कि आपका निगम एक ऋण मुक्त संस्थान है और कोषागार के कामकाजों की इतनी अच्छी व्यवस्था की गयी है कि सम्पूर्ण कार्यशील पूँजी को इसके आन्तरिक संसाधनों से पूरा कर लिया जाता है और निगम पर ब्याज लागत का बोझ नहीं पड़ता, जोकि निगम के अल्प योगदान को देखते हुए आशा की किरण है।

भावी परिदृश्य:

पिछले दशक में हथकरघा क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण पहलें की गयी थीं। वित्त वर्ष 2006–07 के दौरान, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा डिपो स्कीम को संशोधित किया गया था, जिसमें परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति को समान स्तर पर रखते हुए डिपो के प्रभारों को 1% से

CHAIRMAN'S SPEECH

Dear Shareholders,

It gives me an immense pleasure to welcome you all to the 34th Annual General Meeting of the Corporation. The notice convening the AGM, Balance Sheet and Directors' Report for the year ended 31st March 2017 are already with you and with your permission, I take them as read. I consider it as my privilege to address and share my views on performance of the Corporation and future scenario.

PERFORMANCE OVERVIEW:

Your Corporation achieved a turnover of Rs. 2993.52 crore (Previous year – Rs. 2406.04 crore) during 2016-17. The net profit after tax has increased to Rs. 28.88 crore in FY 2016-17 as against Rs. 24.08 crore during the previous year.

Your Corporation has recommended a Dividend of Rs. 8.70 crore for the year 2016-17 as against Rs. 7.31 crore during the previous year.

It is a matter of great satisfaction that your Corporation is a debt free Corporation and the treasury functions are so well managed that the entire working capital is met out from its internal resources and there is no burden of interest cost on the Corporation, which is the silver lining, considering the thin contribution margins of the Corporation.

FUTURE SCENARIO:

The last decade has seen path breaking initiative to provide support to the handloom sector. During the FY 2006-07, the office of DC (Handlooms) has revised the depot scheme, wherein, the depot charges were increased from 1% to 2.5% (presently 2%) keeping

बढ़ाकर 2.5% (वर्तमान में 2%) किया गया था। इसके अतिरिक्त, हथकरघा क्षेत्र की लागत सम्बन्धी हानि को कम करने के लिए विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा कपास लच्छी (हैंक) के धागों और घरेलू रेशम धागों पर 10% मूल्य अनुवृत्ति दी गई है, जिसे सूत आपूर्ति स्कीम (वाईएसएस) के तहत हथकरघा क्षेत्र को वितरित किया जाना है और दिनांक 6 जनवरी, 2012 से रेशम व जूट को छोड़कर अन्य धागों पर परिवहन खर्चों की प्रतिपूर्ति को भी 1% से बढ़ाकर 2.5% कर दिया गया है। दिनांक 17 जनवरी, 2014 से ऊनी धागों पर भी 10% मूल्य अनुवृत्ति की अनुमति दी गयी है।

निगम द्वारा संगठनात्मक पुनर्गठन भी शुरु किया गया है तथा और अधिक व्यवसाय उत्पन्न करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिक से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों का पुनर्वितरण किया गया है। इससे केवल 10 वर्षों के अन्तराल में कारोबार वित्त वर्ष 2006–07 में 417.16 करोड़ रुपए से **सात गुणा बढ़कर वित्त वर्ष 2016–17 में 2,993.52 करोड़ रुपए हो गया है।**

निगम कुल उत्पादन के लगभग 21% लच्छी सूत (हैंक यार्न) की आपूर्ति कर रहा है और शेष 79% अप्रयुक्त हैंक यार्न की आपूर्ति की प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा व्यवसाय सम्बन्धी अवसर है। इस विशाल व्यवसाय सम्बन्धी अवसर की उपलब्धता आपके निगम को और अधिक आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी बनाती है। तथापि, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है और आक्रामक तरीके से अधिक व्यवसाय सम्बन्धी अवसरों को खोजने की आवश्यकता है। वाराणसी में रंग और रसायन (डाइज एण्ड केमिकल्स) के 100 ग्राम के पाउच शुरु किए जाने से बुनकरों को संवर्द्धित लागत पर एजो मुक्त और गुणवत्तापूर्ण सामग्री की आपूर्ति सम्भव हुई है। इसे अन्य हथकरघा समूहों में दोहराया जा रहा है जिससे रंगों व रसायनों का व्यवसाय बढ़ रहा है।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता:

निगम ने अपने आकार के अनुरूप आन्तरिक नियन्त्रण सम्बन्धी एक प्रणाली विकसित की है। आन्तरिक नियन्त्रण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आन्तरिक लेखा परीक्षिकों को आवश्यकतानुसार नए जाँच बिन्दु भी सुझाए जाते हैं। निगम की आन्तरिक लेखा परीक्षा निगम के आन्तरिक लेखा परीक्षक दल और साथ ही, बाह्य चार्टेड एकाउन्टेन्टस द्वारा की जाती है। लेखा परीक्षा समिति के निर्णय के अनुसार, प्रधान कार्यालय और निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वर्ष वैकल्पिक रूप से आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग और बाह्य चार्टेड एकाउन्टेन्टस द्वारा की जाती है। आन्तरिक नियन्त्रण और लेखा परीक्षा प्रणाली की लेखा परीक्षा समिति द्वारा आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और निरन्तर सुधार के लिए जहाँ आवश्यक हो, सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

the transportation reimbursement at similar level. Further, in order to mitigate the cost disadvantage of handloom sector, the office of DC (Handlooms) has allowed 10% price subsidy on cotton hank and domestic silk yarn to be distributed in the handloom sector under Yarn Supply Scheme (YSS) and also increased the transportation re-imbursement on yarn other than silk & jute from 1% to 2.5% w.e.f. 06th Jan., 2012. The 10% price subsidy has been allowed on woollen yarn as well w.e.f. 17th Jan., 2014.

The Corporation has also undertaken organisational restructuring and redeployed more and more officers and staff to the field offices to generate more business. This has resulted in increase in turnover from Rs. 417.16 crore during the FY 2006-07 to Rs. 2993.52 crore during the FY 2016-17, **increasing it seven folds just in a span of 10 years**.

The Corporation is supplying approximately 21% of the total hank yarn production and there is a huge business opportunity to capture the remaining 79% of the untapped hank yarn supplies. The availability of this huge business opportunity makes your Corporation more confident and ambitious. However, we need to gear up further and aggressively look for more business opportunities. Introduction of 100 gms. pouches of dyes & chemicals in Varanasi, enabling supply of azo free and quality material at incremental cost to the weavers. This is being replicated in other handloom clusters thus expanding the business portfolio of dyes and chemicals.

INTERNAL CONTROL SYSTEM AND THEIR ADEQUACY:

The Corporation has evolved a system of internal control commensurate with the size of the Corporation. In order to make the internal control more effective, besides comprehensive internal audit manual, the new check points are also advised to the internal auditors from time to time on need basis. The internal audit of the Corporation is conducted by the internal audit team of the Corporation as well as outside independent Chartered Accountants. As per the decision of the Audit Committee, the head office and regional offices of the Corporation are audited by the internal audit wing and outside Chartered Accountants alternatively every year. The internal control and audit systems are being reviewed periodically by the Audit Committee and corrective measures are taken, wherever necessary, for continuous improvement.

नैगमिक अभिशासन :

आपका निगम विश्वास करता है कि अच्छी नैगमिक अभिशासन सम्बन्धी परम्पराएँ दीर्घावधि में सभी हितधारकों के लिए सम्पत्ति का सृजन करती हैं। निगम द्वारा नैगमिक अभिशासन सम्बन्धी परम्पराओं पर रिपोर्ट का अनुसरण किया जा रहा है और प्रबन्धन चर्चा व विश्लेषण रिपोर्ट निदेशकों के प्रतिवेदन के अनुलग्नक के रूप में आपको प्रस्तुत की जाती है।

अभिस्वीकृति :

किसी भी उपलब्धि को मानव योगदान की आवश्यकता होती है और रा.ह.वि.नि. के विकास की कोई अलग कहानी नहीं है। मैं अपनी तथा बोर्ड की ओर से अपने प्रतिबद्ध और सक्षम कर्मचारियों के कठिन परिश्रम की प्रशंसा करता हूँ, जिनके यथार्थ और सतत् प्रयासों से अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। मैं बोर्ड के सदस्यों, अंशधारकों, वस्त्र मन्त्रालय, अन्य सरकारी विभागों, नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक, सांविधिक और शाखा लेखा परीक्षकों को उनके सतत् मार्गदर्शन और समर्थन का आभारी हूँ। मैं विभिन्न बैंकरों, प्रयोगकर्ता एजेंसियों, कताई मिलों, रंगों व रसायनों (डाइज एण्ड केमिकल्स) के निर्माताओं और व्यवसाय सहभागियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने आपके निगम में अपना विश्वास जताया है।

मैं भविष्य में निगम के विकास के लिए आपके सतत् सहयोग की आशा करता हूँ।

दिनांकः 25 सितम्बर, 2017 **(शान्तमनु)**

स्थानः नई दिल्ली अध्यक्ष

CORPORATE GOVERNANCE:

Your Corporation believes that good corporate governance practices in the long term leads to creation of wealth to all the stakeholders. A report on corporate governance practices, being followed by the Corporation and management discussion and analysis report are placed before you as Annexure to the Directors' Report.

ACKNOWLEDGEMENT:

Any accomplishment requires human contribution and the growth of NHDC has no different story. I, on my behalf and on behalf of the Board place on record appreciation for hard work of our committed and competent employees, whose sincere and continuous efforts have yielded 'Good' results. I am grateful to the members of the Board, shareholders, Ministry of Textiles, other government departments, C&AG auditors, Statutory and Branch Auditors for their continuous guidance and support. I also express sincere gratitude to various bankers, user agencies, spinning mills, manufacturers of dyes & chemicals and business associates, who have reposed confidence in your corporation.

I look forward to your continued support for corporation's growth in the future.

Dated: 25th September, 2017 **(Shantmanu)**

Place: New Delhi. Chairman.

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,

शेयरधारको,

आपके निदेशकों को वित्त वर्ष 2016–17 के लिए लेखा परीक्षित लेखाओं के साथ निगम के कार्यकरण पर 34वाँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में हर्ष की अनुभूति हो रही है।

1. वित्तीय परिणामः

(लाख रु. में)

	2016-17	2015-16
बिक्री कारोबार	299351.79	240604.43
करों के भुगतान के पश्चात् लाभ	2888.16	2407.93
विनियोजनः		
• प्रस्तावित लाभांश	870.00	731.00
• लाभांश पर निगम कर	177.13	148.82
• विकासात्मक गतिविधियों के लिए आरक्षित	58.00	47.00
• सेवानिवृत्ति के बाद मेडिकल कॉरपस के लिए स्थानांतरण	37.00	38.60
• कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुप्रयोगी परिसंपत्तियों का अवमूल्यन	–	–
फ्री रिजर्व एवं अतिरेक	8076.53	6330.51
कुल रिजर्व	8203.05	6427.39

वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान अबाध आरक्षित एवं बचत के लिए 1,746.03 लाख रुपए (गत वर्ष – 1,442.51 लाख रुपए) की राशि रखी गई है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम के व्यापार की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

2. समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत कार्यनिष्पादन मूल्यांकनः

आपके निगम के प्रदर्शन को वर्ष 2015–16 के लिए सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा 'अति उत्तम' का दर्जा दिया गया था। समझौता ज्ञापन (एमओयू) मापन मानदण्ड के आधार पर वर्ष 2016–17 के लिए भी आपके निगम को 'अति उत्तम' रेटिंग हेतु अर्हता प्राप्त है।

3. लाभांशः

आपके निगम ने 870 लाख रुपए के लाभांश की अनुशंसा की है जोकि कर पश्चात निवल लाभ का 30.12% तथा निवल मूल्य का 8.61% है।

DIRECTORS' REPORT

To,

The Shareholders,

Your Directors have pleasure in presenting the 34th (Thirty Fourth) Annual Report on the working of the Corporation together with the audited accounts for the financial year 2016-17.

1. FINANCIAL RESULTS:

(Rs. in Lakh)

	2016-17	2015-16
Sales Turnover	299351.79	240604.43
Profit after tax	2888.16	2407.93
Appropriations:		
• Proposed dividend	870.00	731.00
• Corporate tax on dividend	177.13	148.82
• Reserve for Developmental Activities	58.00	47.00
• Transfer to Post Retirement Medical Corpus	37.00	38.60
• Depreciation on asset not having remaining useful life as per provisions of Companies Act, 2013	–	–
Free reserve & surplus	8076.53	6330.51
Total reserve	8203.05	6427.39

The amount carried to free reserve & surplus during the FY 2016-17 is Rs. 1746.03 Lakh (Previous Year - Rs. 1442.51 Lakh). There is no change in the nature of business of the corporation during the year under review.

2. PERFORMANCE RATING UNDER MOU:

The performance of your Corporation has been rated as **'Very Good'** by the Department of Public Enterprise (DPE) for the year 2015-16. The performance of your corporation qualifies **'Very Good'** rating based on the Memorandum of Understanding (MOU) measurement criteria, for the year 2016-17 also.

3. DIVIDEND:

Your Corporation has recommended a **dividend of Rs. 870 Lakh,** which is 30.12% of post tax profits and 8.61% of Net Worth.

4. हथकरघा परिदृश्य:

हथकरघा क्षेत्र कृषि के बाद सबसे बड़ी असंगठित आर्थिक गतिविधियों में से एक है और यह ग्रामीण और अर्ध–ग्रामीण आजीविका का एक अभिन्न अंग है जो 43 लाख बुनकरों और सम्बद्ध श्रमिकों से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है।

भारत सरकार हथकरघा क्षेत्र के समग्र और सतत् विकास तथा हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित स्कीमों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है :–

(1) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) :

हथकरघों के विकास के लिए एनएचडीपी को केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम के निम्नलिखित घटक हैं :–

(क) हथकरघा क्षेत्र के लिए पुनरुद्धार, सुधार एवं पुनर्संरचना (आरआरआर) पैकेज और रियायती ऋण :

दिनांक 31 मार्च, 2010 तक की स्थिति के अनुसार आरआरआर पैकेज में 100% मूल राशि तथा 25% के ब्याज वाले अतिदेय ऋण की छूट तथा पात्र शीर्षस्थ एवं प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों एवं वैयक्तिक बुनकरों को दी जाने वाली पुनर्पूंजीकरण सहायता को शामिल किया गया है तथा साथ ही इसमें 3 वर्ष के लिए क्रेडिट गारंटी के साथ 6% ब्याज दर पर नए ऋण का प्रावधान किया गया है। आरआरआर पैकेज को दिनांक 28 फरवरी, 2014 तक कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था।

ऋण से छूट सम्बन्धी पैकेज के अन्तर्गत शामिल नहीं किए गए हथकरघा बुनकरों को रियायती मियादी ऋण के लिए सुविधा प्रदान करने के साथ–साथ कार्यशील पूँजीगत ऋण प्रदान करने के लिए सरकार ने रियायती ऋण के घटक को मंजूरी दे दी है। बुनकरों को यह ऋण 6% ब्याज पर संस्वीकृत किया गया है एवं भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता अधिकतम 7% है तथा ऋण की प्रभाव क्षमता के लिए सरकार सूक्ष्म और लघु उद्यम (सीजीटीएमएसई) के लिए प्रति बुनकर 10,000 रुपए तक की मार्जिन राशि तथा क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी निधि के जरिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है।

(ख) समग्र हथकरघा विकास स्कीम (सीएचडीएस) :

समेकित हथकरघा विकास स्कीम (आईएचडीएस), विपणन एवं निर्यात संवर्धन स्कीम (एमईपीएस), विविध हथकरघा विकास स्कीम (डीएचडीएस) के घटकों का विलय करके समग्र हथकरघा विकास स्कीम (सीएचडीएस) तैयार की गई है, जिसे 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित किया गया है। सीएचडीएस के उपघटक निम्नानुसार है :–

(क) क्लस्टर विकास कार्यक्रम;

(ख) हथकरघा विपणन सहायता;

(ग) हथकरघा संस्थानों का विकास करना और उन्हें सुदृढ बनाना;

(घ) हथकरघा जनगणना;

(ङ) अभिनव विचारों को लागू करना;

(च) प्रचार, विज्ञापन, निगरानी, प्रशिक्षण और योजना का मूल्यांकन।

4. HANDLOOM SCENARIO:

The handloom sector is one of the largest unorganized economic activities after agriculture and constitutes an integral part of the rural and semi- rural livelihood which provides direct and indirect employment to more than 43 Lakh weavers and allied workers.

For holistic and sustainable development of handloom sector and welfare of handloom weavers, the Government of India is implementing following schemes and programmes during 12th Plan:

(1) National Handloom Development Programme (NHDP):

NHDP is being implemented as a Centrally Sponsored Programme for development of handlooms. The scheme is having following components:-

(a) Revival, Reform and Restructuring (RRR) Package and concessional credit for handloom sector:

RRR package covers waiver of overdue loan involving 100% principal and 25% of interest as on 31st March, 2010 and recapitalization assistance to the eligible apex and primary weavers cooperative societies & individual weavers and also provides fresh loan at 6% interest rate along with credit guarantee for 3 years. The RRR Package was approved for implementation up to 28th Feb., 2014.

For providing access to subsidized term loan as well as working capital loan to handloom weavers not covered under loan waiver package, Government has approved Concessional Credit Component. The loan is sanctioned to weavers at 6% interest and Government of India interest subvention is maximum 7% and to leverage the loan, Government provides margin money assistance up to Rs.10,000/- per weaver and credit guarantee through Credit Guarantee Trust Fund for Micro and Small Enterprises (CGTMSE).

(b) Comprehensive Handloom Development Scheme:

CHDS has been formulated by merging the components of Integrated Handloom Development Scheme (IHDS), Marketing & Export Promotion Scheme (MEPS), Diversified & Handloom Development Scheme (DHDS), implemented during the 11th Plan. Sub-components of the CHDS are as follows:-

(a) Cluster development programme

(b) Handloom marketing assistance

(c) Development and strengthening of the handloom institutions

(d) Handloom census

(e) Implementing innovative ideas

(f) Publicity, advertisement, monitoring, training and evaluation of the scheme

(2) सूत आपूर्ति योजना (वाईएसएस):

यह स्कीम पात्र हथकरघा एजेंसियों को मिल गेट मूल्य पर सभी प्रकार का सूत मुहैया कराती है। इस स्कीम के अन्तर्गत डिपो परिचालन व्यय और परिवहन खर्च की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जा रही है। इसके अलावा बिजली करघा (पावर लूम) और मिल क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने के उद्देश्य से हथकरघा बुनकरों को रियायती दर पर सूत उपलब्ध कराने के लिए इस स्कीम के अन्तर्गत कपास लच्छी सूत, घरेलू सिल्क सूत तथा ऊनी सूत पर 10% के रियायती मूल्य वाले एक नये घटक को भी जोड़ा गया है।

(3) हथकरघा बुनकर समग्र कल्याण स्कीम:

इस स्कीम में स्वास्थ्य बीमा स्कीम (एचआईएस) और महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई) नामक दो घटक हैं। एचआईएस को पूर्व में देश भर में हथकरघा बुनकरों को स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय द्वारा लागू किया गया था, अब यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई), जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, का एक भाग है जिसमें पाँच सदस्यों वाले एक परिवार को शामिल किया जाता है। एमजीबीबीवाई में प्राकृतिक मृत्यु/दुर्घटना मृत्यु तथा दुर्घटना के कारण सम्पूर्ण या आंशिक विकलांगता के मामले में हथकरघा बुनकरों के लिए जीवन बीमा कवर का प्रावधान किया गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कक्षा नौवीं से कक्षा बारहवीं में पढ़ने वाले दो बच्चों के लिए प्रति तिमाही प्रति छात्र 300/– रुपए की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है।

(4) हथकरघा (रिजर्वेशन ऑफ आर्टिकल्स फॉर प्रोडक्शन) अधिनियम, 1985 (योजनोतर–स्कीम):

भारत सरकार ने देश में हथकरघा बुनकरों के हितों तथा उनकी आजीविका की रक्षा करने के उद्देश्य से दिनांक 29 मार्च, 1985 को हथकरघा (रिजर्वेशन ऑफ आर्टिकल्स फॉर प्रोडक्शन) अधिनियम, 1985 प्राख्यापित किया था। इस अधिनियम के अन्तर्गत वस्त्रों से जुड़े कतिपय सामानों को केवल हथकरघा के लिए आरक्षित करते हुए हथकरघा क्षेत्र की सुरक्षा का विस्तार किया गया था। सलाहकार समिति की सिफारिश पर दिनांक 3 सितम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या 2160 (ई) के तहत 11 वस्तुओं को आरक्षित किया गया था।

हथकरघा (रिजर्वेशन ऑफ आर्टिकल्स फॉर प्रोडक्शन) अधिनियम, 1985 को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय द्वारा वार्षिक कार्य योजना के अन्तर्गत बिजली करघा के लक्ष्य नियत किए गए हैं और उन्हें अनुपालन हेतु सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को परिचालित कर दिया गया है। जब कभी किसी भी प्रकार के उल्लंघन का पता चलता है तो उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत यथोचित कार्रवाई शुरु की जाती है।

5. निगम के कार्य निष्पादन की समीक्षा तथा उसके कार्य :

निगम का कारोबार वित्त वर्ष 2015–16 में 2,40,604.43 लाख रुपए से 24% बढ़कर वित्त वर्ष 2016–17 में 2,99,351.79 लाख रुपए हो गया है।

कर पूर्व लाभ वित्त वर्ष 2015–16 में 3697.41 लाख रुपए से 26% बढ़कर वित्त वर्ष 2016–17 में 4,654.16 लाख रुपए हो गया है और कर भुगतान के पश्चात लाभ वित्त वर्ष 2015–16 में 2,407.93 लाख रुपए से 20% बढ़कर वित्त वर्ष 2016–17 में 2,888.16 लाख रुपए हो गया है। निगम का निवल मूल्य दिनांक 31 मार्च, 2016 को उपलब्ध 8,230.51 लाख रुपए से बढ़कर दिनांक 31 मार्च, 2017 को 10,103.05 लाख रुपए हो गई है।

यह अत्यधिक सन्तोष का विषय है कि निगम एक ऋण मुक्त निगम है और वह अपने आन्तरिक संसाधनों से अपने सम्पूर्ण कार्यशील पूँजीगत आवश्यकता का प्रबन्धन करने में सक्षम है।

भारत सरकार उचित मूल्य पर सूत की निर्बाध और सहज उपलब्धता को सुविधाजनक बनाते हुए आपके निगम के जरिए 'सूत आपूर्ति स्कीम' (वाईएसएस) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि बुनकर समुदाय की आर्थिक व्यवहार्यता को

(2) Yarn Supply Scheme (YSS):

This scheme makes available all types of yarn at Mill Gate Price to the eligible handloom agencies. Under this scheme, depot operating expenses and transportation expenses are being reimbursed by Government of India. Further, to provide the subsidized yarn to handloom weavers in order to compete with powerloom and mill sector, a new component of 10% price subsidy on cotton hank yarn, domestic silk yarn and woolen yarn has also been added under this scheme.

(3) Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme:

This scheme has 2 components namely Health Insurance Scheme (HIS) and Mahatma Gandhi Bunkar Bima Yojana (MGBBY). The HIS was earlier implemented by the Office of DC (Handlooms) for providing the health care facilities to the handloom weavers across the country, now it is part of the Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) which is being implemented by the Ministry of Health & Family Welfare which covers a family of five members. The MGBBY provides life insurance cover to handloom weavers in the case of natural/ accidental death and total or partial disability due to accident. Under this scheme a scholarship of Rs.300/- per quarter per child subject to two children studying in standard IX to XII is also provided by Govt. of India.

(4) Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act, 1985 (Non-Plan Scheme):

Government of India promulgated the Handloom (Reservation of Articles for Production), Act 1985 dated 29th March, 1985, with a view to protect the interests and livelihood of the handloom weavers in the country. Under the Act, protection to the handlooms sector was extended by way of reserving certain textile articles for exclusive production by handlooms. On the recommendation of the Advisory Committee, 11 articles were reserved vide Notification No. 2160(E) dated 3rd Sept., 2008.

In order to implement the Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act, 1985 effectively, targets of powerloom inspections under annual action plan are fixed by the O/o the DC (Handlooms) and circulated to all the implementing agencies for compliance. Wherever any violation is detected suitable action under the provisions of the Act is initiated.

5. PERFORMANCE REVIEW AND STATE OF AFFAIRS OF THE CORPORATION:

The turnover of the corporation has gone up by 24% over the previous year from Rs. 240604.43 Lakh in the FY 2015-16 to Rs. 299351.79 Lakh in the FY 2016-17.

The profit before tax has increased by 26% from Rs. 3697.41 Lakh in the FY 2015-16 to Rs. 4654.16 Lakh in the FY 2016-17 and net profit after tax has increased by 20% from Rs. 2407.93 Lakh in the FY 2015-16 to Rs. 2888.16 Lakh in the FY 2016-17. The net worth of the corporation has increased from Rs. 8230.51 Lakh as on 31st March, 2016 to Rs. 10103.05 Lakh as on 31st March, 2017.

It is a matter of great satisfaction that the corporation is a debt free corporation and is able to manage its entire working capital requirement from its internal resources.

The Government of India has been implementing the 'Yarn Supply Scheme' (YSS) through your corporation, facilitating the uninterrupted and easy availability of yarn at reasonable prices so as to maintain the

बनाए रखा जा सके। कपास हैंक सूत हथकरघा क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली एक महत्त्वपूर्ण किस्म है। हथकरघा बुनकरों द्वारा बाजार से प्राप्त जानकारी के जरिए प्राप्त माँग और वरीयताओं के आधार पर सूत की अन्य किस्मों का भी प्रयोग किया जाता है।

सहज और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हथकरघा एजेंसियों के जरिए डिपो भी स्थापित किए जा रहे हैं। दिनांक 31 मार्च, 2017 तक कार्यशील डिपो की संख्या 935 (दिनांक 31 मार्च 2016 तक – 932) है।

हथकरघा क्षेत्र के लागत नुकसान को कम करने के लिए भारत सरकार ने दिनांक 6 जनवरी, 2012 से वाईएसएस के अन्तर्गत हथकरघा क्षेत्र में हैंक सूत पर वितरित की जाने वाली कीमत अनुवृत्ति की अनुमति प्रदान कर दी है। यह अनुवृत्ति लाभार्थियों को बिल में अग्रिम रूप से प्रदान की जा रही है। निगम इस स्कीम के 10% मूल्य अनुवृत्ति घटक के तहत हथकरघा बुनकरों को सूत की आपूर्ति कर रहा है।

गत वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान 1,727.81 लाख किलो सूत की आपूर्ति जिसका मूल्य 2,36,119.72 लाख रुपए था तथा जिसमें सूत सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत 2,35,686.51 लाख रुपए मूल्य का 1,725.46 लाख किलो सूत शामिल था, की तुलना में वर्ष 2016–17 के दौरान 1,802.19 लाख किलो सूत की आपूर्ति की गई जिसका मूल्य 2,94,755.14 लाख रुपए था तथा जिसमें सूत सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत 2,94,194.81 लाख रुपए मूल्य का 1,799.15 लाख किलो सूत शामिल था। गत वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान सूत की आपूर्ति 257.08 लाख किलो थी जिसका मूल्य 92,751.08 लाख रुपए था, की तुलना में वर्ष 2016–17 के दौरान सूत सप्लाई स्कीम के 10% मूल्य अनुवृत्ति घटक के अन्तर्गत सूत की आपूर्ति 306.31 लाख किलो थी जिसका मूल्य 1,41,730.51 लाख रुपए था।

निगम हथकरघा बुनकरों और आपूर्तिकर्ताओं के लाभ हेतु गुणवत्तापूर्ण रंगों की व्यवस्था कर रहा है और गत वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान 4,484.30 लाख रुपए मूल्य वाले 37.46 लाख किलो सूत की आपूर्ति की तुलना में वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान 46.22 लाख किलो सूत की आपूर्ति की गई जिसका मूल्य 4,596.65 लाख रुपए है।

निगम हथकरघा बुनकरों को प्रतिस्पर्धी/न्यूनतम दरों पर सूत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बहुत अधिक मात्रा में छूट प्राप्त करने के लिए बड़ी मात्रा में सूत क्रय करने के लिए केन्द्रीकृत रूप से आपूर्तिकर्ताओं के साथ सूत के मूल्य के सम्बन्ध में बातचीत कर रहा है। मासिक आधार पर बुनकर एजेंसियों की पहुँच के लिए दरों को निगम की वेबसाइट पर रखा जाता है जिससे बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

निगम हथकरघा बुनकरों/एजेसिंयों को समय से आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गुवाहाटी (असम), समुद्रगढ़ (पश्चिम बंगाल), सीतापुर (उत्तर प्रदेश), चिराला (आन्ध्र प्रदेश), कन्नूर (केरल), भुवनेश्वर (ओडिशा), वारंगल (तेलंगाना), अगरतला (त्रिपुरा), गोड्डा (झारखण्ड) तथा मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) में 10 गोदामों का संचालन कर रहा है। गत वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान 892 लाख रुपए मूल्य के 3.24 लाख किलो सूत की तुलना में वर्ष 2016–17 के दौरान इन गोदामों के माध्यम से 3.23 लाख किलो सूत की आपूर्ति की गई जिसका मूल्य 871.75 लाख रुपए था।

देनदारों से वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान (दिनांक 31 मार्च 2016 तक बकाया राशि में से) धनराशि की वसूली की गई तथा दिनांक 31 मार्च, 2016 तक बकाया देनदारों का प्रतिशत 95.92% (पिछले वर्ष 95.20%) है।

सूत की डिलीवरी के औसत दिनों की संख्या घटकर 24 दिन (गत वर्ष 34 दिन) हो गई है। सूत की डिलीवरी के समय में कम हुए कुल दिनों की संख्या (हथकरघा बुनकर द्वारा लेने से डिलीवरी तक लिया गया समय) 10 दिन है।

ईआरपी के वित्तीय और मानव संसाधन (एचआर) मॉड्यूल दिनांक 30 नवम्बर 2016 तक सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर लिए गए थे और आंकड़ों को ईआरपी में सफलतापूर्वक ले लिया गया है।

निगम द्वारा विभिन्न शिविरों का आयोजन करके मुद्रा कार्ड योजना के अन्तर्गत 30,386 हथकरघा बुनकरों को सुविधा प्रदान की गई है।

economic viability of the weaving community. Cotton hank yarn is the major consumed variety in the handloom sector. Other varieties of yarn have also been used based on the demand and preferences received through market feedback by the handloom weavers.

Depots are also set up through handloom agencies for ensuring easy and uninterrupted supplies. Uptill 31st March, 2017, the number of operational depots is 935 nos. (932 nos. as on 31st March, 2016).

To mitigate the cost disadvantage of Handloom sector, the Government of India has allowed 10% price subsidy on hank yarn to be distributed in the handloom sector under YSS w.e.f. 06th Jan., 2012. The subsidy is being provided upfront in the invoice to the beneficiaries. Corporation is supplying the yarn to the handloom weavers under the 10% Price Subsidy component of the scheme.

The yarn supplies during the year 2016-17 were 1802.19 Lakh kg. valuing Rs. 294755.14 Lakh which include 1799.15 Lakh kg. valuing Rs. 294194.81 Lakh under Yarn Supply Scheme as compared to supplies of 1727.81 Lakh kg. valuing Rs. 236119.72 Lakh which include 1725.46 Lakh kg. valuing Rs. 235686.51 Lakh under the Yarn Supply Scheme during the last financial year 2015-16. The yarn supplies under the 10% Price Subsidy Component of Yarn Supply Scheme (included in the yarn supplies mentioned above) during the year 2016-17 were 306.31 Lakh kg. valuing Rs. 141730.51 Lakh as compared to 257.08 Lakh kg. valuing Rs. 92751.08 Lakh during the last financial year 2015-16.

Corporation is arranging quality dyes for the benefit of handloom weavers and the supplies during the financial year 2016-17 were 46.22 Lakh kg. valuing Rs. 4596.65 Lakh as compared to supplies of 37.46 Lakh kg. valuing Rs. 4484.30 Lakh during the last financial year 2015-16.

Corporation is negotiating the yarn rates with the suppliers centrally for purchase of bulk quantities to obtain bulk quantity discounts with a view to provide the yarn to Handloom weavers at competitive/ lowest rates. Rates are placed on corporation's website as well, on monthly basis for access by the weaver agencies, resulting in better transparency.

Corporation is operating 10 nos. Warehouses (Previous year 10 nos.) at Guwahati (Assam), Samudragarh (West Bengal), Sitapur (Uttar Pradesh), Chirala (Andhra Pradesh), Kannur (Kerala), Bhubaneshwar (Odisha), Warangal (Telangana), Agartala (Tripura), Godda (Jharkhand) and Moradabad (Uttar Pradesh) for ensuring timely supply to the handloom weavers/ agencies. The yarn supply made through these warehouses during the year 2016-17 was 3.23 Lakh kg. valuing Rs. 871.75 Lakh as against 3.24 Lakh kgs. valuing Rs. 892.00 Lakh during the last financial year 2015-16.

The debtors recovered (out of outstanding as on 31st March, 2016) during the FY 2016-17 as % age of debtors outstanding as on 31st March, 2016 is 95.92% (Previous year – 95.20%).

The number of average days of delivery of yarn has been reduced up to 24 days (Previous year - 34 days). The total number of reduction in yarn delivery time (Time taken from requisition by handloom weavers till its delivery) is 10 days.

Financial and HR modules of ERP were successfully implemented as on 30th November 2016 and porting of data is also done successfully in ERP.

Corporation has facilitated 30386 number of Handloom weavers under Mudra Card Scheme by organising various camps.

6. विकासात्मक गतिविधियाँ और विपणन सहायता:

(i) क्रेता विक्रेता सम्मेलनों, प्रचार–प्रसार कार्यक्रमों तथा अन्य विकासात्मक कार्यक्रमों के आयोजन के जरिए हथकरघों के संवर्द्धन में पूर्वोत्तर राज्यों में किया गया व्यय गत वित्त वर्ष 2015–16 में 17.77 लाख रुपए से 13% घटकर वित्त वर्ष 2016–17 में 15.51 लाख रुपए हो गया है।

(ii) बेहतर गुणवत्ता वाले सूत तथा साथ ही वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता मिलों के रूप में विकल्पों की उपलब्धता में बढ़ोत्तरी करने के उद्देश्य से निगम द्वारा इस वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में 3 विक्रेता क्रेता सम्मेलनों (गत वर्ष – 3) तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 13 विक्रेता क्रेता सम्मेलनों (गत वर्ष – 12) का आयोजन किया गया है।

(iii) हथकरघा बुनकरों के हित के लिए विकास आयुक्त (हथकरघा), वस्त्र मन्त्रालय द्वारा विभिन्न स्कीमों का प्रचार–प्रसार करने के उद्देश्य से निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तरांचल तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में सरकारी स्कीम के प्रचार–प्रसार पर 14 एक दिवसीय सुग्राहीकरण कार्यक्रमों (गत वर्ष – 14) का आयोजन किया गया है।

(iv) अन्य राज्यों में बुनकरों को प्रयोग किए गए सूत तथा निर्मित उत्पाद से अवगत कराने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से निगम द्वारा वर्ष के दौरान अन्य राज्यों के लिए 9 (गत वर्ष – 6) अभिज्ञता/ज्ञान साझेदारी दौरों का आयोजन किया गया है।

(v) निगम ने विशिष्ट प्रदर्शनी के आयोजन के जरिए हथकरघा बुनकरों को विपणन सहायता मुहैया कराई है जिसमें वे सीधे उपभोक्ताओं को बेहतर मूल्य पर अपने उत्पाद बेच सकते हैं। इस सम्बन्ध में वर्ष के दौरान मुम्बई, अहमदाबाद, एर्नाकुलम, सूरत, जबलपुर, कोलकाता, नई दिल्ली, बेंगलुरु, चण्डीगढ़, कोयम्बटूर, लखनऊ, इन्दौर, हैदराबाद, भोपाल, पटना, पुणे, गुवाहाटी, विजयवाडा, रायपुर, जम्मू और भुवनेश्वर में 21 'सिल्कफैब' प्रदर्शनियों (गत वर्ष – 19) का आयोजन किया गया था जबकि लखनऊ, भोपाल तथा जबलपुर में 3 'वूलफैब' प्रदर्शनियों (गत वर्ष – 3) और अहमदाबाद में 1 'राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनी' (गत वर्ष – 1) का आयोजन किया गया था।

वर्ष के दौरान प्रदर्शनियों में कुल 88.99 करोड़ रुपए (गत वर्ष – 92.37 करोड़ रुपए) की बिक्री हुई थी।

7. कम्यूटरीकरण:

निगम द्वारा अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों तथा नैगमिक कार्यालय में सूत सम्बन्धी कार्यकलाप के लिए दिनांक 30 नवम्बर, 2016 से नए ईआरपी का कार्यान्वयन किया गया है। तदनुसार, सभी डाटा प्रविष्टि का कार्य नए ईआरपी में किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 6 जनवरी, 2012 को वाईएसएस के अन्तर्गत हैंक सूत पर घोषित 10% मूल्य अनुवृत्ति तथा स्टॉक के रखरखाव के कार्य भी नए ईआरपी में अन्तर्विष्ट किये गए हैं। सभी रिपोर्टों को अन्तिम रूप प्रदान कर दिया गया है तथा उन्हें स्थायी मान लिया गया है। इसके परिणामस्वरूप सभी सूचना समयबद्ध तथा वास्तविक हो गई है, मैन्युअल अभिलेखों का विलोपन हुआ है तथा कार्य को दुबारा किए जाने से बचाव हुआ है।

8. नैगमिक अभिशासन:

आपका निगम अपनी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं में नैतिक व्यापार आचरण, पारदर्शिता, जवाबदेही तथा समानता में दृढ़ विश्वास रखता है तथा उसे सर्वाधिक महत्त्व प्रदान करता है जिससे उसके हितधारकों के लिए धन का सृजन होता है। निदेशकों के प्रतिवेदन के साथ निगम द्वारा अनुसरण किए जा रहे 'नैगमिक अभिशासन व्यवहार' पर एक प्रतिवेदन तथा 'प्रबन्धन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट' संलग्न हैं।

6. DEVELOPMENTAL ACTIVITIES AND MARKETING SUPPORT:

(i) The expenditure in North-Eastern states in promotion of handlooms by way of organizing buyer seller meets, dissemination programmes and other developmental programmes has gone down by 13% from Rs. 17.77 Lakh in FY 2015-16 to Rs. 15.51 Lakh in FY 2016-17.

(ii) In order to increase the availability of better quality yarn and also the options in the form of alternative supplier mills, the corporation has organized 03 nos. (Previous year – 03 nos.) Buyers' Seller Meets in North Eastern Region and 13 nos. (Previous year - 12 nos.) Buyers' Seller Meets in other than North Eastern Region during the year.

(iii) In order to disseminate/ propagate the various schemes run by the office of DC (Handlooms), Ministry of Textiles for the benefit of handloom weavers, corporation has organized 14 nos. (Previous year - 14 nos.) One Day Sensitization Programmes on dissemination of Government Scheme in the states of Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Uttaranchal and North Eastern region.

(iv) In order to enable the weavers to know the yarn used and products manufactured in other states, the corporation has organized 9 nos. (Previous year 6 nos.) Familiarisation/ Knowledge sharing visits of handloom weavers to other states during the year.

(v) Corporation has provided marketing support to the handloom weavers through organization of exclusive exhibitions, wherein, they can sell their products directly to the consumers at better price. In this regard 21 nos. 'SILKFAB' exhibitions (Previous year - 19 nos.) were organized at Mumbai, Ahmedabad, Ernakulam, Surat, Jabalpur, Kolkata, New Delhi, Bangalore, Chandigarh, Coimbatore, Lucknow, Indore, Hyderabad, Bhopal, Patna, Pune, Guwahati, Vijayawada, Raipur, Jammu and Bhubaneswar, while 03 nos. 'WOOLFAB' exhibitions (Previous year - 03 nos.) at Lucknow, Bhopal, and Jabalpur and 01 no. 'National Handloom Expo (Previous year – 01 nos.) at Ahmedabad was organized during the year.

The total sale in the Exhibitions during the year was Rs. 88.99 crore (Previous year - Rs. 92.37 crore).

7. COMPUTERISATION:

Corporation has implemented the New ERP with effect from 30.11.2016 for yarn activity at all its Regional Offices and at Corporate office. Accordingly, all the data entry is being done in New ERP. The 10% price subsidy on hank yarn under YSS announced by the Govt. of India on 6th Jan., 2012 and stock handling has also been incorporated in ERP. All the reports have been finalized and stabilized. It has resulted in timely and accurate information, elimination of manual records and avoiding duplicity of work.

8. CORPORATE GOVERNANCE:

Your corporation firmly believes and accords highest importance to ethical business conduct, transparency, accountability and equity in all facets of its operations, which leads to creation of wealth for its stakeholders. A report on 'Corporate Governance Practices' being followed by the corporation and 'Management Discussion and Analysis Report' are annexed to the Directors' Report.

वर्ष 2015–16 के लिए सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण आंकड़े दिनांक 23 सितम्बर, 2016 को सार्वजनिक उपक्रम विभाग को सौंप दिये गये थे तथा वर्ष 2015–16 के लिए निगम के वार्षिक लेखाओं को दिनांक 30 सितम्बर, 2016 को निगम की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016–17 के दौरान सभी तिमाहियों के लिए नैगमिक अभिशासन पर तिमाही प्रगति रिपोर्टों को उस तिमाही की समाप्ति के पश्चात 15 दिन की नियत तारीख की बजाय उस तिमाही की समाप्ति के 7वें दिन को या उससे पूर्व सार्वजनिक उपक्रम विभाग को सौंप दिया गया है।

वर्ष 2016–17 के लिए सार्वजनिक उपक्रम विभाग को नैगमिक अभिशासन पर प्रस्तुत की गई वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में वार्षिक स्कोर (तिमाही रिपोर्टों के औसत के आधार पर) 89.61% अर्थात **'उत्कृष्ट'** है।

9. कार्मिक विकास एवं औद्योगिक सम्बन्धः

निगम मानव संसाधन के विकास पर अत्यधिक ध्यान देता आ रहा है और इस परिदृश्य में वह घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए दक्षता उन्नियन हेतु सहयोग का विस्तार करने के साथ–साथ अपने कार्मिकों को प्रख्यात बाह्य एजेसिंयों द्वारा आयोजित किए गए विशेष कार्यक्रमों/सेमिनारों/कार्यशालाओं में भेज रहा है।

निगम द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वीआरएस) की शुरुआत की गई थी, जो कि वर्ष 2016–17 के दौरान सचिवालीय कर्मचारियों के लिए लागू की गई थी, परन्तु वर्ष के दौरान किसी भी कर्मचारी द्वारा वीआरएस विकल्प का चयन नहीं किया गया था। दिनांक 31 मार्च, 2017 तक निगम के कर्मचारियों की कुल संख्या 208 (गत वर्ष – 215) है जिसमें अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी से 23 कर्मचारी (11.55%), अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी से 8 कर्मचारी (3.84%), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी से 33 कर्मचारी (15.86%) तथा विकलांग (पीएच) श्रेणी से 5 कर्मचारी (2.40%) शामिल हैं।

प्रति कर्मचारी कुल बिक्री 14.39 करोड़ रुपए (गत वर्ष – 11.19 करोड़ रुपए) तथा प्रति कर्मचारी कर पश्चात लाभ (पीएटी) 13.88 लाभ रुपए (गत वर्ष – 11.20 लाख रुपए) है।

समीक्षा वर्ष के दौरान औद्योगिक सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण तथा शान्तिपूर्ण रहे।

10. हिन्दी का प्रगामी प्रयोगः

निगम अपने दैनिक कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए प्रतिबद्ध है। निगम द्वारा अर्द्धवार्षिक आधार पर अर्थात सितम्बर एवं मार्च माह में ''राजभाषा सुरभि'' नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त ''राजभाषा सुरभि'' नामक पत्रिका के प्रकाशन के लिए निगम को चतुर्थ पुरस्कार प्रदान मिला है।

11. (i) निदेशक मण्डलः

निगम के बोर्ड के एक स्वन्तत्र निदेशक की नियुक्ति के मामले को छोड़कर सुस्थापित संरचना है जिसके लिए उन्हें बोर्ड में शामिल करने हेतु प्रशासनिक मन्त्रालय से अनुरोध किया गया है। इस समय, इसमें चार सदस्य हैं जिसमें से दो भारत सरकार के नामित (अध्यक्ष को शामिल करके), एक अशासकीय स्वतन्त्र महिला निदेशक तथा एक कार्यशील निदेशक (अर्थात प्रबन्ध निदेशक) हैं। बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा निगम संघ के अनुच्छेदों के अनुच्छेद 94 के अनुसार की जाती है।

The Public Enterprises Survey data for the year 2015-16 was submitted to the department of Public Enterprises on 23rd Sept., 2016 and the annual accounts of the corporation for the year 2015-16 were placed on the website of the corporation on 30th Sept., 2016. Further, the quarterly progress reports on Corporate Governance for all the quarters during the year 2016-17 have been submitted to Department of Public Enterprises on or before 07th day after the close of the quarter against the due date of 15th day after the close of the quarter.

The annual score (Based on the average of quarterly reports) in the annual evaluation report on Corporate Governance submitted to the Department of Public Enterprises for the year 2016-17 comes to 89.61% i.e. **'Excellent'.**

9. PERSONNEL DEVELOPMENT & INDUSTRIAL RELATIONS:

Corporation has been laying a lot of emphasis on development of Human Resource and in this context, it has been extending support for up-gradation of the skill through organization of In-house Training Programmes as well as deputing its personnel to specific programmes/ seminars/ workshops organized by the outside agencies of repute.

Corporation had introduced Voluntary Retirement Scheme (VRS), which was in operation during the year 2016-17 for secretarial staff, but none of the employee opted VRS during the year. Total number of employee of the Corporation as on 31st March, 2017 now stands at 208 (Previous year - 215) which include 23 (11.05%) employees belonging to Scheduled Castes (SC) category, 08 (3.84%) employees belonging to Scheduled Tribes (ST) category, 33 (15.86%) employees belonging to Other Backward Classes (OBC) category and 05 (2.40%) employees of Physically Handicapped (PH) category.

The turnover per employee is Rs. 14.39 crore (Previous year – Rs. 11.19 crore) and the Profit after Tax (PAT) per employee is Rs. 13.88 Lakh (Previous year Rs. 11.20 Lakh).

The Industrial relations have been cordial and remained peaceful during the year under review.

10. PROGRESSIVE USE OF HINDI:

Corporation is committed to the progressive use of Hindi in its day to day working. Corporation has been publishing "RAJBHASHA SURABHI" magazine on half yearly basis i.e. in the month of September and March.

Further Corporation has been awarded 4th prize for publication of "RAJBHASHA SURABHI" magazine.

11. (i) BOARD OF DIRECTORS:

The Board of the corporation is well structured except the appointment of 01 independent director, for which, request has been made to the Administrative Ministry for the induction on the Board. Presently, it consists of 4 members, out of whom, two are the nominee of the government of India (including Chairman), 01 is Non Official Independent Women Director and one is the Functional Director (i.e. Managing Director). The Directors on the Board are appointed by the Government of India in terms of Article 94 of the Articles of Association of the Corporation.

निदेशक मण्डल का गठन तथा उससे सम्बन्धित सूचना नीचे दी गई है:–

निदेशक का नाम तथा श्रेणी	वार्षिक आम बैठक से अब तक की उपस्थिति के साथ बोर्ड की बैठकों की संख्या	पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	31 मार्च, 2017 को बाहरी निदेशकों की संख्या
सरकारी निदेशकः			
क. श्री शान्तमनु, अध्यक्ष–रा.ह.वि.नि. / विकास आयुक्त (हस्तशिल्प एवं हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय, डीआईएन सं. 06640820 **(18 मई, 2017 से)**	2/2	लागू नहीं	01–जम्मू और कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र
ख. श्री आलोक कुमार,* अध्यक्ष–रा.ह.वि.नि. / विकास आयुक्त (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय, डीआईएन सं. 06517942 **(01 मई, 2015 से 17 मई, 2017)**	2/2	नहीं	–
ग. श्री आर.वी.एस. मणि, उप सचिव, समेकित वित्त प्रभाग, वस्त्र मंत्रालय डीआईएन सं. 06982441 **(02 सितम्बर, 2014 से)**	4/4	हां	01–ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड
कार्यकारी निदेशकः			
घ. श्री सर्वेपल्ली श्रीनिवास प्रबंध निदेशक डीआईएन सं. 02292051 **(01 मई, 2013 से)**	4/4	हां	–
अशासकीय स्वतंत्र निदेशकः			
ङ. श्रीमती शिखा रॉय पब्बी अशासकीय स्वतंत्र निदेशक डीआईएन सं. 07764529 **(01 फरवरी, 2017 से)**	3/3	लागू नहीं	–

*श्री अलोक कुमार दिनांक 18 मई, 2017 से निगम के अध्यक्ष पद से विमुक्त हुए एवं उनके स्थान पर श्री शान्तमनु (डीआईएन संख्या 06640820) को निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

भारत सरकार के वस्त्र मन्त्रालय ने अपने आदेश संख्या 11/26/82–डीसीएच/रा.ह.वि.नि./(अंक IV) द्वारा श्रीमती शिखा रॉय पब्बी को दिनांक 1 फरवरी, 2017 से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक स्वतन्त्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) के अनुपालन में निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2017

Constitution of Board of Directors and the related information is placed herein below:

Name & category of the Director	No. of Board meetings with attendance since last AGM	Attendance in last AGM	No. of outside Directorships as on 31st March, 2017
Government Director:			
a. Shri Shantmanu, Chairman-NHDC / DC (Handicraft & Handlooms), Ministry of Textiles, DIN No. 06640820 **(From 18th May, 2017)**	2/2	N.A.	01-Jammu and Kashmir International Trade Centre
b. Shri Alok Kumar,* Chairman-NHDC / DC (Handlooms), Ministry of Textiles, DIN No. 06517942 **(From 01st May, 2015- 17th May, 2017)**	2/2	No	–
c. Shri R V S Mani, Dy. Secretary, Integrated Finance Wing Ministry of Textiles, DIN No.06982441 **(From 02nd Sept., 2014)**	4/4	Yes	01- British India Corporation Limited
Functional Director:			
d. Shri Sarvepalli Srinivas Managing Director DIN No. 02292051 **(From 01st May, 2013)**	4/4	Yes	–
Non Official Independent Director			
e. Smt. Shikha Roy Pabbi Non-official Independent Director, DIN No. 07764529 **(From 1st Feb., 2017)**	3/3	N.A.	–

*Shri Alok Kumar ceased to be the Chairman of the Corporation with effect from 18th May, 2017 and in his place Shri Shantmanu (DIN No. 06640820) was appointed as Chairman of the Corporation.

Government of India, Ministry of Textiles vide order no. 11/26/82-DCH/NHDC/ (VOL. IV) has appointed Smt. Shikha Roy Pabbi as an Independent Director for a period of three years w.e.f 1st February, 2017. In compliance of Section 161(1) of the Companies Act 2013, Board of Directors has appointed Smt. Shikha Roy Pabbi as an Additional Director (Non –Official Independent Director) by way of passing Board Resolution in its Board Meeting held on 30th March, 2017. In compliance of Section 149, 150(2) & 152 of the Companies Act 2013, Board of Directors has recommended the appointment of Smt. Pabbi as Director, designated as

को आयोजित बोर्ड की बैठक में बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के माध्यम से श्रीमती शिखा रॉय पब्बी को एक अतिरिक्त निदेशक (अशासकीय स्वतन्त्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 150 (2) और 152 के अनुपालन में निदेशकों ने अगली वार्षिक आम बैठक में श्रीमती शिखा रॉय पब्बी की दिनांक 1 फरवरी 2017 से 31 जनवरी 2020 तक की 3 वर्ष की अवधि के लिए कम्पनी की अशासकीय स्वतन्त्र निदेशक के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की है।

भारत सरकार के वस्त्र मन्त्रालय ने अपने आदेश संख्या 10(4)/93–डीसीएच/रा.ह.वि.नि. द्वारा श्री शान्तमनु को दिनांक 18 नवम्बर, 2017 से गैर कार्यकारी निदेशक (पदेन अध्यक्ष) के रूप में नियुक्त किया है और निदेशक मण्डल द्वारा संस्था के अन्तर्नियमों के अन्तर्नियम 94(2) के प्रावधान के अनुसरण में दिनांक 25 जुलाई, 2017 को आयोजित बैठक में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है।

वर्ष 2016–17 के दौरान निगम के बोर्ड की नियमित अन्तराल पर चार बैठकें (13 जून 2016, 16 सितम्बर 2016, 28 दिसम्बर 2016 तथा 30 मार्च 2017) को आयोजित की गईं तथा डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी अपेक्षित सूचना बोर्ड के समक्ष रख दी गई थी।

(ii) लेखा परीक्षा समिति:

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार समीक्षा वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन किया गया था। सीपीएसई के लिए नैगमिक अभिशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों में यथा प्रस्तावित लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय लेखा परीक्षा समिति द्वारा दिनांक 8 दिसम्बर, 2010 को आयोजित की गई उसकी 23वीं बैठक में नोट कर लिए गए थे। लेखा परीक्षा समिति का संघटन तथा उससे सम्बन्धित सूचना नीचे दी गई है :–

नाम/श्रेणी	लेखा–परीक्षा समिति में पद	वर्ष के दौरान उपस्थिति के साथ बैठकों की संख्या
श्री आलोक कुमार सरकारी निदेशक (दिनांक 01 मई, 2015 – 17 मई, 2017 से)	अध्यक्ष	5/5
श्री आर.वी.एस. मणि सरकारी निदेशक (दिनांक 02 सितंबर, 2014 से)	सदस्य	5/5
श्री सर्वेपल्ली श्रीनिवास कार्यकारी निदेशक (दिनांक 01 मई, 2013 से)	सदस्य	5/5
श्रीमती शिखा रॉय पब्बी अशासकीय स्वतंत्र निदेशक (01 फरवरी, 2017 से)	सदस्य	N.A.

वर्ष 2016–17 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की नियमिति अन्तराल पर 5 बैठकें (13 जून 2016, 16 सितम्बर 2016, 29 सितम्बर 2016, 28 दिसम्बर 2015 तथा 30 मार्च 2017) को आयोजित की गईं। भारत सरकार के वस्त्र मन्त्रालय द्वारा जारी आदेश संख्या 11/26/82–डीसीएच/रा.ह.वि.नि./(अंक IV) के जरिए श्रीमती शिखा रॉय पब्बी को दिनांक 1 फरवरी, 2017 से एक अशासकीय स्वतन्त्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2017 को आयोजित बोर्ड की बैठक में उनके अतिरिक्त निदेशक (अशासकीय स्वतन्त्र निदेशक) अर्थात लेखा परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में नामित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

*श्री अलोक कुमार दिनांक 18 मई, 2017 से निगम के अध्यक्ष पद से विमुक्त हुए एवं उनके स्थान पर श्री शान्तमनु (डीआईएन संख्या 06640820) को निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तदनुसार, दिनांक 25 जुलाई,

Non-Official Independent Director in the ensuing Annual General Meeting of the Company for a period of 3 years commencing from 1st February, 2017 to 31st January, 2020.

Government of India, Ministry of Textiles vide order no. 10(4)/93-DCH/NHDC has appointed Shri. Shantmanu as Non Executive Director (Ex-officio Chairman) with effect from 18th May, 2017 and the Board of Directors has approved his appointment in the Meeting held on 25th July, 2017 in pursuance of the provision of Articles 94(2) of the articles of association of the company.

The Board of the corporation met 04 times during the year 2016-17 at regular intervals (13th June, 2016, 16th Sept., 2016, 28th Dec., 2016 & 30th March, 2017) and all the information required in accordance with DPE guidelines were placed before the Board.

(ii) AUDIT COMMITTEE:

In accordance with the provisions of section 177 of the Companies Act 2013, the meetings of Audit Committee were held during the year under review. The terms of reference of the Audit Committee, as proposed in the DPE guidelines on Corporate Governance for CPSEs was noted by the Audit Committee in its 23rd meeting held on 08th Dec., 2010. The composition of Audit Committee and the related information is placed herein below:

Name/ category	Position in Audit Committee	No. of meetings with attendance during the year
Shri Alok Kumar Government Director (w.e.f. 01st May, 2015 – 17th May, 2017)	Chairman	5/5
Shri R V S Mani Government Director (w.e.f. 02nd Sept., 2014)	Member	5/5
Shri Sarvepalli Srinivas Functional Director (w.e.f. 01st May, 2013)	Member	5/5
Smt. Shikha Roy Pabbi Non official Independent Director (w.e.f. 01st Feb., 2017)	Member	N.A.

The Audit Committee met 5 times during the year 2016-17 at regular intervals (13th June, 2016, 16th Sept. 2016, 29th Sept. 2016, 28st Dec., 2016 and 30th March 2017). As per the order no. 11/26/82-DCH/NHDC/(VOL. IV) issued by Government of India, Ministry of Textiles, Smt. Shikha Roy Pabbi was appointed as Non Official Independent Director effective 1st February, 2017 and the Board of Directors at its meeting held on 30th March 2017 has passed the resolution pertaining to her appointment as Additional Director, designated as Non Official Independent Director vis-a-vis member in Audit Committee.

*Shri Alok Kumar ceased to be the Chairman of the Corporation with effect from 18th May, 2017 and in his place Shri Shantmanu (DIN No. 06640820) was appointed as Chairman of the Corporation. Accordingly the audit committee was reconstituted in the board meeting on the corporation held on 25th July, 2017,

2017 को आयोजित निगम के बोर्ड की बैठक में लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप श्री अलोक कुमार, विकास आयुक्त (हथकरघा) के स्थान पर श्री शान्तमनु, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प एवं हथकरघा) की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के बाद, अब लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया गया है :–

1. श्री शान्तमनु, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प एवं हथकरघा)
2. श्री आर.वी.एस. मणि, उप–सचिव
3. श्रीमती शिखा रॉय पब्बी, अशासकीय स्वतन्त्र निदेशक
4. श्री सर्वेपल्ली श्रीनिवास, प्रबन्ध निदेशक, रा.ह.वि.नि.

12. स्वतन्त्र निदेशक की उद्घोषणा:

निगम के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मन्त्रालय द्वारा की जाती है। निगम स्वतन्त्र निदेशकों को नियुक्त करने के लिए मन्त्रालय से अनुरोध करता आ रहा है। वर्ष के दौरान निगम के बोर्ड में दिनांक 1 फरवरी 2017 को एक स्वतन्त्र निदेशक की नियुक्ति की गई है और कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत स्वतन्त्र निदेशक की आवश्यक उद्घोषणा प्राप्त कर ली गई है।

एक और स्वतन्त्र निदेशक की नियुक्ति अभी भी मन्त्रालय द्वारा की जानी है। वर्ष के दौरान निगम के बोर्ड में केवल एक स्वतन्त्र निदेशक था।

13. स्वतन्त्र निदेशकों की पुनर्नियुक्ति पर प्रकटीकरण:

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 150 के प्रावधान के तहत और जैसा कि धारा 152 की उपधारा (2) में दिया गया है, स्वतन्त्र निदेशक की नियुक्ति का अनुमोदन कम्पनी की आम बैठक में किया जाएगा। फिर भी, वस्त्र मन्त्रालय के विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के आदेश संख्या 11/26/82–डीसीएच/रा.ह.वि.नि./(अंक IV) द्वारा श्रीमती शिखा रॉय पब्बी को दिनांक 1 फरवरी, 2017 से 3 वर्ष की अवधि के लिए निदेशक नियुक्त किया गया है।

निदेशक मण्डल ने श्रीमती शिखा रॉय पब्बी के निदेशक के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की है, और आगामी वार्षिक आम बैठक में उनका पदनाम अशासकीय स्वतन्त्र निदेशक मंजूर किया जाएगा।

14. निदेशकों की अर्हताओं, विशेषताओं, स्वतन्त्रता आदि सम्बन्धी मानदण्डों सहित उनके चयन तथा पारिश्रमिक पर कम्पनी की नीति:

भारत सरकार के नैगमिक मन्त्रालय की दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना फाइल संख्या 1/2/2014–सीएल.वी के तहत कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ई) के अन्तर्गत इस सूचना के प्रकटन से सरकारी कम्पनियों को छूट प्रदान की गई है।

15. बोर्ड, उसकी समिति तथा निदेशकों के कार्यनिष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन:

भारत सरकार के नैगमिक मन्त्रालय की दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना फाइल संख्या 1/2/2014–सीएल.वी के तहत निदेशकों का कम्पनी के प्रशासनिक मन्त्रालय द्वारा मूल्यांकन किए जाने की स्थिति में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ङ) के अन्तर्गत इस सूचना के प्रकटन से सरकारी कम्पनियों को छूट प्रदान की गई है। चूँकि, निगम के बोर्ड में शामिल निदेशकों का मूल्यांकन प्रशासनिक मन्त्रालय अर्थात वस्त्र मन्त्रालय द्वारा किया जाता है, इसलिए यह अप्रयोज्य है।

16. निदेशक, मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिक (केएमपी) की नियुक्ति तथा उनका पदत्याग:

श्रीमती शिखा रॉय पब्बी (डीआईएन संख्या 07764529) को दिनांक 1 फरवरी, 2017 से एक अशासकीय स्वतन्त्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

consequent upon appointment of Shri Shantmanu, DC (Handicraft & Handlooms), as Chairman in place of Shri Alok Kumar, DC (Handlooms), now the Audit Committee reconstituted as follows:-

1. Shri Shantmanu, DC (Handicraft & Handlooms)
2. Shri R V S Mani, Dy. Secretary
3. Smt. Shikha Roy, Non Official Independent Director
4. Shri Sarvepalli Srinivas, MD-NHDC

12. INDEPENDENT DIRECTOR'S DECLARATION:

Directors on the Board of the Corporation are appointed by the Administrative Ministry. Corporation has been requesting the Ministry to appoint the Independent Directors. During the year one Independent Director was appointed on the Board of the Corporation on 1st February, 2017 and in accordance with the provisions of the Companies Act 2013, the required declaration was received from the independent director.

The appointment of one more Independent director is yet to be made by the Ministry. During the year there was one independent director on the board of the corporation.

13. DISCLOSURE ON REAPPOINTMENT OF INDEPENDENT DIRECTORS:

As per provision of Section 150 of Companies Act, 2013, appointment of independent director shall be approved by the company in general meeting as provided in sub-section (2) of section 152 .However, as per order no 11/26/82-DCH/NHDC/(VOL.IV) Smt. Shikha Roy Pabbi has been appointed by Ministry of Textiles office of the Development Commissioner for Handlooms for tenure of 3 years effective 1st February, 2017.

The Board of Directors recommends the appointment of Smt. Pabbi as Director designated as Non Official Independent Director, to the Shareholder in the ensuing Annual General Meeting

14. COMPANY'S POLICY ON DIRECTORS' APPOINTMENT & REMUNERATION INCLUDING CRITERIA FOR DETERMINING QUALIFICATIONS, ATTRIBUTES, INDEPENDENCE ETC.:

Vide notification F.No.1/2/2014-CL.V dated 05th June, 2015, Ministry of Corporate Affairs, Government of India, has exempted Government companies from disclosure of this information under section 134(3)(e) of the Companies Act, 2013.

15. ANNUAL EVALUATION OF PERFORMANCE OF BOARD, ITS COMMITTEE AND DIRECTORS:

Vide notification F.No.1/2/2014-CL.V dated 05th June, 2015, Ministry of Corporate Affairs, Government of India, has exempted Government companies from disclosure of this information under section 134(3)(p) of the Companies Act, 2013, in case the directors are evaluated by the Administrative Ministry of the company. Since, the director on the Board of the corporation are evaluated by the Administrative Ministry i.e. Ministry of Textiles, hence not applicable.

16. DIRECTORS, KMP APPOINTED AND RESIGNED

Smt. Shikha Roy Pabbi, (DIN No. 07764529) was appointed as Non-official Independent Director with effect from 1st February, 2017.

श्री अलोक कुमार दिनांक 18 मई, 2017 से निगम के अध्यक्ष पद से विमुक्त हुए एवं उनके स्थान पर श्री शान्तमनु (डीआईएन संख्या 06640820) को दिनांक 18 मई, 2017 से निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

एक मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिक (केएमपी), श्री जय गोपाल महाजन, कम्पनी सचिव एवं उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) ने दिनांक 14 मार्च, 2017 को निगम से त्यागपत्र दे दिया था।

इसके अतिरिक्त गत वार्षिक आम बैठक से अब तक निदेशकों तथा मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिकों (केएमपी) में कोई परिवर्तन (नियुक्ति/परित्याग) नहीं हुआ है।

भारत के राष्ट्रपति के अनुग्रह पर निगम के बोर्ड में शामिल निदेशक अपने पद पर बने रहते हैं।

17. धारण अथवा सहायक कम्पनी से कमीशन अथवा पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले प्रबन्ध निदेशकः

निगम की कोई धारण अथवा सहायक कम्पनी नहीं है, इसलिए यह अप्रयोज्य है।

18. निदेशकों के पारिश्रमिक एवं कर्मचारियों के माध्यिक पारिश्रमिक का अनुपात व अन्य प्रकटीकरणः

वर्ष के दौरान प्रबन्ध निदेशक का पारिश्रमिक 27.33 लाख रुपए था तथा कर्मचारियों का माध्यिक पारिश्रमिक 3.95 लाख रुपए था। प्रबन्ध निदेशक का पारिश्रमिक कर्मचारियों के माध्यिक पारिश्रमिक का 691% है।

19. निदेशकों का जवाबदेही विवरणः

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के मद्देनजर आपके निदेशक एतद्वारा यह घोषणा करते हैं कि :–

(i) वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में विषय वस्तु से सम्बन्धित समुचित स्पष्टीकरण के साथ प्रयोज्य लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया था।

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन तथा उनका लगातार प्रयोग किया था और ऐसे निर्णय और प्राक्कलन दिए थे जो युक्तियुक्त तथा विवेकपूर्ण थे जिससे वित्त वर्ष की समाप्ति पर निगम के कार्यों तथा साथ ही उस अवधि के लिए निगम के लाभों का भी सही और निष्पक्ष पर्यावलोकन किया जा सके।

(iii) निदेशकों ने निगम की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकार्डों के रखरखाव के लिए समुचित और पर्याप्त ध्यान दिया था।

(iv) निदेशकों ने सतत् सरोकारों के आधार पर वार्षिक लेखाओं को तैयार किया था।

(v) निदेशकों ने सभी प्रयोज्य कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित कार्यप्रणालियाँ तैयार की थीं और वे प्रणालियाँ पर्याप्त थीं एवं प्रभारी रूप से कार्यशील थीं।

20. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा उनकी पर्याप्तताः

निगम ने अपने आकार के अनुरूप आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापित की है। व्यापक आन्तरिक लेखा परीक्षा मैन्युअल के अतिरिक्त आन्तरिक प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आन्तरिक लेखा परीक्षकों को समय समय पर आवश्यकता के आधार पर नए जाँच बिन्दुओं का भी सुझाव दिया जाता है। निगम की आन्तरिक लेखा परीक्षा निगम

Shri Alok Kumar ceased to be the Chairman of the Corporation with effect from 18th May, 2017 and in his place Shri Shantmanu (DIN No. 06640820) was appointed as Chairman of the Corporation with effect from 18th May, 2017.

Key Managerial personnel (KMP), Shri. Jai Gopal Mahajan, Company Secretary & Dy. General Manager (F & A) has resigned from the corporation with effect from 14th March, 2017.

Except that, there is no change (appointment/ resignation) in Directors and Key Managerial personnel (KMP) since last Annual General Meeting.

Director on the Board of the corporation hold their office at the pleasure of President of India.

17. MANAGING DIRECTOR RECEIVING COMMISSION OR REMUNERATION FROM HOLDING OR SUBSIDIARY COMPANY:

Corporation has no holding or subsidiary company, hence not applicable.

18. RATIO OF DIRECTORS' REMUNERATION TO MEDIAN EMPLOYEES' REMUNERATION AND OTHER DISCLOSURES:

During the year, the remuneration of Managing Director was Rs. 27.33 Lakh and median employee's remuneration was Rs. 3.95 Lakh. The Managing Director's remuneration comes to 691% of median employees' remuneration.

19. DIRECTOR'S RESPONSIBILITY STATEMENT:

In view of provisions of the Companies Act, 2013, your Directors hereby declare that:-

(i) In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures.

(ii) The directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the corporation at the end of the financial year and of the profits of the corporation for that period.

(iii) The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the corporation and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

(iv) The directors had prepared the annual accounts on a going concern basis and

(v) The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

20. INTERNAL CONTROL SYSTEM AND THEIR ADEQUACY:

The corporation has evolved a system of internal control commensurate with the size of the corporation. In order to make the internal control more effective, besides comprehensive internal audit manual, the new check points are also advised to the internal auditors from time to time on need basis. The internal audit of

के आन्तरिक लेखा परीक्षा दल तथा बाह्य स्वतन्त्र चार्टेड एकाउन्टेन्टस के द्वारा की जाती है। लेखा परीक्षा समिति के निर्णय के अनुसार निगम के मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखा परीक्षा आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग तथा बाह्य चार्टेड एकाउन्टेन्टस द्वारा बारी–बारी से प्रत्येक वर्ष की जाती है। लेखा परीक्षा समिति द्वारा आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखा परीक्षा प्रणालियों की आवधिक रूप से समीक्षा की जा रही है तथा सतत् सुधार के लिए आवश्यकतानुसार सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

21. सतर्कता:

निगम के सतर्कता विभाग की अध्यक्षता सतर्कता अधिकारी द्वारा की जाती है जो निगम के प्रबन्ध निदेशक को रिपोर्ट करता है। सतर्कता विभाग केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों का अनुसरण करता है। निगम निवारक सतर्कता को अपना रहा है।

कर्मचारियों को अपने दैनिक कार्यकरण में सुरक्षापूर्वक व्यापार करने के सम्बन्ध में शिक्षित करने के लिए प्रति वर्ष सतर्कता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। वर्ष के दौरान दिनांक 31 अक्टूबर से 5 नवम्बर, 2016 के बीच ''ईमानदारी को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को खत्म करने में सार्वजनिक भागीदारी'' नामक विषय के साथ 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' का आयोजन किया गया था। इस सप्ताह की शुरुआत निगम के सतर्कता अधिकारी द्वारा कर्मचारियों को सतर्कता की प्रतिज्ञा दिलाने के साथ हुई थी। इस सप्ताह के दौरान सतर्कता से सम्बन्धित विषयों पर निबन्ध लेखन प्रतियोगिता तथा वादविवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई थीं जिसमें विभिन्न कर्मचारियों ने भाग लिया था। निगम के मुख्यालय तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सतर्कता सप्ताह का आयोजन किया गया था।

22. लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के उत्तर:

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) एवं 143 (6) के अन्तर्गत नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एण्ड एजी) की टिप्पणियों के साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन वार्षिक रिपोर्ट में रखी गई है। सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं सी एण्ड एजी की टिप्पणियों के उत्तर, यदि कोई हों, को निदेशकों के प्रतिवेदन में दिए गए अनुलग्नक में रखा गया है।

23. सचिवालीय लेखा परीक्षक प्रतिवेदन तथा सचिवालीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के उत्तर:

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) के अन्तर्गत सचिवालीय लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन तथा सचिवालीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के उत्तर, यदि कोई हों, को निदेशकों के प्रतिवेदन में दिए गए अनुलग्नक में रखा गया है।

24. लेखाओं पर की गई टिप्पणियों में निगम द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी:

कोई धोखाधड़ी रिपोर्ट नहीं की गई है।

25. आकस्मिक परिसम्पत्तियाँ:

विधिक कार्यवाहियों के अन्तर्गत पक्षकारों से प्राप्त किया जाने वाला ब्याज 63.40 लाख रुपए (गत वर्ष – 23.93 लाख रुपए) है।

26. ऋण एवं गारंटी:

निगम ने कोई ऋण अथवा गारंटी नहीं दी है, इसलिए यह लागू नहीं है।

27. पक्षकार सम्बन्धी लेनदेन:

निगम का पक्षकार सम्बन्धी कोई लेनदेन नहीं है।

28. वित्तीय विवरणों की तारीख के पश्चात विषयवस्तु में परिवर्तन तथा प्रतिबद्धताएँ:

रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

the corporation is conducted by the internal audit team of the corporation as well as outside independent Chartered Accountants. As per the decision of the Audit Committee, the head office and regional offices of the corporation are audited by the internal audit wing and outside Chartered Accountants alternatively every year. The internal control and audit systems are being reviewed periodically by the Audit Committee and corrective measures are taken, wherever necessary, for continuous improvement.

21. VIGILANCE:

The vigilance department of the corporation is headed by the Vigilance Officer, who reports to the Managing Director of the corporation. The Vigilance Department follows the guidelines issued by the Central Vigilance Commission from time to time. Corporation is adopting preventive vigilance.

Vigilance week is observed every year to educate the employees about safe business practices in their day to day working. During the year, 'Vigilance Awareness Week' with the theme "Public participation in promoting Integrity and eradicating Corruption" was observed from 31st Oct. – 05th Nov., 2016. The week was started with taking the pledge (vigilance), by the employees, administered by the Vigilance Officer of the corporation. During the week, essay writing competition and debate competition on topics relating the vigilance were conducted, wherein, various employees participated. Vigilance week was observed at Corporate office, head office as well as at all regional offices of the Corporation.

22. REPLY TO AUDITOR'S COMMENTS:

The report of Statutory Auditors' alongwith comments of C&AG U/s 143(5) & 143(6) of Companies Act, 2013 is placed in the Annual report. The reply to the comments, if any, of the Statutory Auditors and C&AG is placed as annexure to the Directors' Report.

23. SECRETARIAL AUDIT REPORT AND REPLY TO THE COMMENTS OF SECRETARIAL AUDITORS:

The report of Secretarial Auditors' U/s 204(1) of Companies Act, 2013 and reply to the comments, if any, of the Secretarial Auditors is placed as annexure to the Directors' Report.

24. FRAUDS REPORTED BY THE CORPORATION IN NOTES ON ACCOUNTS:

None to report.

25. CONTINGENT ASSETS:

Interest receivable from the parties under legal proceedings is Rs. 63.40 Lakh (Previous year - Rs. 23.93 Lakh).

26. LOANS & GUARANTEES:

Corporation has not given any loan or guarantee, hence not applicable.

27. RELATED PARTY TRANSACTIONS:

Corporation has no related party transaction.

28. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS AFTER DATE OF FINANCIAL STATEMENTS:

None to report.

29. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं खर्च:

निगम कोई विनिर्माणकारी कार्यकलाप नहीं कर रहा है। तदनुसार प्रौद्योगिकी समावेशन से सम्बन्धित मुद्दा निगम पर लागू नहीं होता है। इसी प्रकार, निगम का विदेशी मुद्रा से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि वह किसी भी प्रकार के आयात/निर्यात से सम्बन्धित कार्यकलाप नहीं कर रहा है। उक्त वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा का कोई लेनदेन नहीं हुआ है।

30. जोखिम प्रबन्धन नीति:

निगम विदेशी मुद्रा से कोई सरोकार नहीं रखता है। इसके अतिरिक्त, अधिशेष निधियाँ, यदि कोई हों, का बैंकों में अल्पावधि जमा के रूप में निवेश किया जाता है। इस प्रकार कोई वित्तीय जोखिम नहीं है।

31. नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

निगम ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों तथा संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी सीएसआर नीति में संशोधन किया है। संशोधित नीति 'रा.ह.वि.नि.–सीएसआर एवं संवहनीयता नीति 2014' को दिनांक 24 नवम्बर, 2014 को आयोजित की गई निदेशक मण्डल की बैठक में अनुमोदन प्रदान किए जाने के पश्चात निगम की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

सीएसआर समिति:

सीपीएसई के लिए नैगमिक अभिशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों में यथा प्रस्तावित सीएसआर समिति के विचारार्थ विषय सीएसआर समिति द्वारा दिनांक 24 नवम्बर, 2014 को आयोजित उसकी पहली बैठक में नोट कर लिये गये थे। सीएसआर समिति का संघटन तथा उससे सम्बन्धित सूचना नीचे दी गई है :–

नाम/श्रेणी	सीएसआर समिति में पद	उपस्थिति के साथ बैठकों की संख्या
श्री आलोक कुमार** सरकारी निदेशक (दिनांक 01 मई, 2015 – 18 मई, 2017 से)	अध्यक्ष	2/2
श्री आर.वी.एस. मणि सरकारी निदेशक (दिनांक 02 सितंबर, 2014 से)	सदस्य	2/2
श्री सर्वेपल्ली श्रीनिवास कार्यकारी निदेशक (दिनांक 01 मई, 2013 से)	सदस्य	2/2

वर्ष 2016–17 के दौरान सीएसआर समिति की दो बैठकों (16 सितम्बर, 2016 एवं 30 मार्च, 2017) का आयोजन किया गया था।

भारत सरकार के वस्त्र मन्त्रालय द्वारा जारी आदेश संख्या 11/26/82–डीसीएच/रा.ह.वि.नि./(अंक IV) के जरिए श्रीमती शिखा रॉय पब्बी को दिनांक 1 फरवरी, 2017 से एक अशासकीय स्वतन्त्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2017 को आयोजित बोर्ड की बैठक में उनके अतिरिक्त निदेशक (अशासकीय स्वतन्त्र निदेशक) अर्थात सीएसआर समिति के सदस्य के रूप में नामित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

**श्री अलोक कुमार दिनांक 18 मई, 2017 से निगम के अध्यक्ष पद से विमुक्त हुए एवं उनके स्थान पर श्री शान्तमनु (डीआईएन संख्या 06640820) को निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तदनुसार, दिनांक 25 जुलाई,

29. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO:

Corporation is not carrying on any manufacturing activity. Accordingly, the issue pertaining to Technology absorption does not apply to corporation. Similarly, corporation is not dealing in foreign exchange, as it is not carrying on any import/ export activity. During the year, there is no foreign exchange transaction.

30. RISK MANAGEMENT POLICY:

Corporation is not dealing in foreign exchange. Further, the surplus funds, if any, are invested in short term deposits with the banks, which include mainly public sector banks. Thus, there is no financial risk.

31. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR):

Corporation has revised its CSR Policy in accordance with the provisions of Section 135 of the Companies Act 2013 and revised DPE guidelines. The revised policy named 'NHDC CSR & Sustainability Policy 2014' has been uploaded on corporation's website, after its approval by the Board of Directors in its meeting held on 24th Nov., 2014.

CSR COMMITTEE:

The terms of reference of the CSR Committee, as proposed in the DPE guidelines on Corporate Governance for CPSEs was noted by the CSR Committee in its 1st meeting held on 24th Nov., 2014. The composition of CSR Committee and the related information is placed herein below:

Name/ category	Position in CSR Committee	No. of meetings with attendance
Shri Alok Kumar** Government Director (w.e.f. 01st May, 2015 – 18th May, 2017)	Chairman	2/2
Shri R V S Mani Government Director (w.e.f. 02nd Sept., 2014)	Member	2/2
Shri Sarvepalli Srinivas Functional Director (w.e.f. 01st May, 2013)	Member	2/2

The CSR Committee met 2 times during the year 2016-17 (16th September, 2016 & 30th March, 2017).

As per the order no. 11/26/82-DCH/NHDC/ (VOL. IV) issued by Government of India, Ministry of Textiles, Smt. Shikha Roy Pabbi was appointed as Non Official Independent Director effective 1st February, 2017 and the Board of Directors at its meeting held on 30 March 2017 has passed the resolution pertaining to her appointment as Additional Director, designated as Non Official Independent Director vis-a-vis member in CSR Committee.

**Shri Alok Kumar ceased to be the Chairman of the Corporation with effect from 18th May, 2017 and in his place Shri Shantmanu (DIN No. 06640820) was appointed as Chairman of the Corporation. Accordingly

2017 को आयोजित निगम के बोर्ड की बैठक में लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप श्री अलोक कुमार, विकास आयुक्त (हथकरघा) के स्थान पर श्री शान्तमनु, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प एवं हथकरघा) की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के बाद, अब सीएसआर समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया गया है :–

1. श्री शान्तमनु, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प एवं हथकरघा)
2. श्री आर.वी.एस. मणि, उप–सचिव
3. श्रीमती शिखा रॉय पब्बी, अशासकीय स्वतन्त्र निदेशक
4. श्री सर्वेपल्ली श्रीनिवास, प्रबन्ध निदेशक, रा.ह.वि.नि.

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार, औसत शुद्ध लाभ का विवरण और सीएसआर व्यय नीचे दिए गए हैं:–

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2016-17	2015-16
1.	पिछले तीन वर्षों के लिए औसत लाभ (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार)	लाख रु. में	3132.37	2243.92
2.	सीएसआर व्यय	लाख रु. में	100.22	73.96
3.	पिछले तीन वर्षों के लिए औसत लाभ का प्रतिशत के रूप में किया गया सीएसआर व्यय	प्रतिशतता	3.20%	3.30%
4.	विनिर्धारित सीएसआर व्यय	प्रतिशतता	2%	2%

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, निगम को पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए निगम के औसत शुद्ध लाभ (कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार गणना) के 2% के बराबर न्यूनतम राशि खर्च करने की आवश्यकता है। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार, पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए वित्त वर्ष 2016–17 में कुल शुद्ध लाभ लगभग 3,132.37 लाख रुपए है और औसत शुद्ध लाभ का 2% लगभग 62.65 लाख रुपए आता है।

वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान, सीएसआर गतिविधि के तहत बीपीएल हथकरघा बुनकरों को बैटरी लिंक्ड इनवर्टर एवं लाइटिंग यूनिट (बीएलआईएलयू) वितरण, स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालयों के निर्माण करने और पेयजल शोधक आरओ सिस्टम लगवाने का राज्यवार विवरण निम्नानुसार है:–

लाभार्थियों की संख्या
राशि (लाख रु. में)

राज्य का नाम	स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालयों का निर्माण		पीने के पानी के लिए आरओ प्रणाली लगाया गया		बीएलआईएलयूएस		कुल
	स्कूलों की संख्या	राशि	स्कूलों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	राशि
1. मेघालय	2	9.26	2	1.09	101	13.02	22.80
2. असम	3	13.88	3	1.63	200	26.04	40.71
3. अरुणाचल प्रदेश	2	9.26	-	-	-	-	8.69
4. मणिपुर	-	-	-	-	200	26.04	26.04
कुल	7	32.40	5	2.72	501	65.10	100.22

the CSR committee was reconstituted in the board meeting on the corporation held on 25th July, 2017 consequent upon appointment of Shri Shantmanu, DC (H/C)/DC (Handlooms), as chairman in place of Shri Alok Kumar, DC (Handlooms), now the CSR committee members be as follows:-

1. Shri Shantmanu, DC (Handicraft & Handlooms)
2. Shri R V S Mani, Dy. Secretary
3. Smt. Shikha Roy Pabbi, Non Official Independent Director
4. Shri Sarvepalli Srinivas, MD-NHDC

The details of average net profit u/s 198 of the Companies Act 2013 and CSR expenditure is placed herein below:-

S.No.	Particulars	UOM	2016-17	2015-16
1.	Average profit (as per Section 198 of Companies Act, 2013) for the last 3 years.	Rs. in Lakh	3132.37	2243.92
2.	CSR expenditure incurred	Rs. in Lakh	100.22	73.96
3.	CSR expenditure incurred as %age of average profit for the last 3 years	%age	3.20%	3.30%
4.	Prescribed CSR expenditure	%age	2%	2%

As per Section 135 of Companies Act, 2013, Corporation need to spent a minimum amount equal to 2% of average net profit of the corporation (calculated as per section 198 of Companies Act 2013) for the 3 preceding financial years. The average net profit for the FY 2016-17 u/s 198 of Companies Act, 2013 for the 3 preceding financial years is Rs. 3132.37 Lakh (approx.) and 2% of the average net profit comes to Rs.62.65 Lakh (approx.).

The state wise detail of BLILUs distributed to the BPL handloom weavers, construction of toilets for girls in schools and installation of drinking water purifier RO system under the CSR activity during the FY 2016-17 is as below:

Beneficiaries (in no.)
Amount (Rs. in Lakh)

Name of State	Construction of Toilets for Girls in schools		Installation of drinking water purifier RO system		BLILUs		Total
	No. of Schools	Amount	No. of Schools	Amount	No. of beneficiaries	Amount	Amount
1. Meghalaya	2	9.26	2	1.09	101	13.02	22.80
2. Assam	3	13.88	3	1.63	200	26.04	40.71
3. Arunachal Pradesh	2	9.26	-	-	-	-	8.69
4. Manipur	-	-	-	-	200	26.04	26.04
Total	7	32.40	5	2.72	501	65.10	100.22

वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का कार्यवार विवरण निम्नानुसार है :–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र. सं.	सीएसआर परियोजना अथवा अभिज्ञात कार्यकलाप	वह क्षेत्र जिसमें परियोजना को शामिल किया गया है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) उस राज्य तथा जिले को उल्लेख करें जहां परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम शुरू किए गए थे।	परिव्यय राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम–वार (लाख रु. में)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि उप–शीर्षः (1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ऊपरी व्यय (लाख रु. में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय खर्च की गई राशिः	प्रत्यक्ष अथवा क्रियान्वयन एजेंसी के जरिए* (लाख रु. में)
1.	बैटरी लिंक्ड' इन्वीट्र्स तथा लाइटिंग यूनिट्स (बीएलआईएलयू) का बीपीएल बुनकरों में वितरण	हथकरघा क्षेत्र	यह परियोजना पूर्वोत्तर क्षेत्रोंः असम, मणिपुर मेघालय राज्यों में शुरू की गई	65.10	65.10 (प्रत्यक्ष व्यय)	65.10	65.10 (प्रत्यक्ष व्यय)
2.	पीने के पानी के लिए आर ओ सिस्टम लगाना	हथकरघा क्षेत्र	असम राज्य में विश्वनाथ चरियल, नलबारी, बरपेटा और मेघालय राज्य में खमाग री–भोई, नोंगथुलू री–भोई	2.72	2.72 (प्रत्यक्ष व्यय)	67.82	2.72 (प्रत्यक्ष व्यय)
3.	विभिन्नत हथकरघा केंद्रों में स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालयों का निर्माण	हथकरघा क्षेत्र	असम राज्य में विश्वनाथ चरियल, नलबारी, बरपेटा तथा मेघालय राज्य में खमाग री–भोई, नोंगथुलू री–भोई और अरुणाचल प्रदेश राज्य में डार्का वेस्ट सियांग, सिले ईस्ट	32.18	32.40 (प्रत्यक्ष व्यय)	100.22	32.40 (प्रत्यक्ष व्यय)
	कुल			100.00	100.22		100.22

निगम ने वर्ष 2016–17 के दौरान, अपनी सीएसआर गतिविधियों को जारी रखते हुए स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालयों का निर्माण किया, पेयजल शोधक आरओ सिस्टम लगवाए और मेघालय, असम और मणिपुर राज्यों में बीपीएल हथकरघा बुनकरों को बैटरी लिंक्ड इनवर्टर एवं लाइटिंग यूनिट (बीएलआईएलयू) वितरित किए। निगम ने इस प्रयोजन के लिए वर्ष के दौरान 100.22 लाख रुपए (गत वर्ष – 73.96 लाख रुपए) खर्च किए हैं, अर्थात कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 की आवश्यकता के अनुसार पिछले 3 वर्षों के लिए 2% के मुकाबले इस वर्ष औसत शुद्ध लाभ का 2.45% (गत वर्ष – 3.30%) है।

Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
S. No.	**CSR project or activity identified**	**Sector in which the Project is covered**	**Projects or programs (1) Local area or other (2) Specify the State and district where projects or programs was undertaken**	**Amount outlay (budget) project or programs wise (Rs. in Lakh)**	**Amount spent on the projects or programs Sub – heads: (1) Direct expenditure on projects or programs (2) Overheads (Rs. in Lakh)**	**Cumulative expenditure upto to the reporting period (Rs. In Lakh)**	**Amount spent: Direct or through implementing agency* (Rs. In Lakh)**
1.	Distribution of Battery Linked Inverters and Lighting Units (BLILU) to BPL weavers	Handloom Sector	Project was undertaken in North Eastern areas: in the state of Assam, Manipur Meghalaya	65.10	65.10 (Direct expenditure)	65.10	65.10 (Direct expenditure)
2.	Installation of drinking water purifier RO System	Handloom Sector	Biswanath Chariali, Nalbari, Barpeta in the state of Assam and Khamag Ri-Bhoi, Nongthulu Ri-Bhoi in the state of Meghalaya	2.72	2.72 (Direct expenditure)	67.82	2.72 (Direct expenditure)
3.	Construction of toilets for girls in school in various handloom centers	Handloom Sector	Biswanath Chariali, Nalbari, Barpeta in the state of Assam and Khamag Ri-Bhoi, Nongthulu Ri-Bhoi in the state of Meghalaya and Darka West Siang, Sille East in the state of Arunachal Pradesh	32.18	32.40 (Direct expenditure)	100.22	32.40 (Direct expenditure)
	TOTAL			100.00	100.22		100.22

The corporation continued the CSR activity during the year 2016-17 and constructed toilets for girls in schools, installation of drinking water purifier RO system and Battery Linked Inverter and Lighting Units (BLILUs) distributed to BPL handloom weavers in Meghalaya, Assam and Manipur. Corporation has spent an amount of Rs.100.22 Lakh (Previous year – Rs. 73.96 Lakh) for this purpose during the year, which comes to 2.45% (Previous year – 3.30%) of the average Net Profit (as per section 198 of Companies Act 2013) for the last 3 years as against the requirement of 2%.

सीएसआर गतिविधि के तहत 501 बीपीएल बुनकरों को बैटरी लिंक्ड इनवर्टर एवं लाइटिंग सिस्टम यूनिट (बीएलआईएलयू) वितरित किए गए, स्कूलों में 7 शौचालयों का निर्माण किया गया और 5 पेयजल शोधक आरओ सिस्टम लगवाए गए।

सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, सीएसआर बजट का 33% खर्च स्वच्छ भारत अभियान पर करना चाहिए। वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान, निगम सीएसआर गतिविधियों के तहत स्कूल अधिकारियों के परामर्श से स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग–अलग शौचालयों की स्थापना और निर्माण करने का कार्य करेगा।

32. सहायक/सम्बद्ध/संयुक्त उपक्रम कम्पनियों के नामः

निगम की कोई सहायक/सम्बद्ध/संयुक्त उपक्रम कम्पनी नहीं है।

33. समेकित वित्तीय विवरणः

निगम की कोई सहायक कम्पनी नहीं है, इसलिए निगम के लिए समेकित वित्तीय विवरण लागू नहीं होते हैं।

34. जमाः

निगम ने कम्पनी अधिनियम, 2013 के अध्याय–V के अन्तर्गत आम जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

35. मौजूदा सरोकार की स्थितिः

निगम के मौजूदा सरोकार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

36. विभेदक अधिकार, उद्यम इक्विटी, कर्मचारी स्टॉक विकल्प के साथ शेयरों को जारी किया जानाः

निगम ने उक्त वर्ष के दौरान विभेदक अधिकार, उद्यम इक्विटी एवं कर्मचारी स्टॉक विकल्प के साथ कोई शेयर जारी नहीं किए हैं, इसलिए यह लागू नहीं है।

37. महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत सूचनाः

गत वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था।

कम्पनी की एक आन्तरिक शिकायत समिति है जहाँ महिला कर्मचारी यौन उत्पीड़न के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं।

38. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005ः

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में जारी सरकारी अनुदेश का कम्पनी पालन करती है और अधिनियम के तहत सार्वजनिक सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी को नामित किया गया है। सभी प्रासंगिक जानकारी कम्पनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध की गई हैं।

39. अभिवृत्तिः

आपका बोर्ड निगम के कार्यकलापों और संचालनों में वस्त्र मन्त्रालय, हथकरघा विकास आयुक्तों का कार्यालय, भारत सरकार तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों के अन्य मन्त्रालयों और विभागों द्वारा दिए गए उनके सहयोग एवं दिशानिर्देशों के लिए उनका आभारी है।

The number of beneficiaries covered under the CSR activity involving distribution of Battery Linked Inverters and Lighting Units (BLILU) to the BPL weavers is 501, no. of schools in which toilets constructed is 7 and installation of drinking water purifier RO system is 5.

As per Government Guidelines, 33% of CSR Budget should be spent on Swachh Bharat Abhiyan. During the FY 2017-18, the Corporation shall be undertaking the CSR Activity involving installation of and construction of separate toilets for girls in schools in consultation with the school authorities.

32. NAME OF COMPANY BECOMING/ CEASING TO BE SUBSIDIARY/ ASSOCIATE/ JOINT VENTURE:

Corporation has no subsidiary/ Associate/ Joint venture company.

33. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT:

Corporation has no subsidiary, hence, the consolidated financial statements are not applicable to the corporation.

34. DEPOSITS:

Corporation has not accepted any deposit from public under Chapter-V of the Companies Act, 2013.

35. GOING CONCERN STATUS:

There is no change in going concern status of the corporation.

36. ISSUE OF SHARES WITH DIFFERENTIAL RIGHT, SWEAT EQUITY, EMPLOYEE STOCK OPTION:

Corporation has not issued any share with differential right, sweat equity, employee stock option during the year, hence, not applicable.

37. INFORMATION UNDER SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION & REDRESSAL) ACT, 2013.

No case of Sexual Harassment at work place was reported in the last financial year.

The company has an Internal Complaint Committee where women employees can register their complaints against sexual harassment.

38. RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

The Company follows Government instruction issued in pursuance of Right to Information Act, 2005, and has designated Public Information Officer and Appellate Authority under the Act. All relevant information has been hosted on the Company's website also.

39. ACKNOWLEDGMENT:

Your Board is thankful to the Ministry of Textiles, Office of Development Commissioner for Handlooms, Government of India and other Ministries and departments in Central and State governments for their support and guidance given to the corporation in carrying out its activities and operations.

आपके निदेशक भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक, लेखा परीक्षा बोर्ड के सदस्यों, सांविधिक एवं शाखा लेखा परीक्षकों तथा बैंकरों का उनके द्वारा दी गई सहायता, सहयोग एवं दिशानिर्देश के लिए उनके आभारी हैं।

आपका बोर्ड विभिन्न प्रयोक्ता एजेंसियों/अन्य सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा संगठन में उनके सहयोग एवं विश्वास व्यक्त करने के लिए उनका आभारी है और भविष्य में आपसी सहयोगी सम्बन्ध के आधार पर आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

आपके निदेशक सभी कताई मिलों तथा रंग एवं रसायन तथा वस्त्र विनिर्मिताओं से प्रत्यक्ष तथा साथ ही उनके संगठनों के जरिए प्राप्त सतत् सहयोग के लिए स्पष्ट रूप से उनकी प्रशंसा करना चाहते हैं। आपका बोर्ड रा.ह.वि.नि. परिवार का भी उनके उत्साह, समर्पित कार्य एवं सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता है तथा उनकी लगातार सहभागिता के लिए आशान्वित है।

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

ह./–

दिनांकः 25 सितम्बर, 2017 **(शान्तमनु)**
स्थानः नई दिल्ली **अध्यक्ष**

Your Directors are grateful to the Comptroller & Auditor General of India, Members of Audit, Board, Statutory and Branch Auditors and Bankers for their help, cooperation and guidance.

Your Board expresses sincere gratitude to the various user agencies/ other concerned agencies for their support and confidence reposed in the organization and looks forward to mutually rewarding relationship in future.

Your Directors wish to place on record their appreciation for the continued co-operation received from all the Spinning Mills and Manufacturers of dyes & chemicals and fabrics directly as also through their organised set-ups. Your Board also wishes to record its deep gratitude to all the members of NHDC family for their enthusiasm, dedicated work and cooperation and look for their continuous involvement.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-

Dated: 25th September, 2017
Place: New Delhi

(Shantmanu)
Chairman

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक

वार्षिक विवरणी का सार - फार्म संख्या एमजीटी-9

I. पंजीकरण तथा अन्य विवरण:

i)	सीआईएन	यू17299यूपी1983जीओआई005974
ii)	पंजीकरण की तारीख	22 फरवरी, 1983
iii)	कंपनी का नाम	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
iv)	कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	सार्वजनिक कंपनी
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण	10वां एवं 11वां तल, विकास दीप, 22–स्टेशन रोड, लखनऊ–226001, दूरभाष: 0522–2635133
vi)	नैगमिक कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण	वेगमेन्स बिजनिस पार्क, टॉवर–1, प्लॉट नं. 03, सेक्टर नॉलेज पार्क–III, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश 201306 फोन: 0120–2329600
vii)	क्या सूचीबद्ध कंपनी है, हां/नहीं	नहीं
viii)	पंजीयक एवं अंतरण अभिकर्ता का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो	लागू नहीं

II. कम्पनी के प्रमुख व्यावसायिक कार्यकलाप (वे सभी व्यावसायिक कार्यकलाप, जो कम्पनी के कुल कारोबार का 10% अथवा उससे अधिक का योगदान देते हैं, का उल्लेख किया जाएगा):

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार की प्रतिशतता
1.	सूत	1311	98.46%

III. धारण, सहायक एवं सम्बद्ध कम्पनियों का विवरण:

क्र. सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	स्वामित्व/आनुषंगिक/सहायक	धारित शेयरों की प्रतिशतता	प्रयोज्य भाग
-	-	-	-	-	-

ANNEXURE TO DIRECTORS' REPORT

EXTRACT OF ANNUAL RETURN- FORM NO. MGT-9

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

i)	CIN:-	U17299UP1983GOI005974
ii)	Registration Date	22nd Feb., 1983
iii)	Name of the Company	National Handloom Development Corporation Ltd.
iv)	Category / Sub-Category of the Company	Public Company
v)	Address of the Registered office and contact details	10th & 11th Floors, 'Vikas Deep', 22-Station Road, Lucknow – 226001 Phone – 0522-2635133
vi)	Address of the Corporate office and contact details	Wegmans Business Park, Tower - 1 Plot No. 03, Sector Knowledge Park – III, Greater Noida Uttar Pradesh, 201306 Phone – 0120-2329600
vii)	Whether listed company Yes / No	No
viii)	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	N.A.

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY (All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated):-

Sl. No.	Name and Description of main products / services	NIC Code of the Product/ service	% to total turnover of the company
1.	Yarn	1311	98.46%

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES –

S. No.	Name and address of the company	CIN/ GLN	Holding/ subsidiary/ associate	% of shares held	Applicable Section
-	-	-	-	-	-

IV. अंशधारिता पैटर्न (कुल इक्विटी की प्रतिशतता के रूप में इक्विटी शेयर की पूँजी का ब्यौरा):

(i) श्रेणी–वार अंशधारिता:

अंशधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन की प्रतिशतता
	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों की प्रतिशतता	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों की प्रतिशतता	
क. संवर्धक (1) भारतीय केंद्र सरकार उप–कुल (क) (1):–	-	1900000	1900000	100%	-	1900000	1900000	100%	-
(2) विदेश (क) एनआरआई–वैयक्तिक (ख) अन्य–वैयक्तिक (ग) निगम के निकाय (घ) बैंक/विदेशी निवेश (ड) कोई अन्य उप कुल (क) (2):–	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संवर्धक की कुल अंश–धारिता (क) = (क) (1) + (क) (2)	-	1900000	1900000	100%	-	1900000	1900000	100%	-
ख. लोक अंशधारिता 1. संस्थाशन क) म्यूचुअल फंड्स ख) बैंक/विदेशी निवेश ग) केंद्र सरकार घ) राज्यी सरकार(रे) ङ) उद्यम पूंजी निधि च) बीमा कंपनियां ज) विदेशी संस्थागत निवेश झ) विदेशी उद्यम पूंजी निधियां ञ) अन्य (उल्लेख करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–कुल (ख) (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर संस्थागत क) निकाय निगम 1) भारतीय 2) अप्रवासी ख) वैयक्तिक i) एक लाख रु. तक की सांकेतिक शेयर पूंजी धारित करने वाले वैयक्तिक अशंधारक ग) अन्य (उल्लेख करें)									
उप–कुल (ख) (2) :–	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक अंश–धारिता (ख) = (ख)(1) + (ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) जीडीआर एवं एडीआर के लिए संरक्षक द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क+ख+ग)	-	1900000	1900000	100%	-	1900000	1900000	100%	-

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters (1) Indian Central Govt Sub-total (A) (1):-	-	1900000	1900000	100%	-	1900000	1900000	100%	-
(2) Foreign a) NRIs - Individuals b) Other – Individuals c) Bodies Corp. d) Banks / FI e) Any Other…. Sub-total (A) (2): -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total shareholding of Promoter (A) = (A) (1) + (A) (2)	-	1900000	1900000	100%	-	1900000	1900000	100%	-
B. Public Shareholding 1. Institutions a) Mutual Funds b) Banks / FI c) Central Govt d) State Govt(s) e) Venture Capital Funds f) Insurance Companies g) FIIs h) Foreign Venture Capital Funds i) Others (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total (B)(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Non Institutions a) Bodies Corp. i) Indian ii) Overseas b) Individuals i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs 1 lakh c) Others (specify)									
Sub-total (B)(2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+ (B)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grand Total (A+B+C)	-	1900000	1900000	100%	-	1900000	1900000	100%	-

(ii) संवर्धकों की अंशधारिता :

क्र. सं.	अंशधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में अंशधारिता			वर्ष के अंत में अंशधारिता			
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	कुल शेयरों की तुलना में प्रतिभूत/भारित शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	कुल शेयरों की तुलना में प्रतिभूत/भारित शेयरों की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान अंशधारिता में परिवर्तन की प्रतिशतता
1.	केंद्र सरकार	1900000	100%	-	1900000	100%	-	
	कुल	1900000	100%	-	1900000	100%	-	

(iii) संवर्धकों की अंशधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन हो तो कृपया उल्लेख करें) :

क्र. सं.		वर्ष के प्रारंभ में अंशधारिता		वर्ष के दौरान संचयी अंशधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता
	वर्ष के प्रारंभ में	1900000	100%	1900000	100%
	वर्ष के दौरान वृद्धि/ह्रास का उल्लेख करते हुए संवर्धकों की अंशधारिता में आंकड़ा–वार वृद्धि/ह्रास (जैसे आबंटन/अंतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि)	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	1900000	100%	1900000	100%

(ii) Shareholding of Promoters

Sl. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			
		No. of Shares	% of total Shares of the Company	%of Shares Pledged/ encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	%of Shares Pledged/ encumbered to total shares	% change in share holding during the year
1.	Central Govt.	1900000	100%	-	1900000	100%	-	
	Total	1900000	100%	-	1900000	100%	-	

(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	1900000	100%	1900000	100%
	Date wise Increase/ Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/ sweat equity etc):	-	-	-	-
	At the End of the year	1900000	100%	1900000	100%

(iv) शीर्ष के दस अंशधारकों (जीडीआर व एडीआर के निदेशकों, संवर्धकों एवं धारकों को छोड़कर) का अंशधारिता पैटर्न :

केन्द्र सरकार

क्र. सं.		वर्ष के प्रारंभ में अंशधारिता		वर्ष के दौरान संचयी अंशधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता
	वर्ष के प्रारंभ में	1900000	100%	1900000	100%
	वर्ष के दौरान संवर्धकों की अंशधारिता में आंकड़ा–वार वृद्धि/ह्रास	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	1900000	100%	1900000	100%

(v) निदेशकों तथा मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिकों की अंशधारिता :

क्र.सं.	प्रत्येक निदेशक तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या		वर्ष के दौरान संचयी अंशधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता
1.	श्री आलोक कुमार, अध्यक्ष एवं निदेशक				
	वर्ष के प्रारंभ में	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान 21 मई, 2015 को अर्जित शेयर	02	0.0001%	02	0.0001%
	वर्ष के अंत में	02	0.0001%	02	0.0001%
2.	श्री आर.वी.एस. मणि, निदेशक				
	वर्ष के प्रारंभ में	01	0.00005%	01	0.00005%
	वर्ष के दौरान अंशधारिता में आंकड़ा–वार वृद्धि/ह्रास	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	01	0.00005%	01	0.00005%
3.	श्री सर्वेपल्ली श्रीनिवास, प्रबंध निदेशक				
	वर्ष के प्रारंभ में	01	0.00005%	01	0.00005%
	वर्ष के दौरान अंशधारिता में आंकड़ा–वार वृद्धि/ह्रास	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	01	0.00005%	01	0.00005%
4.	श्री जय गोपाल महाजन, के.एम.पी.*				
	वर्ष के प्रारंभ में	01	0.00005%	01	0.00005%
	वर्ष के दौरान अंशधारिता में आंकड़ा–वार वृद्धि/ह्रास	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	01	0.00005%	01	0.00005%

*एक मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिक (केएमपी), श्री जय गोपाल महाजन, कम्पनी सचिव एवं उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) ने दिनांक 14 मार्च, 2017 को निगम से त्यागपत्र दे दिया था और भारत सरकार के वस्त्र मन्त्रालय के दिनांक 3 जुलाई 2017 के पत्रांक 11/26/82–डीसीएच/रा.ह.वि.नि./(अंक IV) द्वारा निगम में उनकी सदस्यता भी समाप्त हो गई है।

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Central Govt.

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	1900000	100%	1900000	100%
	Date wise Increase / Decrease in Promoters Shareholding during the year.	-	-	-	-
	At the End of the year	1900000	100%	1900000	100%

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sl. No.	For Each of the Directors and KMP	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1.	Shri Alok Kumar, Chairman & Director				
	At the beginning of the year	-	-	-	-
	Shares acquired on 21st May' 2015 during the year	02	0.0001%	02	0.0001%
	At the End of the year	02	0.0001%	02	0.0001%
2.	Shri R V S Mani, Director				
	At the beginning of the year	01	0.00005%	01	0.00005%
	Date wise Increase/ Decrease in Shareholding during the year	-	-	-	-
	At the End of the year	01	0.00005%	01	0.00005%
3.	Shri Sarvepalli Srinivas, Managing Director				
	At the beginning of the year	01	0.00005%	01	0.00005%
	Date wise Increase/ Decrease in Shareholding during the year	-	-	-	-
	At the End of the year	01	0.00005%	01	0.00005%
4.	Shri Jai Gopal Mahajan, KMP*				
	At the beginning of the year	01	0.00005%	01	0.00005%
	Date wise Increase/ Decrease in Shareholding during the year	-	-	-	-
	At the End of the year	01	0.00005%	01	0.00005%

* Key Managerial personnel (KMP), Shri. Jai Gopal Mahajan, Company Secretary & Dy. General Manager (F & A) has resigned from the corporation with effect from 14th March, 2017 and his membership in the Corporation also ceased via Ministry of Textiles letter No. 11/26/82-DCH/NHDC/Vol. I dated 3rd July, 2017.

V. देनदारी:

बकाया/प्रोद्भूत ब्याज परन्तु भुगतान के लिए देय नहीं राशि सहित कम्पनी की देनदारी :–

(लाख रु. में)

	जमा राशियों को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल देनदारी
वित्त वर्ष के प्रारंभ में देनदारी (i) मूल राशि (ii) देय परंतु नहीं दिया गया ब्याज (iii) प्रोद्भूत–ब्याज परंतु अनदेय	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	-	-	-	-
वित्त वर्ष के दौरान देनदारी में परिवर्तन –वृद्धि –कमी	-	-	-	-
निवल परिवर्तन	-	-	-	-
वित्त वर्ष के अंत में देनदारी (i) मूल राशि (ii) देय परंतु नहीं दिया गया ब्याज (iii) प्रोद्भूत–ब्याज परंतु अनदेय	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	-	-	-	-

VI. निदेशकों तथा मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक:

क. प्रबन्ध निदेशक को दिये जाने वाला पारिश्रमिक:

(लाख रु. में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक का नाम– श्री सर्वेपल्ली श्रीनिवास	कुल राशि
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	25.05	25.05
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अनुसार अनुलब्धियों का मूल्य	2.28	2.28
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बदले लाभ	-	-
2.	स्टॉक विकल्प	-	-
3.	उद्यम इक्विटी	-	-
4.	कमीशन – लाभ की प्रतिशतता के रूप में – अन्य, उल्लेख करें	-	-
5.	कृपया अन्य का उल्लेख करें	-	-
	कुल (क) अधिनियम के अनुसार उच्चतम सीमा	27.33	27.33

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

(Rs. in Lakh)

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due	-	-	-	-
Total (i+ii+iii)	-	-	-	-
Change in Indebtedness during the financial year · Addition · Reduction	-	-	-	-
Net Change	-	-	-	-
Indebtedness at the end of the financial year i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due	-	-	-	-
Total (i+ii+iii)	-	-	-	-

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. REMUNERATION TO MANAGING DIRECTOR:

(Rs. in Lakh)

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD - Shri Sarvepalli Srinivas	Total Amount
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	25.05	25.05
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	2.28	2.28
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income tax Act, 1961	-	-
2.	Stock Option	-	-
3.	Sweat Equity	-	-
4.	Commission - as % of profit - others, specify…	-	-
5.	Others, please specify	-	-
	Total (A) Ceiling as per the Act	27.33	27.33

ख. प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्धक/पूर्णकालिक निदेशक के अलावा मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिकों को दिये जाने वाला पारिश्रमिक:

(लाख रु. में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			कुल
		सीईओ	सीएफओ	डीजीएम (वि.ले.) एवं कंपनी सचिव*	
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	18.20	19.20	37.40
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अनुसार अनुलब्धियों का मूल्य	-	-	-	-
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बदले लाभ	-	-	-	-
2.	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-
3.	उद्यम इक्विटी	-	-	-	-
4.	कमीशन – लाभ की प्रतिशतता के रूप में – अन्य, उल्लेख करें	-	-	-	-
5.	कृपया अन्य का उल्लेख करें	-	-	-	-
	कुल (ख)	-	18.20	19.20	37.40

*उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) एवं कम्पनी सचिव द्वारा 14 मार्च 2017 से निगम से त्यागपत्र दे दिया था।

VII. कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत अपराधों के लिए दण्ड/सजा/जुर्माना

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	शास्तिप/सजा/अधिरोपित समेकित शुल्कत	प्राधिकरण (आरडी/एनसीएलटी/न्यायालय)	की गई अवील, यदि कोई हो (कृपया वरण दें)
क. कंपनी					
शास्तिप	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
संयोजन	-	-	-	-	-
ख. निदेशक					
शास्तिप	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
संयोजन	-	-	-	-	-
ग. व्यतिक्रम अन्य अधिकारी					
शास्तिप	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
संयोजन	-	-	-	-	-

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

ह./–

दिनांक: 25 सितम्बर, 2017
स्थान: नई दिल्ली

(शान्तमनु)
अध्यक्ष

B. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/ MANAGER/ WTD.

(Rs. In Lakh)

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			Total
		CEO	CFO	DGM (F&A) and Company Secretary*	
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	-	18.20	19.20	37.40
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	-	-	-	-
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	-	-	-	-
2.	Stock Option	-	-	-	-
3.	Sweat Equity	-	-	-	-
4.	Commission - as % of profit - others, specify…	-	-	-	-
5.	Others, please specify	-	-	-	-
	Total (B)	-	18.20	19.20	37.40

*Dy. General Manager (F&A)/ Company Secretary has resigned from the corporation w.e.f. 14th March 2017.

VII. PENALTIES/ PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES UNDER COMPANIES ACT' 2013:

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/ Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD / NCLT/ COURT]	Appeal made, if any (give Details)
A. COMPANY					
Penalty	-	-	-	-	-
Punishment	-	-	-	-	-
Compounding	-	-	-	-	-
B. DIRECTORS					
Penalty	-	-	-	-	-
Punishment	-	-	-	-	-
Compounding	-	-	-	-	-
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty	-	-	-	-	-
Punishment	-	-	-	-	-
Compounding	-	-	-	-	-

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
(Shantmanu)
Chairman

Dated: 25th September, 2017
Place: New Delhi

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक
निगम से सम्बन्धित नियन्त्रण प्रणाली पर रिपोर्ट

क) नैगमिक अभिशासन पर कम्पनी का दर्शनः

नैगमिक अभिशासन पर रा.ह.वि.नि. के दर्शन में नीतिपरक व्यवसाय आचरण और संचालन के सभी पहलुओं व शेयरधारकों, कर्मचारियों, बैंकरों, लेखा परीक्षकों एवं सरकार सहित अपने सभी हितधारकों के साथ परस्पर क्रियाओं में उच्चतम स्तर की पारदर्शिता, जवाबदेही व इक्विटी की प्राप्ति की परिकल्पना की गयी है। निगम हितधारकों के दीर्घकालिक मूल्यों में अभिवृद्धि करने और नैगमिक अभिशासन के अच्छे मानकों को बनाए रखने के लिए नैगमिक अभिशासन के उच्चतम स्तर के मानकों की प्राप्ति हेतु लगातार प्रयास कर रहा है। व्यावसायिकता और जवाबदेही प्रदान करने के लिए निगम का सुस्थापित, पारदर्शी और निष्पक्ष प्रशासनिक तन्त्र है।

ख) निदेशक मण्डलः

निगम के बोर्ड के एक स्वन्तत्र निदेशक की नियुक्ति के मामले को छोड़कर सुस्थापित सुसंरचित है जिसके लिए उन्हें बोर्ड में शामिल करने हेतु प्रशासनिक मन्त्रालय से अनुरोध किया गया है। इस समय, इसमें चार सदस्य हैं जिसमें से दो भारत सरकार के नामित (अध्यक्ष को शामिल करके), एक अशासकीय स्वतन्त्र निदेशक तथा एक कार्यशील निदेशक (अर्थात प्रबन्ध निदेशक) हैं। बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा निगम संघ के अनुच्छेदों के अनुच्छेद 94 के तहत की जाती है।

निदेशक मण्डल का गठन तथा उससे सम्बन्धित सूचना नीचे दी गई है :–

निदेशक का नाम व श्रेणी	पिछली वार्षिक सामान्यक बैठक के पश्चात् उपस्थिति सहित बोर्ड की बैठकों की संख्या	पिछली वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थिति	31 मार्च, 2017 को बाहरी निदेशकों की संख्या
सरकारी निदेशकः			
क. श्री शान्तमनु, अध्यक्ष–रा.ह.वि.नि. / विकास आयुक्त (हस्तशिल्प एवं हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय, डीआईएन सं. 06640820 **(18 मई, 2017 से)**	2/2	लागू नहीं	01–जम्मू और कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र
ख. श्री आलोक कुमार,* अध्यक्ष–रा.ह.वि.नि. / विकास आयुक्त (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय, डीआईएन सं. 06517942 **(01 मई, 2015 से 17 मई, 2017)**	2/2	नहीं	-
ग. श्री आर.वी.एस. मणि, उप सचिव, समेकित वित्त प्रभाग, वस्त्र मंत्रालय डीआईएन सं. 06982441 **(02 सितम्बर, 2014 से)**	4/4	हाँ	01–ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड
कार्यकारी निदेशकः			
घ. श्री सर्वेपल्ली श्रीनिवास, प्रबंध निदेशक डीआईएन सं. 02292051 **(01 मई, 2013 से)**	4/4	हाँ	-
अशासकीय स्वतंत्र निदेशकः			
ङ. श्रीमती शिखा रॉय पब्बी अशासकीय स्वतंत्र निदेशक डीआईएन सं. 07764529 **(01 फरवरी, 2017 से)**	3/3	लागू नहीं	-

*श्री अलोक कुमार दिनांक 18 मई, 2017 से निगम के अध्यक्ष पद से विमुक्त हुए एवं उनके स्थान पर श्री शान्तमनु (डीआईएन संख्या 06640820) को निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

ANNEXURE TO DIRECTORS' REPORT

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

a. COMPANY'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE:

NHDC's philosophy on Corporate Governance envisages ethical business conduct and attainment of highest level of transparency, accountability and equity in all facets of operations and all its interactions with its stakeholders including shareholders, employees, bankers, auditors and the Government. The corporation constantly endeavours to achieve the highest levels of standards of corporate governance in order to enhance the long term stakeholders' value and maintain good standards of Corporate Governance. Corporation has well established, transparent and fair administrative set up to provide for professionalism and accountability.

b. BOARD OF DIRECTORS:

The Board of the corporation is well structured except the appointment of independent directors, for which, request has been made to the Administrative Ministry for their induction on the Board. Presently, it consists of 4 members, of whom, two are the nominee of the government of India (including Chairman) and 01 is Non Official Independent Director and one is the Functional Director (i.e. Managing Director). The Directors on the Board are appointed by the Government of India in terms of Article 94 of the Articles of Association of the corporation.

Constitution of Board of Directors and the related information is placed herein below:

Name & category of the Director	No. of Board meetings with attendance since last AGM	Attendance in last AGM	No. of outside Directorships as on 31st March, 2017
Government Director:			
a. Shri Shantmanu, Chairman-NHDC / DC (Handicraft & Handlooms), Ministry of Textiles, DIN No.06640820 **(From 18th May, 2017)**	2/2	N.A.	01-Jammu and Kashmir International Trade Centre
b. Shri Alok Kumar,* Chairman-NHDC / DC (Handlooms), Ministry of Textiles, DIN No. 06517942 **(From 01st May, 2015- 17th May, 2017)**	2/2	No	-
c. Shri R V S Mani, Dy. Secretary, Integrated Finance Wing Ministry of Textiles, DIN No.06982441 **(From 02nd Sept., 2014)**	4/4	Yes	01- British India Corporation Limited
Functional Director:			
d. Shri Sarvepalli Srinivas, Managing Director DIN No. 02292051 **(From 01st May, 2013)**	4/4	Yes	-
Non Official Independent Director:			
e. Smt. Shikha Roy Pabbi Non-official Independent Director, DIN No. 07764529 **(From 1st Feb., 2017)**	3/3	N.A.	-

*Shri Alok Kumar ceased to be the Chairman of the Corporation with effect from 18th May, 2017 and in his place Shri Shantmanu (DIN No. 06640820) was appointed as Chairman of the Corporation.

वर्ष 2016–17 के दौरान निगम के बोर्ड की नियमित अन्तराल पर चार बैठकें दिनांक 13 जून 2016, 16 सितम्बर 2016, 28 दिसम्बर 2016 तथा 30 मार्च 2017 को आयोजित की गईं तथा डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी अपेक्षित सूचना बोर्ड के समक्ष रख दी गई थी।

बोर्ड के निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

(i) **श्री शान्तमनु (51 वर्ष),** जम्मू एवं कश्मीर कैडर के 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने दिनांक 18 मई, 2017 से वस्त्र मन्त्रालय, भारत सरकार में हथकरघा विकास आयुक्त के पद पर और राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य ग्रहण किया। वह एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्नातक हैं। इससे पहले, उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), जम्मू एवं कश्मीर; उपायुक्त, भूमि राजस्व प्रबन्धन और जिला प्रशासन, कारगिल; उपाध्यक्ष, कृषि और सहकारिता विकास; क्षेत्रीय निदेशक, कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मन्त्रालय; और पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, आयुक्त एवं सचिव, जम्मू एवं कश्मीर और अन्य पदों पर कार्य किया था।

(ii) **श्री आलोक कुमार (53 वर्ष),** उत्तर प्रदेश कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने दिनांक 1 मई, 2015 से वस्त्र मन्त्रालय, भारत सरकार में हथकरघा विकास आयुक्त के पद पर और राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य ग्रहण किया। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक और वित्त में एमबीए की डिग्री हासिल की है।

उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अनुभव है। उन्होंने उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार के आवास निर्माण, औद्योगिक, व्यावसायिक शिक्षा विभागों के सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सचिव, श्रम एवं रोजगार महानिदेशक, श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय के संयुक्त सचिव सहित केन्द्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।

(iii) **श्री आर.वी.एस. मणि (57 वर्ष),** वस्त्र मन्त्रालय, भारत सरकार की समेकित वित्त प्रभाग में उपसचिव हैं। उन्होंने 2 सितम्बर, 2014 को निगम में मनोनीत निदेशक के पद पर कार्य ग्रहण किया। उन्हें मानव संसाधन विकास में स्नातकोत्तर, एलएलबी, वैकल्पिक विवाद समाधान में पीजी डिप्लोमा हासिल है। वे जुलाई, 1986 में केन्द्रीय सचिवालय सेवा में शामिल हुए थे। सितम्बर, 2014 में वस्त्र मन्त्रालय मे उपसचिव पद पर कार्य ग्रहण करने से पहले उन्होंने लोक सभा सचिवालय, भारी उद्योग/औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, गृह मन्त्रालय, केन्द्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड, शहरी विकास मन्त्रालय में कार्य किया है। उन्होंने अधिकतर कानूनी और वित्त मामलों पर कार्य किया है। वर्तमान में, वह वस्त्र मन्त्रालय की समेकित वित्त प्रभाग का कार्य सम्भाल रहे हैं।

वह बीआईसी लिमिटेड के बोर्ड एवं सीसीआईसी के बोर्ड में मनोनीत निदेशक भी हैं और वैकल्पिक विवाद समाधान अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र के शासन परिषद् के विशेष आमन्त्रित सदस्य भी हैं।

(iv) **श्री सर्वेपल्ली श्रीनिवासः (55 वर्ष),** ने दिनांक 1 मई, 2013 को निगम में प्रबन्ध निदेशक के रूप में कार्य ग्रहण किया था। वे वाणिज्य में स्नातक हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली से विज्ञापन और जन सम्पर्क में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किया है।

दो दशकों की विस्तृत अवधि के कैरियर में उन्हें बिजली के उपकरण, रसद, रसायन, संकट संचार एवं बैंकिंग, नैगमिक संचार, ब्राण्ड निर्माण, नैगमिक मामलों का समाधान करने और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में अग्रणीय सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का अनुभव है। वह रा.ह.वि.नि. में शामिल होने से पहले भारतीय निर्यात–आयात बैंक, मुम्बई के महाप्रबन्धक थे।

The Board of the corporation met 04 times during the year 2016-17 at regular intervals (13th June, 2016, 16th Sept. 2016, 28th Dec., 2016 & 30th March 2017) and all the information required in accordance with DPE guidelines were placed before the Board.

Brief resume of the directors on the Board:

(i) **Shri Shantmanu (51 years),** is an IAS of 1991 batch of Jammu & Kashmir cadre. He joined as Development Commissioner for Handlooms in Ministry of Textiles, Government of India and as ex-officio Chairman in National Handloom Development Corporation Ltd., w.e.f. 18th May, 2017. He is a Mechanical Engineering graduate. Prior to this, he served as CEO of J&K, Deputy Commissioner, Land Revenue Management and District Administration, Kargil; Vice Chairman, Agriculture & Cooperation Area Development; Regional Director, Personnel & General Administration, Ministry of Petroleum and Natural Gas and Commissioner & Secretary of Environment and Forests, Jammu & Kashmir amongst others.

(ii) **Shri Alok Kumar (53 years)**, is an IAS Officer of 1988 batch of Uttar Pradesh cadre. He joined as Development Commissioner for Handlooms in Ministry of Textiles, Government of India and as ex-officio Chairman in National Handloom Development Corporation Ltd., w.e.f. 01st May, 2015. He holds a bachelor degree in Civil Engineering and MBA in Finance.

He has wide experience in various sectors. He has served in various important positions in the Central and State Government of Uttar Pradesh including CMD of UP Power Generation Company, UP Power Transmission Company, Managing Director of UP State Road Transport Corporation, Secretary – Government of UP in Housing, Industries, Vocational Education Departments, Secretary – Central Electricity Regulatory Commission, Director General of Employment & Training/ Joint Secretary in the Ministry of Labour & Employment.

(iii) **Shri R V S Mani (57 years),** is Deputy Secretary, Integrated Finance Wing of the Ministry of Textiles, Government of India. He joined the corporation as a nominee Director on 02nd Sept., 2014. He has a Masters in HRD, L.L.B., PG Diploma in Alternative Dispute Resolution. He joined Central Secretariat Service in July, 1986. Before joining in Ministry of Textiles as Deputy Secretary in Sept., 2014, he has worked in Lok Sabha Secretariat, Department of Heavy Industry/ Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Home Affairs, Central Board of Film Certification, Ministry of Urban Development. He has mostly dealt in legal and finance matters. Presently, he is handling Integrated Finance Wing of the Ministry of Textiles.

He is also a nominee Director on the Board of BIC Ltd., CCIC and Special Invitee to Governing Council of International Centre for Alternative Dispute Resolution.

(iv) **Shri Sarvepalli Srinivas: (55 years),** joined the corporation as Managing Director on 01st May, 2013. He is a graduate in Commerce and holds a Post Graduate Diploma in Advertising & Public Relations from the Indian Institute of Mass Communications, New Delhi.

In a career spanning over two decades, he has experience in leading public and private sectors in power equipment, logistics, chemicals, crisis communication and banking, handling corporate communications, brand building, corporate affairs and fostering international linkages. He was General Manager, Export – Import Bank of India, Mumbai prior to joining NHDC.

(v) **श्रीमती शिखा रॉय पब्बी (53 वर्ष),** उन्हें राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम में स्वतन्त्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर और कानून में स्नातक डिग्री हासिल की है। उन्होंने वकालत प्रारम्भ करने से पहले एक विश्वविद्यालयी कॉलेज में अंग्रेजी व्याख्याता के रूप में कार्य किया। पिछले 26 वर्ष से वह उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर रही हैं।

वह वर्ष 2000 से 2002 तक अखिल भारतीय फिल्म सर्टिफिकेट अपीलीय ट्रिब्यूनल (एफसीएटी) के न्यायिक सदस्य रहीं। दो दशक से अधिक अवधि की अपनी वकालत के दौरान उन्होंने मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार पर कानून की विभिन्न शाखाओं में बड़ी संख्या में मामलों की वकालत की है।

ग. लेखा परीक्षा समिति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधान के अनुसार वर्ष के दौरान हुई बैठक का परीक्षण किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के मार्ग निर्देशों में यथा प्रस्तावित नैगमिक अभिशासन को लेखा समिति की 8 दिसम्बर, 2010 को आयोजित 23वीं बैठक में लेखा समिति के विचारार्थ विषय में नोट किया गया। लेखा समिति के संघटन तथा सम्बन्धित सूचनायें निम्नलिखित हैं:–

नाम/श्रेणी	लेखा परीक्षा समिति में स्थान	वर्ष के दौरान उपस्थिति सहित बैठकों की संख्या
श्री आलोक कुमार, सरकारी निदेशक (01 मई, 2015 से 17 मई, 2017)	अध्यक्ष	5/5
श्री आर वी एस मणि, सरकारी निदेशक (02 सितम्बर, 2014 से)	सदस्य	5/5
श्री सर्वेपल्ली श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक (01 मई, 2013 से)	सदस्य	5/5
श्रीमती शिखा रॉय पब्बी अशासकीय स्वतंत्र निदेशक (01 फरवरी, 2017 से)	सदस्य	N.A.

वर्ष 2016–17 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की नियमिति अन्तराल पर 5 बैठकें दिनांक 13 जून 2016, 16 सितम्बर 2016, 29 सितम्बर 2016, 28 दिसम्बर 2016 तथा 30 मार्च 2017 को आयोजित की गईं। भारत सरकार के वस्त्र मन्त्रालय द्वारा जारी आदेश संख्या 11/26/82–डीसीएच/रा.ह.वि.नि./(अंक IV) के जरिए श्रीमती शिखा रॉय पब्बी को दिनांक 1 फरवरी, 2017 से एक स्वतन्त्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2017 को आयोजित बोर्ड की बैठक में उनके अतिरिक्त निदेशक (अशासकीय स्वतन्त्र निदेशक) अर्थात लेखा परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में नामित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

*श्री अलोक कुमार दिनांक 18 मई, 2017 से निगम के अध्यक्ष पद से विमुक्त हुए एवं उनके स्थान पर श्री शान्तमनु (डीआईएन संख्या 06640820) को निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तदनुसार, दिनांक 25 जुलाई, 2017 को आयोजित निगम के बोर्ड की बैठक में लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप श्री अलोक कुमार, विकास आयुक्त (हथकरघा) के स्थान पर श्री शान्तमनु, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प एवं हथकरघा) की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के बाद, अब लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया गया है :–

1. श्री शान्तमनु, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प एवं हथकरघा)
2. श्री आर.वी.एस. मणि, उप–सचिव

(v) **Mrs. Shikha Roy Pabbi : (53 years),** She has been appointed as an Independent Director in National Handloom Development Corporation. She is a law graduate and post graduate in English Literature. She joined as Lecturer in English at a University College prior to joining the Bar. She is practicing Law for the last 26 years before the High Court and Supreme Court of India.

She was the Judicial Member of the All India Film Certificate Appellate Tribunal (FCAT) from the year 2000 to 2002. During her law career over two decades she has handled a large number of cases from various branches of law on the original and appellate jurisdiction.

c. AUDIT COMMITTEE:

In accordance with the provisions of section 177 of the Companies Act 2013, the meetings of Audit Committee were held during the year under review. The terms of reference of the Audit Committee, as proposed in the DPE guidelines on Corporate Governance for CPSEs was noted by the Audit Committee in its 23rd meeting held on 08th Dec., 2010. The composition of Audit Committee and the related information is placed herein below:

Name/ category	Position in Audit Committee	No. of meetings with attendance during the year
Shri Alok Kumar Government Director (w.e.f. 01st May, 2015 – 17th May, 2017)	Chairman	5/5
Shri R V S Mani, Government Director (w.e.f. 02nd Sept., 2014)	Member	5/5
Shri Sarvepalli Srinivas Functional Director (w.e.f. 01st May, 2013)	Member	5/5
Smt. Shikha Roy Pabbi Non official Independent Director (w.e.f. 01st Feb., 2017)	Member	N.A.

The Audit Committee met 5 times during the year 2016-17 at regular intervals (13th June, 2016, 16th Sept. 2016, 29th Sept. 2016, 28st Dec., 2016 and 30th March 2017). As per the order no. 11/26/82-DCH/NHDC/(VOL. IV) issued by Government of India, Ministry of Textiles, Smt. Shikha Roy Pabbi was appointed as Non Official Independent Director effective 1st February, 2017 and the Board of Directors at its meeting held on 30th March 2017 has passed the resolution pertaining to her appointment as Additional Director, designated as Non Official Independent Director vis-a-vis member in Audit Committee.

* Shri Alok Kumar ceased to be the Chairman of the Corporation with effect from 18th May, 2017 and in his place Shri Shantmanu (DIN No. 06640820) was appointed as Chairman of the Corporation. Accordingly the audit committee was reconstituted in the board meeting of corporation held on 25th July, 2017, consequent upon appointment of Shri Shantmanu, DC (H/C)/DC (Handlooms), as chairman in place of Shri. Alok kumar, DC (Handlooms), now the audit committee members are as follows:-

1. Shri Shantmanu, DC (H/C)/DC (Handlooms)
2. Shri R V S Mani, Dy. Secretary

3. श्रीमती शिखा रॉय पब्बी, अशासकीय स्वतन्त्र निदेशक
4. श्री सर्वेपल्ली श्रीनिवास, प्रबन्ध निदेशक, रा.ह.वि.नि.

घ. पारिश्रमिक समिति:

नैगमिक मन्त्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 1/2/2014–सीएलवी, दिनांक 5 जून, 2015 के तहत सरकारी कम्पनियों के वरिष्ठ प्रबन्धन और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के मामलों को छोड़कर पारिश्रमिक समिति सम्बन्धी कम्पनी अधिनयम, 2013 की धारा 178 की उपधाराओं (2), (3) और (4) के प्रावधानों से छूट प्रदान की है।

इसके उपरान्त निगम एक ऐसा संगठन है जो सामाजिक उद्देश्यों के लिए काम करता है, उसका अंशदान इतना अल्प है कि उससे वह केवल ऊपरी खर्चों को ही पूरा कर पाता है। वह अपने कर्मियों को निष्पादन संबंधी भुगतान (पी आर पी) करने में सक्षम नहीं है। अतः पारिश्रमिक समिति के सन्दर्भ में नैगमिक अभिशासन पर डी पी ई मार्ग निर्देशिकाओं के प्रावधान, निगम पर लागू नहीं होते हैं साथ ही कर्मियों की संख्या भी अल्प है (31 मार्च, 2017 तक 208 कर्मी हैं)।

उपर्युक्त के मद्देनजर, अलग पारिश्रमिक समिति की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गयी है और पारिश्रमिक से सम्बन्धित अन्य मामले, यदि होते हैं, तो निदेशक मण्डल को सीधे प्रस्तुत किए जाते हैं।

ङ. आम सभा की बैठक:

विगत 3 वार्षिक आम सभा की बैठकें (एजीएम) निम्नानुसार आयोजित की गईं :–

वार्षिक आम सभा की बैठक का वित्त वर्ष	वार्षिक आम सभा की बैठक की तारीख और समय	वार्षिक आम सभा की बैठक का स्थान
2015-16	30 सितम्बर, 2016/ 12.00 मध्याह्न	पंजीकृत कार्यालय, लखनऊ
2014-15	24 नवम्बर, 2015/ 12.00 मध्याह्न	पंजीकृत कार्यालय, लखनऊ
2013-14	30 सितम्बर, 2014/ 12.00 मध्याह्न	पंजीकृत कार्यालय, लखनऊ

च. प्रकटन:

(i) कार्यकारी निदेशकों को किए गए पारिश्रमिक भुगतान का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

(लाख रु. में)

कार्यकारी निदेशक	कुल वेतन	अनुलब्धियां	योग
श्री सर्वेपल्ली श्रीनिवास, प्रबंध निदेशक	25.05	2.28	27.33

(ii) वर्ष के दौरान सम्बन्धित पक्ष का कोई लेनदेन नहीं हुआ।

(iii) इस बात की पुष्टि की जाती है कि किसी भी सांविधिक निकाय ने कोई जुर्माना नहीं लगाया है।

(iv) निगम के बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित एक व्हिसिल ब्लोअर नीति है जिसे निगम के सभी कर्मचारियों के लिए परिचालित किया गया है और निगम की वेबसाइट www.nhdc.org.in पर भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त, इसकी भी पुष्टि की जाती है कि किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति के समक्ष जाने से रोका नहीं गया है।

3. Smt. Shikha Roy Pabbi, Non Official Independent Director
4. Shri Sarvepalli Srinivas, MD-NHDC

d. REMUNERATION COMMITTEE:

Vide notification no.1/2/2014-CL.V dated 05th June, 2015, Ministry of Corporate Affairs, Government of India, has exempted Government Companies from provisions of sub-sections (2), (3) and (4) of Section 178 of the Companies Act, 2013 pertaining to Remuneration Committee, except with regard to appointment of senior management and other employees.

Further, the corporation is an organisation with social objectives having very thin contribution margin just sufficient to meet its overheads, it is not able to pay the Performance Related Payment (PRP) to its employees. Thus, the provisions of DPE guidelines on Corporate Governance in respect of Remuneration Committee do not apply to the corporation. Besides, the number of employees in the corporation is also small (i.e. 208 as on 31st March, 2017).

In view of above, no need has been felt to have a separate remuneration committee and the other matters relating to remuneration, if any, are placed directly to the Board of Directors.

e. GENERAL BODY MEETING:

The last 03 Annual General Meetings (AGMs) were held as under:

AGM for the FY	Date & time of AGM	Venue of the AGM
2015-16	30th Sept., 2016/ 12.00 Noon	Registered Office, Lucknow
2014-15	24th Nov., 2015/ 12.00 Noon	Registered Office, Lucknow
2013-14	30th Sept., 2014/ 12.00 Noon	Registered Office, Lucknow

f. DISCLOSURES:

(i) Details of remuneration paid to the Functional Director are as under:

(Rs. in Lakh)

Name of Functional Director	Gross salary	Perquisites	Total
Shri Sarvepalli Srinivas Managing Director	25.05	2.28	27.33

(ii) During the year, there was no related party transaction.

(iii) It is reaffirmed that no penalty has been imposed by any of the statutory body.

(iv) The corporation has a Whistle Blower Policy duly approved by the Board, which has been circulated to all the employees of the corporation and also placed on the website www.nhdc.org.in of the corporation. Further, it is affirmed that no personnel has been denied access to the Audit Committee.

(v) निगम सभी स्वतन्त्र निदेशकों की नियुक्ति, जिसके लिए प्रशासनिक मन्त्रालय से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है, को छोड़कर सीपीएसई हेतु नैगमिक अभिशासन पर दिशानिर्देशों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहा है। पारिश्रमिक समिति के सम्बन्ध में भी वही स्पष्टीकरण दिया गया है, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

(vi) भारत सरकार द्वारा जारी किए गए राष्ट्रपति के निर्देशों का इस वर्ष और पिछले 3 वर्षों के दौरान निगम द्वारा अनुपालन किया गया है।

(vii) वर्ष के दौरान, ऐसा कोई व्यय खाता बही में नहीं डाला गया है जोकि व्यवसाय के प्रयोजनार्थ नहीं हो।

(viii) वर्ष के दौरान, निजी प्रकृति का कोई व्यय निदेशक मण्डल और शीर्ष प्रबन्धन पर नहीं किया गया है।

(ix) वर्ष के दौरान, प्रशासनिक और कार्यालय व्यय पिछले वर्ष के 19.55% की तुलना में कुल व्यय का 27.14% है। इसके अलावा, चूँकि निगम एक ऋण मुक्त कम्पनी है, वित्तीय व्यय नगण्य हैं।

छ. सम्प्रेषण के माध्यमः

निगम की समग्र प्रदत्त पूँजी भारत सरकार द्वारा धारित है। निगम का वार्षिक लेखा, वार्षिक रिपोर्ट सहित भारत सरकार को भेज दिया गया है, तथा निगम की वेबसाइट www.nhdc.org.in पर लगा दिया गया है। वार्षिक लेखा नैगमिक मामले के मंत्रालय, भारत सरकार में भी सम्पूरित हुआ है।

ज. लेखा अर्हताः

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के लेखा महानियंत्रक की टिप्पणी, वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न की गयी है।

झ. निदेशक मण्डल का प्रशिक्षणः

निगम निदेशकों के बोर्ड में शामिल होने पर उन्हें फोल्डर के रूप में दस्तावेजों का एक सैट प्रस्तुत करता है। इसमें निगम के कार्यकारण व कार्य निष्पादन, बोर्ड के सदस्यों के लिए व्यवसाय संचालन सम्बन्धी संहिता व नीतिशास्त्र, नैगमिक अभिशासन सम्बन्धी दिशानिर्देश आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं।

ञ. व्हिसिल ब्लोअर नीतिः

निगम ने, निदेशक मण्डल के विधिवत अनुमोदन से एक व्हिसिल ब्लोअर नीति तैयार की है। यह नीति, सभी कर्मियों के मध्य परिचालित कर दी गई है तथा निगम की वेबसाइट www.nhdc.org.in पर लगा दी गई है।

ट. आचार संहिताः

निगम ने बोर्ड के सदस्यों और निगम के वरिष्ठ प्रबन्धन के लिए आचार संहिता और व्यवसाय सम्बन्धी नीतिशास्त्र निर्धारित किया है। संहिता की एक प्रतिलिपि निगम की वेबसाइट www.nhdc.org.in पर अपलोड की गयी है। बोर्ड के सभी सदस्यों और प्रमुख अधिकारियों ने संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है। इस आशय की घोषणा इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

(v) The corporation is complying with all the requirements of the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs except the appointment of independent Directors, for which a request has been sent to the Administrative Ministry for the needful. As regards, the Remuneration Committee, the same has been explained above.

(vi) The Presidential directives issued by the Government of India has been complied by the corporation during the year and also during the last 3 years.

(vii) During the year, no expenditure has been debited in the books of accounts which are not for the purposes of business.

(viii) During the year, no expenses which are of personal nature have been incurred for the Board of Directors and top management.

(ix) Administrative and Office Expenses during the year is 27.14% of the total expenses as against 19.55% last year. Further, the Financial Expenses are negligible, since corporation is a debt free corporation.

g. MEANS OF COMMUNICATION:

The entire paid up share capital of the corporation is held by the Government of India. The Annual report including annual accounts of the corporation are sent to the Government of India and also placed on the website www.nhdc.org.in of the corporation. The annual accounts are also filed with the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

h. AUDIT QUALIFICATIONS:

The comments on accounts for the year ended 31st March, 2017 by the Comptroller & Auditors General of India under section 143(6) of the Companies Act 2013 are placed in the Annual report.

i. TRAINING OF BOARD OF DIRECTORS:

The corporation furnishes a set of documents in a folder form to the directors on their joining the Board. This includes important data about the functioning and performance of the corporation, Code of Business Conduct & Ethics for the Board members, Corporate Governance Guidelines etc.

j. WHISTLE BLOWER POLICY:

The corporation has laid down a Whistle Blower Policy duly approved by the Board. The policy has been circulated to all the employees of the corporation and also placed on the website www.nhdc.org.in of the corporation.

k. CODE OF CONDUCT:

The corporation has laid down the Code of Conduct & Business Ethics for the Board members and senior management of the corporation. A copy of the Code is displayed on the website www.nhdc.org.in of the corporation. All the Board members and key officers have affirmed their compliance to the code. A declaration to this effect is annexed to this report.

ठ. अनुपालन प्रमाणपत्रः

यह रिपोर्ट सीपीएसई के लिए नैगमिक अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं को विधिवत पूरा करती है और दिशानिर्देशों के अनुलग्नक VII में वर्णित सभी सुझायी गयी मदों को शामिल करती है। डीपीई द्वारा निर्धारित नैगमिक अभिशासन की आवश्यकताओं को पूरा करने सम्बन्धी तिमाही/वार्षिक रिपोर्टें नियमित रूप से/समय पर प्रशासनिक मन्त्रालय को भी भेजी जाती हैं। सीपीएसई के लिए नैगमिक अभिशासन पर दिशानिर्देशों की शर्तों को पूरा करने के सम्बन्ध में पेशेवर कम्पनी सचिव से लिया गया प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

ह./–

दिनांकः 25 सितम्बर, 2017 **(शान्तमनु)**

स्थानः नई दिल्ली **अध्यक्ष**

I. COMPLIANCE CERTIFICATE:

This report duly complies with the requirements of DPE Guidelines on Corporate Governance for CPSEs and covers all the suggested items mentioned in the Annexure - VII of the Guidelines. The quarterly/ annual reports on the compliance with the Corporate Governance requirements prescribed by the DPE are also sent to the Administrative Ministry regularly/ timely. The certificate obtained from the Practicing Company Secretary regarding compliance to the conditions of guidelines on Corporate Governance for CPSEs has been annexed to the report.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
(Shantmanu)
Chairman

Dated: 25th September, 2017
Place: New Delhi.

नवनीत के अरोड़ा
कम्पनी सचिव
पंजीकृत कार्यालयः ई–8/1, एलजीएफ, निकट गीता भवन मंदिर, मालविया नगर, नई दिल्ली–110017
+91-11-26686432, 26684877, 49901507 | +91 9810328141, 8076401996
info@navneetaroracs.com | aroranavneet@rediffmail.com | www.navneetaroracs.com
LLPIN-AAJ-0972

नैगमिक अभिशासन का प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालयः 10वाँ एवं 11वाँ तल, विकास दीप, 22 स्टेशन रोड,
लखनऊ–226001, उत्तर प्रदेश, भारत

हमने **31, मार्च, 2017** को समाप्त वर्ष के लिए लोक उपक्रम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मन्त्रालय के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, 2010 के लिए नैगमिक अभिशासन सम्बन्धी दिशानिर्देशों में यथाउल्लिखित **राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड** (इसके पश्चात् ''निगम'' के रूप में उल्लिखित) के नैगमिक अभिशासन सम्बन्धी शर्तों के अनुपालन की जाँच की है।

नैगमिक अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच उपर्युक्त दिशानिर्देशों में यथाउल्लिखित नैगमिक अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगम द्वारा अपनाई गई कार्यविधियों तथा उनके कार्यान्वयन तक सीमित है। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही निगम के वित्तीय विवरण पर विचारों का स्पष्टीकरण है।

हमारे मत में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि सम्बन्धित मन्त्रालय द्वारा पर्याप्त संख्या में स्वतन्त्र निदेशकों को नियुक्त न किए जाने तथा जोखिम प्रबन्धन योजना के कारण बोर्ड के गठन, लेखा परीक्षा समिति एवं नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति से सम्बन्धी प्रावधान को छोड़कर निगम ने उपर्युक्त दिशानिर्देशों में यथाउल्लिखित नैगमिक अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम आगे यह उल्लेख करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो निगम की भावी व्यावहार्यता और न ही निगम की प्रभाविकता अथवा प्रभावशीलता के सम्बन्ध में किसी प्रकार का आश्वासन है जिसके साथ प्रबन्धन ने निगम के कार्यों का संचालन किया है।

कृते नवनीत के. अरोड़ा एण्ड कम्पनी एलएलपी
कम्पनी सचिव

ह./–
सी.एस. नवनीत अरोड़ा
(प्रबन्ध भागीदार)
एफ.सी.एस.: 3214, सी.ओ.पी.: 3005
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 6 सितम्बर, 2017

NAVNEET K ARORA
Company Secretaries
Regd. Office: E-8/1, LGF, Near Geeta Bhawan Mandir, Malviya Nagar, New Delhi-110017
+91-11-26686432, 26684877, 49901507 | +91 9810328141, 8076401996
info@navneetaroracs.com | aroranavneet@rediffmail.com | www.navneetaroracs.com
LLPIN-AAJ-0972

CORPORATE GOVERNANCE CERTIFICATE

To,
The Members,
National Handloom Development Corporation Limited
Regd. Office: 10-11 Floors, Vikas Deep, 22 Station Road,
Lucknow – 226001, Uttar Pradesh, India

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance of **National Handloom Development Corporation Limited** (hereinafter referred as "Corporation") for the year ended **31st March, 2017** as stipulated in the guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 of Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Government of India and annexure mentioned there under (hereinafter referred as "Guidelines").

The compliance to the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedure and implementation thereof, adopted by the corporation for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance as stipulated in above mentioned guidelines. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Corporation.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, we certify that the Corporation has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned guidelines except the provisions regarding composition of Board, Audit Committee and Nomination & Remuneration Committee due to non-appointment of adequate number of Independent Directors by the concerned Ministry & risk management policy.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Corporation.

For Navneet K Arora & Co LLP
Company Secretaries

Sd/-
CS Navneet Arora
Managing Partner
FCS: 3214, COP: 3005
Place: New Delhi
Date: 06th September, 2017

नवनीत के अरोड़ा
कम्पनी सचिव
पंजीकृत कार्यालयः ई–8/1, एलजीएफ, निकट गीता भवन मंदिर, मालविया नगर, नई दिल्ली–110017
+91-11-26686432, 26684877, 49901507 | +91 9810328141, 8076401996
info@navneetaroracs.com | aroranavneet@rediffmail.com | www.navneetaroracs.com
LLPIN-AAJ-0972

दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए

सचिवालीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) तथा कम्पनी (कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 की नियम संख्या 9 के अनुसरण में

सेवा में,
सदस्यगण,
राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः 10वाँ एवं 11वाँ तल, विकास दीप, 22 स्टेशन रोड,
लखनऊ–226001, उत्तर प्रदेश, भारत

हमने **राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (सीआईएन – यू17299यूपी1983जीओआई005974)** (इसके पश्चात ''कम्पनी'' के रूप में उल्लिखित) द्वारा प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा उनके द्वारा अच्छी नैगमिक कार्यप्रणाली के अनुपालन की सचिवालीय लेखा परीक्षा की है। सचिवालीय लेखा परीक्षा इस प्रकार संचालित की गई थी कि जिससे हमें नैगमिक आचरण/सांविधिक अनुपालनों तथा उन पर मेरी राय व्यक्त करने का तार्किक आधार प्राप्त हो सके।

कम्पनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों तथा दायर की गई विवरणिका एवं कम्पनी द्वारा रखे जा रहे अन्य रिकार्डों तथा साथ ही कम्पनी, उसके अधिकारियों, एजेंटो एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवालीय लेखा परीक्षा के दौरान मुहैया कराई गई सूचना के सम्बन्ध में हमारे सत्यापन के आधार पर हम एतद्वारा यह टिप्पणी करते हैं कि हमारी राय में कम्पनी ने दिनांक **31 मार्च, 2017** को समाप्त वित्त वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा अवधि के दौरान यहाँ सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा साथ ही कम्पनी के पास उचित व्यापक प्रक्रियाओं का प्रावधान है तथा साथ ही उनके अनुपालन के सम्बन्ध में कार्यतन्त्र भी विद्यमान है जो इसके पश्चात की गई टिप्पणी के अध्यधीन है।

हमने दिनांक **31 मार्च, 2017** को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कम्पनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों एवं दायर की गई विवरणियों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जाँच की है :–

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 **(अधिनियम)** तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम – अप्रयोज्य हैं **क्योंकि कम्पनी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियाँ समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध नहीं थीं;**

(iii) सांविधिक जमा अधिनियम, 1996 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए विनियम एवं उपनियम – **अप्रयोज्य हैं क्योंकि कम्पनी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियाँ समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध नहीं थीं;**

NAVNEET K ARORA
Company Secretaries
Regd. Office: E-8/1, LGF, Near Geeta Bhawan Mandir, Malviya Nagar, New Delhi-110017
+91-11-26686432, 26684877, 49901507 | +91 9810328141, 8076401996
info@navneetaroracs.com | aroranavneet@rediffmail.com | www.navneetaroracs.com
LLPIN-AAJ-0972

SECRETARIAL AUDIT REPORT

[FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2017]

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
National Handloom Development Corporation Limited
Regd. Office: 10-11 Floors, Vikas Deep 22 Station Road,
Lucknow – 226001, Uttar Pradesh, India

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and adherence to good corporate practices by the **National Handloom Development Corporation Limited (CIN NO U17299UP1983GOI005974)** (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts / statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on **31st March 2017** complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board - Processes and Compliance -Mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the period ended on **31st March 2017** according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (**the Act**) and the Rules made thereunder;

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder; - **not applicable as the securities issued by Company were not listed during the period under review;**

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed there under; - **not applicable as the securities issued by Company are not dematerialized and were not listed during the period under review;**

नवनीत के अरोड़ा
कम्पनी सचिव

(iv) विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, 1999 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम, जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, अप्रवासी प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक उधारियों के सन्दर्भ में बनाए गए थे – **अप्रयोज्य है क्योंकि कम्पनी ने समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है;**

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अन्तर्गत निर्धारित किए गए निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश – **अप्रयोज्य हैं क्योंकि कम्पनी की प्रतिभूतियाँ समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध नहीं थीं;**

क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का महत्वपूर्ण अभिग्रहण एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011;

ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का निषेध) विनियम, 2015

ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2009;

घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;

ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों को जारी करना तथा उन्हे सूचीबद्ध करना) विनियम, 2008;

च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचियन) विनियम, 2009;

छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 1998;

ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गमन एवं शेयर हस्तांतरण एजेंट सम्बन्धी पंजीयक) विनियम, 1993 जो कम्पनी अधिनियम के सम्बन्ध में है तथा जिसका सम्बन्ध ग्राहकों से है; **अप्रयोज्य है क्योंकि कम्पनी लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान, किसी रजिस्ट्रार से जुड़ी गतिविधियों में शामिल नहीं थी और शेयर ट्रांसफर एजेंट के रूप में भी काम नहीं कर रही थी।**

(vi) कम्पनी के लिए अन्य श्रम, पर्यावरण और विशिष्ट लागू अधिनियम/कानून जिसके लिए सचिवालीय लेखा परीक्षा एक अवलोकन लेखा परीक्षा के रूप में आयोजित की गई थी और आमतौर पर हमें प्रदान किए गए दस्तावेजों और कम्पनी और प्रबन्धन के अन्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट और अन्य पेशेवरों द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र, कम्पनी ने लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी के लिए लागू निम्नलिखित अधिनियमों/कानूनों का अनुपालन किया है :–

क) भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मन्त्रालय (सार्वजनिक उद्यम विभाग), भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए नैगमिक सामाजिक दायित्व पर दिशानिर्देश – मार्च 2010;

ख) नैगमिक कार्य मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नैगमिक अभिशासन स्वैच्छिक दिशानिर्देश, 2009;

NAVNEET K ARORA
Company Secretaries

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings - **Not applicable as the Company has not made any such transaction during the financial year under review;**

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act') **were not applicable to the company as the securities of the Company was not listed during the relevant audit period:**

a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011; -

b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;

d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;

e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;

f) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009;

g) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998;

g) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Shares Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client; **The Company was not involved in the activities relating to Registrar to a issue and also not acting as Share Transfer Agent hence the regulations were not applicable to the Company during the audit period;**

(vi) Other labour, environment and specific applicable Acts / Laws to the Company for which Secretarial Audit was conducted as an overview audit and was generally based/ relied upon the documents provided to us and Management Confirmation Certificate provided by the Management of the Company & other audit report and certificates given by other professionals, the company has complied with the following Acts / Laws applicable to the Company during the audit period::

(a) Guidelines on Corporate Social Responsibility for Central Public Sector Enterprises-March 2010 issued by the Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises (Department of Public Enterprises), Government of India;

(b) Corporate Governance Voluntary Guidelines, 2009 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

नवनीत के अरोड़ा
कम्पनी सचिव

ग) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 और कर्मचारी जमा–लिंक्ड बीमा योजना, 1976 और कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952;

घ) अनुबन्ध श्रम (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1970;

ङ) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961;

च) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948;

छ) पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 और अन्य पर्यावरण कानूनों के साथ पढ़नीय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986;

ज) महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियम, 2013 के साथ पढ़ित महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013;

झ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005.

हमने भारतीय चार्टेड एकाउन्टेन्टस संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी सचिवालीय मानकों के लागू होने वाले नियमों के अनुपालन की भी जाँच की है।

हमने लागू वित्तीय कानूनों जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों की जाँच नहीं की है, क्योंकि यह वैधानिक वित्तीय लेखा परीक्षा और अन्य नामित पेशेवरों की समीक्षा के अधीन आता है।

हम यह प्रमाणित करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अध्यधीन उपर्युक्त अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि का अनुपालन किया है :–

– जबकि कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियमावली, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) एवं 149 (5) के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के लिए यह आवश्यक था कि वह कम्पनी के बोर्ड में कम से कम दो स्वतन्त्र निदेशकों की नियुक्ति करे परन्तु कम्पनी ने भारत सरकार के वस्त्र मन्त्रालय के आदेश संख्या 11/26/82–डीसीएच/रा.ह.वि.नि./(अंक IV) के अनुपालन में केवल एक ही स्वतन्त्र निदेशक श्रीमती शिखा पब्बी रॉय की नियुक्ति दिनांक 1 फरवरी 2017 से तीन वर्ष की अवधि के लिए की है। प्रबन्धन द्वारा आगे दी गई सूचना के अनुसार एक सरकारी कम्पनी होने के नाते कम्पनी ने आवश्यकतानुसार एक और स्वतन्त्र निदेशक की नियुक्ति करने के लिए अपने प्रशासनिक मन्त्रालय से अनुरोध किया है।

– जबकि कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियमावली, 2014 के नियम 3 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के लिए यह आवश्यक था कि वह दिनांक 31 मार्च, 2015 तक हर हाल में कम्पनी के बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति करे परन्तु कम्पनी उपरोक्त का अनुपालन नहीं कर पाई। कम्पनी ने अब दिनांक 1 फरवरी 2017 से एक महिला निदेशक की नियुक्ति कर ली है। अर्थात, दिनांक 1 अप्रैल 2016 से 31 जनवरी 2017 तक की अवधि के बीच कम्पनी धारा 149 (1) के तहत वितथ थी।

– जबकि कम्पनी (बोर्ड की बैठकें तथा उसकी शक्तियाँ) नियमावली, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (1) के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के लिए यह आवश्यक था कि वह स्वतन्त्र निदेशकों के बहुमत वाली बोर्ड की एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करे। कम्पनी ने तीन निदेशकों वाली बोर्ड की एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है, जिसमें आवश्यकतानुसार स्वतन्त्र निदेशक नहीं हैं। आगे, कम्पनी ने दिनांक 30 मार्च 2017 को एक स्वतन्त्र निदेशक के साथ लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन

NAVNEET K ARORA
Company Secretaries

(c) The Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act 1952 & The Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 and Employees Provident Fund Scheme, 1952

(d) The Contract Labour (Regulations and Abolition) Act 1970.

(e) Maternity Benefit Act 1961

(f) Minimum Wages Act, 1948

(g) Environment (Protection) Act 1986 read with The Environment (Protection) Rules 1986 and other Environment Laws.

(h) The Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 read with The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Rules 2013.

(i) Right to Information Act 2005.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India.

We have not examined the applicable financial laws, like direct and indirect tax laws, since the same have been subject to review by statutory financial audit and other designated professionals.

We report that during the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. as mentioned above subject to the following observation:

- *Where as in term of the provisions of Section 149(4) & 149(5)of the Companies Act, 2013 read with rule 4 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, the Company was required to appoint at least two Independent Directors on the Board of the Company but the Company in compliance of Government of India, Ministry of Textiles Order no. 11/26/82-DCH/NHDC/ (VOL. IV) has appointed only one namely Smt. Shikha Roy Pabbi as an Independent Director for a period of three years w.e.f 1st Febuary 2017. The Management has further informed that the Company being a Government Company has requested its administrative ministry for making necessary appointment of another Independent Director on the Board of the Company.*

- *Where as in term of the provisions of Section 149(1) of the Companies Act, 2013 read with rule 3 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, the Company was required to appoint at least one Woman Director on the Board of the Company latest by 31st March, 2015 the Company could not comply with the same. The Company has now appointed one Woman Director w.e.f. 01st February 2017, Hence the Company was in default of Section 149(1) from 01st April 2016 till 31st January 2017.*

- *Where as in term of the provisions of Section 177(1) of the Companies Act, 2013 read with rule 6 of the Companies (Meeting of Board and its powers) Rules, 2014, the Company was required to constitute an Audit Committee of the Board with the a majority of Independent Directors. The Company has constituted the Audit Committee of the Board consisting of three directors without sufficient number*

नवनीत के अरोड़ा
कम्पनी सचिव

किया है। प्रबन्धन द्वारा आगे दी गई सूचना के अनुसार एक सरकारी कम्पनी होने के नाते कम्पनी ने बोर्ड में आवश्यक स्वतन्त्र निदेशकों की नियुक्ति करने के लिए अपने प्रशासनिक मन्त्रालय से अनुरोध किया है, जिससे कि स्वतन्त्र निदेशकों के बहुमत वाली लेखा परीक्षा समिति पुनर्गठित की जा सके।

– जबकि कम्पनी (बोर्ड की बैठकें तथा उसकी शक्तियाँ) नियमावली, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (1) के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के लिए यह आवश्यक था कि वह बोर्ड की एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन करे, तथापि, समिति ने उक्त समिति का गठन नहीं किया है। प्रबन्धन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सरकारी कम्पनी होने के नाते कम्पनी को वरिष्ठि प्रबन्धन एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को छोड़कर अपने बोर्ड में निदेशकों की तैनाती एवं पारिश्रमिक के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की उपधारा (2), (3) एवं (4) के प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है। प्रबन्धन ने आगे यह सूचित किया है कि निगम में कर्मचारियों की संख्या भी बहुत कम (208) है, तदानुसार, निगम को एक पारिश्रमिक समिति का गठन करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई है और वरिष्ठ प्रबन्धन एवं अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से सम्बन्धित मामला, यदि कोई हो, तो उसे सीधे निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

– जबकि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के लिए एक जोखिम प्रबन्धन नीति तैयार करना आवश्यक था, कम्पनी ने कोई औपचारिक जोखिम प्रबन्धन नीति अंगीकृत नहीं की है। तथापि, प्रबन्धन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कम्पनी ने जोखिम प्रबन्धन के लिए सभी आवश्यक उपाय पूरे कर लिए हैं।

– कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत कम्पनी पंजीयक, नैगमिक कार्य मन्त्रालय, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड, कानपुर के पास विलम्ब से कुछ प्रपत्र दायर किए हैं।

हम आगे यह टिप्पणी करते हैं कि :–

1) कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 और भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मन्त्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा बोर्ड के गठन में कार्यकारी, गैर–कार्यकारी और स्वतन्त्र निदेशकों के उचित सन्तुलन के बारे में जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए नैगमिक अभिशासन दिशानिर्देश, 2010 का अनुपालन किया है।

2) सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों का आयोजन करने के लिए पर्याप्त, कम से कम सात दिन पहले, सूचना दी गई है। तत्पश्चात सभी निदेशकों को कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियाँ अग्रिम रूप से भेज दी गई थीं। और बैठक से पूर्व एवं बैठक में सार्थक भूमिका निभाने के लिए आगे की सूचना प्राप्त करने एवं कार्यसूची की मदों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु एक कार्यतन्त्र मौजूद है। देरी से सूचना के मामले में, कम्पनी ने आईसीएसआई के सेक्रेटरीयल स्टैण्डर्ड–1 के अनुच्छेद 1.3.7 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के लागू प्रावधानों का अनुपालन किया है।

3) बहुमत के निर्णय को वरीयता दी जाती है जबकि असहमत सदस्यों के मत, यदि कोई हों, तो उन पर भी ध्यान दिया जाता है और उन्हें कार्यवृत्त के भाग के रूप में अभिलेख कर लिया जाता है।

4) निदेशकों ने अपनी नियुक्ति की पात्रता के सम्बन्ध में प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, वे निदेशकों और प्रबन्धन कर्मियों के लिए व्यापार आचरण और नैतिकता संहिता के स्वतन्त्र और अनुपालन के साथ हैं।

NAVNEET K ARORA
Company Secretaries

of Independent Directors. Further The Company has reconstituted the Audit Committee and includes one Independent Director in its Board Meeting held on 30th March 2017 The Management has further informed that the Company being a Government Company has requested its administrative ministry for making necessary appointment of Independent Director on the Board of the Company so as to constitute optimum number of Independent Director in the Audit Committee.

- *Where as in term of the provisions of Section 177(1) of the Companies Act, 2013 read with rule 6 of the Companies (Meeting of Board and its powers) Rules, 2014, the Company was required to constitute a Nomination & Remuneration Committee of the Board, but the Company has not constituted the same. As informed by the Management, the Company being a government company is exempted from the provisions of section (2) (3) & (4) of Section 178 of the Companies Act, 2013 with regard to appointment and remuneration of Directors on its Board except the appointment of senior management and other employees. The Management has further informed that the number of employees in the Corporation is also small (208), accordingly, no need has been felt by the Corporation to have a Remuneration Committee and the matter relating to remuneration of senior management and other employees, if any, are placed directly to the Board of Directors.*
- *Where as in term of the provisions of Section 134(3) of the Companies Act, 2013 the Company was required to have a Risk Management policy, the Company has not adopted any formal Risk Management policy. However as informed by the Management the Company has adopted all necessary measures for the management of the risk.*
- *The Company has filed with delay few forms with the Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs, Uttar Pradesh & Uttarakhand, Kanpur under the provisions of the Companies Act, 2013.*

We further report that:

1) The Company has complied with Companies Act 2013, Corporate Governance Guidelines for Central Public Sector Enterprises, 2010 issued by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises, Government of India in respect of constitution of the board with proper balance of Executive, Non-Executive Directors & Independent Directors.

2) Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings atleast seven days in advance and agenda and detailed notes on agenda were also sent in advance to all the Directors subsequently, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting. In case of shorter notice, the Company has complied with the applicable provisions of Section 173 of the Companies Act 2013 read with clause 1.3.7 of the Secretarial Standard -1 of ICSI.

3) Majority decision is carried through while the dissenting members' views, if any, are captured and recorded as part of the minutes.

4) The Directors have complied with the disclosure requirements in respect of their eligibility of appointment, their being independent and compliance with the Code of Business Conduct & Ethics for Directors and Management Personnel;

नवनीत के अरोड़ा
कम्पनी सचिव

हम आगे यह टिप्पणी करते हैं कि प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों की मॉनीटरिंग करने तथा उनके अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी के आकार तथा उसके कार्यकरण के अनुरूप कम्पनी में पर्याप्त व्यवस्थाएँ एवं प्रक्रियाएँ मौजूद हैं।

इसके अतिरिक्त, **हम यह टिप्पणी करते हैं** कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी में निम्नांकित सम्बन्धी कोई प्रमुख घटना नहीं हुई है :–

क) शेयर/पारिश्रमिक शेयर का सार्वजनिक/अधिमान्य निर्गम

ख) सिक्योरिटीज की पुनःखरीद

ग) विलय/एकीकरण/पुनर्निर्माण आदि, और

घ) विदेशी तकनीकी सहयोग

कृते नवनीत के. अरोड़ा एण्ड कम्पनी एलएलपी
कम्पनी सचिव

ह./–
सी.एस. नवनीत अरोड़ा
(प्रबन्ध भागीदार)
एफ.सी.एस.: 3214, सी.ओ.पी.: 3005
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 6 सितम्बर, 2017

नोट : इस रिपोर्ट को सचिवालीय लेखा परीक्षकों के समसांख्यिक तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो 'अनुलग्नक अ' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

NAVNEET K ARORA
Company Secretaries

We further report that based on the information received and records maintained there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with other applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period, there were no instances of:

a) Public / Preferential Issue of Shares / Sweat Equity.

b) Buy-back of Securities.

c) Merger / Amalgamation / Reconstruction etc. and

d) Foreign Technical Collaborations.

For Navneet K Arora & Co LLP
Company Secretaries

Sd/-
CS Navneet Arora
Managing Partner
CS: 3214, COP: 3005
Place: New Delhi
Date: 06th September, 2017

[Note: This report is to be read with our letter of even date which is annexed as **"Annexure-A"** and forms an integral part of this report].

नवनीत के अरोड़ा
कम्पनी सचिव

'अनुलग्नक अ'

सेवा में,
सदस्यगण,
राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालयः 10वाँ एवं 11वाँ तल, विकास दीप, 22 स्टेशन रोड,
लखनऊ–226001, उत्तर प्रदेश, भारत

हमारी इस समसंख्यक रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

1. सचिवालीय अभिलेख का रखरखाव कम्पनी के प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी इन सचिवालीय रिकॉडों पर हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर अपनी राय व्यक्त करने की है।
2. हमने सचिवालीय अभिलेखों की विषय वस्तु की शुद्धता के सम्बन्ध में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा सम्बन्धी यथोचित कार्य पद्धति एवं प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है। सत्यापन परीक्षण आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिशुद्ध तथ्य सचिवालीय अभिलेखों में प्रतिबिम्बित हों। हमारा यह विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएँ एवं कार्यपद्धतियाँ हमारे मत का युक्तियुक्त आधार प्रस्तुत करती हैं।
3. हमने कम्पनी के वित्तीय अभिलेखों एवं खाता बहियों की परिशुद्धता एवं उपयुक्तता की जाँच नहीं की है।
4. जहाँ कहीं आवश्यक प्रतीत हुआ वहाँ हमने विधियों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन तथा घटनाक्रमों के समयानुक्रम आदि के सम्बन्ध में प्रबन्धन की राय प्राप्त की है।
5. नैगमिक तथा अन्य प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों के प्रावधानों तथा मानकों का अनुपालन प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच परीक्षण आधार पर क्रियाविधि की जाँच तक सीमित थी।
6. सचिवालीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कम्पनी की भावी व्यवहार्यता और न ही उसकी प्रभाविकता अथवा प्रभावशीलता के सम्बन्ध में कोई आश्वासन है जिसके साथ प्रबन्धन ने कम्पनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते नवनीत के. अरोड़ा एण्ड कम्पनी एलएलपी
कम्पनी सचिव

ह./–
सी.एस. नवनीत अरोड़ा
(प्रबन्ध भागीदार)
एफ.सी.एस.: 3214, सी.ओ.पी.: 3005
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 6 सितम्बर, 2017

NAVNEET K ARORA
Company Secretaries

Annexure –"A"

To,
The Members,
National Handloom Development Corporation Limited
Regd. Office: 10-11 Floors, Vikas Deep 22 Station Road,
Lucknow – 226001, Uttar Pradesh, India

Our report of even date is to be read along with this letter as under:

1) Maintenance of secretarial record is the responsibility of the Management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records on our audit.

2) We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial Records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.

3) We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of accounts of the Company.

4) Where ever required, we have obtained the Management Representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

5) The Compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of Management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.

6) The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the company.

For Navneet K Arora & Co LLP
Company Secretaries

Sd/-
CS Navneet Arora
Managing Partner
FCS: 3214, COP: 3005
Place: New Delhi
Date: 06th September, 2017

प्रबन्ध निदेशक द्वारा वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबन्धन द्वारा आचार संहिता का अनुपालन करने के सम्बन्ध में घोषणा

मैं, सर्वेपल्ली श्रीनिवास, प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान निदेशक मण्डल और वरिष्ठ प्रबन्धन दल के सभी सदस्यों ने निगम की व्यवसाय आचार संहिता और नीतिशास्त्र का अनुपालन करने की पुष्टि की है।

ह./–
(सर्वेपल्ली श्रीनिवास)
प्रबंध निदेशक

स्थानः ग्रेटर नोएडा
दिनांकः 29 अगस्त, 2017

Declaration by the Managing Director regarding Compliance with the Code of Conduct by the Board Members and Senior Management during the Financial Year 2016-17.

I, Sarvepalli Srinivas, Managing Director, National Handloom Development Corporation Limited, do hereby declare that all the Members of the Board of Directors and the Senior Management Team of the corporation have affirmed their compliance to the Code of Business Conduct and Ethics of the Corporation during the FY 2016-17.

Place: Greater Noida
Dated: 29th August, 2017

Sd/-
(Sarvepalli Srinivas)
Managing Director.

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नलक
प्रबन्धन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

1. हथकरघा परिदृश्यः

हथकरघा क्षेत्र कृषि के बाद सबसे बड़ी असंगठित आर्थिक गतिविधियों में से एक है और यह ग्रामीण और अर्ध–ग्रामीण आजीविका का एक अभिन्न अंग है जो 43 लाख बुनकरों और सम्बद्ध श्रमिकों से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है।

भारत सरकार हथकरघा क्षेत्र के समग्र और सतत् विकास तथा हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित स्कीमों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है :–

(1) **राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी):** हथकरघों के विकास के लिए एनएचडीपी को केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम के निम्नलिखित घटक हैं :–

(क) **हथकरघा क्षेत्र के लिए पुनरुद्धार, सुधार एवं पुनर्संरचना (आरआरआर) पैकेज और रियायती ऋणः** दिनांक 31 मार्च, 2010 तक की स्थिति के अनुसार आरआरआर पैकेज में 100% मूल राशि तथा 25% के ब्याज वाले अतिदेय ऋण की छूट तथा पात्र शीर्षस्थ एवं प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों एवं वैयक्तिक बुनकरों को दी जाने वाली पुनर्पूंजीकरण सहायता को शामिल किया गया है तथा साथ ही इसमें 3 वर्ष के लिए क्रेडिट गारंटी के साथ 6% ब्याज दर पर नए ऋण का प्रावधान किया गया है। आरआरआर पैकेज को दिनांक 28 फरवरी, 2014 तक कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था।

ऋण से छूट सम्बन्धी पैकेज के अन्तर्गत शामिल नहीं किए गए हथकरघा बुनकरों को रियायती मियादी ऋण के लिए सुविधा प्रदान करने के साथ–साथ कार्यशील पूँजीगत ऋण प्रदान करने के लिए सरकार ने रियायती ऋण के घटक को मंजूरी दे दी है। बुनकरों को यह ऋण 6% ब्याज पर संस्वीकृत किया गया है एवं भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता अधिकतम 7% है तथा ऋण की प्रभाव क्षमता के लिए सरकार सूक्ष्म और लघु उद्यम (सीजीटीएमएसई) के लिए प्रति बुनकर 10,000 रुपए तक की मार्जिन राशि तथा क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी निधि के जरिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है।

(ख) **समग्र हथकरघा विकास स्कीम (सीएचडीएस):** समेकित हथकरघा विकास स्कीम (आईएचडीएस), विपणन एवं निर्यात संवर्धन स्कीम (एमईपीएस), विविध हथकरघा विकास स्कीम (डीएचडीएस) के घटकों का विलय करके समग्र हथकरघा विकास स्कीम (सीएचडीएस) तैयार किया गया है, जिसे 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यांवित किया गया है। समग्र हथकरघा विकास स्कीम (सीएचडीएस) के उपघटक निम्नानुसार है :–

(क) क्लस्टर विकास कार्यक्रम;

(ख) हथकरघा विपणन सहायता;

(ग) हथकरघा संस्थानों का विकास करना और उन्हें सुदृढ बनाना;

(घ) हथकरघा गणना;

(ङ) अभिनव विचारों को लागू करना; और

(च) प्रचार, विज्ञापन, निगरानी, प्रशिक्षण और योजना का मूल्यांकन।

ANNEXURE TO DIRECTORS' REPORT

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

1. HANDLOOM SCENARIO:

The handloom sector is one of the largest unorganized economic activities after agriculture and constitutes an integral part of the rural and semi- rural livelihood which provides direct and indirect employment to more than 43 Lakh weavers and allied workers.

For holistic and sustainable development of handloom sector and welfare of handloom weavers, the Government of India is implementing following schemes and programmes during 12th Plan:

(1) National Handloom Development Programme: NHDP is being implemented as a centrally sponsored programme for development of handlooms. The scheme is having following components:-

(a) Revival, Reform and Restructuring (RRR) Package and concessional credit for handloom sector: RRR package covers waiver of overdue loan involving 100% principal and 25% of interest as on 31st March, 2010 and recapitalization assistance to the eligible apex and primary weavers cooperative societies & individual weavers and also provides fresh loan at 6% interest rate alongwith credit guarantee for 3 years. The RRR Package was approved for implementation upto 28th Feb., 2014.

For providing access to subsidized term loan as well as working capital loan to handloom weavers not covered under loan waiver package, Government has approved Concessional Credit Component. The loan is sanctioned to weavers at 6% interest and Government of India interest subvention is maximum 7% and to leverage the loan, Government provides margin money assistance upto Rs.10,000/- per weaver and credit guarantee through Credit Guarantee Trust Fund for Micro and Small Enterprises (CGTMSE).

(b) Comprehensive Handlooms Development Scheme (CHDS) has been formulated by merging the components of Integrated Handloom Development Scheme (IHDS), Marketing & Export Promotion Scheme (MEPS), Diversified & Handloom Development Scheme (DHDS), implemented during the 11th Plan. Sub-components of the CHDS are as follows:-

(a) Cluster development programme

(b) Handloom marketing assistance

(c) Development and strengthening of the handloom institutions

(d) Handloom census

(e) Implementing innovative ideas

(f) Publicity, advertisement, monitoring, training and evaluation of the scheme

(2) सूत आपूर्ति योजना (वाईएसएस):

यह स्कीम पात्र हथकरघा एजेंसियों को मिल गेट मूल्य पर सभी प्रकार का सूत मुहैया कराती है। इस स्कीम के अन्तर्गत डिपो परिचालन व्यय और परिवहन खर्च की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जा रही है। इसके अलावा बिजली करघा (पावर लूम) और मिल क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने के उद्देश्य से हथकरघा बुनकरों को रियायती दर पर सूत उपलब्ध कराने के लिए इस स्कीम के अन्तर्गत कपास लच्छी सूत, घरेलू सिल्क सूत तथा ऊनी सूत पर 10% के रियायती मूल्य वाले एक नये घटक को भी जोड़ा गया है।

(3) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण स्कीम:

इस स्कीम में स्वास्थ्य बीमा स्कीम (एचआईएस) और महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई) नामक दो घटक हैं। एचआईएस को पूर्व में देश भर में हथकरघा बुनकरों के लिए स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय द्वारा लागू किया गया था, अब यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई), जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, का एक भाग है जिसमें पाँच सदस्यों वाले एक परिवार को कवर किया जाता है। एमजीबीबीवाई में प्राकृतिक मृत्यु/दुर्घटना मृत्यु तथा दुर्घटना के कारण सम्पूर्ण या आंशिक विकलांगता के मामले में हथकरघा बुनकरों के लिए जीवन बीमा कवर का प्रावधान किया गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कक्षा नौवीं से कक्षा बारहवीं में पढ़ने वाले दो बच्चों के लिए प्रति तिमाही प्रति छात्र 300 रुपए की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है।

(4) हथकरघा (रिजर्वेशन ऑफ आर्टिकल्स फॉर प्रोडक्शन) अधिनियम, 1985 (योजनेत्तर–स्कीम):

भारत सरकार ने देश में हथकरघा बुनकरों के हितों तथा उनकी आजीविका की रक्षा करने के उद्देश्य से दिनांक 29 मार्च, 1985 को हथकरघा (रिजर्वेशन ऑफ आर्टिकल्स फॉर प्रोडक्शन) अधिनियम, 1985 प्राख्यापित किया था। इस अधिनियम के अन्तर्गत वस्त्रों से जुड़े कतिपय सामानों को केवल हथकरघा के लिए आरक्षित करते हुए हथकरघा क्षेत्र की सुरक्षा का विस्तार किया गया था। सलाहकार समिति की सिफारिश पर दिनांक 3 सितम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या 2160 (ङ) के तहत 11 वस्तुओं को आरक्षित किया गया था।

हथकरघा (रिजर्वेशन ऑफ आर्टिकल्स फॉर प्रोडक्शन) अधिनियम, 1985 को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय द्वारा वार्षिक कार्य योजना के अन्तर्गत बिजली करघा के लक्ष्य नियत किए गए हैं और उन्हें अनुपालन हेतु सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को परिचालित कर दिया गया है। जब कभी किसी भी प्रकार के उल्लंघन का पता चलता है तो उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत यथोचित कार्रवाई शुरु की जाती है।

2. सामर्थ्य एवं दुर्बलताएँ:

निगम का 9 क्षेत्रीय कार्यालयों और 31 शाखा कार्यालयों के जरिए 29 राज्यों/संघ राज्य् क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय नेटवर्क है। हथकरघा क्षेत्र में किसी अन्य निकाय की देश में इस प्रकार की व्यापक उपस्थित नहीं है। निगम की उपस्थिति बाजार में हस्तक्षेप करने के प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करती है ताकि सूत की दर को उचित स्तर के भीतर रखने के लिए निजी व्यापारियों के एकाधिकार को प्रतिबन्धित किया जा सके। निगम उस असंगठित क्षेत्र, जिसमें गरीब कारीगर/हथकरघा बुनकर उच्च सांस्कृतिक विरासत और भारतीय संस्कृति की पारम्परिक मूल्य की वस्तुओं के उत्पादन में लगे हुए हैं, की आवश्यकताओं को पूरा करके सामाजिक दायित्व निभाने का नेक कार्य करता है।

अगले कुछ वर्षों में विभिन्न स्तरों पर कुछ कर्मचारी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इस रिक्तता, जोकि विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने से हो सकती है, को भरने के लिए निगम ने न केवल मध्य स्तर के कार्यपालकों को उच्चतर दायित्व निभाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने/कार्य में तेजी लाने की योजना बनायी है, अपितु प्रारम्भिक स्तर, और साथ ही वरिष्ठ स्तरों पर नयी भर्तियाँ कर रहा है जोकि भर्ती की आवश्यकता होने पर निर्भर करता है।

(2) Yarn Supply Scheme (YSS):

This scheme makes available all types of yarn at Mill Gate Price to the eligible handloom agencies and the depot operating expenses and transportation expenses are being reimbursed by Government of India. Further, to provide the subsidized yarn to handloom weavers in order to compete with powerloom and mill sector, a new component of 10% price subsidy on cotton hank yarn, domestic silk yarn and woolen yarn has also been added under this scheme.

(3) Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme:

This scheme has 2 components namely Health Insurance Scheme (HIS) and Mahatma Gandhi Bunkar Bima Yojana (MGBBY). The HIS was earlier implemented by the Office of DC (Handlooms) for providing the health care facilities to the handloom weavers across the country, now it is part of the Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) which is being implemented by the Ministry of Health & Family Welfare which covers a family of five members. The MGBBY provides life insurance cover to handloom weavers in the case of natural/ accidental death and total or partial disability due to accident. Under this scheme a scholarship of Rs.300/- per quarter per child subject to two children studying in standard IX to XII is also provided by Govt. of India.

(4) Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act, 1985 (Non-Plan Scheme):

Government of India promulgated the Handloom (Reservation of Articles for Production), Act 1985 dated 29th March, 1985, with a view to protect the interests and livelihood of the handloom weavers in the country. Under the Act, protection to the handlooms sector was extended by way of reserving certain textile articles for exclusive production by handlooms. On the recommendation of the Advisory Committee, 11 articles were reserved vide Notification No. 2160(E) dated 03rd Sept., 2008.

In order to implement the Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act, 1985 effectively, targets of powerloom inspections under annual action plan are fixed by the O/o the DC (Handlooms) and circulated to all the implementing agencies for compliance. Wherever any violation is detected suitable action under the provisions of the Act is initiated.

2. STRENGTH AND WEAKNESSES:

Corporation has a national network having presence in 29 States/ Union Territories through 9 Regional Offices, and 31 Branch Offices. No other body in the handloom sector has such a wide presence in the country. The presence of the corporation serves as an effective tool to intervene the market so as to restrict the monopolistic character of the private traders, in order to keep the hank yarn rates within a reasonable level. Corporation serves a noble cause of social responsibility by catering to a sector, which consists of poor artisans/ handloom weavers in unorganised sector, engaged in the production of items of high cultural heritage and traditional value of Indian culture.

Few employees are going to superannuate at various levels in the next few years. To fill the vacuum that may be created by the superannuation of the employees at various levels, corporation has planned not only to train/ gear up its middle level executives to take up the higher responsibilities but also making fresh recruitment at the induction level as well as senior levels depending upon the requirements. During

वर्ष 2010–11 से पहले, पिछले 10 वर्षों के दौरान नए कर्मचारियों की भर्ती नगण्य है। यह आशा की जाती है कि निगम नई भर्ती से संगठनात्मक अनुभव रखने वाले पुराने कर्मचारी और बाहरी अनुभव रखने वाले नए कर्मचारियों के बेहतर मिश्रण से नए उत्साह को आत्मसात करेगा। इसके अलावा, निगम को राज्य के शीर्ष निकायों से अनिश्चित माँग और भुगतान में देरी का सामना करना पड़ रहा है।

3. अवसर और खतरे:

इस समय निगम हथकरघा क्षेत्र के लिए कुल लच्छी सूत (हैंक यार्न) उत्पादन की 21% (लगभग) आवश्यकता को पूरा कर रहा है और कुल हैंक यार्न उत्पाादन का 79% खपत करने वाले अप्रयुक्त हथकरघा क्षेत्र में पहुँच बनाकर इस व्यवसाय का विस्तार करने के लिए बहुत बड़ा अवसर हैं। इस सम्बन्ध में, नई एजेंसियों तक पहुँच बनाकर कवरेज बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

सूत (यार्न) बाजार अच्छी तरह से विकसित है और निजी व्यापारियों, जो पहले ही सुस्थापित हैं और बुनकरों को तुलनात्मक रूप से बेहतर क्रेडिट और अन्य सुविधाओं की पेशकश कर रहे हैं, के साथ प्रतियोगिता है। उनसे मुकाबला करने के लिए, निगम हथकरघा बुनकरों को प्रतिस्पर्धी/सबसे कम दरों पर धागा उपलब्ध कराने के लिए थोक मात्रा में छूट के लिए केन्द्रीय रूप से सूत प्राप्त कर रहा है और सूत की दरों पर बातचीत कर रहा है। हथकरघा बुनकरों, एजेंसियों की पहुँच के लिए दरों को मासिक आधार पर निगम की वेबसाइट पर भी दिया जाता है, जिसके परिणामस्वारूप बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

4. दृष्टिकोण:

निगम को विश्वास है कि वह अपने विकास मंच पर वर्ष–दर–वर्ष नई ऊँचाइयों को प्राप्त करना जारी रखेगा। निगम अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए अपनी शक्तियों और दुर्बलताओं का पुनःआकलन करता रहेगा और तदनुसार अपने व्यवसाय की योजना तैयार करता रहेगा जिससे निगम नए विकास क्षेत्र की पहचान करने में सक्षम बनेगा।

5. खण्डवार और उत्पादवार कार्य निष्पादन:

धागा, जोकि हथकरघा क्षेत्र को आपूर्ति किया जाने वाला मुख्य कच्चा माल है, का निगम के कारोबार में उच्चतम योगदान बना हुआ है। इसके योगदान में वर्ष 2015–16 के दौरान निगम के कुल कारोबार के 98.14% से वर्ष 2016–17 के दौरान 98.46% होकर मामूली वृद्धि हुई है। रंगों व रसायनों (डाइज एण्ड केमिकल्स) की प्रतिशत हिस्सेदारी वर्ष 2015–16 के दौरान 1.86% से घटकर वर्ष 2016–17 के दौरान 1.54% हो गयी है। निगम के संचालनों का खण्डवार विश्लेषण नीचे दिया गया है :–

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	खंड/उत्पाद	2016-17		2015-16	
		कारोबार	प्रतिशतता	कारोबार	प्रतिशतता
1.	सूत (धागा)	2947.55	98.46%	2361.20	98.14%
2.	रंग व रसायन (डाइज एंड केमिकल्स)	45.97	1.54%	44.84	1.86%
3.	वस्त्र	-	-	-	-
	कुल	**2993.52**	**100.00%**	**2406.04**	**100.00%**

6. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता:

निगम ने अपने आकार के अनुरूप आन्तरिक नियन्त्रण सम्बन्धी एक प्रणाली विकसित की है। आन्तरिक नियन्त्रण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, आवश्यकतानुसार आन्तरिक लेखा परीक्षिकों को नए जाँच बिन्दु भी सुझाए जाते

the last 10 years prior to the year 2010-11, the recruitment of fresh employees is negligible. It is hoped that the fresh recruitment will imbibe new blood in the corporation with a better mix of existing employees having organisational experience and new employees with outside experience. Besides corporation is facing uncertain demand and delayed payments from state apex bodies.

3. OPPORTUNITIES AND THREATS:

Presently, the corporation is catering to 21% (approximately) of the total hank yarn production to the handloom sector and there is a large scope to expand the business by reaching the untapped handloom sector consuming 79% of the total hank yarn production. In this regard the efforts are being made to increase the coverage by accessing new agencies.

The yarn market is well developed and there is a competition with the private traders which are already well established and offer comparatively better credit and other facilities to the weavers. To combat the same, the corporation is obtaining and negotiating the yarn rates centrally for bulk quantity discounts with a view to provide yarn to the handloom weavers at competitive/ lowest rates. Rates are placed on the corporation's website as well on monthly basis for access by the handloom weavers' agencies, resulting in better transparency.

4. OUTLOOK:

The corporation believes that it will continue to be on its growth platform achieving new heights year by year. To further strengthen its position the corporation keep re-assessing its strengths and weaknesses and preparing its business plan accordingly which shall enable the corporation to identify its new growth area.

5. SEGMENT-WISE AND PRODUCT WISE PERFORMANCE:

Yarn, being the main raw material supplied to the handloom sector, continues to be the highest contributor to the turnover of the corporation. Its contribution has increased marginally from 98.14% of the total turnover of the corporation during the year 2015-16 to 98.46% during the year 2016-17. The percentage share of the dyes and chemicals has decreased from 1.86% during the year 2015-16 to 1.54% during the year 2016-17. The segment wise analysis of the operations of the corporation is placed herein below:

(Rs. in crore)

S. No.	Segment/ product	2016-17		2015-16	
		Turnover	Percentage	Turnover	Percentage
1.	Yarn	2947.55	98.46%	2361.20	98.14%
2.	Dyes & chemicals	45.97	1.54%	44.84	1.86%
3.	Fabric	-	-	-	-
	Total	**2993.52**	**100.00%**	**2406.04**	**100.00%**

6. INTERNAL CONTROL SYSTEM AND THEIR ADEQUACY:

The corporation has evolved a system of internal control commensurate with the size of the corporation. In order to make the internal control more effective, besides comprehensive internal audit manual, the new

हैं। निगम की आन्तरिक लेखा परीक्षा निगम के आन्तरिक लेखा परीक्षक दल और साथ ही बाह्य चार्टेड एकाउन्टेन्टस द्वारा की जाती है। लेखा परीक्षा समिति के निर्णय के अनुसार, प्रधान कार्यालय और निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वर्ष वैकल्पिक रूप से आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग और बाह्य चार्टेड एकाउन्टेन्टस द्वारा की जाती है। आन्तरिक नियन्त्रण और लेखा परीक्षा प्रणाली की लेखा परीक्षा समिति द्वारा आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और निरन्तर सुधार के लिए जहाँ आवश्यक हो, सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

7. परिचालन निष्पादन के सापेक्ष वित्तीय निष्पादन चर्चा:

निगम के कारोबार में पिछले वर्ष से 24% की वृद्धि हुई है और वित्त वर्ष 2015–16 में 2,406.04 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2016–17 में 2,993.52 करोड़ रुपए हो गया है।

कर पूर्व लाभ वित्त वर्ष 2015–16 में 36.97 करोड़ रुपए से 26% बढ़कर वित्त वर्ष 2016–17 में 46.54 करोड़ रुपए हो गया है और निवल लाभ 2015–16 में 24.08 करोड़ रुपए से 20% बढ़कर वित्त वर्ष 2016–17 में 28.88 करोड़ रुपए हो गया है। निगम का निवल मूल्य 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार 82.31 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 101.03 करोड़ रुपए हो गया है। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार निवल लाभ निवल मूल्य का 28.59% है।

वर्ष 2016–17 के दौरान 100 रुपए प्रति शेयर मूल्य के 19 लाख इक्विटी शेयरों में विभाजित निगम की पूँजी संरचना अपरिवर्तित रही। निगम ने 8.70 करोड़ रुपए का लाभांश देने की सिफारिश की है जो कर पश्चात लाभ का 30.12% और इक्विटी पूँजी का 45.78% है।

निगम के निष्पादन को लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए 'अति उत्तम' दर्जा दिया गया है। निगम का निष्पादन वर्ष 2016–17 के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) मापन मानदण्डों के आधार पर 'अति उत्तम' रेटिंग की अर्हता प्राप्त करता है।

यह अत्यन्त सन्तोषजनक विषय है कि निगम एक कर–मुक्त संस्था है और अपनी सम्पूर्ण कार्यशील पूँजी की आवश्यकता अपने आन्तरिक संसाधनों से पूरा करने में सक्षम हो रहा है।

8. सेवा–नियोजित व्यक्तियों की संख्या सहित मानव संसाधन विकास:

निगम ने कर्मचारी दक्षता पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया है। निगम के कर्मचारियों के कौशल विकास हेतु तकनीकी, प्रबन्धकीय और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

दिनांक 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार निगम के कर्मचारियों की कुल संख्या 208 (गत वर्ष – 215) है। वर्ष के दौरान कर्मचारी के परस्पर सम्बन्ध समरस और सौहार्दपूर्ण बने रहे।

9. नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

निगम ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों तथा संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी सीएसआर नीति में संशोधन किया है। संशोधित नीति 'रा.ह.वि.नि.–सीएसआर एवं संवहनीयता नीति 2014' को दिनांक 24 नवम्बर, 2014 को आयोजित की गई निदेशक मण्डल की बैठक में अनुमोदन प्रदान किए जाने के पश्चात निगम की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

कम्पनी ने सीएसआर समिति का गठन कर लिया है, जिसकी वर्ष 2016–17 के दौरान दो बैठकों का दिनांक 16 सितम्बर, 2016 एवं 30 मार्च, 2017 को आयोजन किया गया था।

check points are also advised to the internal auditors from time to time on need basis. The internal audit of the corporation is conducted by the internal audit team of the corporation as well as outside independent Chartered Accountants. As per the decision of the Audit Committee, the head office and regional offices of the corporation are audited by the internal audit wing and outside Chartered Accountants alternatively every year. The internal control and audit systems are being reviewed periodically by the Audit Committee and corrective measures are taken, wherever necessary, for continuous improvement.

7. DISCUSSION ON FINANCIAL PERFORMANCE WITH RESPECT TO OPERATIONAL PERFORMANCE:

The turnover of the corporation has gone up by 24% over the previous year from Rs. 2406.04 crore in the FY 2015-16 to Rs. 2993.52 crore in the FY 2016-17.

The profit before tax has gone up by 26% from Rs. 36.97 crore in the FY 2015-16 to Rs. 46.54 crore in the FY 2016-17 and the net profit after tax has gone up by 20% from Rs. 24.08 crore in the FY 2015-2016 to Rs. 28.88 crore in the FY 2016-17. The net worth of the corporation has gone up from Rs. 82.31 crore as on 31st March, 2016 to Rs. 101.03 crore as on 31st March, 2017. The Net Profit after Tax is 28.59% of the Net Worth as on 31st March, 2017.

The capital structure of the corporation remained unchanged with the paid up capital of Rs.19 crore divided into 19 Lakh equity share of Rs.100/- each in the FY 2016-17. The corporation has recommended a dividend of Rs. 8.70 crore being 30.12% of post tax profits and 45.78% of equity capital.

The performance of the Corporation has been rated as **'Very Good'** by the Department of Public Enterprise (DPE) for the year 2015-16. The performance of the corporation qualifies **'Very Good'** rating based on the Memorandum of Understanding (MOU) measurement criteria, for the year 2016-17.

It is a matter of great satisfaction that the corporation is a debt free corporation and is able to manage its entire working capital requirement from its internal resources.

8. DEVELOPMENT IN HUMAN RESOURCE INCLUDING NUMBER OF PERSONS EMPLOYED:

Employees' efficiency has been the key focus of the corporation. Various training programmes in technical, managerial and IT areas are organized for upgrading the skills of the employees of the corporation.

Total no. of employees of the corporation as on 31st March, 2017 is 208 (Previous year – 215 nos.). Employees' relation during the year remained harmonious and cordial.

9. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR):

Corporation has revised its CSR Policy in accordance with the provisions of Section 135 of the Companies Act 2013 and revised DPE guidelines. The revised policy named 'NHDC CSR & Sustainability Policy 2014' has been uploaded on corporation's website, after its approval by the Board of Directors in its meeting held on 24th Nov., 2014.

Corporation has constituted the CSR Committee, which met 2 times during the year 2016-17 (16th Sept., 2016 and 30th March, 2017).

निगम ने वर्ष 2016–17 के दौरान, अपनी सीएसआर गतिविधियों को जारी रखते हुए स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालयों का निर्माण किया, पेयजल शोधक आरओ सिस्टम लगवाए और मेघालय, असम और मणिपुर राज्यों में बीपीएल हथकरघा बुनकरों को बैटरी लिंक्ड इनवर्टर एवं लाइटिंग यूनिट (बीएलआईएलयू) वितरित किए। निगम ने इस प्रयोजन के लिए वर्ष के दौरान 100.22 लाख रुपए (गत वर्ष – 73.96 लाख रुपए) खर्च किए हैं, अर्थात कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 की आवश्यकता के अनुसार पिछले 3 वर्षों के लिए 2% के मुकाबले इस वर्ष औसत शुद्ध लाभ का 2.45% (गत वर्ष – 3.30%) है।

सीएसआर गतिविधि के तहत 501 बीपीएल बुनकरों को बैटरी लिंक्ड इनवर्टर एवं लाइटिंग सिस्टम यूनिट (बीएलआईएलयू) वितरित किए गए, स्कूलों में 7 शौचालयों का निर्माण किया गया और 5 पेयजल शोधक आरओ सिस्टम लगाए गए।

10. सजग विवरण:

प्रबन्धन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में वक्तव्य, जोकि निगम के उद्देश्यों, अनुमानों और उम्मीदों का उल्लेख करता है, लागू कानूनों और विनियमों के अर्थ में 'दूरंन्देशी वक्तव्य' हो सकता है। तथापि, वास्तविक परिणाम अभिव्यक्त अथवा निहित अर्थों से मूल रूप में या काफी हद तक भिन्न हो सकता है। वे महत्वपूर्ण घटनाएँ जोकि निगम के संचालनों को प्रभावित कर सकती हैं, में भारत में राजनीतिक और आर्थिक वातावरण में वे महत्वपूर्ण बदलाव हैं जिनमें देश में हथकरघा कार्यकलाप और मुकदमे शामिल हैं।

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

ह./–

दिनांकः 25 सितम्बर, 2017 **(शान्तमनु)**

स्थानः नई दिल्ली **अध्यक्ष**

The corporation continued the CSR activity during the year 2016-17 and constructed toilets for girls in schools, installation of drinking water purifier RO system and Battery Linked Inverter and Lighting Units (BLILUs) distributed to BPL handloom weavers in Meghalaya, Assam & Manipur. Corporation has spent an amount of Rs.100.22 Lakh (Previous year – Rs. 73.96 Lakh) for this purpose during the year, which comes to 2.45% (Previous year – 3.30%) of the average Net Profit (as per section 198 of Companies Act 2013) for the last 3 years as against the requirement of 2%.

The number of beneficiaries covered under the CSR activity involving distribution of Battery Linked Inverters and Lighting Units (BLILU) to the BPL weavers is 501, no. of schools in which toilets constructed is 7 and installation of drinking water purifier RO system is 5.

10. CAUTIONARY STATEMENT:

Statements in the Management Discussion and Analysis Report describing the corporation's objectives, projections and expectations may be 'forward looking statements' within the meaning of applicable laws and regulations. The actual results may, however, differ substantially or materially from those expressed or implied. Important developments that could affect the corporation's operations include significant changes in the political and economic environment in India that involves litigations and handloom activity in the country.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
(Shantmanu)
Chairman

Dated: 25th September, 2017
Place: New Delhi.

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2016-17 के लिए सचिवालीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर निदेशक मण्डल के उत्तर

क्र. सं.	सचिवालीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ	निदेशक मण्डल का उत्तर
1.	स्वतन्त्र निदेशकों की नियुक्ति	भारत सरकार द्वारा आदेश संख्या 11/26/82–डीसीएच/रा.ह.वि.नि./(अंक IV) दिनांक 1 फरवरी 2017 जारी कर तीन वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेश तक श्रीमती शिखा रॉय पब्बी को स्वतन्त्र निदेशक के रूप में नियुक्ति किया गया है।
2.	महिला निदेशक की नियुक्ति	भारत सरकार द्वारा आदेश संख्या 11/26/82–डीसीएच/रा.ह.वि.नि./(अंक IV) दिनांक 1 फरवरी 2017 जारी कर तीन वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेश तक श्रीमती शिखा रॉय पब्बी को स्वतन्त्र महिला निदेशक के रूप में नियुक्ति किया गया है।
3.	स्वतन्त्र निदेशकों वाली लेखा परीक्षा समिति का गठन	निगम द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2017 को आयोजित अपनी बोर्ड की बैठक में लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया है और उसमें श्रीमती शिखा रॉय पब्बी, स्वतन्त्र निदेशक को शामिल कर लिया गया है।
4.	नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति का गठन	एक सरकारी कम्पनी होने के नाते निगम को वरिष्ठ प्रबन्धन तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को छोड़कर उसके बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की उपधारा (2), (3) एवं (4) के प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त निगम में कर्मचारियों की संख्या भी बहुत कम अर्थात 208 है। तदनुसार, निगम को नामिकायन तथा पारिश्रमिक समिति का गठन करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई है तथा वरिष्ठ प्रबन्धन एवं अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से सम्बन्धित मामला, यदि कोई हो, तो उसे सीधे निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
5.	जोखिम प्रबन्धन समिति	निगम ने कोई औपचारिक जोखिम प्रबन्धन नीति नहीं अपनाई है तथापि, उसने जोखिम प्रबन्धन के लिए सभी आवश्यक उपाय पूरे कर लिए हैं।
6.	नए प्रपत्रों को दायर करने में विलम्ब	दो प्रपत्र डीआईआर–12 एवं एमजीटी–14 अनजाने में छूट गए थे जिन्हें कम्पनी पंजीयक के पास प्रस्तुत कर दिया गया है।

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

ह./–
(शान्तमनु)
अध्यक्ष

दिनांक : 25 सितम्बर, 2017
स्थान : नई दिल्ली

ANNEXURE TO THE DIRECTOR'S REPORT

REPLY OF THE BOARD OF DIRECTORS' ON THE OBSERVATIONS OF THE SECRETARIAL AUDITORS FOR THE FY 2016-17

S. No.	Observations of Secretarial Auditors	Reply of the Board of Directors
1.	Appointment of Independent Directors	Government of India has appointed Smt. Shikha Roy Pabbi as an Independent Director vide Order no. 11/26/82-DCH/NHDC/ (VOL. IV) w.e.f 1st February, 2017 for a period of three years or till further order.
2.	Appointment of a Woman Director.	Government of India has appointed Smt. Shikha Roy Pabbi as an Independent Woman Director vide Order no. 11/26/82-DCH/ NHDC/ (VOL. IV) w.e.f 1st February 2017 for a period of three years or till further order.
3.	Constitution of Audit Committee consisting of Independent Director	The Board in its meeting held on 30th March 2017 has reconstituted the Audit Committee and included Smt. Shikha Roy Pabbi, Independent Director.
4.	Constitution of Nomination & Remuneration Committee	Company being a government company is exempted from the provisions of section (2) (3) & (4) of Section 178 of the Companies Act, 2013 with regard to appointment and remuneration of Directors on its Board except the appointment of senior management and other employees. Further, the number of employees in the Corporation is also small (208), accordingly, no need has been felt by the Corporation to have a Remuneration Committee and the matter relating to remuneration of senior management and other employees, if any, are placed directly to the Board of Directors.
5.	Risk Management Policy	The Company has not adopted any formal Risk Management policy. However the Company has adopted all necessary measures for the management of the risk.
6.	Delay in filing few forms	DIR-12 & MGT-14 Forms were skipped inadvertently, the same have been filed with Ministry of Corporate Affairs.

FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

Sd/-
(SHANTMANU)
Chairman

Dated: 25th September, 2017
Place: New Delhi

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2016-17 के लिए लेखाओं पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर निदेशक मण्डल के उत्तर

क्र. सं.	सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ	निदेशक मण्डल का उत्तर
1	निधियों की आवश्यकता का समुचित विवेचन किए बिना एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में धन का लगातार स्थानान्तरण किया गया है। इस तरह के बैंक खाता प्रबन्धन से बैंक की स्वीप या फ्लेक्सी सावधि जमा सुविधा को अपनाना सम्भव नहीं हो पाया है। इस प्रकार, धन के अवांछित स्थानान्तरण ने निगम को ब्याज की तुलनात्मक रूप से उच्च दर से वंचित किया है, जो कि निगम के खातों में अन्यथा अर्जित होती। इसके अलावा, सावधि जमा कम अवधि के लिए की गई हैं, जबकि ब्याज की बेहतर दर हासिल करने के लिए इसे कुछ हद तक लम्बे समय के लिए किया जा सकता था।	चालू वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान नैगमिक कार्यालय के लखनऊ से ग्रेटर नोएडा स्थानान्तरण के कारण एक बैंक से दूसरे बैंक में धन का स्थानान्तरण हुआ था। इस प्रक्रिया में लखनऊ में परिपक्व होने वाले सावधि जमा को आगे ग्रेटर नोएडा स्थित पीएनबी/यूनियन बैंक को हस्तान्तरित किया गया था ताकि धन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके और अनुवृत्ति/ अनुदान आदि का भुगतान किया जा सके। वस्त्र मन्त्रालय से प्राप्त निधि को आगे वाईएसएस योजना के अनुसार उपयोगकर्ता एजेंसियों को आगे प्रेषण के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के बैंक खातों में स्थानान्तरित किया गया है।
2	निगम ने पिछले तीन वर्षों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों में की गई कई महत्वपूर्ण टिप्पणियों पर कार्यवाही शुरू की है। उन टिप्पणियों पर निर्णायक चरण पर पहुँचने के लिए कदम उठाना लेखांकन प्रणाली, वित्तीय नीति और निगम की वित्तीय स्वास्थ्य के बेहतर हित में होगा। इस सम्बन्ध में उसी को दोहराना अनावश्यक होगा।	सुधार एक सतत् प्रक्रिया है और प्रबन्धन समय–समय पर बहुमूल्य सुझाव देने के लिए लेखा परीक्षकों का आभारी है। हालाँकि, वांछित रूप में सुधार प्रक्रिया जारी रहेगी।
3	वित्तीय अनियमितता से बचने के लिए वित्तीय नियमों का सख्त पालन अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, भुगतान करते समय, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सक्षम प्राधिकारी, जिसे वित्तीय शक्तियाँ सौंपी गयी हैं, ने व्यय को उचित रूप से स्वीकृत किया है, खरीद प्रक्रिया का पालन किया गया है और लेखा और अभिलेख को ठीक से रखा जा रहा है। भुगतान के लिए बिलों पर स्टॉक रजिस्टर में दर्ज की प्रविष्टियाँ अंकित होनी चाहिए। सक्षम प्राधिकारी को अपने हस्ताक्षर के तहत बिलों पर ''रु. ..... के भुगतान के लिए पारित किया गया'' आदेश भी जारी करना चाहिए। चैक जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर के तहत ''भुगतान किया गया'' मुद्रित करके बिलों को रद्द किया जाना चाहिए। इन प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए, उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।	आख्या पत्र/पत्रावली पर सक्षम प्राधिकारी की उचित स्वीकृति के बाद ही भुगतान पर कार्रवाई की जाती है। लिपिक/जूनियर अधिकारी स्तर पर वाउचर तैयार किये जाते हैं और वाउचर बनाने आदि का कार्य उस स्तर पर होता है। इस मुद्दे पर वाउचर तैयार करने वाले जूनियर स्तर के अधिकारियों को अधिक सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं।

ANNEXURE TO THE DIRECTORS' REPORT

REPLY OF THE BOARD OF DIRECTORS' ON THE COMMENTS OF THE STATUTORY AUDITORS ON THE ACCOUNTS FOR THE FY 2016-17

Sr. No.	Comments of Statutory Auditors	Reply of Board of Directors
1	Frequent transfers of funds have been made from one bank account to the another without proper deliberation for requirement of funds. This kind of bank account management could not make it possible to adopt sweep or flexi fixed deposit facility of the Bank. Thus, unwanted transfers of funds have deprived the Corporation of the comparatively higher rate of interest, which would have otherwise been accrued in the accounts of the Corporation. Further, fixed deposits have been made for shorter periods though the same could have been reasonably made for longer periods to earn better rate of interest.	Transfer of funds from one bank to other happened due to transfer of Corporate Office from Lucknow to Greater Noida during the current financial year 2016-17. In this process FDR getting matured at Lucknow were further transfer to Greater Noida PNB/ Union Bank to have better utilization of funds and payment of subsidy/ grant etc. Funds received from Ministry of Textile are further transferred to Bank Account of Regional Offices for further remittance to User Agencies on account of YSS Scheme.
2	The Corporation has initiated action on many of the vital observations made in the audit reports of the previous three years. It would be in the greater interest of the betterment of the accounting system, financial policy and fiscal health of the Corporation to take steps to reach at the conclusive stage on those observations. It would be unnecessary to reiterate the same in this respect.	Improvement is a continuous process and Management is thankful to Auditors for giving valuable suggestions from time to time. However the improvement process shall continue, as desired.
3	Strict compliance of financial rules is mandatory to avoid financial irregularities. For example, while making payments, it should be ensured that the competent authority, whom the financial powers have been delegated, has duly sanctioned the expenditure, the procurement procedure have been followed and accounting and record keeping properly has being done. The bills for payment must have inscribed upon them entries made in the stock register. The competent authority should also pass orders on the bills under his signature inscribing "passed for payment Rs….....".Bills should be cancelled by stamping "Paid and Cancelled" under initial of the cheque issuing authority. The compliance of these procedures is not being adhered to. Therefore, suitable action needs to be taken.	Payment are being processed after due approval of the Competent Authority on Note Sheet/ File. Respective vouchers are processed at the Clerical/ Junior Officer Level and Vouching etc. is worked at that level. Instructions have been issued to Junior Level Officers (preparing vouchers) to be more vigilant on the issue.

क्र. सं.	सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ	निदेशक मण्डल का उत्तर
4	भारत सरकार के वस्त्र मन्त्रालय ने आदेश संख्या 6/1/2012–डीसीएच/पीएण्डएस दिनांक 17 जनवरी 2014 जारी कर 12वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान भारत सरकार की ओर से यार्न आपूर्ति योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों का विवरण दिया है। इस योजना के तहत, रा.ह.वि.नि. ने परिवहन/डिपो शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए अनुवृत्ति और एजेंसियों को सूत आपूर्ति पर 10% अनुवृत्ति का दावा किया है। लेखा परीक्षा टीम ने दिशानिर्देशों के सन्दर्भ में रा.ह.वि.नि. (निगम) के अनुवृत्ति दावों की जाँच की है, जिनके पैरा 10.6.1 (vi) में यह प्रावधान है कि ''उपयोगकर्ता एजेंसियों को हैंक यार्न पर अग्रिम रूप से 10% मूल्य अनुवृत्ति घटक प्रदान करने के लिए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में केन्द्र सरकार द्वारा रा.ह.वि.नि. को बी.ई. के कॉरपस फण्ड का 40% उपलब्ध कराया जाएगा। रा.ह.वि.नि. को मिले हुए कॉरपस फण्ड का 70% उपयोग करने पर और **लेखा परीक्षित व्यय विवरण** प्रस्तुत करने पर प्रतिपूर्ति की जाएगी। हालाँकि, सम्बन्धित अभिलेखों के अवलोकन पर हमने पाया है कि रा.ह.वि.नि. द्वारा तैयार किए गए कागजात और रा.ह.वि.नि. के लैटर हैड (चार्टेड एकाउन्टेन्टस के लैटर हैड पर नहीं) पर चार्टेड एकाउन्टेन्टस के हस्ताक्षर और सील प्राप्त करने के आधार पर प्रतिपूर्ति का दावा किया है। ऑडिट किए गए व्यय वक्तव्य के लिए ऑडिट रिपोर्ट के बिना जब जरूरी है लेखापरीक्षित व्यय विवरण पर अपनी रिपोर्ट संलग्न किए बिना, चार्टेड एकाउन्टेन्टस के इस तरह के (निक्षेपित) मुहर और हस्ताक्षर भारत सरकार द्वारा पैरा 10.6.1 (vi) में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।	लेखा परीक्षित व्यय वक्तव्य के साथ दावों को भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या 6/1/2012–डीसीएच/पीएण्डएस दिनांक 17 जनवरी 2014 के अनुसार वस्त्र मन्त्रालय को प्रस्तुत किया जाता है। वस्त्र मन्त्रालय द्वारा प्रदान किए गए प्रारूप के अनुसार ऑडिट किए गए वक्तव्य को सीईओ और स्वतन्त्र लेखा परीक्षकों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है। लेखा का कोई भी विवरण चार्टेड एकाउन्टेन्टस द्वारा केवल प्रबन्धन के प्रमाणन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है। इसलिए, उपर्युक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र चार्टेड एकाउन्टेन्टस के लैटर हैड पर जमा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यह जीएफआर दिशानिर्देशों के अनुपालन में है। इसलिए, लेखा परीक्षकों की व्याख्या तर्कसंगत नहीं है।
5	वित्तीय वर्ष 2016–17 के वित्तीय विवरणों के कॉरपस फण्ड (कॉरपस विकास) के लिए नोट संख्या 8 की जाँच करने पर यह पाया गया है कि कॉरपस फण्ड को कार्यशील पूँजी के लिए समूहों की अपनी माँगों को पूरा करने के लिए वितरित किया गया है। निधि के इन संवितरणों को पुनरुत्थान के लिए अन्य आवश्यक समूहों के पक्ष में वसूली और पुनः वितरण करके पुनः उपयोग किया जाता है। इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्रवाई अपेक्षित है। आन्तरिक लेखा परीक्षकों ने यह भी बताया है कि कॉरपस फण्ड की कार्यशील पूँजी में कोई बदलाव नहीं है। इसके अलावा, सम्बन्धित कार्यालयों पर कॉरपस फण्ड की शेष राशि की पुष्टि उपलब्ध नहीं है।	कॉरपस फण्ड को वस्त्र मन्त्रालय द्वारा विशेष क्लस्टर विकसित करने के लिए विशेष ध्यान देने के साथ मंजूरी दी जाती है और तदनुसार क्लस्टरों के अनुसार फण्ड भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। फण्ड को एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर में नहीं ले जाया जाता है। उधार बेचने के लिए, नए ग्राहकों के विकास और उनकी कार्यशील पूँजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्लस्टरों के अनुसार फण्ड रा.ह.वि.नि. में प्राप्त होते हैं।

Sr. No.	Comments of Statutory Auditors	Reply of Board of Directors
4	The Government of India order No.6/1/2012- DCH/ P&S of Dated 17/01/2014 issued from the Ministry of Textiles, Government of India lays down detailed Guidelines of Yarn Supply Scheme for implementation during the remaining period of 12th five year plan. Under this scheme, NHDC has claimed subsidy for reimbursement of transportation/depot charges and 10% subsidy on yarn supply to the agencies.The audit team examined the subsidy claims of the NHDC (Corporation) with reference to Guidelines which in its Para 10.6.1(vi) provides that "In order to provide 10% price subsidy component on Hank Yarn upfront to the user agencies, NHDC will be provided corpus fund to the tune of 40% of B.E. of the scheme by the Central Government at the beginning of each financial year. The Corpus Fund given to NHDC will be recouped on utilization of 70% of fund and on submission of **audited expenditure statement**". However, on perusal of the related records, we have found that NHDC has claimed reimbursement based on papers created by the NHDC & by obtaining signature & seal of any of the Chartered Accountants on the letter of the NHDC(Not on Chartered Accountants letter head) as and when required without audit reports for audited expenditure statement. Such (undated) seal and signature of the Chartered Accountant without enclosing his report on audited expenditure statement is in violation of the provisions laid down by the GOI in the Guidelines' para 10.6.1(vi).	Claims along with Audited Expenditure Statement are submitted to Ministry of Textile as per The Government of India order no. 6/1/2012- DCH/P&S of dated 17 January 2014. The Audited Statement as per the format provided by Ministry of Textile is to be signed by CEO and Independent Auditors. Any such Statement of Accounting is certified by Chartered Accountant only based on the Certification of the Management. Hence, the above said Utilization Certificate can't be submitted on the letter head of Chartered Accountant. Moreover, this is complaint with GFR guidelines. Hence, the interpretation of the Auditors is not tenable.
5	While scrutinizing note no. 8 for Corpus fund (Corpus development) of the financial statements for Financial Year 2016-17, it is observed that Corpus fund have been disbursed to meet out their demands of clusters for working capital. These disbursements of the funds are to be recycled by making recovery and re-disbursing the same in favour of other needy clusters. Effective action in this regard is wanting. The Internal Auditor has also pointed out that there is no movement in the working capital of the Corpus fund. In addition to this balance confirmation for Corpus fund is not available at the respective offices.	Corpus fund is sanctioned by Ministry of Textile with special focus to develop certain Clusters and accordingly Cluster-wise funds are released by The Government of India. Funds are not diverted from one Cluster to another. Cluster-wise funds are received in NHDC for making credit sales, developing new customers and meeting their Working Capital requirements.

क्र. सं.	सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ	निदेशक मण्डल का उत्तर
6	जून 2017 तक, यार्न की बिक्री और खरीद पर बिक्री कर या वैट (कुछ को छोड़कर) नहीं लगते थे, इसलिए, जहाँ तक करों के सम्बन्ध में अभिलेख रखने का सवाल है, यार्न की बिक्री और खरीद की प्रक्रिया सरल और अप्रतिबन्धित थी। अब, दिनांक 1 जुलाई, 2017 से गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स (जीएसटी) प्रभावी होने के बाद यार्न की खरीद और बिक्री पर भी 5% की दर से जीएसटी लगती है। इसलिए, यार्न की बिक्री और खरीद में जवाबदेही और पारदर्शिता लागू की जानी चाहिए और व्यवस्थित अभिलेख रखने चाहिए। इसलिए, यदि इस मुद्दे को ठीक से नहीं लिया गया तो जीएसटी के साथ यार्न की खरीद और बिक्री में लेखांकन के एक नए प्रशासन से यार्न की खपत पर असर पड़ सकता है।	जीएसटी को दिनांक 1 जुलाई, 2017 से लागू किया गया है और यह वित्तीय वर्ष 2016–17 के सम्बन्ध में प्रासंगिक नहीं है हालाँकि, आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 में जीएसटी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लेखांकन के लिए संगठन में ईआरपी लागू किया गया है।

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

ह./–
(शान्तमनु)
अध्यक्ष

दिनांक : 25 सितम्बर, 2017
स्थान : नई दिल्ली

Sr. No.	Comments of Statutory Auditors	Reply of Board of Directors
6	Till June, 2017, sales and purchase of the Yarn did not attract sales tax or VAT(except few .O.s), therefore, the sale and purchase of the Yarn was simple and unrestricted as far as the record keeping in regard to taxes is concerned. Now, with the introduction of Goods and Service Tax (GST) with effect from 01st July, 2017; purchase and sale of Yarn has also come under the umbrella of GST with tax rate of 5%. Therefore, accountability and transparency in sale and purchase of Yarn has to be applied and systematic record keeping has to be maintained. Therefore, with introduction of GST, a new regime of accounting in purchase and sale of Yarn is bound to impact the quantum of consumption of yarn, if the issue is not properly handled.	GST has been implemented w.e.f. 01 July 2017 and is not relevant in respect of the reporting financial year 2016-17. However, in order to have accounting to meet the requirement of GST in the upcoming financial year 2017-18, ERP has been implemented in the Organization.

FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

Sd/-
(SHANTMANU)
Chairman

Dated: 25th September, 2017
Place: New Delhi

ए. श्रीवास्तव एंड कंपनी

चार्टेड एकाउन्टेन्टस

निष्पक्ष लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के सदस्यों के लिए

(I) स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट :

हमने राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (निगम) के स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2017 तक का तुलन पत्र, लाभ एवं हानि सम्बन्धी विवरण, रोकड़ प्रवाह सम्बन्धी विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सार तथा तत्कालीन समाप्ति वर्ष की अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं। उपरोक्त वित्तीय विवरणों में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड – कन्नूर, कोलकाता, वाराणसी, पानीपत, हैदराबाद, कोयम्बटूर, गुहाटी, भुवनेश्वर एवं विजयवाड़ा के निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित उस तारीख को समाप्त वर्ष की विवरणी अन्तर्विष्ट है। क्षेत्रीय कार्यालयों और सम्बन्धित सांविधिक लेखा परीक्षकों का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :–

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	शाखा के सांविधिक लेखा परीक्षकों का नाम एवं उनका पता
1	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, कन्नूर, केरल	मैसर्स जेकब एण्ड जॉर्ज, चार्टेड एकाउन्टेन्टस, बी.बी. परिसर, साउथ बाजार, कन्नूर–670002, केरल
2	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	मिश्रा एण्ड मिश्रा, चार्टेड एकाउन्टेन्टस, 1/1 सी, गोआ बागान गली, पहला तल, कोलकाता–700006, पश्चिम बंगाल
3	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	मैसर्स कृष्णा अनुराग एण्ड कम्पनी, चार्टेड एकाउन्टेन्टस, सी–27/273–सी–14, पहला तल, भारतीय प्रैस कॉलोनी, मलदहिया, वाराणसी–221002, उत्तर प्रदेश
4	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, पानीपत, हरियाणा	मैसर्स विनोद ग्रोवर एण्ड एसोसिएट्स, चार्टेड एकाउन्टेन्टस, 26–27, पहला तल, शकुन्तला परिसर, पालिका बाजार, जी. टी. रोड, पानीपत–132103, हरियाणा
5	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना	मैसर्स डी.के. राव एण्ड एसोसिएट्स, चार्टेड एकाउन्टेन्टस, मकान संख्या 6–1–85/4, सैफाबाद लेन, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, हैदराबाद–500004, तेलंगाना
6	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	मैसर्स एन.एम. एण्ड कम्पनी, चार्टेड एकाउन्टेन्टस, 200/4, पहला तल, प्रीमियर अपार्टमेंट्स, एन.एस.आर. रोड, साई बाबा कॉलोनी, कोयम्बटूर–641011, तमिलनाडु
7	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, गुवाहाटी, असम	मैसर्स एस. बोस एण्ड कम्पनी, चार्टेड एकाउन्टेन्टस, नं. 4/अ, अविनाश निवास, जी.एस. रोड, उलूबारी, गुवाहाटी–781007, असम
8	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर, उडीसा	मैसर्स पी.पी.बी. एण्ड कम्पनी, चार्टेड एकाउन्टेन्टस, प्लाट संख्या 97, पहला तल, पानी की टंकी के पास, साहिद नगर, भुवनेश्वर–751007, उडीसा
9	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, विजयवाडा, आन्ध्र प्रदेश	मैसर्स गद्दम सत्यनारायण एण्ड कम्पनी, चार्टेड एकाउन्टेन्टस, 23–38–1 एवं 1अ, सिवरमन स्ट्रीट, सत्यनारायणपुरम, विजयवाडा–520011, आन्ध्र प्रदेश

A.SRIVASTAVA & CO.
(Chartered Accountants)

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

TO THE MEMBERS, NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (NHDC)

(I) Report on the Standalone Financial Statements

We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of **NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED** ("the Corporation"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2017, the Statement of Profit and Loss, the Cash Flow Statement, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information for the year then ended. The aforesaid financial statements incorporate the returns for the year ended on that date audited by the auditors of the Corporation's Regional Offices at National Handloom Development Corporation Limited- Kannur, Kolkata, Varanasi, Panipat, Hyderabad, Coimbatore, Guwahati, Bhubaneswar and Vijayawada. The detail of Regional Offices and the respective Statutory Auditors is being indicated as under-

Sl. No.	Name of the Regional Office	Name & Address of the Branch Statutory Auditors
1	National Handloom Development Corporation Limited, Kannur, Kerala	M/s. Jacob & George, Chartered Accountants, B.B. Complex, South Bazar, Kannur, Kerala- 670002
2	National Handloom Development Corporation Limited, Kolkata, West Bengal	Mishra & Mishra, Chartered Accountants, 1/1C Goa Bagan Street 1st Floor, Kolkata-700006
3	National Handloom Development Corporation Limited, Varanasi, Uttar Pradesh	M/s. Krishna Anurag & Co. Chartered Accountants, C-27/273-C-14, 1st Floor, Indian Press Colony, Maldahiya, Varanasi-221002
4	National Handloom Development Corporation Limited, Panipat, Haryana	M/s Vinod Grover & Associates, Chartered Accountants,26-27, 1st Floor, Shakuntla, Complex, Palika Bazar, G.T. Road, Paipat, Haryana.
5	National Handloom Development Corporation Limited, Hyderabad, Andhra Pradesh	M/s. D.K. RAO & Associates, Chartered Accountants, H. No. 6-1-85/4,Saifabad Lane, Opp. Telephone Bhawan, Hyderabad-500004
6	National Handloom Development Corporation Limited, Coimbatore, Tamilnadu	M/s. N.M. & Co., Chartered Accountants 200/4 First Floor, Premier Apartments, NSR Road, Sai Baba Colony, Coimbatore-641011
7	National Handloom Development Corporation Limited, Guwahati, Assam	M/s S. Bose & Co. , Chartered Accountants, No.4/a, Avinash Niwas, GS Road, Ulubari, Guwahati-781007
8	National Handloom Development Corporation Limited, Bhubaneswar, Odisa	M/s. PPB & Co., Chartered Accountants, Plot No.97, 1st Floor, Near Water Tank, Sahid Nagar, Bhubaneswar, Odisa-751007
9	National Handloom Development Corporation Limited, Vijaywada,	M/s Gaddam Satyanarayana & Co., Chartered Accountants, 23-38-1 & 1 A, Sivaraman Street, Satyanarayanapuram, Vijayawada-520011

(II) स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबन्धन की जिम्मेदारी:

कम्पनी का निदेशक मण्डल इन स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है जो कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों सहित भारत में समान्यतया स्वीकृत लेखाकरण नीतियों के अनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन तथा रोकड़ अन्तःप्रवाह का एक सही और निष्पक्ष अवलोकन प्रस्तुत करता है। इस जिम्मेदारी को कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करने, धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने, उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चयन तथा उनका अनुप्रयोग करने; युक्तियुक्त व विवेकपूर्ण निर्णय एवं प्राक्कलन करने; तथा पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की अभिकल्पना, कार्यान्वयन व उनका रखरखाव करने जो लेखाकरण अभिलेख की यथार्थता व सम्पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यशील थे, वित्तीय विवरण जो एक सही और निष्पक्ष अवलोकन प्रस्तुत करते हैं तथा जिनमें किसी प्रकार का अयथार्थ विवरण, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण, नहीं होता है, के लिए अधिनियम को तैयार किए जाने के अनुरूप पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों का रखरखाव शामिल है।

(III) लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी:

हमारी जिम्मेदारी इन स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर अपने स्वतन्त्र विचार व्यक्त करना है। लेखा परीक्षा करते समय हमने अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के तहत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले लेखाकरण एवं लेखा परीक्षा मानकों व मामलों को ध्यान में रखा है।

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के लिए यह अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और वित्तीय विवरणों की यथार्थता के बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना तैयार करें एवं लेखा परीक्षा करें।

लेखा परीक्षा में धनराशि के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने तथा वित्तीय विवरणों के प्रकटन के लिए कार्य निष्पादन की क्रियाविधियाँ भी शामिल होती हैं। चयनित क्रियाविधियाँ धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की विषय वस्तु सम्बन्धी अयथार्थता के जोखिमों का मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षा के निर्णय पर आधारित होती हैं। इन जोखिमों का निर्धारण करते समय लेखा परीक्षक कम्पनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करने के क्रम में संगत आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण पर विचार करता है जो परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त लेखा परीक्षा की क्रियाविधियों की अभिकल्पना करने के उद्देश्य से सही और निष्पक्ष अवलोकन प्रस्तुत करता है। लेखा परीक्षा में वित्तीय प्रशासन एवं प्रयोग की गई लेखाकरण नीतियों की यथार्थता का मूल्यांकन तथा कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा तैयार किए गए लेखाकरण आकलन की उपुयक्तता एवं साथ ही वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट के सम्बन्ध में प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा का आधार प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

(IV) मत:

हमारे विचार में तथा हमारी सूचना के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार पूर्वोक्त स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना को यथाअपेक्षित रूप में मुहैया कराते हैं और 31 मार्च, 2017 तक की स्थिति के अनुसार निगम के कार्यकलापों के सम्बन्ध में भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप सही और निष्पक्ष अवलोकन प्रस्तुत करते हैं तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए निगम के लाभ एवं उसके रोकड़ अन्तःप्रवाह को दर्शाते हैं।

(II) Management's Responsibility for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that reflect a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the preparation of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies. The Board of Directors are also responsible for making judgments and estimates that are prudent and reasonable; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial control, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting record, relevant to preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

(III) Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express independent opinion on these Standalone Financial Statements based on our audit. While conducting the audit, we have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there-under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. These Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit also involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to error or fraud. In making these risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the financial management and appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Board of Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence obtained by us and the audit evidence obtained by other auditors in terms of their reports is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Standalone financial statements.

(IV) Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations furnished to us, the aforesaid Standalone Financial Statement give the true information required under the Act, in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India in regard to the state of affairs of the Corporation as at 31st March 2017, and its profit and its cash flows for the year ended on that date.

(V) मामलों पर जोरः

लेखा परीक्षा के दौरान, यह देखा गया है कि दिनांक 8 नवम्बर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2016 की अवधि के दौरान, अर्थात 500 रुपए और 1000 रुपए के बैंक नोट्स (एसबीएन) के विनिर्दिष्टीकरण के बाद, हथकरघा बुनकरों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय के बैंक खातों में कुल 36,15,573 रुपए की राशि सीधे जमा की गई है। एसबीएन के रूप में बैंकों में बुनकरों द्वारा जमा की गई राशि के सम्बन्ध में सूचना लेखा परीक्षा में नहीं दी जा सकी क्योंकि यह सूचना क्षेत्रीय कार्यालयों से मुख्यालय में अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। एसबीएन की विनिर्दिष्टीकरण अवधि के दौरान जमा करने पर नियन्त्रण करने हेतु निगम द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों को कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किये गये है। विनिर्दिष्ट बैंक नोट्स (एसबीएन) की रिपोर्टिंग आवश्यकता एमसीए द्वारा अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 307 (ई) और अधिसूचना संख्या जी. एस.आर. 308 (ङ) दिनांक 30 मार्च, 2017 में की गई है। नतीजतन, हम रिपोर्ट करने के लिए पर्याप्त और उचित लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त करने में असमर्थ हैं कि कम्पनी द्वारा बनाए गए खातों की पुस्तकों के अनुसार और प्रबन्धन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए खातों के अनुसार नोट संख्या 31 में किस हद तक खुलासा किया गया है।

इस मामले के सम्बन्ध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है।

(VI) अन्य मामलाः

हमने कम्पनी के स्टैण्डअलोन वित्तीय वक्तव्यों में शामिल 9 क्षेत्रीय कार्यालयों के वित्तीय वक्तव्यों/सूचनाओं का लेखा परीक्षण नहीं किया है, जिनके वित्तीय वक्तव्यों/वित्तीय सूचनाओं में 31 मार्च, 2017 तक 305.98 करोड़ की कुल सम्पत्ति को प्रतिबिम्बित किया गया है और स्टैण्डअलोन वित्तीय वक्तव्यों में विचार के रूप में, उस तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कुल राजस्व 3,299.90 करोड़ रुपए प्रतिबिम्बित किया गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/सूचनाएँ शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई हैं, जिनकी रिपोर्ट हमें दी गई है, और हमारी अब तक की राय है कि इन शाखाओं के सम्बन्ध में शामिल मात्रा और प्रकटीकारण केवल इस तरह के शाखाधिकारी की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

इस मामले के सम्बन्ध में हमारी राय योग्य नहीं है।

(VII) अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्टः

1) अधिनियम की धारा 143 (11) के अनुसार भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी तथा कम्पनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा यथापेक्षानुसार हम आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुलग्नक क के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

2) अधिनियम की धारा 143 (5) द्वारा यथापेक्षानुसार हम अनुलग्नक ख में भारत के नियन्त्रक एवं लेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों एवं उपनिर्देशों पर एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।

3) अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथापेक्षानुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :–

   क) हमने हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु यथावश्यकतानुसार हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुरूप सभी सूचनाएँ प्राप्त की हैं तथा उसके सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण दिया है।

   ख) हमारी राय में विधि द्वारा यथावश्यकतानुसार कम्पनी को बही खातों का सही प्रकार से रखरखाव करना चाहिए जैसा कि इन बहियों के सम्बन्ध में हमारी जाँच से यह तथ्य उभर कर सामने आया है। और हमारे द्वारा नहीं देखी गई शाखाओं से हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए उचित प्रत्युत्तर प्राप्त हुए हैं।

   ग) अधिनियम की धारा 143 (8) के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय के लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों की रिपोर्ट हमें भेज दी गई हैं और हमारी रिपोर्ट तैयार करते समय हमने उन रिपोर्टों का बारीकी से अवलोकन किया है।

(V) Emphasis of matters:

During the course of audit, it has been observed that a total amount of Rs. 36,15,573.00 has been deposited directly in the bank accounts of Regional Offices by the Handloom Weavers during period of 08 November 2016 to 30 December 2016 i.e. after demonetization of currency of Specified Bank Notes (SBN) of Rs. 500 and Rs. 1000. Information in regard to the amount deposited by the Weavers in the banks in the SBN could not be furnished to the audit as the same is yet to be obtained from Regional Offices by the Head Office. The Corporation has not issued any guidelines to the Regional Offices (R.O.) for controlling deposit of SBN during demonetization period. Reporting requirement of Specified Bank Notes (SBN) is made by MCA in Notification No. G.S.R. 307(E) and Notification No. G.S.R. 308(E) dated 30th March, 2017. Consequently, we are unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence to report whether the disclosures to the extent stated in the note no. 31, are in accordance with books of account maintained by the Company and as produced to us by the Management.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

(VI) Other matter:

We did not audit the financial statements/information of 9 Regional offices included in the standalone financial statements of the Company whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 305.98 crore as at 31st March, 2017 and total revenues of Rs. 3299.90 crore for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements/information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not qualified in respect of this matter.

(VII) Report on Other Legal and Regulatory Requirements.

1) As required by Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the order"), issued by Central Government Of India in terms of section 143(11) of the Act, we give in the Annexure-A, a statement on the matters specified in paragraph 3 and 4 of the order.

2) As required by section 143(5) of The Act, we give in Annexure-B, a statement on the directions and sub-direction issued by Comptroller and Auditor General of India.

3) As required by section 143(3) of The Act, we report that

   a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

   b) In our opinion , proper books of account as required by Law has been kept by the company so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the branches not visited by us.

   c) The reports on the accounts of the Regional Offices of the Corporation audited under Section 143 (8) of the Act by Regional Offices auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing our report.

घ) तुलन पत्र, लाभ एवं हानि सम्बन्धी विवरण एवं रोकड़ अन्तःप्रवाह सम्बन्धी विवरण, जिसका इस रिपोर्ट में हमने अवलोकन किया है, हमारे द्वारा दौरा नहीं किए गए क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त बही खातों तथा प्राप्त रिटर्न के अनुरूप है।

ङ) हमारी राय में पूर्वोक्त स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण कम्पनी (खाता) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत निर्धारित लेखाकरण मानकों के अनुरूप हैं।

च) नैगमिक कार्य मन्त्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ङ), दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा 164 (2) के तहत निदेशकों की अयोग्यता सम्बन्धी प्रावधान निगम पर लागू नहीं होते।

छ) निगम की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियन्त्रणों की कार्यशील प्रभाविकता के सम्बन्ध में अनुलग्नक ग में अलग से प्रस्तुत की गई हमारी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

ज) कम्पनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के सम्बन्ध में हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :–

i) निगम ने उसके वित्तीय विवरणों में उसकी वित्तीय स्थिति पर लम्बित वादों के प्रभाव का खुलासा किया है – देनदारों के लिए 16 (ii) में सन्दर्भ नोट, 18 (iii) पाद टिप्पणी, 18 (vii) में पाद टिप्पणी, वित्तीय विवरण के 32 (1) (क) में सन्दर्भ नोट।

ii) निगम के पास गौण संविदाओं सहित कोई दीर्घावधि संविदा नहीं हैं इसलिए, यह अप्रयोज्य है।

iii) यह पाया गया है कि अन्तरित धनराशि, जिसे निगम द्वारा निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि में हस्तान्तरित किया जाना था, में विलम्ब से सम्बन्धित खण्ड अप्रयोज्य है।

iv) दिनांक 8 नवम्बर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2016 की अवधि के दौरान, अर्थात 500 रुपए और 1000 रुपए के बैंक नोट्स (एसबीएन) के विनिर्दिष्टीकरण के बाद, हथकरघा बुनकरों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय के बैंक खातों में कुल 36,15,573 रुपए की राशि सीधे जमा की गई है। एसबीएन के रूप में बैंकों में बुनकरों द्वारा जमा की गई राशि के सम्बन्ध में सूचना लेखा परीक्षा में नहीं दी जा सकी क्योंकि यह सूचना क्षेत्रीय कार्यालयों से मुख्यालय में अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। हम रिपोर्ट करने के लिए पर्याप्त और उचित लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त करने में असमर्थ हैं कि कम्पनी द्वारा बनाए गए खातों की पुस्तकों के अनुसार और प्रबन्धन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए खातों के अनुसार नोट संख्या 31 में किस हद तक खुलासा किया गया है।

ए. श्रीवास्तव एंड कंपनी के लिए
चार्टेड एकाउन्टेन्टस
(एफ.आर.एन. 11001सी)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 08 सितम्बर, 2017

ह./–
सीए अशोक कुमार अग्रवाल
पार्टनर
(सदस्यता सं. 015091)

d) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account and with the returns received from the Regional Offices not visited by us.

e) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statement comply with the Accounting Standards specified under section 133 of the Act, read with Rule 7 of The Company (Accounts) Rules, 2014.

f) In terms of Notification No. G.S.R. 463(E) dated 05th June 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, the provisions of Section 164(2) of the Act regarding disqualification of directors, are not applicable to the Corporation.

g) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Corporation and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure C".

h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

   i) The Corporation has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements – Refer Note on account in 16(ii) for debtors, Refer Note on account in 18(iii) foot note, 18(vii) foot note, Refer Note on account in 32(1)(A) to the financial statements.

   ii) The Corporation does not have any long term contracts including derivative contracts, hence, not applicable.

   iii) It is found that clause relating to delay in transferring amount, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Corporation is not applicable.

   iv) Total amount of Rs.36,15,573.00 has been deposited directly in the bank accounts of Regional Offices by the Handloom Weavers during period of 08 November 2016 to 30 December 2016 i.e. after demonetization of currency of Specified Bank Notes (SBN) of Rs. 500 and Rs. 1000. Information in regard to the amount deposited by the Weavers in the banks in the SBN could not be furnished to the audit as the same is yet to be obtained from Regional Offices by the Head Office. We are unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence to report whether the disclosures to the extent stated in the note no. 31, are in accordance with books of account maintained by the Company and as produced to us by the Management.

For **A.SRIVASTVA & CO.**
Chartered Accountants
(F.R.N.511001C)

Place: New Delhi
Date: 08 September 2017

Sd/-
CA Ashok Kumar Agarwal
Partner
(Membership No. 015091)

अनुलग्नक क

वित्त वर्ष 2016-17 के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

क्र. सं.	विवरण	हमारा उत्तर
(i)	(क) क्या कम्पनी अचल परिसम्पत्तियों का मात्रात्मक ब्यौरा तथा उनकी स्थिति सहित सम्पूर्ण विवरणों को दर्शाने वाले समुचित अभिलेखों का रखरखाव कर रही है।	नौ क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखा परीक्षकों द्वारा हमें प्रस्तुत लेखा परीक्षा रिपोर्टों के अनुसार, इन कार्यालयों ने अचल परिसम्पत्तियों का मात्रात्मक ब्यौरा तथा उनकी स्थिति सहित सम्पूर्ण विवरणों को दर्शाने वाले समुचित अभिलेखों का रखरखाव किया है। जबकि निगम के मुख्यालय ने अभी तक पूर्ण विवरण दिखाते हुए, जिसमें मात्रात्मक विवरण और अचल परिसम्पत्तियों की स्थिति शामिल है, उचित अभिलेख बनाए जाने अभी बाकि है।
	(ख) क्या युक्तियुक्त अन्तराल पर प्रबन्धन द्वारा इन अचल परिसम्पत्तियों की वास्तविक रूप से जाँच की गई है, क्या ऐसी जाँच के दौरान कोई वास्तविक अनियमितता पाई गई है और यदि हाँ, तो क्या उसे बही खातों में उचित तरीके से दर्शाया गया है।	नौ क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखा परीक्षकों द्वारा हमें प्रस्तुत लेखा परीक्षा विवरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान नियमित अन्तराल पर प्रबन्धन द्वारा अचल परिसम्पत्तियों को वास्तविक रूप से जाँच की गई है। हालाँकि, मुख्यालय में अचल परिसम्पत्तियों की वर्ष के दौरान नियमित अन्तराल पर प्रबन्धन द्वारा वास्तविक रूप से जाँच नहीं की गई है।
	(ग) क्या अचल परिसम्पत्तियों के स्वत्व विलेखों को कम्पनी के नाम पर रखा जाता है। यदि नहीं, तो उसका ब्यौरा प्रस्तुत करें।	लेखा परीक्षा के दौरान हमने रा.ह.वि.नि. के नाम पर पंजीकृत फ्रीहोल्ड एवं लीज होल्ड भूमि के लीज डीड्स की जाँच की है। भूमि के अधिकार स्पष्ट हैं और निगम द्वारा उपरोक्त भूमि पर कोई भार नहीं बनाया गया है। यह बताया जाना है कि 21,63,293 रुपए वाली मुम्बई स्थित 221.70 वर्ग मीटर क्षेत्र के कार्यालय भवन उपयुक्त प्राधिकरण में उसके पंजीयन के लिए लम्बित है। अभिलेखों में 152.35 वर्ग मीटर वाले क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता के भवन का हस्तान्तरण विलेख उपलब्ध है परन्तु सम्पत्ति का पंजीकृत दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।
(ii)	क्या प्रबन्धन द्वारा युक्तियुक्त अन्तराल पर इन्वेंटरी की वास्तिविक रूप से जाँच की गई है और क्या कोई अनियमितताएँ पाई गई हैं और यदि हाँ, तो क्या उसे बही खातों में उचित तरीके से दर्शाया गया है।	जैसा कि हमें सूचित किया गया था, इन्वेंटरी की वास्तविक जाँच प्रबन्धन द्वारा नियमित अन्तराल पर की जाती है। क्षेत्रीय कार्यालयों के सांविधिक लेखा परीक्षकों की राय में आवृत्ति की जाँच युक्तियुक्त है तथापि, सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों में सूत की खरीद तथा बिक्री आदि के लिए केवल दस्तवेजी अभिलेखों का रखरखाव किया जाता है। उपयुक्त सामग्री के आवागमन से सम्बन्धित जानकारी लेखा परीक्षण के समय प्रस्तुत नहीं की जा सकी थीं।
(iii)	क्या कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अन्तर्गत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज की गई अन्य कम्पनियों, फर्मों, अन्य पक्षकारों की सीमित देयता वाली साझेदारी फर्मों को सुरक्षित अथवा असुरक्षित किसी भी प्रकार का कोई ऋण दिया है, यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा प्रस्तुत करें।	कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अन्तर्गत बनाए गए रजिस्टर में कवर की गई अन्य कम्पनियों, फर्मों, अन्य पक्षकारों की सीमित देयता वाली साझेदारी फर्मों को सुरक्षित अथवा असुरक्षित किसी भी प्रकार का कोई ऋण नहीं दिया है।
	(क) क्या ऐसे ऋण प्रदान करने से सम्बन्धित निबन्धन व शर्तें कम्पनी के हित में नहीं हैं।	लागू नहीं।

ANNEXURE-A

ANNEXURE TO THE AUDITORS' REPORT OF NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (NHDC) FOR FINANCIAL YEAR 2016-17

S. No.	PARTICULARS	Our Reply
(i)	(a) Whether the company is maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets.	As per the audit reports submitted to us by Auditors of 9 Regional Offices, these offices have maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of Fixed Assets. Whereas Head Office of the Corporation has yet to maintain proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets.
	(b) Whether these fixed assets have been physically verified by the management at reasonable intervals, whether any material discrepancies were noticed on such verification and if so, whether the same have been properly dealt with in the books of accounts.	As per the audit reports submitted to us by Auditors of 9 Regional Offices, Fixed Assets have been physically verified by the Management during the year at regular intervals. However, Fixed Assets at Head Office have not been physically verified by the Management during the year at regular intervals.
	(c) Whether the title deeds of immovable properties are held in the name of the company. If not, provide the details thereof.	During the course of audit, we have verified the title deeds of free hold and lease hold land registered in the name of NHDC. The title of the land is clear and no encumbrance has been created by the Corporation on the above land. It is to be pointed out that the office building area 221.70 sq. meters, at Mumbai amounting to Rs. 2163293.00 is pending for registration with the appropriate authority. Conveyance deed of R.O. Kolkata Building area 152.35 sq. meters is available on records but registered documents of property not found.
(ii)	Whether physical verification of inventory has been conducted at reasonable intervals by the management and whether any material discrepancies were noticed and if so, whether they have been properly dealt with in the books of account.	As informed to us, physical verification of inventory is conducted by the Management at regular intervals. In the opinion of Statutory Auditors of Regional Offices, the frequency of verification is reasonable. However, only the documentary records are maintained for purchase and sale of yarn etc. at the respective R.O. The physical movement of above material could not be shown to audit.
(iii)	Whether the company has granted any loans, secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013, if so.	The company has not granted any loans secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnership of other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013.
	(a) Whether the terms and conditions of the grant of such loans are not prejudicial to the company's interest.	Not Applicable

क्र. सं.	विवरण	हमारा उत्तर
	(ख) क्या मूलधन के पुनर्भुगतान तथा ब्याज के भुगतान की समय सीमा निर्धारित की गई है तथा पुनर्भुगतान तथा प्राप्तियाँ नियमित हैं।	लागू नहीं।
	(ग) यदि राशि बकाया है तो नब्बे दिनों से अधिक समय से बकाया कुल राशि का उल्लेख करें और क्या मूलधन एवं ब्याज की वसूली के लिए कम्पनी द्वारा युक्तियुक्त कदम उठाए गए हैं।	लागू नहीं।
(iv)	क्या ऋण, निवेश, गारंटियों तथा प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 तथा 186 का अनुपालन किया गया है। यदि नहीं, तो उसका ब्यौरा प्रस्तुत करें।	लागू नहीं।
(v)	यदि कम्पनी ने जमा राशि स्वीकार की है तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 अथवा अन्य संगत प्रावधानों तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों, जो भी प्रयोज्य हों, का अनुपालन किया गया है? यदि नहीं, तो ऐसे उल्लघनों के स्वरूप का उल्लेख करें और क्या कम्पनी विधि बोर्ड अथवा राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण अथवा भारतीय रिजर्व बैंक या किसी भी न्यायालय अथवा किसी भी अन्य अधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में कोई आदेश पारित किया गया है और क्या उसका अनुपालन किया गया है अथवा नहीं?	कम्पनी ने किसी भी प्रकार की जमा राशि स्वीकार नहीं की है। इसके मद्देनजर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 अथवा अन्य संगत प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
(vi)	क्या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा लागत अभिलेखों के रखरखाव का निर्धारण किया गया है और क्या ऐसे लेखों और अभिलेखों को इस प्रकार तैयार किया जाता है और उनका रखरखाव किया जाता है।	निगम से यह अपेक्षित नहीं है कि वह लागत अभिलेखों का रखरखाव करे क्योंकि केन्द्र सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के अन्तर्गत लागत अभिलेखों के रखरखाव का उल्लेख नहीं किया है।
(vii)	(क) क्या निगम भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उप कर तथा कोई अन्य सांविधिक बकाया राशि सहित अविवादित सांविधिक बकाया राशि नियमित रूप से उपयुक्त प्राधिकरण के पास जमा कर रही है। यदि नहीं तो सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिथि तक ऐसे कितने सांविधिक बकाया शेष जो कि देयता तिथि से 6 माह से अधिक पुराने बकाया हैं।	निगम स्त्रोत पर कटौती, भविष्य निधि एवं आयकर सहित अविवादित सांविधिक बकाया राशि को नियमित रूप से जमा करा रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा तथा बिक्री कर को उपयुक्त प्राधिकरणों के पास जमा कराया जाता है। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा उप कर निगम के लिए लागू नहीं होते हैं।

S. No.	PARTICULARS	Our Reply
	(b) Whether the schedule of repayment of principal and payment of interest has been stipulated and whether the repayments or receipts are regular.	Not Applicable
	(c) If the amount is overdue, state the total amount overdue for more than ninety days, and whether reasonable steps have been taken by the company for recovery of the principal and interest.	Not Applicable
(iv)	In respect of loans, investments, guarantees and security whether provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 have been complied with. If not, provide the details thereof.	Not Applicable
(v)	In case, the company has accepted deposits, whether the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of Sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the rules framed there under, where applicable ,have been complied with? If not, the nature of such contraventions be stated, if an order has been passed by Company Law Board or National Company Law Tribunal or Reserve Bank of India or any court or any other tribunal, whether the same has been complied with or not?	The Company has not accepted any deposits. In view of this the provisions of section 73 to 76 or any other relevant provision of the Companies Act, 2013 does not apply.
(vi)	Whether maintenance of cost records has been specified by the Central Government under sub section (1) of Section 148 of the Companies Act 20134 and whether such accounts and records have been so made and maintained.	The Corporation is not required to maintain the cost records, as the Central Government has not prescribed to maintain cost records under section 148(1) of the Companies Act, 2013.
(vii)	(a) Whether the company is regular in depositing undisputed statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income tax sales tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues to the appropriate authorities and if not, the extent of the arrears of outstanding statutory dues as on the last day of the financial year concerned for a period of more than six months from the day they became payable, shall be indicated.	The corporation is regular in depositing undisputed statutory dues including provident fund Income Tax including TDS. Employees' state insurance and Sales Tax with the appropriate authorities. The payments of customs duty, excise duty and cess are not applicable to the Corporation.

क्र. सं.	विवरण	हमारा उत्तर
	(ख) क्या बकाया राशि अथवा आयकर या बिक्री कर अथवा सेवा कर या सीमा शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क या मूल्य वर्धित कर किसी विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया है तब ऐसी राशि तथा उस न्यायाधिकरण, जहाँ विवाद लम्बित है, का उल्लेख करें (सम्बन्धित विभाग के समक्ष केवल प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने को विवाद नहीं माना जाएगा)।	निगम के अभिलेखों के अनुसार बिक्री कर, व्यावसायिक कर के सम्बन्ध में कोई भी अविवादित देय राशि लम्बित नहीं है। तथापि निगम के निम्नलिखित क्षेत्रीय कार्यालयों के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने सांविधिक बकाया राशि की लम्बितता को बिक्री कर के समान दर्शाया है। **1. क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी** बिक्री कर – वित्त वर्ष 2010–11 के लिए मूल्यांकन प्राधिकरण बिक्री कर कार्यालय लखनऊ द्वारा 95,20,994 रुपए के लिए उठाई गई माँग के खिलाफ सहायक आयुक्त, विक्री कर, वाराणसी के समक्ष एक अपील लम्बित है। **2. क्षेत्रीय कार्यालय, कोयम्बटूर** वित्त वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के लिए बिक्री कर विभाग ने क्षेत्रीय कार्यालय कोयम्बटूर द्वारा दावा किए गए कुछ छूट प्राप्त बिक्री राशि को पूर्ण रूप से अस्वीकृत कर दिया गया था और 53.88 लाख रुपए की माँग की थी। इस आदेश को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने दिनांक 11 दिसम्बर 2014 को इस मामले में किसी भी प्रकार की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी तथा बिक्री विभाग को इसके प्रत्युत्तर में जवाब दायर करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया गया था जिसे लेखा परीक्षा की तारीख तक विभाग द्वारा दायर नहीं किया गया था। **3. क्षेत्रीय कार्यालय, पानीपत** (i) बिक्री कर 1,36,42,661 रुपए – व्यापार कर विभाग महाराष्ट्र ने डाईज और केमिकल कार्यालय मुम्बई के सम्बन्ध में एक आदेश पारित किया है, जो सीएसटी अधिनियम की धारा 6 (2) के तहत वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए 1,12,20,365 रुपए (ब्याज 57,47,016 रुपए शामिल है) और वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए 24,22,296 रुपए (ब्याज सहित) की माँग निकाल रखी है। निगम ने इन वित्तीय वर्षों के खिलाफ अपील दायर की है, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए 15,00,000 रुपए का भुगतान और वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए 3,75,000 रुपए का भुगतान करने पर अन्तिम सुनवाई के लिए मान लिया गया है। निगम ने उक्त राशि को 15,00,000 रुपए (वित्तीय वर्ष 2006–07) और 3,75,000 रुपए (वित्तीय वर्ष 2007–08) क्रमशः दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 और 19 जनवरी 2015 को जमा करा दिया है। हालाँकि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्त वर्ष 2006–07 के लिए आदेश संख्या 442–443/14–15/बी753 और 754 दिनांक 1 सितम्बर 2016 जो रा.ह.वि.नि. के पक्ष में है, द्वारा मूल्यांकन अधिकारी को सीएसटी अधिनियम की धारा 9 (2) के तहत 14,672 रुपए और एमवीएटी अधिनियम 2002 के तहत 8,64,950 रुपए कर देयता का समायोजन करने के बाद रा.ह.वि.नि. को धन वापसी का निर्देश जारी किया गया है। इसके अलावा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्त वर्ष 2007–08 के लिए आदेश संख्या 737–738/14–15/बी1179 और 1180 दिनांक 7 जून 2017 जो रा.ह.वि.नि. के पक्ष में है, द्वारा मूल्यांकन अधिकारी को एमवीएटी अधिनियम 2002 के तहत 10,235 रुपए और सीएसटी अधिनियम के तहत 5,82,784 रुपए कर देयता का समायोजन करने के बाद रा.ह.वि.नि. को धन वापसी का निर्देश जारी किया गया है।

S. No.	PARTICULARS	Our Reply
	(b) Where dues or income tax or sales tax or service tax or duty of customs or duty of excise or value added tax have not been deposited on account of any dispute, then the amounts involved and the forum where dispute is pending shall be mentioned (A mere representation to the concerned Department shall not be treated as a dispute).	According to the records of the Corporation, no undisputed amounts payable in respect of Sales Tax, Professional Tax is pending. However, the Statutory auditors of the under noted Regional Offices of the Corporation have indicated the pendency of the statutory dues like Sales Tax. **1) Regional Office Varanasi** Sales Tax- An appeal is pending with Assistant Commissioner Sales Tax Varanasi against demand raised for Rs.9520994.00 the assessing authority Sales Tax office Lucknow for the financial year 2010-11. **2) Regional Office Coimbatore** For the Financial Year 2011-12 & 2012-13 the Sales Tax department arbitrarily rejected some of the exempted sales claimed by the R.O Coimbatore and raised a demand of rupees 53.88 Lakh. This order has been challenged by the R.O in the Hon'ble Madras High Court. The High Court granted the stay on any further proceeding in the matter on 11-12-2014 and gave 8 weeks' time to Sales Tax Department to file their counter, which they have not filed till the date of audit. **3) Regional Office –Panipat** (i) Sales Tax Rs.13642661.00 the Trade Tax Department Maharashtra has passed an order in respect of Dyes & Chemical Office Mumbai raising a demand of Rs. 11220365.00 (including interest of Rs. 5747016.00) for the financial year 2006-07 under section 6(2) of CST Act & demand of Rs. 2422296.00 (including interest) for the financial year 2007-08 u/s 6(2) of CST Act. The corporation has filed an appeal against these financial years which has been admitted for final hearing on part payment of Rs. 1500000.00 against the financial year 2006-07 & Rs. 375000.00 against the financial year 2007-08 the corporation has deposited the said amount of Rs.1500000.00 (F.Y 2006-07) & Rs. 375000.00 (F.Y 2007-08). On 22nd Oct., 2014 and 19th Jan., 2015 respectively. However in the order No. 442-443/14-15/b753 & 754 dated 01/09/16 for FY 2006-07 by the competent authority which being in favour of NHDC, the assessing officer has been grant refund to NHDC after adjusting the tax liability of Rs. 14672.00 under MVAT Act 2002 & Rs. 684950.00 under section 9(2) of CST Act. Further, in the order no. appeal/737-738/14-15/b1179 &1180 dated 07-06-17 for FY 2007-08 by the competent authority which being in favour of NHDC, the Assessing Officer has been directed to grant the refund to NHDC after adjusting the Tax liability of Rs. 10235.00 under MVAT Act 2002 & Rs. 582784.00 under CST.

क्र. सं.	विवरण	हमारा उत्तर
		(ii) वर्ष 2015–16 के दौरान, मूल्यांकन वर्ष 2009–10 के संशोधन आदेश के अन्तर्गत दिनांक 16 जून 2015 के आदेश के तहत एचवीएटी अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत 1,01,30,377 रुपए की माँग सम्बन्धी नोटिस जारी किया गया था जो इस आधार पर था कि परिवहन प्रभारों के कारण क्रय करने वाले व्यापारियों को 14,85,22,539 रुपए के सहायता अनुदान की प्रतिपूर्ति की गई थी जिसे सकल कारोबार में जोड़ा जाना चाहिए था इसलिए सहायता अनुदान की राशि पर वैट लगाया जाना चाहिए था। रा.ह.वि.नि. ने उक्त आदेश को चुनौती दी है और उसने हरियाणा वैट अधिकरण, चण्डीगढ़ में मुकदमा दायर किया है। हालाँकि, हरियाणा वैट ट्रिब्यूनल चण्डीगढ़ द्वारा दिनांक 11 अप्रैल, 2017 को वर्ष 2015–16 का आदेश एसटीए संख्या 144 रा.ह.वि.नि. के पक्ष में जारी किया है, तदनुसार निगम पर कोई कर दायित्व नहीं है।
(viii)	क्या कम्पनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार से लिए गए ऋण अथवा ऋण–पत्र धारकों के पास बकाया राशि के पुनर्भुगतान में चूक की है? यदि हाँ, तो उक्त अवधि तथा रिपोर्ट की गई चूक की राशि (बैंक, वित्तीय संस्थान तथा सरकारी उधार प्रदान करने वाले संस्थान के सम्बन्ध में की गई चूक का ब्यौरा प्रस्तुत करें)।	लागू नहीं।
(ix)	क्या आरंभिक सार्वजनिक पेशकश अथवा इसके आगे के सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के द्वारा प्राप्त की गई राशि तथा सावधि ऋण का प्रयोग प्रयोजनार्थ हुआ है। यदि नहीं, तो विलम्ब और चूक सहित सम्मिलित ब्यौरा प्रस्तुत करें तथा तदनन्तर समाशोधन, यदि कोई हो, जो प्रयोज्य हो, का उल्लेख करें।	लागू नहीं।
(x)	क्या वर्ष के दौरान कम्पनी अथवा कम्पनी के किन्हीं अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी ध्यान में लाई गई है अथवा उसके सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट की गई है; यदि हाँ, तो उसकी प्रकृति तथा उसमें निहित राशि का उल्लेख करें।	जैसा कि उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2016–17 के दौरान कोई धोखाधड़ी ध्यान में नहीं लाई गई है।
(xi)	क्या कम्पनी अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधानों द्वारा अधिदेशित अपेक्षित अनुमोदनों के अनुसार प्रबन्धकीय पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है अथवा उसका प्रावधान किया गया है? यदि नहीं, तो उक्त राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए सम्मिलित धनराशि तथा कम्पनी द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख करें।	प्रबन्ध निदेशक को पारिश्रमिक का भुगतान डीपीई द्वारा अनुमोदित आईडीए स्केल्स के अनुसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक सरकारी कम्पनी होने के कारण निगम को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 से छूट प्रदान की गई है।

S. No.	PARTICULARS	Our Reply
		(ii) During the year 2015-16, There was notice for demand of Rs. 10130377.00 raised under HVAT Act 2003 vide order dated 16.06.2015 under revision order of assessment year 2009-10 on the ground that the grant-in-aid worth Rs. 148522539.00 reimbursed to the purchasing dealers on account of Transport Charges should be added to the gross turnover, hence the VAT should be imposed on the amount of grant-in-aid. The NHDC has challenged the order and filed the suit in Haryana VAT Tribunal Chandigarh. However in the order STA No. 144 of the 2015-16 dated 11.04.2017 given by Haryana VAT Tribunal Chandigarh is in favour of NHDC, thereby no Tax liability on the Corporation at all.
(viii)	Whether the company has defaulted in repayment of loans or borrowing to a financial institution, bank, government or dues to debenture holders? If yes, the period and the amount of default to be reported (in case of defaults to banks, financial institutions, and Government lender wise details to be provided).	Not Applicable.
(ix)	Whether money raised by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) and term loans were applied for the purposes for which those are raised. If not, the details together with delays or default and subsequent rectification, if any, as may be applicable, be reported.	Not Applicable.
(x)	Whether any fraud by the company or any fraud on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year; if yes, the nature and the amount involved is to be indicated.	As reported, no fraud has been noticed during the year 2016-17.
(xi)	Whether managerial remuneration has been paid or provided in accordance with the requisite approvals mandated by the provisions of section 197 read with Schedule V of the Companies Act? If not, state the amount involved and steps taken by the company for securing refund of the same.	Remuneration to Managing Director has been paid as per IDA Scales approved by DPE. Further, the Corporation is being a Government Company is exempt from Section 197 of the Companies Act, 2013.

क्र. सं.	विवरण	हमारा उत्तर
(xii)	क्या निधि कम्पनी ने देयताओं को पूरा करने के लिए 1 : 20 के अनुपात में राशि जमा करने के लिए निवल स्वाधिकृत निधियों का अनुपालन किया है और क्या देयताओं को पूरा करने के लिए निधि नियमावली, 2014 में यथानिर्दिष्ट दस प्रतिशत अभारित सावधि जमाओं को पूरा किया जा रहा है।	लागू नहीं।
(xiii)	क्या सम्बन्धित पक्षकारों के साथ सभी लेनदेन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुरूप हैं और क्या वे प्रयोज्य हैं तथा प्रयोज्य लेखाकरण मानकों द्वारा यथापेक्षित वित्तीय विवरणों में उसका ब्यौरा दर्शाया गया है।	निगम की रिपोर्ट के अनुसार सम्बन्धित पक्षकार से कोई लेनदेन नहीं है।
(xiv)	क्या समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने कोई वरीयता प्राप्त आवंटन किया है अथवा शेयरों का निजी रूप से नियोजन किया है अथवा डिवेंचरों का आंशिक रूप से परिवर्तन किया है और यदि हाँ, तो क्या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 की आवश्यकता का अनुपालन किया गया है तथा उगाही गई राशि का उस प्रयोजनार्थ हेतु उपयोग किया गया है। यदि नहीं, तो संलग्न राशि के सम्बन्ध में ब्यौरा प्रस्तुत करें तथा गैर–अनुपालना की प्रकृति का भी ब्यौरा प्रस्तुत करें।	लागू नहीं।
(xv)	क्या कम्पनी ने निदेशकों अथवा उसके साथ सम्बद्ध व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का गैर–नकदी लेनदेन किया है और यदि हाँ, तो क्या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।	जैसा कि रिपोर्ट किया गया है, निगम द्वारा निदेशकों के साथ किसी प्रकार का गैर–नकदी लेनदेन नहीं किया गया है।
(xvi)	क्या कम्पनी का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–1 (क) के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है और यदि हाँ, तो क्या पंजीकरण कराया गया है।	लागू नहीं।

ए. श्रीवास्तव एंड कंपनी के लिए
(एफ.आर. संख्या 511001सी)
चार्टेड एकाउन्टेन्टस

दिनांक: 08 सितम्बर, 2017
स्थान: नई दिल्ली

ह./–
सीए अशोक कुमार अग्रवाल
पार्टनर
(एम. संख्या 015091)

S. No.	PARTICULARS	Our Reply
(xii)	Whether the Nidhi Company has complied with the Net Owned Funds to Deposits in the ratio of 1:20 to meet out the liability and whether ten percent unencumbered term deposits as specified in the Nidhi Rules, 2014 to meet out the liability.	Not Applicable.
(xiii)	Whether all transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of Companies Act, 2013 where applicable and the details have been disclosed in the Financial Statements etc. as required by the applicable accounting standards.	There is no related parties' transaction as reported by the Corporation.
(xiv)	Whether the company has made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review and if so, as to whether the requirement of section 42 of the Companies Act, 2013 have been complied with and the amount raised have been used for the purposes for which the funds were raised. If not, provide the details in respect of the amount involved and nature of non-compliance.	Not Applicable.
(xv)	Whether the company has entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him and if so, whether the provisions of Section 192 of Companies Act, 2013 have been complied with	As reported, there is no non-cash transaction entered by the Corporation with the Directors.
(xvi)	Whether the company is required to be registered under Section 45-1A of the Reserve Bank of India Act, 1934 and if so, whether the registration has been obtained.	Not applicable.

For **A. SRIVASTAVA & CO.**
F.R.No. 511001C
(Chartered Accountants)

Date: 08 September 2017
Place: New Delhi

Sd/-
CA Ashok Kumar Agarwal
Partner
(M.No. 015091)

ए. श्रीवास्तव एंड कंपनी
चार्टेड एकाउन्टेन्टस

अनुपालन प्रमाण-पत्र

हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अन्तर्गत भारत के नियत्रंक और महालेखा परीक्षक द्वारा हमें जारी किए गए निर्देशों/उपनिर्देशों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के लेखाओं की लेखा परीक्षा की है तथा हम प्रमाणित करते हैं कि हमने दिनांक 08 सितम्बर, 2017 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करके हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/उपनिर्देशों का अनुपालन किया है।

ए. श्रीवास्तव एंड कंपनी के लिए
(एफ.आर. संख्या 511001सी)
चार्टेड एकाउन्टेन्टस

दिनांकः 08 सितम्बर, 2017
स्थानः नई दिल्ली

ह./–
सीए अशोक कुमार अग्रवाल
पार्टनर
(एम. संख्या 015091)

A.SRIVASTAVA & CO.
(Chartered Accountants)

COMPLIANCE CERTIFICATE

We have conducted the audit, of accounts of National Handloom Development Corporation Limited for the year ended 31st March, 2017 in accordance with the directions/sub-directions issued to us by the C & AG of India under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 and we Certify that we have complied with all the directions/sub-directions issued to us by submitting our report dated 08th September, 2017.

For **A. SRIVASTAVA & CO.**
F.R.No. 511001C
(Chartered Accountants)

Date: 08 September 2017
Place: New Delhi

Sd/-
CA Ashok Kumar Agarwal
Partner
(M.No. 015091)

अनुलग्नक ख

वित्त वर्ष 2016-17 के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लेखाओं के लिए प्रयोज्य कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन जारी किए गए निर्देशों का अनुलग्नक

क्र. सं.	प्रश्नावली	लेखा परीक्षक का उत्तर
1	क्या फ्रीहोल्ड तथा लीज होल्ड के लिए कम्पनी के पास टाइटल डीड/लीज डीड हैं? यदि नहीं तो कृपया फ्रीहोल्ड तथा लीज होल्ड भूमि के क्षेत्रफल का उल्लेख करें जिसके लिए टाइटल डीड/लीज डीड उपलब्ध नहीं है।	लेखा परीक्षा के दौरान, हमने रा.ह.वि.नि. के नाम पर पंजीकृत फ्रीहोल्ड तथा लीज होल्ड भूमि के स्वत्व विलेख (टाइटल डीड) की जाँच की है। भूमि का शीर्षक अविवादित है तथा निगम द्वारा उपरोक्त भूमि पर कोई भार नहीं बनाया गया है। यह उल्लेख किया जाता है कि मुम्बई में 221.70 वर्ग मीटर का कार्यालय भवन क्षेत्र जिसका मूल्य 21,63,293 रुपए है, उपयुक्त प्राधिकरण के पास पंजीकरण के लिए लम्बित है। क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता के 152.35 वर्ग मीटर भवन क्षेत्रफल का हस्तान्तरण विलेख अभिलेखों में उपलब्ध है परन्तु सम्पत्ति का पंजीकृत दस्तावेज नहीं पाया गया है।
2	क्या उधार/ऋण/ब्याज आदि के अधित्याग/ उन्हें बट्टे खाते में डालने से सम्बन्धित किसी प्रकार के कोई मामले हैं। यदि हाँ, तो उनके कारणों तथा संलग्न राशि का उल्लेख करें।	लेखा परीक्षा के दौरान, हमने यह पाया कि निगम ने देनदारों की 34,86,367 रुपए की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है, उक्त देनदार बहुत पुराने थे और राशि कानूनी कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं थे। (वित्तीय विवरणों का खाता संख्या 28 (क) देखें) निगम ने ऋण और ब्याज आदि के कारण किसी भी बकाया राशि को बट्टे खाते में नहीं डाला है। तथापि, निगम ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 14,47,769 रुपए के सन्देहास्पद देनदारों के लिए प्रावधान किया है। (वित्तीय विवरणों का खाता संख्या 28 (क) पर उल्लिखित टिप्पणियों को देखें) इसके अतिरिक्त, निगम ने 27,756 रुपए की परिसम्पत्तियों की बिक्री पर होने वाली हानि को भी बट्टे खाते में डाल दिया है। (वित्तीय विवरणों के खाता संख्या 28 (क) पर टिप्पणियों को देखें)
3	क्या तृतीय पक्षकारों के साथ उपलब्ध इन्वेंट्रियों के लिए समुचित अभिलेखों का रखरखाव किया जाता है और सरकार या अन्य प्राधिकरणों से परिसम्पत्तियों/उपहार/अनुदान के रूप में प्राप्त की जाती है।	जैसा कि प्रबन्धन द्वारा प्रमाणित किया गया है किसी भी तीसरी पार्टी के पास कोई सामान नहीं है। सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदान के रूप में कोई सम्पत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

ए. श्रीवास्तव एंड कंपनी के लिए
चार्टेड एकाउन्टेन्टस
(सी.आर. संख्या 2809)

दिनांक: 08 सितम्बर, 2017
स्थान: नई दिल्ली

ह./–
सीए अशोक कुमार अग्रवाल
पार्टनर
(एम. संख्या 015091)

ANNEXURE-B

COMPLIANCE OF THE DIRECTIONS ISSUED UNDER SECTION 143(5) OF THE COMPANIES ACT, 2013 APPLICABLE FOR THE FINANCIAL YEAR 2016-17 ON ACCOUNTS NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION, LUCKNOW, U.P.

Sr. No.	Questionnaire	Reply of the Auditors
1	Whether the company has clear title/lease deeds for free hold and lease hold respectively? If not please state the area of freehold and leasehold land for which title/ lease deeds are not available?	During the course of audit, we have verified the title deeds of free hold and lease hold land registered in the name of NHDC. The title of the land is clear and no encumbrance has been created by the Corporation on the above land. It is to be pointed out that the office building area 221.70 sq. meters, at Mumbai amounting to Rs. 2163293 is pending for registration with the appropriate authority. Conveyance deed of R.O. Kolkata Building area 152.35 sq. meters is available on records but registered documents of property not found.
2	Whether there are any cases of waiver/write off of debts/loans/ interest etc. the reasons thereof and the amount involved.	During the audit, we noticed that the Corporation has written off debtors' amounting to Rs. 34,86,367.00, the said debtors were very old and amount was not feasible for legal proceedings [refer notes on accounts No. 28(a) of the financial statements] .The Corporation has not written off any due of loans & interest etc. However, the Corporation has made the provision for doubtful debtors for Rs.14,47,769.00 [refer notes on accounts No. 28(a) of the financial statements] during the year under audit. Further, the Corporation has also written off loss on sale of assets amounting to Rs. 27,756.00 [refer note on accounts No. 28(a) of the financial statements].
3	Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties and assets received as gift/grant(s) from Government or other authorities.	There is no inventory lying with the third party as certified by the Management. ; No assets received as gift/grant(s) from Government or other authorities.

For **A. SRIVASTAVA & CO.**
(Chartered Accountants)
(C.R. No. 2809)

Date: 08 September 2017
Place: New Delhi

CA Ashok Kumar Agarwal
Partner
(M.No. 015091)

ए. श्रीवास्तव एंड कंपनी
चार्टेड एकाउन्टेन्टस

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तारीख की स्वतन्त्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का ''अनुलग्नक - ग''

कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उपधारा 3 के खण्ड (i) के अन्तर्गत आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण पर रिपोर्ट:

हमने राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (''निगम'') की दिनांक 31 मार्च, 2017 की वित्तीय रिपोर्ट के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए निगम के वित्तीय विवरणों की हमारी निष्पक्ष लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षा की है।

(I) आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के लिए प्रबन्धन की जिम्मेदारी:

भारतीय चार्टेड एकाउन्टेन्टस संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में जारी किए गए दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आन्तरिक नियन्त्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्डों पर आन्तरिक नियन्त्रण के आधार पर निगम का प्रबन्धन आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित कम्पनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, अभिलेखों की यथार्थता एवं उनकी सम्पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय से तैयार करने सहित उसके कार्य व्यापार का व्यवस्थित एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के लिए इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की अभिकल्पना, कार्यान्वयन तथा रखरखाव शामिल है।

(II) लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी:

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय चार्टेड एकाउन्टेन्टस संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अन्तर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में दिशानिर्देश नोट तथा लेखाकरण मानकों (''दिशानिर्देश नोट'') के अनुसार लेखा परीक्षा की है जो आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की लेखा परीक्षा की सीमा तक प्रयोज्य है तथा दोनों आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की लेखा परीक्षा के लिए लागू है तथा दोनों को भारतीय चार्टेड एकाउन्टेन्टस संस्थान द्वारा जारी किया गया था। इन मानकों और दिशानिर्देश नोट में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं तथा योजना का अनुपालन करें और यह आश्वासन प्राप्ति करने के लिए कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण स्थापित हुआ था और उसे बनाए रखा गया था एवं सभी विषय–वस्तु के मामलों में ऐसे नियन्त्रण का प्रभावी रूप से पालन किया गया था, हम लेखा परीक्षा करें।

A.SRIVASTAVA & CO.
(Chartered Accountants)

"ANNEXURE C" to the Independent Auditors' Report of even date on the Financial Statements of NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

Report on the Internal Financial Control under clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("The Act")

We have audited the internal financial control over financial reporting of NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION Limited, ("The Corporation") as of March 31, 2017 in conjunction with our independent audit report of the financial statements of the Corporation for the year ended on that date.

(I) Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Corporation's management is responsible for establishing and maintaining internal financial control based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Control over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

(II) Auditor's Responsibility

Our responsibility is to expression of opinion on the Company's internal financial control over financial reporting based on our audit; we conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Control Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under Section 143 (10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Control and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial control over financial reporting was established and maintained and if such control operated effectively in all material respects.

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली की पर्याप्तता के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा साक्ष्य तथा उनके कार्यकरण के लिए कार्य निष्पादन कार्यविधियाँ शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के सम्बन्ध में हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की समझ का जायजा लेना सामग्री की मौजूदा कमजोरी के जोखिम का मूल्यांकन करना तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आन्तरिक नियन्त्रण की अभिकल्पना तथा कार्यकरण प्रभाविकता की जाँच करना तथा उसका मूल्यांकन करना शामिल है। इस प्रकार चयनित कार्यविधि धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की वास्तविक यथार्थता के जोखिमों का मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा सम्बन्धी साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण पर लेखा परीक्षा सम्बन्धी हमारी राय के लिए आधार मुहैया कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

(III) वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण को पूरा करना:

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी का आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा वित्तीय विवरणों को तैयार करने के सम्बन्ध में युक्तियुक्त आश्वासन मुहैया कराने के लिए अभिकल्पित प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण में वे नीतियाँ और कार्यविधियाँ शामिल हैं जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से सम्बन्धित हैं तथा जो युक्तियुक्त ब्यौरे के रूप में सटीकता एवं निष्पक्षता से कम्पनी की परिसम्पत्तियों के लेनदेन तथा उनके स्थानान्तरण को प्रतिबिम्बित करती हैं; (2) यह युक्तियुक्त आश्वासन मुहैया कराती हैं कि सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए यथावश्यकतानुसार लेनदेन का अभिलेख रखा जाता है, और कम्पनी के प्रबन्धन तथा निदेशकों की अनुज्ञा के अनुसार ही कम्पनी की प्राप्तियों और व्यय का अभिलेख रखा जाता है; और (3) कम्पनी की परिसम्पत्तियों का अप्राधिकृत अभिग्रहण, उपयोग अथवा स्थानान्तरण का समय से पता लगाने के सम्बन्ध में सतर्कता बरते जाने हेतु युक्तियुक्त आश्वासन मुहैया कराती है जिनका वित्तीय विवरणों पर वास्तविक रूप से प्रभाव हो सकता है।

(IV) वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की अन्तर–निहित सीमाएँ:

टकराव की सम्भावना अथवा सुनियोजित प्रबन्धन नियन्त्रणों का अभाव सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की अन्तर्निहित सेवाओं के कारण चूक अथवा धोखधड़ी के कारण सामग्री सम्बन्धी अयथार्थ विवरण की सम्भावना रहती है और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, वित्तीय नियन्त्रण पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों का आधी अवधि के लिए किसी प्रकार के मूल्यांकन का प्राक्कलन इस जोखिम के अध्यधीन है कि शर्तों में परिवर्तन अथवा नीतियों का कार्यविधियों के अनुपालन में कमी के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण अपर्याप्त होगा।

(V) योग्य मत:

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर, 31 मार्च 2017 तक निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमियाँ पाई गई हैं।

1.1 निधियों की आवश्यकता का समुचित विचार विमर्श किए बिना एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में धन का लगातार स्थानान्तरण किया गया है। इस तरह के बैंक खाता प्रबन्धन से बैंक की स्वीप या फ्लेक्सी सावधि जमा सुविधा को अपनाना सम्भव नहीं हो पाया है। इस प्रकार, धन के अवांछित स्थानान्तरण ने निगम को ब्याज की तुलनात्मक रूप से उच्च दर से वंचित किया है, जो कि निगम के खातों में अन्यथा अर्जित होती। इसके अलावा, सावधि जमा कम अवधि के लिए की गई हैं, जबकि ब्याज की बेहतर दर हासिल करने के लिए, इसे कुछ हद तक लम्बे समय के लिए किया जा सकता था।

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial control system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial control over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedure selected depends on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the company's internal financial control system over financial reporting.

(III) Meaning of Internal Financial Control over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions and are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles , and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention of timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

(IV) Inherent Limitations of Internal Financial Control over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future period are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

(V) Qualified Opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit, the following material weaknesses have been identified as at March 31, 2017.

1.1 Frequent transfers of funds have been made from one bank account to the another without proper deliberation for requirement of funds. This kind of bank account management could not make it possible to adopt sweep or flexi fixed deposit facility of the Bank. Thus, unwanted transfers of funds have deprived the Corporation of the comparatively higher rate of interest, which would have otherwise been accrued in the accounts of the Corporation. Further, fixed deposits have been made for shorter periods though the same could have been reasonably made for longer periods to earn better rate of interest.

1.2 निगम ने पिछले तीन वर्षों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों में की गई कई महत्वपूर्ण टिप्पणियों पर कार्यवाही शुरू की है। उन टिप्पणियों पर निर्णायक चरण पर पहुँचने के लिए कदम उठाना लेखांकन प्रणाली, वित्तीय नीति और निगम की वित्तीय स्वास्थ्य के बेहतर हित में होगा। इस सम्बन्ध में उसी को दोहराना अनावश्यक होगा।

1.3 वित्तीय अनियमितता से बचने के लिए वित्तीय नियमों का सख्त पालन अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, भुगतान करते समय, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सक्षम प्राधिकारी, जिसे वित्तीय शक्तियाँ सौंपी गयी हैं, ने व्यय को उचित रूप से स्वीकृत किया है, खरीद प्रक्रिया का पालन किया गया है और लेखा और अभिलेख को ठीक से रखा जा रहा है। भुगतान के लिए बिलों पर स्टॉक रजिस्टर में दर्ज की प्रविष्टियाँ अंकित होनी चाहिए। सक्षम प्राधिकारी को अपने हस्ताक्षर के तहत बिलों पर ''रु. ..... के भुगतान के लिए पारित किया गया'' आदेश भी जारी करना चाहिए। चैक जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर के तहत ''भुगतान किया गया'' मुद्रित करके बिलों को रद्द किया जाना चाहिए। इन प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए, उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

1.4 भारत सरकार के वस्त्र मन्त्रालय ने आदेश संख्या 6/1/2012–डीसीएच/पीएण्डएस दिनांक 17 जनवरी, 2014 जारी कर 12वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान भारत सरकार की ओर से यार्न आपूर्ति योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों का विवरण दिया है। इस योजना के तहत, रा.ह.वि.नि. ने परिवहन/डिपो शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए अनुवृत्ति और एजेंसियों को सूत आपूर्ति पर 10% अनुवृत्ति का दावा किया है।

लेखा परीक्षा टीम ने दिशानिर्देशों के सन्दर्भ में रा.ह.वि.नि. (निगम) के अनुवृत्ति दावों की जाँच की है, जिनके पैरा 10.6.1 (vi) में यह प्रावधान है कि ''उपयोगकर्ता एजेंसियों को हैंक यार्न पर अग्रिम रूप से 10% मूल्य अनुवृत्ति घटक प्रदान करने के लिए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में केन्द्र सरकार द्वारा रा.ह.वि.नि. को बी.ई. के कॉरपस फण्ड का 40% उपलब्ध कराया जाएगा। रा.ह.वि.नि. द्वारा मिले हुए कॉरपस फण्ड का 70% उपयोग करने पर और **लेखा परीक्षित व्यय विवरण** प्रस्तुत करने पर प्रतिपूर्ति की जाएगी। हालाँकि, सम्बन्धित अभिलेखों के अवलोकन पर हमने पाया है कि रा.ह.वि.नि. ने रा.ह.वि.नि. द्वारा तैयार किए गए कागजात और रा.ह.वि.नि. के लैटर हैड (चार्टेड एकाउन्टेन्टस के लैटर हैड पर नहीं) के चार्टेड एकाउन्टेन्टस के हस्ताक्षर और सील प्राप्त करने के आधार पर प्रतिपूर्ति का दावा किया है। ऑडिट किए गए व्यय वक्तव्य के लिए ऑडिट रिपोर्ट के बिना जब जरूरी है लेखा परीक्षित व्यय विवरण पर अपनी रिपोर्ट संलग्न किए बिना, चार्टेड एकाउन्टेन्टस के इस तरह के (निक्षेपित) मुहर और हस्ताक्षर भारत सरकार द्वारा पैरा 10.6.1 (vi) में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

1.5 वित्तीय वर्ष 2016–17 के वित्तीय विवरणों के कॉरपस निधि (कॉरपस विकास) के लिए नोट संख्या 8 की जाँच करने पर यह पाया गया है कि कॉरपस फण्ड को कार्यशील पूँजी के लिए समूहों की अपनी माँगों को पूरा करने के लिए वितरित किया गया है। निधि के इन संवितरणों को पुनरुत्थान के लिए अन्य आवश्यक समूहों के पक्ष में वसूली और पुनः वितरण करके पुनः उपयोग किया जाता है। इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्रवाई अपेक्षित है। आन्तरिक लेखा परीक्षकों ने यह भी बताया है कि कॉरपस फण्ड की कार्यशील पूँजी में कोई बदलाव नहीं है। इसके अलावा, सम्बन्धित कार्यालयों पर कॉरपस फण्ड की शेष राशि की पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

1.6 जून 2017 तक, यार्न की बिक्री और खरीद पर बिक्री कर या वैट (कुछ को छोड़कर) नहीं लगते थे, इसलिए, जहाँ तक करों के सम्बन्ध में अभिलेख रखने का सवाल है, यार्न की बिक्री और खरीद की प्रक्रिया सरल और अप्रतिबन्धित थी। अब, दिनांक 1 जुलाई, 2017 से गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स (जीएसटी) प्रभावी होने के बाद यार्न की खरीद और बिक्री पर भी 5% की दर से जीएसटी लगती है। इसलिए, यार्न की बिक्री और खरीद में जवाबदेही और पारदर्शिता लागू की जानी चाहिए और व्यवस्थित अभिलेख रखने चाहिए। इसलिए, यदि इस मुद्दे को ठीक से नहीं लिया गया तो जीएसटी के साथ यार्न की खरीद और बिक्री में लेखांकन के एक नए प्रशासन से यार्न की खपत पर असर पड़ सकता है।

1.2 The Corporation has initiated action on many of the vital observations made in the audit reports of the previous three years. It would be in the greater interest of the betterment of the accounting system, financial policy and fiscal health of the Corporation to take steps to reach at the conclusive stage on those observations. It would be unnecessary to reiterate the same in this respect.

1.3 Strict compliance of financial rules is mandatory to avoid financial irregularities. For example, while making payments, it should be ensured that the competent authority, whom the financial powers have been delegated, has duly sanctioned the expenditure, the procurement procedure have been followed and accounting and record keeping properly has being done. The bills for payment must have inscribed upon them entries made in the stock register. The competent authority should also pass orders on the bills under his signature inscribing "passed for payment Rs….....". Bills should be cancelled by stamping "Paid and Cancelled" under initial of the cheque issuing authority. The compliance of these procedures is not being adhered to. Therefore, suitable action needs to be taken.

1.4 The Government of India order No.6/1/2012- DCH/P&S of Dated 17/01/2014 issued from the Ministry of Textiles, Government of India lays down detailed Guidelines of Yarn Supply Scheme for implementation during the remaining period of 12th five year plan. Under this scheme, NHDC has claimed subsidy for reimbursement of transportation/depot charges and 10% subsidy on yarn supply to the agencies.

The audit team examined the subsidy claims of the NHDC (Corporation) with reference to Guidelines which in its Para 10.6.1(vi) provides that "In order to provide 10% price subsidy component on Hank Yarn upfront to the user agencies, NHDC will be provided corpus fund to the tune of 40% of B.E. of the scheme by the Central Government at the beginning of each financial year. The Corpus Fund given to NHDC will be recouped on utilization of 70% of fund and on submission of **audited expenditure statement**". However, on perusal of the related records, we have found that NHDC has claimed reimbursement based on papers created by the NHDC & by obtaining signature & seal of any of the Chartered Accountants on the letter of the NHDC(Not on Chartered Accountants letter head) as and when required without audit reports for audited expenditure statement. Such (undated) seal and signature of the Chartered Accountant without enclosing his report on audited expenditure statement is in violation of the provisions laid down by the GOI in the Guidelines' para 10.6.1(vi).

1.5 While scrutinizing note no.8 for Corpus fund (Corpus development) of the financial statements for Financial Year 2016-17, it is observed that Corpus fund have been disbursed to meet out their demands of clusters for working capital. These disbursements of the funds are to be recycled by making recovery and re-disbursing the same in favour of other needy clusters. Effective action in this regard is wanting. The Internal Auditor has also pointed out that there is no movement in the working capital of the Corpus fund. In addition to this balance confirmation for Corpus fund is not available at the respective offices.

1.6 Till June, 2017, sales and purchase of the Yarn did not attract sales tax or VAT (except few .O.s), therefore, the sale and purchase of the Yarn was simple and unrestricted as far as the record keeping in regard to taxes is concerned. Now, with the introduction of Goods and Service Tax (GST) with effect from 01st July, 2017; purchase and sale of Yarn has also come under the umbrella of GST with tax rate of 5%. Therefore, accountability and transparency in sale and purchase of Yarn has to be applied and systematic record keeping has to be maintained. Therefore, with introduction of GST, a new regime of accounting in purchase and sale of Yarn is bound to impact the quantum of consumption of yarn, if the issue is not properly handled.

एक भौतिक कमजोरी, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण में एक कमी या कमियों का संयोजन है, इस तरह की उचित सम्भावना है कि कम्पनी के वार्षिक वित्तीय विवरणों की सामग्री का गलत विवरण किसी समय के आधार पर रोका या पता नहीं किया जाएगा।

हमारी राय में, नियन्त्रण मानदण्डों के उद्देश्यों की उपलब्धि पर ऊपर वर्णित भौतिक कमजोरियों के प्रभाव/सम्भावित प्रभावों को छोड़कर, निगम ने भारतीय चार्टेड एकाउन्टेन्टस संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के अन्तर्गत आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के लेखा परीक्षा के आवश्यक घटकों को देखते हुए सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली और इस तरह की आन्तरिक वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियन्त्रण, 31 मार्च, 2017 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहा था, निगम द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदण्डों पर आन्तरिक नियन्त्रण के आधार पर आन्तरिक नियन्त्रण किया है।

हमने निगम की दिनांक 31 मार्च, 2017 के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में लागू लेखा परीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने वाली भौतिक कमजोरियों पर और ऊपर की गई रिपोर्टों पर विचार किया है और ये भौतिक कमजोरियाँ निगम के वित्तीय बयानों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।

ए. श्रीवास्तव एंड कंपनी के लिए
चार्टेड एकाउन्टेन्टस
(सी.आर. संख्या 2809)

दिनांकः 08 सितम्बर, 2017
स्थानः नई दिल्ली

ह./–
सीए अशोक कुमार अग्रवाल
पार्टनर
(एम. संख्या 015091)

A material weaknesses is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the company's annual financial statements will not be prevented or detected on a timely basis.

In our opinion, except for the effects/possible effects of the material weaknesses described above on the achievement of the objectives of the control criteria, the Corporation has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2017, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

We have considered the material weaknesses identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the March 31, 2017 financial statements of the Corporation, and these material weaknesses do not affect our opinion on the financial statements of the Corporation.

For **A. SRIVASTAVA & CO.**
(Chartered Accountants)
(C.R. No. 2809)

Date: 08 September 2017
Place: New Delhi

Sd/-
CA Ashok Kumar Agarwal
Partner
(M.No. 015091)

दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कम्पनी के प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। उक्त अधिनियम की धारा 139 (5) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किया गया सांविधिक लेखा परीक्षक उक्त अधिनियम की धारा 143 (10) के अन्तर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार निष्पक्ष लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उल्लेखनीय है कि इसे उनके द्वारा दिनांक 8 सितम्बर, 2017 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत पूरा किया गया है।

मैंने, भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से उक्त अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा न करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए तथा उनकी ओर से

(नन्दन मुंशी)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा महानिदेशक
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–II
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 सितम्बर, 2017

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2017.

The preparation of financial statements of National Handloom Development Corporation Limited for the year ended 31 March 2017 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 08th September 2017.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of National Handloom Development Corporation Limited for the year ended 31 March 2017 under section 143(6(a) of the Act.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

N. Munshi

(Nandan Munshi)
Director General of Commercial Audit
& Ex-officio Member, Audit Board-II,
New Delhi

Place: New Delhi
Date: 21.09.2017

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

लेखाकरण परिपाटी:

सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों, कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान तथा भारतीय चार्टेड एकाउन्टेन्टस संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए प्रयोज्य लेखाकरण मानकों के अनुसार ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अन्तर्गत वित्तीय विवरण तैयार किए जाते रहे हैं।

स्थायी परिसम्पत्तियाँ:

अधिप्राप्त/क्रय की गई परिसम्पत्तियों को क्रय मूल्य के आधार पर अभिलेख किया जाता है।

परिसम्पत्तियों का मूल्य ह्रास एवं क्षति:

स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास सरल लेखा विधि से प्रभारित किया जाता है। ह्रास की गणना वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियों में हुई वृद्धियों पर आनुपातिक आधार पर उस वर्ष में की गयी है। जिस वर्ष में स्थायी परिसम्पत्तियों को उपयोग में लाया गया है। अधिग्रहीत की गयी ऐसी परिसम्पत्तियों पर 100% मूल्य ह्रास लगाया गया है। जिनका अलग–अलग मूल्य रु. 5000.00 (रुपये पांच हजार मात्र) से अधिक नहीं है। कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में वर्णित परिसम्पत्तियों के उपयोगी जीवन के अनुसार मूल्य ह्रास की गणना की गयी है।

ह्रास से जुड़े प्रत्येक तुलन पत्र में परिसम्पत्तियों की लागत की जाँच की जाती है ताकि ह्रास सम्बन्धी हानि, यदि कोई हो, जिसके सम्बन्ध में कार्रवाई अपेक्षित हो अथवा पूर्ववर्ती अवधियों में जिसका निर्धारण किया गया हो, की जाँच की जा सके।

अनुदान:

सहायता अनुदान के सम्बन्ध में विशिष्ट प्रयोजनों पर व्यय किया गया है तथा उन्हें तदनुसार सरकार से प्राप्त विशिष्ट अनुदानों में समायोजित किया जाता है। सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान/प्राप्य राशि को उसके समग्र संग्रहण की निश्चिन्तता के मद्देनज़र प्रोद्भूत आधार पर निर्धारित किया जाता है।

इन्वेंट्रीज़:

स्टॉक का मूल्य निर्धारण लागत मूल्य पर अथवा निवल वसूली मूल्य, जो भी न्यूनतम हो, के आधार पर किया जाता है। विक्रय वापसी के कारण अथवा अन्य किसी कारण मार्गस्थ माल को क्रय मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है।

बिक्री:

सूत, रंगएवं रसायन तथा वस्त्र की बिक्री उपभोक्ताओं को प्रेषित सामानों के मूल्य को दर्शाती है।

व्यय का वर्गीकरण:

सभी व्यय एवं आय का लेखाकरण स्वभाविक खाता शीर्ष के अन्तर्गत किया जाता है। जहाँ कहीं आवश्यक हुआ है, व्यय का आवंटन कार्यात्मक आधार पर किया गया है।

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

ACCOUNTING CONVENTIONS:

The financial statements have been prepared under historical cost convention in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles, the provisions of Companies Act' 2013 and applicable Accounting Standards issued by the Institute of Charted Accountants of India (ICAI).

FIXED ASSETS:

The assets acquired/ purchased are recorded on the basis of purchase value.

DEPRECIATION AND IMPAIRMANET OF ASSETS:

Depreciation on fixed Assets is charged on straight-line method. Depreciation is calculated on pro-rata basis on all additions made during the year in which the assets are put to use/ brought on charges. However, 100% depreciation is charged on the assets acquired during the year where individual cost does not exceed Rs. 5000. Depreciation is calculated as per useful life of assets mentioned in Schedule – II of the Companies Act 2013.

The carrying amount of assets is tested at each Balance Sheet date for impairment so as to determine and provide for the impairment loss, if any, required or the reversal, if any, required for impairment loss recognized in previous periods.

GRANTS:

The expenses against Grants-in-aid have been incurred on specific purposes and are adjusted accordingly in specific grant received from Government. Grants/ Receivable from Government are recognized on accrual basis keeping in view the certainty of its ultimate collection.

INVENTORIES:

The valuation of stocks is at cost or net realizable value, whichever is lower. Goods-in-transit due to sales return or otherwise are valued at purchase price.

SALES:

The sales of yarn, dyes & chemicals and fabrics represent the value of goods dispatched to customers.

CLASSIFICATION OF EXPENDITURE:

All expenses and Incomes are accounted for under natural heads of account. Wherever necessary, allocation of expenditure on the functional basis has been made.

बकाया बिलों पर व्यय:

हितधारकों के साथ निर्णित ऋण की शर्तों के अनुसार बकाया बिलों के सम्बन्ध में देर से किए गए भुगतानों के लिए ब्याज का प्रावधान किया गया है। अप्राप्त बकाया ब्याज को आस्थगित प्रोद्भूत ब्याज के रूप में दर्शाया गया है।

वित्त प्रभार:

रंग एवं रसायन के उपभोक्ताओं पर लगाए गए वित्त प्रभार का निर्धारण उसके समग्र संग्रहण की अनिश्चितता के मद्देनज़र प्राप्ति आधार पर राजस्व के रूप में किया जाता है।

सेवानिवृत्ति सम्बन्धी लाभों का लेखाकरण:

(क) एएस–15 के अनुसार बीमांकिक मूल्याँकन के आधार पर ग्रेच्यूटी सम्बन्धी देयता का प्रावधान किया गया है।

(ख) एएस–15 के अनुसार बीमांकिक मूल्याँकन के आधार पर छुट्टी नकदीकरण देयता का प्रावधान किया गया है।

(ग) निगम के नियमों तथा वर्ष विशेष में कर्मचारियों द्वारा लिए गए अवकाश यात्रा रियायत के सम्बन्ध में खातों में दर्शायी गई प्रविष्टियों के अनुसार अवकाश यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है।

पूर्व अवधि सम्बन्धी समायोजन:

पूर्व अवधि सम्बन्धी समायोजन वे समयोजन हैं जो मूलभूत भूल–चूक का अशुद्धि–शोधन किए जाने से पूर्व अवधियों के लिए प्रयोज्य होते हैं।

विकास कार्यों के लिए आरक्षित धन:

निगम द्वारा विकास कार्यों पर अपने स्त्रोत से किये गये व्यय तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान से अधिक किये गये व्यय को विकास कार्यों के लिए आरक्षित कोष से सीधे प्रभारित किया गया है तथा जिसे निगम के लाभ में से विनियोजित किया गया है।

खण्ड लेखाकरण नीति:

खण्ड लेखाकरण नीतियाँ निगम की लेखाकरण नीतियों के अनुरूप हैं। तथापि, खण्ड की रिपोर्टिंग के लिए निम्नलिखित विशिष्ट लेखाकरण नीतियों का अनुसरण किया गया है :–

(क) खण्ड राजस्व में खण्ड के साथ प्रत्यक्ष रूप से अभिज्ञेय तथा आबंटित बिक्री व अन्य सम्मिलित हैं। जिसमें अंर्तखण्ड राजस्व को भी सम्मिलित किया गया है। कम्पनी की वह आय जो खण्डों में आबंटित नहीं है को अन्य गैर आबंटित आय की मद में रखा गया है।

(ख) खण्ड परिणाम का निर्धारण करते समय खण्ड के साथ अप्रत्यक्षतः अभिज्ञेय/आबंटित खर्चों को भी ध्यान में रखा गया है। कम्पनी के ऐसे सम्पूर्ण खर्चे जो खण्डों को आबंटित नहीं है उन्हें अन्य गैर आबंटित खर्चों की मद में रखा गया है।

(ग) खण्ड परिसम्पत्तियों तथा देयताओं में सीधे सम्बन्धित खण्डों के साथ अभिज्ञेय परिसम्पत्तियाँ तथा देयताएँ शामिल है। अबंटनीय नैगमिक परिसम्पत्तियाँ तथा देयताएँ उन परिसम्पत्तियों तथा देयताओं को दर्शाती हैं जो समग्र रूप से निगम से सम्बन्धित हैं तथा जिन्हें किसी भी खण्ड में आबंटित नहीं किया जा सकता है।

INTEREST ON OVERDUE BILLS:

Interest on overdue bills has been provided for delayed payments as per terms of credit decided with them. The unrealized overdue interest is shown as Deferred Accrued Interest.

FINANCE CHARGE

Finance charges levied on customers of Dyes & Chemicals are recognized as revenue on receipt basis in view of uncertainty in its ultimate collection.

ACCOUNTING OF RETIREMENT BENEFITS:

(a) Liability towards Gratuity is provided based on the actuarial valuation as per AS-15.

(b) Liability towards Leave Encashment is provided based on the actuarial valuation as per AS-15.

(c) Leave travel concession is allowed as per rules of the corporation and booked in accounts in the year in which it is availed by the employees.

PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS:

Prior Period Adjustments are those adjustments applicable to prior periods arising from correction of fundamental errors & omissions.

RESERVE FOR DEVELOPMENTAL ACTIVITIES:

Expenditure incurred by the Corporation on developmental activities from its own sources including expenditure incurred over and above the grant-in-aid received from Government of India are charged to Reserve for Developmental Activities directly which have been appropriated out of profits of the Corporation.

SEGMENT ACCOUNTING POLICY:

Segment Accounting policies are in line with the accounting policies of the corporation. However, the following specific accounting policies have been followed for segment reporting:

a) Segment Revenue includes sales and other income directly identifiable with/ allocable to the segments including inter-segment revenue. The income, which relate to the corporation as a whole and not allocable to the segments is included in "Other Un-allocable Income".

b) Expenses that are directly identifiable with/ allocable to the segments are considered for determining the segments result. The expenses, which relate to the corporation as a whole and not allocable to the segments are included under "Other Un-allocable Expenditure".

c) Segment assets and liabilities include those directly identifiable with the respective segments. Un-allocable corporate assets and liabilities represent the assets and liabilities that relate to the corporation as a whole and not allocable to any segment.

आय पर कर:

मौजूदा अवधि के लिए आय कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार कर योग्य आय तथा कर समंजन के आधार पर किया जाता है तथा जो निर्धारणों/अपीलों के सम्भावित निष्पादनों पर आधारित होता है।

आस्थगित कर का निर्धारण वर्ष विशेष के लिए लेखाकरण आय तथा कर योग्य आय के मध्य के अन्तर के आधार पर किया जाता है तथा उसका परिकलन कर दरों एवं अधिनियमित विधियों अथवा तुलन पत्र की तारीख को अधिनियमित विशिष्ट विधियों के आधार पर किया जाता है।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों का निर्धारण तथा उन परिसम्पत्तियों को तुलन पत्र में उस सीमा तक आगे अग्रेषित किया जाता है जोकि निश्चित रूप से युक्तियुक्त हों तथा जिससे यह सुनिश्चित हो कि ऐसी आस्थगित कर परिसम्पत्तियों के बदले पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी।

ह./–	ह./–	ह./–
नवीन गुप्ता	**सर्वेपल्ली श्रीनिवास**	**शान्तमनु**
अधिशासी निदेशक (वित्त)	**प्रबंध निदेशक**	**अध्यक्ष**

TAXES ON INCOME:

Tax income for the current period is determined on the basis of taxable income and tax credits computed in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961 and based on the expected outcome of assessments/ appeals.

Deferred tax is recognized on timing difference between the accounting income and the taxable income for the year and quantified using the tax rates and laws enacted or substantively enacted as on the Balance Sheet date.

Deferred tax assets are recognized and carried forward to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.

Sd/-	**Sd/-**	**Sd/-**
(Naveen Gupta)	**(Sarvepalli Srinivas)**	**(Shantmanu)**
Executive Director (Finance)	**Managing Director**	**Chairman**

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
दिनांक 31 मार्च, 2017 को तुलन-पत्र (बैलेंस शीट)

	विवरण	नोट सं.	मौजूदा समीक्षावधि के अंत में आंकड़े (रु. में)	पूर्ववर्ती समीक्षावधि के अंत में आंकड़े (रु. में)
	1	2	3	4
I.	**इक्विटी एवं देयता**			
1	**अंशधारक की निधियाँ**			
क)	शेयर पूंजी	1	190000000	190000000
ख)	रिजर्वस एवं अतिरेक	2	820304825	642738731
2	**गैर मौजूदा देयताएं**			
क)	आस्थगित कर देयताएं (निवल)	3	-26516346	-27116587
ख)	अन्य दीर्घावधि देयताएं (समग्र)	4	985672985	214082615
ग)	अन्य दीर्धावधि देयताएं	4	-	-
घ)	दीर्घावधि प्रावधान	5	-	-
3	**मौजूदा देयताएं**			
क)	अल्पावधि उधार	6	-	-
ख)	व्यापार देनदारियां	7	3325400731	2594192328
ग)	अन्य मौजूदा देयताएं	8	753865411	546020624
घ)	अल्पावधि प्रावधान	9	413874626	321919128
	कुल		**6462602233**	**4481836839**
II.	**परिसंपत्तियां**			
	गैर मौजूदा परिसंपत्तियां			
1 (क)	नियत परिसंपत्तियां			
i)	मूर्त परिसंपत्तियां	10	127475118	116829903
ii)	अमूर्त परिसंपत्तियां	11	17742591	155196
iii)	प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य	12	-	6285800
ख)	स्दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	13	398778	396078
ग)	अन्य गैर मौजूदा परिसंपत्तियां (समग्र)	14	985672985	214082615
2	**मौजूदा परिसंपत्तियां**			
क)	इन्वेंट्रीज	15	12736571	14923446
ख)	प्राप्य व्यापार	16	2210480511	2236679627
ग)	रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	17	1933814196	1210015502
घ)	अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	18	1119175370	644889535
ड)	अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां	19	55106113	37579137
	कुल		**6462602233**	**4481836839**

नोटः 1 से 32 तथा मौजूदा समीक्षावधि के अंत में उपलब्ध तुलन–पत्र के साथ संलग्न महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि संबंधी विवरण, इक्विटी और मुद्रा के प्रवाह में परिवर्तन लेखाओं का एक अभिन्न भाग है।

ह./–
नवीन गुप्ता
अधिशासी निदेशक (वित्त)

ह./–
सर्वेपल्ली श्रीनिवास
प्रबंध निदेशक

ह./–
शान्तमनु
अध्यक्ष

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
ए. श्रीवास्तव एवं का. के लिए
चार्टेड एकाउन्टेन्टस

ह./–
सी.ए. अशोक कुमार अग्रवाल
साझेदार
एम. नं. 015091
एफ.आर.नं. 511001C

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 08 सितम्बर, 2017

NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH 2017

	PARTICULARS	NOTE NO.	Figures as at the end of current reporting period (Rs.)	Figures as at the end of the previous reporting period (Rs.)
	1	2	3	4
I.	**EQUITY AND LIABILITIES**			
1	**Shareholder's funds**			
a)	Share Capital	1	190000000	190000000
b)	Reserves and Surplus	2	820304825	642738731
2	**Non- current liabilities**			
a)	Deferred tax liabilities (Net)	3	-26516346	-27116587
b)	Other long term liabilities (Corpus)	4	985672985	214082615
c)	Other long term liabilities	4	-	-
d)	Long term provisions	5	-	-
3	**Current liabilities**			
a)	Short term borrowings	6	-	-
b)	Trade payables	7	3325400731	2594192328
c)	Other current liabilities	8	753865411	546020624
d)	Short term provisions	9	413874626	321919128
	TOTAL		**6462602233**	**4481836839**
II.	**ASSETS**			
	Non current assets			
1 (a)	Fixed Assets			
i)	Tangible assets	10	127475118	116829903
ii)	Intangible assets	11	17742591	155196
iii)	Capital work in progress	12	-	6285800
b)	Long term loans and advances	13	398778	396078
c)	Other non current assets(Corpus)	14	985672985	214082615
2	**Current assets**			
a)	Inventories	15	12736571	14923446
b)	Trade receivable	16	2210480511	2236679627
c)	Cash and cash equivalents	17	1933814196	1210015502
d)	Short term loans and advances	18	1119175370	644889535
e)	Other current assets	19	55106113	37579137
	TOTAL		**6462602233**	**4481836839**

Note 1 to 32 and significant Accounting Policies annexed to Balance sheet as at the end of current reporting period and Statement of Profit and Loss, Change in Equity and Cash Flow for the year ended on that date form an integral part of Accounts.

Sd/-
Naveen Gupta
Executive Director (Finance)

Sd/-
Sarvepalli Srinivas
Managing Director

Sd/-
Shantmanu
Chairman

As per our Report of even date
For A Srivastava & Co.
Chartered Accountants

Sd/-
CA Ashok Kumar Agarwal
Partner
M.No. 015091
F.R.No. 511001C

Place: New Delhi
Date: 08 September 2017

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि संबंधी विवरण

	विवरण	नोट सं.	मौजूदा समीक्षावधि के लिए आंकड़े (रु. में)	पूर्ववर्ती समीक्षावधि के लिए आंकड़े (रु. में)
I. (क)	कार्य संचालनों से प्राप्त राजस्व	20	29935179302	24060442984
(ख)	यॉर्न आपूर्ति स्कीम के अंतर्गत व्यय की प्रतिपूर्ति के बदले सहायता अनुदान	20	3027168644	2221565897
II.	अन्य आय	21	114262803	67855186
III.	**कुल राजस्व (I+II)**		**33076610749**	**26349864067**
IV.	व्यय			
	व्यापार में स्टाक की खरीद	22	31324523043	24957681870
	परिवहन/डिपो प्रभारों की प्रतिपूर्ति	23	930465136	765315323
	व्यापार में इंवेंट्रीज/स्टाक में परिवर्तन	24	1960975	-1459443
	कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय	25	224161672	180684963
	वित्तीय लागत	26	-	-
	अवमूल्यन और प्रतिशोधन व्यय	10 & 11	6021704	4047598
	अन्य व्यय	27	109078342	63365461
	कुल व्यय		**32596210872**	**25969635772**
V.	आपवादिक एवं असाधारण मदों के संबंध में लाभ एवं कर (III-IV)		480399877	380228295
VI.	आपवादिक मदें	28	4961892	3090720
VII.	नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय	29	10021783	7396129
VIII.	आपवादिक मदों के संबंध में लाभ एवं कर (V-VI-VII)		465416202	369741446
IX.	आपवादिक मदें			
X.	कर पूर्व लाभ (VIII- IX)		465416202	369741446
XI.	कर व्यय :			
1	मौजूदा कर (प्रावधान)	30	176000000	134515000
2	आस्थगित कर	3	600241	-5566226
XII.	सतत कार्यसंचालन की अवधि के लिए लाभ (हानि) (X - XI)		288815961	240792672
XIII.	बंद कार्य संचालनों से लाभ/हानि			
XIV.	बंद कार्य संचालनों का कर संबंधी व्यय			
XV.	बंद कार्य संचालनों से लाभ/हानि (कर के भुगतान के पश्चात्) (XIII-XIV)		-	-
XVI.	उक्त अवधि के लिए लाभ (हानि) (XII + XV)		288815961	240792672
XVII. (i)	प्रति इक्विटी शेयर से आय (असाधारण मदों से पूर्व)			
(1)	मूलभूत		152.01	126.73
(2)	डायल्युटेड		152.01	126.73
(ii)	प्रति इक्विटी शेयर से आय (असाधारण मदों के पश्चात्)			
(1)	मूलभूत		152.01	126.73
(2)	डायल्युटेड		152.01	126.73

नोटः 1 से 32 तथा मौजूदा समीक्षावधि के अंत में उपलब्ध तुलन–पत्र के साथ संलग्न महत्वपूर्ण लेखाकार नीतियां तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि संबंधी विवरण, इक्विटी और मुद्रा के प्रवाह में परिवर्तन लेखाओं का एक अभिन्न भाग है।

ह./–
नवीन गुप्ता
अधिशासी निदेशक (वित्त)

ह./–
सर्वेपल्ली श्रीनिवास
प्रबंध निदेशक

ह./–
शान्तमनु
अध्यक्ष

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
ए. श्रीवास्तव एवं का. के लिए
चार्टेड एकाउन्टेन्टस

ह./–
सी.ए. अशोक कुमार अग्रवाल
साझेदार
एम. नं. 015091
एफ.आर.नं. 511001C

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 08 सितम्बर, 2017

NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2017

	PARTICULARS	NOTE NO.	Figures for the current reporting period (Rs.)	Figures for the previous reporting period (Rs.)
I. (a)	Revenue from operations	20	29935179302	24060442984
(b)	Grant in-aid against reimbursement of expenditure under Yarn Supply Scheme	20	3027168644	2221565897
II.	Other Income	21	114262803	67855186
III.	**Total Revenue (I+II)**		**33076610749**	**26349864067**
IV.	Expenses:			
	Purchases of stock in trade	22	31324523043	24957681870
	Reimbursement of Transportation/depot charges	23	930465136	765315323
	Changes in inventories/stock in trade	24	1960975	-1459443
	Employee benefits expenses	25	224161672	180684963
	Finance costs	26	-	-
	Depreciation and amortization expenses	10 & 11	6021704	4047598
	Other expenses	27	109078342	63365461
	Total Expenses		**32596210872**	**25969635772**
V.	Profit before exceptional and extraordinary items and tax (III-IV)		480399877	380228295
VI.	Exceptional items	28	4961892	3090720
VII.	Corporate social responsibility (CSR) Expenses	29	10021783	7396129
VIII.	Profit before extraordinary items and tax (V-VI-VII)		465416202	369741446
IX.	Extraordinary Items			
X.	Profit before tax (VIII- IX)		465416202	369741446
XI.	Tax expense:			
1	Current Tax (Provision)	30	176000000	134515000
2	Deferred Tax	3	600241	-5566226
XII.	Profit (Loss) for the period from continuing operations (X - XI)		288815961	240792672
XIII.	Profit/loss from discontinuing operations			
XIV.	Tax expenses of discontinuing operations			
XV.	Profit/(loss) from discontinuing operatios (after tax) (XIII-XIV)		-	-
XVI.	Profit(Loss) for the period (XII + XV)		288815961	240792672
XVII. (i)	Earnings per equity share (Before extra ordinary items)			
(1)	Basic		152.01	126.73
(2)	Diluted		152.01	126.73
(ii)	Earnings per equity share (After extra ordinary items)			
(1)	Basic		152.01	126.73
(2)	Diluted		152.01	126.73

Note 1 to 32 and significant Accounting Policies annexed to Balance sheet as at the end of current reporting period and Statement of Profit and Loss, Change in Equity and Cash Flow for the year ended on that date form an integral part of Accounts.

Sd/-
Naveen Gupta
Executive Director (Finance)

Sd/-
Sarvepalli Srinivas
Managing Director

Sd/-
Shantmanu
Chairman

As per our Report of even date
For A Srivastava & Co.
Chartered Accountants

Sd/-
CA Ashok Kumar Agarwal
Partner
M.No. 015091
F.R.No. 511001C

Place: New Delhi
Date: 08 September 2017

लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1. शेयर पूंजी

		मौजूदा समीक्षावधि के अंत में आंकड़े (रु. में)		पूर्ववती समीक्षावधि के अंत में आंकड़े (रु. में)
प्राधिकृत				
प्रत्येक 100/– रू. मूल्य वाले 20,00,000 इक्विटी शेयर (पूर्व वर्ष 20,00,000 इक्विटी शेयर)		20,00,00,000		20,00,00,000
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त प्रत्येक 100/–रु. मूल्य वाले 18,98,465 इक्विटी शेयर जिनके लिए नकद राशि का भुगतान किया गया था तथा जो डीसीएच कार्यालय के जरिए भारत सरकार द्वारा धारित थे (पूर्व वर्ष प्रत्येक 100 रु. मूल्य वाले 18,98,465 इक्विटी शेयर)	189846500		189846500	
प्रत्येक 100/–रु. मूल्य वाले 1,535 इक्विटी शेयर जिनके लिए नकद भुगतान नहीं किया गया था (कंपनी के निगमीकरण व्यय के बदले भारत के राष्ट्रपति को डीसीएच कार्यालय के जरिए आबंटित किए गए शेयर) पूर्व वर्ष प्रत्येक 100/–रु. मूल्य वाले 1535 इक्विटी शेयर)	153500	190000000	153500	190000000
कुल		**190000000**		**190000000**

2. रिजर्वस तथा अतिरेक

		मौजूदा समीक्षावधि के अंत में आंकडे (रु में)	पूर्ववती समीक्षावधि के अंत में आंकड़े (रु. में)
(क)	**रिजर्वस**		
(I)	तुलन–पत्र के अनुसार विकासात्मक कार्यों के लिए रिजर्व	2490403	2499398
	वृद्धिः लाभ और हानि के विवरण से अंतरित की गई धनराशि लाभ और हानि	5800000	4700000
	कमीः वर्ष के दौरान उपयोग	5828773	4708995
	कुल (i)	**2461630**	**2490403**
(II)	तुलन–पत्र के अनुसार सेवानिवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा निधि	7197499	3908346
	वृद्धिः लाभ और हानि के विवरण से अंतरित की गई धनराशि लाभ और हानि	3700000	3860000
	वृद्धिः वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	250350	283485
	कमीः वर्ष के दौरान उपयोग	958243	854332
	कुल (ii)	**10189606**	**7197499**
	कुल (i+ii)	**12651236**	**9687902**
(ख)	**अधिशेष**		
	तुलन–पत्र के अनुसार	633050829	488799853
	वृद्धिः लाभ और हानि के विवरण से अंतरित की गई धनराशि मौजूदा वर्ष में लाभ	288815961	240792674
	कमीः–		
	प्रस्तावित लाभांश	87000000	73100000
	नैगमिक कर लाभांश	17713200	14881698
	विकास गतिविधि के लिए आरक्षित राशि को हस्तांतरित किया गया	5800000	4700000
	सेवानिवृत्ति के पश्चात् अंतरित की गई चिकित्सा निधि	3700000	3860000
	कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार दिनांक 31.03.2014 को अनुपयोगी परिसंपत्तियों का अवमूल्यन	-	-
	अधिशेष (ख)	**807653590**	**633050829**
	कुल (क+ख)	**820304825**	**642738731**
	प्रति इक्विटी शेयर प्रस्तावित लाभांश	**45.79**	**38.47**

i) वित्त वर्ष 2015–16 हेतु 1% कर पूर्व लाभ (पीबीटी) वाली 3700000/– रु. की धनराशि (पूर्व वर्ष 3860000/– रु.) को वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा निधि के लिए रखा गया है। सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा स्कीम के अंतर्गत उक्त चिकित्सा निधि का उपयोग करते हुए अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ की अनुमति प्रदान की जाती है।

NOTES ON ACCOUNTS

1. SHARE CAPITAL

			Figures as at the end of current reporting period (Rs.)		Figures as at the end of the previous reporting period (Rs.)
	Authorized				
	20,00,000 Equity shares (Previous year 20,00,000 Equity shares) of Rs. 100/- each		20,00,00,000		20,00,00,000
	Issued, Subscribed & Paid-up 18,98,465 Equity shares of Rs. 100/- each fully paid in cash held by Government of India through DCH office (Previous year 18,98,465 Equity shares of Rs. 100/- each)	189846500		189846500	
	1,535 Equity shares of Rs. 100/- each fully paid up without payment being received in cash (Shares allotted to The President of India through DCH Office against company's incorporation expenses, (Previous year 1,535 equity shares of Rs. 100/- each)	153500	190000000	153500	190000000
	TOTAL		**190000000**		**190000000**

2. RESERVES & SURPLUS

		Figures as at the end of current reporting period (Rs.)	Figures as at the end of the previous reporting period (Rs.)
(A)	**RESERVES:**		
(I)	Reserve for developmental Activities as per last Balance sheet	2490403	2499398
	Add : Amount transferred from Statement of Profit & Loss	5800000	4700000
	Less: Utilization during the year	5828773	4708995
	Total (i)	**2461630**	**2490403**
(II)	Post Retirement Medical Corpus As per last Balance sheet	7197499	3908346
	Add : Amount transferred from Statement of Profit & Loss	3700000	3860000
	Add : Interest Earned during the year	250350	283485
	Less: Utilization during the year	958243	854332
	Total (ii)	**10189606**	**7197499**
	Total (i+ii)	**12651236**	**9687902**
(B)	**SURPLUS**		
	As per last Balance sheet	633050829	488799853
	Add : Amount transferred from Statement of Profit & Loss Current year profit	288815961	240792674
	Less:-		
	Proposed Dividend	87000000	73100000
	Corporate Tax on Dividend	17713200	14881698
	Amount transferred to reserve for developmental activity	5800000	4700000
	Transferred to post retirement medical corpus	3700000	3860000
	Depreciation on Assets not having remaining life as on 31.03.2014 as per Companies Act 2013	-	-
	SURPLUS (B)	**807653590**	**633050829**
	TOTAL (A+B)	**820304825**	**642738731**
	Proposed Dividend per Equity Share	**45.79**	**38.47**

i) An amount of Rs. 3700000 (Previous year Rs. 3860000) being 1% of the profit before tax (PBT) for FY 2015-16 has been contributed to the "Post Retirement Medical Corpus" during FY 2016-17. The medical benefit under "Post Retirement Medical Scheme" is allowed to the superannuated employees by utilizing the said medical corpus.

3. आस्थगित कर देयता (निवल)

मौजूदा समीक्षावधि के अंत में निवल आस्थगित कर देयता का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

अस्थगित कर परिसंपत्तियों के घटक तथा आस्थगित कर देयता	मौजूदा समीक्षावधि के अंत तक की स्थिति के अनुसार	
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (रु. में)	आस्थगित कर देयता (रु. में)
आस्थगित कर देयताएं		
लेखा बहियों के अनुसार अवमूल्यन योग्य परिसंपत्तियों का बही मूल्य तथा कर अवमूल्यन के अनुसार लिखित मूल्य का अंतर		13406735
समय का अंतर करने के लिए अन्य आस्थगित कर देयता		6206839
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
शंकायुक्त ऋण एवं अग्रिम आदि के लिए प्रावधान	12188719	
छुट्टी संबंधी वेतन के लिए प्रावधान	33551297	
मृतक कर्मचारी योजना के लिए प्रावधान	323230	
समय संबंधी अंतर के लिए अन्य आस्थगित कर परिसंपत्ति (वीआरएस)	66674	
कुल	**46129920**	**19613574**
मौजूदा समीक्षावधि के अंत में निवल आस्थगित कर देयता/ (परिसंपत्ति)		**-26516346**
पूर्व समीक्षावधि के अंत में निवल आस्थगित कर देयता/ (परिसंपत्ति)		**-27116587**
मौजूदा समीक्षावधि के दौरान लाभ संबंधी विवरण के लिए प्रभारित निवल देयता/(परिसंपत्ति)		**600241**

4. गैर मौजूदा देयता-अन्य दीर्घावधि देयताएं

I) अन्य दीर्घावधि देयता (समग्र)

		मौजूदा समीक्षावधि के अंत में आंकडे (रु में)		पूर्ववर्ती समीक्षावधि के अंत में आंकड़े (रु. में)	
(क)	**समग्र निधि (विपणन कॉम्पलेक्स)**				
क)	भारत सरकार से प्राप्ति	82580850		82580850	
ख)	**कमी:** समायोजित/सरकार को वापस की गई धनराशि	48158949		48158949	
ग)	सरकार को प्रतिदेय मूल राशि (क–ख)	34421901		34421901	
घ)	समायोजनों सहित एजेंसियों से प्राप्त धनराशि	96773633		97789704	
ङ)	**कमी:** एजेंसियों की ओर से कॉम्पलेक्सों के लिए स्थान का अभिग्रहण/ अन्य व्यय आदि के लिए अदा की गई राशि	95351227		94097380	
च)	एजेंसियों को प्रतिदेय राशि (घ–ङ)	1422406		3692324	
छ)	शेष (क–ख+घ–ङ) या (ग+च)		35844307		38114225
ज)	अर्जित लाभ में से विविध व्यय को घटाने के बाद राशि		152314036		138322216
	कुल (छ+ज)		**188158343**		**176436441**
(ख)	**समग्र निधि (मेगा क्लस्टर)**				
क)	भारत सरकार से प्राप्ति	95000000		95000000	
ख)	अर्जित लाभ की राशि	32175213		30164315	
ग)	**कुल (क+ख)**		**127175213**		**125164315**
घ)	कमी: मेगा क्लस्टर में उपयोग हेतु अंतरित राशि		95000000		95000000
	शेष (ग–घ)		**32175213**		**30164315**
(ग)	**समग्र निधि (व्यापार सुविधा केंद्र)**				
क)	भारत सरकार से प्राप्ति	2676737816		781012400	
ख)	अर्जित लाभ की राशि	4921310		4352542	
ग)	**कुल (क+ख)**		**2681659126**		**785364942**
घ)	कमी: परियोजना प्रबंधन एजेंसी को अंतरित की गई राशि		2093108724		750788612
ङ)	कमी: वास्तुविद् शुल्क एवं अन्य व्यय		57940451		27094471
	शेष (ग–घ–ङ)		**530609951**		**7481859**

3. DEFERRED TAX LIABILITY (Net)

The break up of net deferred tax liability as at the end of current reporting period is as under:

Components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liability	As at the end of current reporting period	
	Deferred Tax Assets (Rs.)	Deferred Tax Liability (Rs.)
Deferred Tax Liabilities		
Difference between book value of depreciable assets as per books of accounts and written down value as per tax depreciation		13406735
Other deferred tax liability giving rise to timing difference		6206839
Deferred Tax Assets		
Provision for doubtful debts and advances etc. based on Income Tax Rate of Provision	12188719	
Provision for leave salary	33551297	
Provision for Deceased Employee Scheme	323230	
Other deferred tax asset giving rise to timing difference- (VRS)	66674	
Total	**46129920**	**19613574**
Net Deferred Tax Liability/ (Asset) as at the end of current reporting period		**-26516346**
Net Deferred Tax Liability/ (Asset) as at the end of previous reporting period		**-27116587**
Net Liability / (Asset) charged to Statement of Profit and Loss during the current reporting period		**600241**

4. NON CURRENT LIABILITIES – OTHER LONG TERM LIABILITIES

I) Other Long Term Liability (Corpus)

		Figures as at the end of current reporting period (Rs.)		Figures as at the end of the previous reporting period (Rs.)	
(A)	**Corpus Fund (Marketing Complex)**				
a)	Receipt from Govt. of India upto date	82580850		82580850	
b)	**Less:** Amount adjusted/ refunded to Govt. upto date	48158949		48158949	
c)	Principle amount refundable to Govt. (a-b)	34421901		34421901	
d)	Amount realized from agencies including adjustments upto date	96773633		97789704	
e)	**Less:** Amount paid for acquisition of space/ other expenses etc. for complexes on behalf of agencies upto date	95351227		94097380	
f)	Refundable to agencies (d-e)	1422406		3692324	
g)	Balance (a-b+d-e) or (c+f)		35844307		38114225
h)	Amount of Interest earned less miscellaneous expenditure upto date		152314036		138322216
	Total (g+h)		**188158343**		**176436441**
(B)	**Corpus Fund (Mega Cluster)**				
a)	Receipt from Govt. of India upto date	95000000		95000000	
b)	Amount of Interest earned upto date	32175213		30164315	
c)	**Total (a+b)**		**127175213**		**125164315**
d)	Less: Amount transferred for utilization in Mega Cluster upto date		95000000		95000000
	Balance (c-d)		**32175213**		**30164315**
(C)	**Corpus Fund (Trade Facilitation Centre)**				
a)	Receipt from Govt. of India upto date	2676737816		781012400	
b)	Amount of Interest earned upto date	4921310		4352542	
c)	**Total (a+b)**		**2681659126**		**785364942**
d)	Less: Amount transferred to Project Management Agency upto date		2093108724		750788612
e)	Less : Architect fee & other expenses upto date		57940451		27094471
	Balance (c-d-e)		**530609951**		**7481859**

		मौजूदा समीक्षावधि के अंत में आंकडे (रु में)		पूर्ववर्ती समीक्षावधि के अंत में आंकड़े (रु. में)	
(घ)	**समग्र निधि (हैंडलूम पार्क, पोचमपल्ली)**				
क)	भारत सरकार से प्राप्ति	247502000		-	
ख)	अर्जित लाभ की राशि	6939861			
ग)	ब्याज राशि का भुगतान	2212383		-	
घ)	**कुल (क+ख–ग)**		**252229478**		**-**
ङ)	**कमी:** पोचमपल्ली को हस्तांतरित राशि (अग्रिम भुगतान)		10000000		-
च)	**कमी:** कच्चे माल के लिए राशि का हस्तांतरण		7500000		-
	शेष (ग–घ–ङ)		**234729478**		**-**
	कुल योग (क+ख+ग+घ)		**985672985**		**214082615**
II)	**अन्य दीर्घावधि देयताएं**				
	प्रतिभूति जमा		-		-
	कुल		**-**		**-**

i) प्रारंभ में समग्र निधि (विपणन कॉम्पलेक्स) लेखा में जमा करने के पश्चात् उपयोगकर्ता एजेंसियों की ओर से मुंबई, इंदौर, जयपुर और नई दिल्ली में विपणन परिसर की एकमुश्त खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा 82580850/–रु. (पिछले वर्ष 82580850/–रु.) की निधि जारी की गई थी जिसका विपणन परिसरों की खरीद के लिए उपयोग कर लिया गया है। उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त 96773633/–रु. (पिछले वर्ष 97789704/–रु.) की राशि समग्र निधि में जमा कर दी गई है और विपणन परिसरों की स्थापना पर किए गए 95351227/–रु. (पिछले वर्ष 94097380/–रु.) का व्यय समय निधि से प्रभारित किया गया है। विविध व्यय, यदि कोई हो को समायोजित करने के पश्चात् अव्ययित समग्र निधि से सृजित सावधि जमा पर अर्जित ब्याज 152314036/–रु. (पिछले वर्ष 138322216/–रु.) को जमा कर दिया गया है।

ii) सरकारी निदेशों के अनुसार वाराणसी, शिवसागर, गोड्डा, मुर्शिदाबाद तथा प्रकाशन मेगा क्लस्टर में हथकरघा बुनकरों को सूत की आपूर्ति के लिए 95000000/–रु. (पिछले वर्ष 95000000/–रु.) सरकार द्वारा जारी की गई राशि का उपयोग मेगा क्लस्टर में हथकरघा बुनकरों को सूत की आपूर्ति करने के लिए किया गया है। सावधि जमाओं पर अर्जित 32175213/–रु. (पिछले वर्ष 30164315/–रु.) के ब्याज को जमा कर दिया गया है।

		Figures as at the end of current reporting period (Rs.)		Figures as at the end of the previous reporting period (Rs.)	
(D)	**Corpus Fund (Handloom Park, Pochampaly)**				
a)	Receipt from Govt. of India	247502000		-	
b)	Amount of Interest earned	6939861			
c)	Amount of Interest paid	2212383		-	
d)	**Total (a+b-c)**		**252229478**		**-**
e)	**Less:** Amount transferred to Pochampally (Advance paid)		10000000		-
f)	**Less:** Amount transferred for Raw Metrial		7500000		-
	Balance (c-d-e)		**234729478**		**-**
	GRAND TOTAL (A+B+C+D)		**985672985**		**214082615**
II)	**Other Long Term Liabilities**				
	Security Deposit		-		-
	Total		**-**		**-**

i) Funds released by the Govt. of India amounting to Rs. 82580850 (Previous Year Rs. 82580850) for outright purchases of Marketing Complexes at Mumbai, Indore, Jaipur, and New Delhi on behalf of user agencies, after initially crediting them to Corpus Fund (Marketing Complex) Account, have been utilized for purchase of Marketing Complexes. The amount of Rs. 96773633 (Previous Year Rs. 97789704) received from user agencies has been credited to the corpus fund and expenditure incurred on setting up of marketing complexes amounting to Rs. 95351227 (Previos Year Rs. 94097380) has been charged to the corpus fund. The interest earned on fixed deposits created from unspent corpus fund, after adjusting the Misc. expenditure if any, amounting to Rs. 152314036 (Previous Year Rs. 138322216) has been credited thereto.

ii) As per Government directives, the funds released by Govt. of India amounting to Rs. 95000000 (Previous Year Rs. 95000000) for supply of yarn to the Handloom weavers in Varanasi, Sivsagar, Godda, Murshidabad and Prakasham Mega cluster have been utilized for arranging the yarn supply to handloom weavers in Mega Cluster. The amount of interest earned on fixed deposits amounting to Rs. 32175213 (Previous Year Rs. 30164315) has been credited thereto.

5. गैर मौजूदा देयताएं - दीर्घावधि प्रावधान

	मौजूदा समीक्षावधि के अंत में आंकड़े (रु. में)	पूर्ववर्ती समीक्षावधि के अंत में आंकड़े (रु. में)
	-	-

6. मौजूदा देयताएं - अल्पावधि ऋण

	मौजूदा समीक्षावधि के अंत में आंकड़े (रु. में)	पूर्ववर्ती समीक्षावधि के अंत में आंकड़े (रु. में)
सुरक्षित ऋण		
बही ऋण एवं चल परिसंपत्तियों के मालबंधन के बदले बैंकों से	-	-
	-	-

7. मौजूदा देयताएं - व्यापार देनदारियां

	मौजूदा समीक्षावधि के अंत में आंकड़े (रु. में)	पूर्ववर्ती समीक्षावधि के अंत में आंकड़े (रु. में)
विविध लेनदार	3193836380	2505358221
(इसमें एस.एस.आई युनिट्स को देय 1056948877/–रु. शामिल हैं–पिछले वर्ष 1232614980/–रु.		
ग्राहक/अन्य से प्राप्त अग्रिम राशि	131564351	88834107
कुल	**3325400731**	**2594192328**

i) संतुलन पुष्टि एक सतत प्रक्रिया है। वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के अंत में इस वर्ष के अंत तक की शेष राशि सभी लेनदारों तथा अन्य पक्षकारों को पुष्टि के लिए भेज दी गई है, हालांकि, पुष्टि निम्नानुसार प्राप्त की गई है–

विवरण	कुल		मौजूदा समीक्षावधि के अंत में प्राप्त पुष्टि		मौजूदा समीक्षावधि के अंत में शेष राशि की पुष्टि की प्रतिशतता	
	एजेंसियों की संख्या	बकाया राशि (रु. में)	एजेंसियों की संख्या	बकाया राशि (रु. में)	एजेंसियों की संख्या (%)	बकाया राशि (रु. में) (%)
बकाया राशि	570	3193836380	339	1864025644	59.47	58.36
ग्राहक/अन्य से प्राप्त अग्रिम	1581	131564351	830	67432260	52.50	51.25

ऊपर दर्शाए गए पुष्टि प्राप्त शेष राशि में वह राशि शामिल नहीं है जिसके लिए किसी प्रकार का विवाद हो परंतु इसमें केवल वह शेष राशि शामिल है जहां अंतर/समाधान के कारण की गई प्रविष्टियां दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य हों। वह शेष राशि जो पुष्टि के लिए लंबित है, उसकी नियत समय में समीक्षा की जाएगी और उसके संबंध में समाधान निकाला जाएगा तथा इस संबंध में समायोजन यदि कोई हो जिसकी इन मामलों में आवश्यकता हो, तो उसे यथाशीघ्र पूरा किया जाएगा।

ii) विविध लेनदारों में 354913447/–रु. (पिछले वर्ष 414764022/–रु.) की राशि शामिल है जो मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में 30 से अधिक दिनों के लिए से बकाया है तथा जो लघु उद्योग को देय है। उपर्युक्त लघु उद्योग वाले लेनदारों को देय राशि को उनके साथ किए गए करार के आधार पर रोक दिया गया है जिसमें उन्हें संबंधित लेनदारों से धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् ही आगे का भुगतान किया जाएगा।

iii) इसके अतिरिक्त ऐसे कोई सूक्ष्म और लघु उद्यम नहीं हैं, जिन्हें धनराशि का भुगतान करने संबंधी कंपनी की कोई देनदारी हो और मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में 45 से अधिक दिनों से बकाया हों। यह सूचना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकट की जानी अपेक्षित है और यह निगम के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसे पक्षकारों को अभिज्ञात करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेखा परीक्षकों द्वारा इस पर भरोसा व्यक्त किया गया है।

8. मौजूदा देयताएं - अन्य मौजूदा देयताएं

	मौजूदा समीक्षावधि के अंत में आंकड़े (रु. में)	पूर्ववर्ती समीक्षावधि के अंत में आंकड़े (रु. में)
प्रतिभूति जमा	613722	1607446
सरकारी अनुदान/सहभागिता राशि (कृपया नीचे दिए गए ब्यौरे का अवलोकन करें)	33568448	43789244
अवधारण राशि	341649	341649
अग्रिम राशि	827763	802762
समग्र निधि (क्लस्टर विकास)	161909696	157673737
समग्र निधि (मेगा क्लस्टर)	95000000	95000000
परिवहन एवं डिपो को देय	355725022	205382433
अन्य देयताएं	105879112	41423353
कुल	**753865411**	**546020624**

i) भारत सरकार की एकीकृत हथकरघा क्लस्टर विकास स्कीम के अन्तर्गत सूत की आपूर्ति के लिए समग्र निधि के रूप में 638 क्लस्टरों (गत वर्ष 640 क्लस्टरों) से 16,19,09,696 रुपए (गत वर्ष 15,76,73,737 रुपए) की समग्र निधि प्राप्त हुई है।

ii) मेगा क्लस्टरों में हथकरघा बुनकरों के लिए सूत तथा रंग एवं कैमिकल की आपूर्ति के लिए सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों को 5 मेगा क्लस्टरों (गत वर्ष 5 मेगा क्लस्टरों) के सम्बन्ध में 9,50,00,000 रुपए (गत वर्ष 9,50,00,000 रुपए) की समग्र निधि (मेगा क्लस्टर) अन्तरित कर दी गई है।

5. NON - CURRENT LIABILITIES - LONG TERM PROVISION

	Figures as at the end of current reporting period (Rs.)	Figures as at the end of the previous reporting period (Rs.)
	-	-

6. CURRENT LIABILITIES - SHORT TERM BORROWINGS

	Figures as at the end of current reporting period (Rs.)	Figures as at the end of the previous reporting period (Rs.)
Secured Loans		
From banks against hypothecation of book debts and movable assets	-	-
	-	-

7. CURRENT LIABILITIES – TRADE PAYABLES

	Figures as at the end of current reporting period (Rs.)	Figures as at the end of the previous reporting period (Rs.)
Sundry creditors	3193836380	2505358221
(Includes Rs. 1056948877 payable to S.S.I units – Previous year Rs.1232614980)		
Advance from customers/ others	131564351	88834107
Total	**3325400731**	**2594192328**

i) The balance confirmation is a continuous process. The year end balances as at the end of current reporting period has been sent to all the creditors and other parties for confirmation, however, confirmation has been received as follows:-

Particulars	Total		Confirmation received as at the end of current reporting period		% of Confirmation of balances as at the end of current reporting period	
	No. of agencies	Amount outstanding (Rs.)	No. of agencies	Amount outstanding (Rs.)	No. of agencies (%)	Amount outstanding (%)
Creditors	570	3193836380	339	1864025644	59.47	58.36
Advance from customers/ others.	1581	131564351	830	67432260	52.50	51.25

The confirmed balances shown above do not include those, where there is any dispute, but only those balances where the entries on account of difference/ reconciliation are acceptable to both the parties. The balances which are pending for confirmation will be reviewed and reconciled in due course and the adjustment, if any, required in these cases will be made as soon as reconciled.

ii) Sundry Creditors includes amount of Rs. 354913447 (Previous year Rs. 414764022) payable to Small Scale Industries, outstanding for more than 30 days as at the end of current reporting period. The amount due to creditors being small scale industries as above has been withheld based on the arrangement with them, wherein, the payment will be released to them only after realization of the payment from the corresponding debtors.

iii) Besides above, there are no micro and small enterprises, to whom the company owes dues which are outstanding for more than 45 days as at the end of current reporting period. This information is required to be disclosed under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 and has been determined to the extent such parties had been identified on the basis of information available with the corporation. This has been relied upon by the auditors.

8. CURRENT LIABILITIES – OTHER CURRENT LIABILITIES

	Figures as at the end of current reporting period (Rs.)	Figures as at the end of the previous reporting period (Rs.)
Security deposits	613722	1607446
Govt. grants/participation money (detail is Annexed)	33568448	43789244
Retention money	341649	341649
Earnest money	827763	802762
Corpus fund (Cluster development)	161909696	157673737
Corpus fund (Mega Cluster)	95000000	95000000
Transportation and depot payable	355725022	205382433
Other Liabilities	105879112	41423353
Total	**753865411**	**546020624**

i) Corpus Fund (Cluster Development) amounting to Rs. 161909696 (Previous year Rs. 157673737) has been received from 638 clusters (Previous year 640 clusters) as Corpus Fund for supply of yarn under the Integrated Handloom Cluster Development Scheme of Govt. of India.

ii) Corpus Fund (Mega Cluster) amounting to Rs. 95000000 (Previous year Rs. 95000000) in respect of 5 Mega Clusters (Previous year 5 Mega Cluster) has been transferred to the concerned Regional Offices for supply of Yarn and Dyes & Chemicals to the handloom weavers in those Mega Clusters.

i) अनुदान संबंधी विवरण

मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए सरकारी अनुदान तथा प्रतिभागियों की राशि का ब्यौरा

(रु. में)

क्र. सं.	विवरण	प्रारंभिक शेष दिनांक 1.4.2016 को	वर्ष के दौरान		कुल	वर्ष के दौरान लेन–देन		कुल	दिनांक 31.03.2017 को शेष राशि
			सरकार से प्राप्त	प्रतिभागियों से प्राप्त		व्यय	वापसी/समायोजन/अंतरण		
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7	8	9 (7+8)	10(6-9)
1	**विपणन प्रदर्शनी व्यय**								
a	सिल्क फैब, चंडीगढ़	-	1000000	2360848	3360848	4338286	-977438	3360848	-
b	सिल्क फैब, दिल्ली	-	1000000	5396694	6396694	7376673	-979979	6396694	-
c	सिल्क फैब, जबलपुर	-	1000000	1714848	2714848	3682034	-967186	2714848	-
d	सिल्क फैब, मुंबई	-	1000000	3669282	4669282	5650836	-981554	4669282	-
e	सिल्क फैब, भोपाल 2016–17	-	1000000	1524043	2524043	3524043	-1000000	2524043	-
f	सिल्क फैब, अहमदाबाद	-	1000000	2401912	3401912	4367279	-965367	3401912	-
g	सिल्क फैब, सूरत	-	1000000	983143	1983143	2960308	-977165	1983143	-
h	सिल्क फैब, लखनऊ	-	1000000	2538989	3538989	4507677	-968688	3538989	-
i	सिल्क फैब, कोलकाता	-	1000000	4383555	5383555	6351137	-967582	5383555	-
j	सिल्क फैब, इंदौर	-	1000000	3057709	4057709	5056379	-998670	4057709	-
k	सिल्क फैब, भुवनेश्वर 2016–17	-	1000000	117500	1117500	1363616	-1246116	117500	**1000000**
l	सिल्क फैब, बंगलोर	-	1000000	3124358	4124358	5111344	-986986	4124358	-
m	ऊन फैब, भोपाल	-	1000000	552080	1552080	2519656	-967576	1552080	-
n	ऊन फैब, लखनऊ	-	1000000	488679	1488679	2429602	-940923	1488679	-
o	ऊन फैब, जबलपुर	-	1000000	402083	1402083	2369714	-967631	1402083	-
p	सिल्क फैब, एर्नाकुलम	-	1000000	1741720	2741720	3734488	-992768	2741720	-
q	सिल्क फैब, जम्मू	-	1000000	729248	1729248	2705146	-975898	1729248	-
r	सिल्क फैब, हैदराबाद 2016–17	-	1000000	212492	1212492	3437545	-3225053	212492	**1000000**
s	सिल्क फैब, कोयम्बटूर	-	1000000	919824	1919824	2904791	-984967	1919824	-
t	सिल्क फैब, पटना	-	1000000	2003643	3003643	3977066	-973423	3003643	-
u	सिल्क फैब, विजयवाडा	-	1000000	1014797	2014797	2991596	-976799	2014797	-
v	सिल्क फैब, रायपुर	-	1000000	472301	1472301	2181013	-708712	1472301	-
w	राष्ट्रीय स्तर प्रदर्शनी अहमदाबाद 2015–16	-	-	11401357	11401357	15085180	-3683823	11401357	-
x	सिल्क फैब, पटना 2015–16	**1566200**	-	10450	1576650	3548218	-1971568	1576650	-
y	सिल्क फैब गुवाहटी 2015–16	-	-	1268379	1268379	3248297	-1979918	1268379	-
z	सिल्क फैब भोपाल 2015–16	-	-	1678946	1678946	3652055	-1973109	1678946	-
za	सिल्क फैब पुणे 2015–16	**2059525**	-	140310	2199835	3171171	-971336	2199835	-
zb	राष्ट्रीय स्तर प्रदर्शनी अहमदाबाद 2016–17	-	1900000	2023550	3923550	9252519	-7228969	2023550	**1900000**
zc	सिल्क फैब पुणे 2016–17	-	1000000	1842500	2842500	2180536	-338036	1842500	**1000000**
ze	सिल्क फैब गुवाहटी 2016–17	-	1000000	95000	1095000	553341	-458341	95000	**1000000**
Zf	सिल्क फैब वाराणसी 2016–17	-	-	-	-	2307578	-2307578	-	-
2	**क्लस्टर विकास कार्यक्रम (वर्धमान)**	**1579537**	-	-	1579537	1450390	-	1450390	**129147**
3	**प्रशिक्षण कार्यक्रम**								
a	वाराणसी एच/एल मेगा क्लस्टर 04 एक्सटेंशन काउंटर	**287474**		-	287474	-	-	-	**287474**
b	सूचना, शिक्षा और संचार के लिए अनुदान	**4805406**		-	4805406	-	-	-	**4805406**
c	एच/एल पार्ट्स की आपूर्ति के लिए अनुदान	**917251**		-	917251		-	-	**917251**
d	2000 बैटरी इन्वर्टर से जुड़ी प्रकाश इकाइयों के वितरण के लिए अनुदान	**4941252**	1499108	-	6440360	807212	-	807212	**5633148**
e	बीएलआईएलयूएस के वितरण के लिए प्रशासन लागत संबंधी अनुदान	**256759**	-	-	256759			-	**256759**

i) Grant Statement

DETAILS OF GOVERNMENT GRANTS & PARTICIPANTS MONEY FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD

(in Rs.)

SL. NO.	PARTICULARS	OPENING BALANCE 1.4.2016	RECEIVED DURING THE YEAR		TOTAL	TRANSACTIONS DURING THE YEAR		TOTAL	BALANCE AS ON 31.03.2017
			FROM GOVT.	FROM PARTI-CIPANTS		EXPENSES	REFUND/ ADJUSTMENT/ TRANSFER		
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7	8	9 (7+8)	10(6-9)
1	**MARKETING EXHIBITION EXPENSES**								
a	SILK FAB, CHANDIGARH	-	1000000	2360848	3360848	4338286	-977438	3360848	-
b	SILK FAB DELHI	-	1000000	5396694	6396694	7376673	-979979	6396694	-
c	SILK FAB, JABALPUR	-	1000000	1714848	2714848	3682034	-967186	2714848	-
d	SILK FAB MUMBAI	-	1000000	3669282	4669282	5650836	-981554	4669282	-
e	SILK FAB BHOPAL 2016-17	-	1000000	1524043	2524043	3524043	-1000000	2524043	-
f	SILK FAB, AHEMDABAD	-	1000000	2401912	3401912	4367279	-965367	3401912	-
g	SILK FAB, SURAT	-	1000000	983143	1983143	2960308	-977165	1983143	-
h	SILK FAB LUCKNOW	-	1000000	2538989	3538989	4507677	-968688	3538989	-
i	SILK FAB KOLKATA	-	1000000	4383555	5383555	6351137	-967582	5383555	-
j	SILK FAB INDORE	-	1000000	3057709	4057709	5056379	-998670	4057709	-
k	SILK FAB BHUBANESWAR 2016-2017	-	1000000	117500	1117500	1363616	-1246116	117500	**1000000**
l	SILK FAB BANGLORE	-	1000000	3124358	4124358	5111344	-986986	4124358	-
m	WOOL FAB BHOPAL	-	1000000	552080	1552080	2519656	-967576	1552080	-
n	WOOL FAB LUCKNOW	-	1000000	488679	1488679	2429602	-940923	1488679	-
o	WOOL FAB JABALPUR	-	1000000	402083	1402083	2369714	-967631	1402083	-
p	SILK FAB EARNAKULAM	-	1000000	1741720	2741720	3734488	-992768	2741720	-
q	SILK FAB JAMMU	-	1000000	729248	1729248	2705146	-975898	1729248	-
r	SILK FAB HYDRABAD 2016-2017	-	1000000	212492	1212492	3437545	-3225053	212492	**1000000**
s	SILK FAB COIMBATORE	-	1000000	919824	1919824	2904791	-984967	1919824	-
t	SILK FAB PATNA	-	1000000	2003643	3003643	3977066	-973423	3003643	-
u	SILK FAB VIJAYWADA	-	1000000	1014797	2014797	2991596	-976799	2014797	-
v	SILK FAB RAIPUR	-	1000000	472301	1472301	2181013	-708712	1472301	-
w	NATIONAL LEVEL EXPO AHEMDABAD 2015-16	-	-	11401357	11401357	15085180	-3683823	11401357	-
x	SILK FAB PATNA 2015-16	**1566200**	-	10450	1576650	3548218	-1971568	1576650	-
y	SILK FAB GUWAHATI 2015-16	-	-	1268379	1268379	3248297	-1979918	1268379	-
z	SILK FAB BHOPAL 2015-16	-	-	1678946	1678946	3652055	-1973109	1678946	-
za	SILK FAB PUNE 2015-16	**2059525**	-	140310	2199835	3171171	-971336	2199835	-
zb	NATIONAL LEVEL EXPO AHEMDABAD 2016-17	-	1900000	2023550	3923550	9252519	-7228969	2023550	**1900000**
zc	SILK FAB PUNE 2016-2017	-	1000000	1842500	2842500	2180536	-338036	1842500	**1000000**
ze	SILK FAB GUWAHATI 2016-2017	-	1000000	95000	1095000	553341	-458341	95000	**1000000**
Zf	SILK FAB VARANASI 2016-2017	-	-	-	-	2307578	-2307578	-	-
2	**CLUSTER DEV. PROGRAMME (BURDWAN)**	**1579537**	-	-	1579537	1450390	-	1450390	**129147**
3	**TRAINING PROGRAMME**								
a	VARANASI H/L MEGA CLUSTER 04 EXTENSION COUNTER	**287474**		-	287474	-	-	-	**287474**
b	GRANT FOR INFORNATION EDUCATION & COMMUNICATION	**4805406**		-	4805406	-	-	-	**4805406**
c	GRANT FOR SUPPLY OF H/L PARTS	**917251**		-	917251		-	-	**917251**
d	GRANT FOR DISTRIBUTION OF 2000 BATTERY LINKED INVERTER LIGHTING UNITS	**4941252**	1499108	-	6440360	807212	-	807212	**5633148**
e	GRANT FOR ADMN. COST FOR DIST. OF BLILUS	**256759**	-	-	256759			-	**256759**

(रु. में)

क्र. सं.	विवरण	प्रारंभिक शेष दिनांक 1.4.2016 को	वर्ष के दौरान		कुल	वर्ष के दौरान लेन–देन		कुल	दिनांक 31.03.2017 को शेष राशि
			सरकार से प्राप्त	प्रतिभागियों से प्राप्त		व्यय	वापसी/समायोजन/अंतरण		
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7	8	9 (7+8)	10(6-9)
f	वाराणसी क्लस्टर में बुनकर के आधारभूत सर्वेक्षण के लिए अनुदान	**1980**	335000	-	336980	-		-	**336980**
g	अगरतला में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	**83085**		-	83085			-	**83085**
h	वर्ष 2014–15 में इम्फाल में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	**77166**		-	77166			-	**77166**
j	वर्ष 2014–15 में गुवाहाटी में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	**88884**		-	88884			-	**88884**
k	वर्ष 2014–15 में विजयवाड़ा में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	**6605**		-	6605			-	**6605**
l	वर्ष 2014–15 में हुबली/गदग में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	**14673**		-	14673			-	**14673**
m	वर्ष 2014–15 में कोयम्बटूर में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	**26429**		-	26429			-	**26429**
n	वर्ष 2014–15 में कांचीपुरम में क्रेता–विक्रता सम्मेलन	**83021**		-	83021			-	**83021**
o	वर्ष 2014–15 में काशीपुर/भदोही में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	**60950**		-	60950			-	**60950**
p	भागलपुर में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	**16261**		-	16261	-		-	**16261**
q	वर्ष 2016–17 में भागलपुर में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	-	185000	-	185000	162745	-	162745	**22255**
r	वर्ष 2016–17 में त्रिनेलवेली कोयम्बटूर में क्रेता–विक्रता सम्मेलन	-	249000	-	249000	249000	-	249000	-
s	वर्ष 2016–17 में इरोड कोयम्बटूर में क्रेता–विक्रता सम्मेलन	-	249000	-	249000	266690	-17690	249000	-
t	वर्ष 2016–17 में विजयवाडा आंध्र प्रदेश में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	-	145000	-	145000	159899	-14899	145000	-
u	वर्ष 2016–17 में रायपुर हैदराबाद में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	-	145000	-	145000	149218	-4218	145000	-
v	वर्ष 2016–17 में माहेश्वर वाराणसी में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	-	185000	-	185000	193067	-8067	185000	-
w	वर्ष 2016–17 में लखनऊ में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	-	185000	-	185000	199290	-14290	185000	-
x	वर्ष 2016–17 में कानपुर में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	-	-	-	-	203877	-203877	-	-
y	वर्ष 2016–17 में कुल्लू में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	-	-	-	-	101182	-101182	-	-
z	वर्ष 2016–17 में हैदराबाद में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	-	-	-	-	152881	-152881	-	-
za	वर्ष 2016–17 में नागपुर में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	-	-	-	-	124739	-124739	-	-
zb	वर्ष 2016–17 में इम्फाल में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	-	-	-	-	408667	-408667	-	-
zc	वर्ष 2016–17 में अगरतला में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	-	-	-	-	346475	-346475	-	-
zd	वर्ष 2016–17 में गुवाहाटी में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	-	-	-	-	469259	-469259	-	-
ze	वर्ष 2016–17 में भुवनेश्वर में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	-	-	-	-	151441	-151441	-	-
zf	वर्ष 2016–17 में कोलकाता में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	-	-	-	-	148595	-148595	-	-
zg	6 फैशन शो, मुम्बई के लिए अनुदान	**1000000**	-	-	1000000	-	-	-	**1000000**

(in Rs.)

SL. NO.	PARTICULARS	OPENING BALANCE 1.4.2016	RECEIVED DURING THE YEAR		TOTAL	TRANSACTIONS DURING THE YEAR		TOTAL	BALANCE AS ON 31.03.2017
			FROM GOVT.	FROM PARTI-CIPANTS		EXPENSES	REFUND/ ADJUSTMENT/ TRANSFER		
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7	8	9 (7+8)	10(6-9)
f	GRANT FOR BASELINE SURVEY OF WEAVER IN VARANASI CLUSTER	**1980**	335000	-	336980	-		-	**336980**
g	BUYER SELLER MEET AT AGARTALA	**83085**		-	83085			-	**83085**
h	BUYER SELLER MEET AT IMPHAL 2014-15	**77166**		-	77166			-	**77166**
j	BUYER SELLER MEET AT GUWAHATI 2014-15	**88884**		-	88884			-	**88884**
k	BUYER SELLER MEET AT VIJAYWADA 2014-15	**6605**		-	6605			-	**6605**
l	BUYER SELLER MEET AT HUBLI/ GADAG 14-15	**14673**		-	14673			-	**14673**
m	BUYER SELLER MEET- COIMBATORE 2014-15	**26429**		-	26429			-	**26429**
n	BUYER SELLER MEET AT KANCHIPURAM 14-15	**83021**		-	83021			-	**83021**
o	BUYER SELLER MEET AT KASHIPUR/BHADOHI 14-15	**60950**		-	60950			-	**60950**
p	BUYER SELLER MEET AT BHAGALPUR	**16261**		-	16261	-		-	**16261**
q	BUYER SELLER MEET AT BHAGALPUR 2016-2017	-	185000	-	185000	162745	-	162745	**22255**
r	BUYER SELLER MEET AT TRIUNELVELI COIMBATORE 2016-17	-	249000	-	249000	249000	-	249000	-
s	BUYER SELLER MEET- EROD COIMBATORE 2016-17	-	249000	-	249000	266690	-17690	249000	-
t	BUYER SELLER MEET AT VIJAYWADA ANDHRA PRADESH 2016-2017	-	145000	-	145000	159899	-14899	145000	-
u	BUYER SELLER MEET AT RAIPUR HYDERABAD 2016-17	-	145000	-	145000	149218	-4218	145000	-
v	BUYER SELLER MEET AT MAHESWAR VARANASI 2016-17	-	185000	-	185000	193067	-8067	185000	-
w	BUYER SELLER MEET AT LUCKNOW 2016-17	-	185000	-	185000	199290	-14290	185000	-
x	BUYER SELLER MEET AT KANNUR 2016-17	-	-	-	-	203877	-203877	-	-
y	BUYER SELLER MEET AT KULLU 2016-17	-	-	-	-	101182	-101182	-	-
z	BUYER SELLER MEET AT HYDERABAD 2016-17	-	-	-	-	152881	-152881	-	-
za	BUYER SELLER MEET AT NAGPUR 2016-17	-	-	-	-	124739	-124739	-	-
zb	BUYER SELLER MEET AT IMPHAL 2016-17	-	-	-	-	408667	-408667	-	-
zc	BUYER SELLER MEET AT AGARTALA 2016-17	-	-	-	-	346475	-346475	-	-
zd	BUYER SELLER MEET AT GUWAHATI 2016-17	-	-	-	-	469259	-469259	-	-
ze	BUYER SELLER MEET AT BHUBHNESHWAR 2016-17	-	-	-	-	151441	-151441	-	-
zf	BUYER SELLER MEET AT KOLKATA 2016-17	-	-	-	-	148595	-148595	-	-
zg	GRANT FOR 6 FASHION SHOWS AT MUMBAI	**1000000**	-	-	1000000	-	-	-	**1000000**

(रु. में)

क्र. सं.	विवरण	प्रारंभिक शेष दिनांक 1.4.2016 को	वर्ष के दौरान		कुल	वर्ष के दौरान लेन–देन		कुल	दिनांक 31.03.2017 को शेष राशि
			सरकार से प्राप्त	प्रतिभागियों से प्राप्त		व्यय	वापसी / समायोजन / अंतरण		
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7	8	9 (7+8)	10(6-9)
zh	6 आईआईएचटीएस के लिए पुरस्कार वितरण हेतु अनुदान	**565000**	-	-	565000	-113000		-113000	**678000**
zi	बहुसंख्यक बीयूटीआई मशीन के ईएक्स पी. परिचय हेतु अनुदान	**5138**	-	-	5138	-		-	**5138**
zj	डब्ल्यूएससी, वाराणसी में चार पहिया वाहन तथा विविध खर्च हेतु अनुदान	**96400**	330000	-	426400	165000		165000	**261400**
zk	6 डब्ल्यूएससी के लिए डेस्कटॉप की आपूर्ति हेतु अनुदान	**367500**	-	-	367500	1350000	-1012500	337500	**30000**
zl	7 सीएफसी में प्रशिक्षण एवं जागरुकता कार्यक्रम के लिए अनुदान	**590725**	-	-	590725	590725		590725	**-**
4	**बुनकरों जागरूकता शिविर**	**760175**	-	-	760175		-	-	**760175**
5	**7 सीएफसी के निर्माण के लिए अनुदान**	**13606487**	1151480	-	14757967	12910947	-68513	12842434	**1915533**
6	**सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी), वाराणसी के लिए अनुदान**	**1861982**	-	-	1861982	779989	-	779989	**1081993**
7	**राष्ट्रीय हथकरघा अभियान (आई एच बी ब्रांड)**	**8063379**	68000000	-	76063379	76063379	-	76063379	**-**
8	**हैण्डलूम बुनकर मित्र सहायता लाइन सेंटर**	**-**	2200000	-	2200000	2125282	-	2125282	**74718**
9	**डिजाइन और पैट्रन विकास, वाराणसी**	**-**	361600	-	361600	-	-	-	**361600**
11	**हतकरघा संवर्धन सहायता, गुजरात**	**-**	5580000	-	5580000	-	-	-	**5580000**
12	**22.12.2016 को हतकरघा संवर्धन सहायता, वीएनएस**	**-**	280000	-	280000	137419	-	137419	**142581**
13	**हतकरघा संवर्धन सहायता, (जम्मू एंड कश्मीर)**	**-**	1083000	-	1083000	-	-	-	**1083000**
14	**BLILU के तहत संविदागत सामान की भर्ती के लिए अनुदान**	**-**	522071	-	522071	-	-	-	**522071**
15	**कौशल उन्नयन के लिए अनुदान (W S C)**	**-**	945250	-	945250	158005	-	158005	**787245**
16	**अंतर्राष्ट्रीय हतकरघा मेला**	**-**	-	-	-	-	-250000	-250000	**250000**
17	**(NSDL) का केंद्रीय डाटा रिपोजिटरी सिस्टम बनाए रखना**	**-**	31400000	-	31400000	31400000	-	31400000	**-**
18	**आईएचबी प्रमाणन के लिए एनएचडीपी के मार्केटिंग सहायता अंश**	**-**	289500	-	289500	-	-	-	**289500**
19	**राष्ट्रीय हतकरघा दिवस वीएनएस 7 अगस्त 2016**	**-**	18499015	-	18499015	18499015	-	18499015	**-**
20	**टी एफ सी वाराणसी**								
a	टीएफसी आईआईटी व्यावसायिक शुल्क	-	1140000	-	1140000	1140000	-	1140000	-
b	टीएफसी एनबीसीसी फिल्म निर्माण	-	763809	-	763809	763809	-	763809	-
c	टीएफसी जेएलएल	-	4677628	-	4677628	4677628	-	4677628	-
d	टीएफसी एयरपोर्ट प्राधिकरण और सोने की खान	-	1475525	-	1475525	1475525	-	1475525	-
e	टीएफसी प्रदर्शनी	-	331500	-	331500	331500	-	331500	-
f	टीएफसी यात्रा खर्च	-	1000000	-	1000000	1000000	-	1000000	-
g	टीएफसी की अचल संपत्तियां	-	1154582	-	1154582	1154582	-	1154582	-
h	22.12.2016 को टीएफसी का उद्घाटन समारोह	-	2691666	-	2691666	2691666	-	2691666	-
	कुल	**43789244**	**172953734**	**58270240**	**275013218**	**289585222**	**-48140452**	**241444770**	**33568448**

(in Rs.)

SL. NO.	PARTICULARS	OPENING BALANCE 1.4.2016	RECEIVED DURING THE YEAR		TOTAL	TRANSACTIONS DURING THE YEAR		TOTAL	BALANCE AS ON 31.03.2017
			FROM GOVT.	FROM PARTI-CIPANTS		EXPENSES	REFUND/ ADJUSTMENT/ TRANSFER		
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7	8	9 (7+8)	10(6-9)
zh	GRANT FOR AWARD/ PRIZE DISTRIBUTION TO 6 IIHTS	**565000**	-	-	565000	-113000		-113000	**678000**
zi	GRANT FOR EXP. INTRODUCTION OF MULTIPLE BUTI MACHINE	**5138**	-	-	5138	-		-	**5138**
zj	GRANT FOR HIRING FOUR WHEELER AND MISC EXP. WSC VARANASI	**96400**	330000	-	426400	165000		165000	**261400**
zk	GRANT FOR SUPPLY OF DESKTOP FOR 6 WSCs	**367500**	-	-	367500	1350000	-1012500	337500	**30000**
zl	GRANT FOR TRAINING & AWARENESS PROGRAMME IN 7 CFCs	**590725**	-	-	590725	590725		590725	**-**
4	**WEAVERS AWARENESS CAMP**	**760175**	-	-	760175		-	-	**760175**
5	**GRANT FOR CONSTRUCTION OF 7 CFCs**	**13606487**	1151480	-	14757967	12910947	-68513	12842434	**1915533**
6	**GRANT FOR COMMON SERVICE CENTRES (CSC), VARANASI**	**1861982**	-	-	1861982	779989	-	779989	**1081993**
7	**NATIONAL HANDLOOM CAMPAIGN (I H B BRAND)**	**8063379**	68000000	-	76063379	76063379	-	76063379	**-**
8	**BUNKAR MITRA HANDLOOM HELP LINE CENTRE**	**-**	2200000	-	2200000	2125282	-	2125282	**74718**
9	**DESIGNS DEVELOPMENT & PATTERN MAKING VARANASI**	**-**	361600	-	361600	-	-	-	**361600**
11	**HATKARGHA SAMVARDHAN SAHAYATA GUJRAT**	**-**	5580000	-	5580000	-	-	-	**5580000**
12	**HATKARGHA SAMVARDHAN SAHAYATA 22.12.2016 VNS**	**-**	280000	-	280000	137419	-	137419	**142581**
13	**HATKARGHA SAMVARDHAN SAHAYATA (J& K)**	**-**	1083000	-	1083000	-	-	-	**1083000**
14	**GRANT FOR HIRING CONTRACTUAL STAFF UNDER BLILU**	**-**	522071	-	522071	-	-	-	**522071**
15	**GRANT FOR SKILL UPGRATION (W S C)**	**-**	945250	-	945250	158005	-	158005	**787245**
16	**INTERNATIONAL HANDLOOM FAIR**	**-**	-	-	-	-	-250000	-250000	**250000**
17	**MAINTAINING CENTRAL DATA REPOSITORY SYSTEM (NSDL)**	**-**	31400000	-	31400000	31400000	-	31400000	**-**
18	**MARKETING ASSISTANCE COMPONENT OF NHDP FOR IHB CERTIFICATION**	**-**	289500	-	289500	-	-	-	**289500**
19	**NATIONAL HANDLOOM DAY VNS 7TH AUG. 2016**	**-**	18499015	-	18499015	18499015	-	18499015	**-**
20	**T F C VARANASI**								
a	TFC IIT PROFESSIONAL CHARGES	-	1140000	-	1140000	1140000	-	1140000	-
b	TFC NBCC FILM PRODUCTION	-	763809	-	763809	763809	-	763809	-
c	TFC JLL	-	4677628	-	4677628	4677628	-	4677628	-
d	TFC AIRPORT AUTHORITY & GOLD MINE	-	1475525	-	1475525	1475525	-	1475525	-
e	TFC EXHIBITION	-	331500	-	331500	331500	-	331500	-
f	TFC TRAVELLING EXP.	-	1000000	-	1000000	1000000	-	1000000	-
g	TFC FIXED ASSETS	-	1154582	-	1154582	1154582	-	1154582	-
h	TFC INAUGRAL FUNCTION ON 22.12.2016	-	2691666	-	2691666	2691666	-	2691666	-
	TOTAL	**43789244**	**172953734**	**58270240**	**275013218**	**289585222**	**-48140452**	**241444770**	**33568448**

9. मौजूदा देयताएं - अल्पावधि प्रावधान

(रु. में)

	पूर्ववर्ती समीक्षाधीन अवधि के अंत में शेष राशि	वर्ष के दौरान की गई वृद्धि	कुल	भुगतान/उपयोग प्रभारित	वर्ष के दौरान वापस लिखा गया	मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में शेष राशि
आय कर	134515000	176000000	310515000	134394517	120483	176000000
प्रोद्भूत छुट्टी	82832430	33577518	116409948	7248522	-	109161426
उपदान दायित्व के लिए प्रावधान	-	7363349	7363349	7363349	-	-
अनुग्रह राशि का प्रावधान	16590000	18000000	34590000	16315500	274500	18000000
प्रस्तावित लाभांश	73100000	87000000	160100000	73100000	-	87000000
प्रस्तावित लाभांश पर नैगमिक टैक्स	14881698	17713200	32594898	14881698	-	17713200
वेतन बकाए के लिए प्रावधान (संशोधित भुगतान)	-	6000000	6000000	-	-	6000000
कुल	**321919128**	**345654067**	**667573195**	**253303586**	**394983**	**413874626**

i) मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए प्रति इक्विटी शेयर प्रस्तावित लाभांश 45.79/– रु. (पूर्व वर्ष 38.47/– रु.) है।

ii) परिभाषित लाभ योजना

संशोधित एएस–15 के अनुसार अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित मौजूदा दायित्व मूल्य के आधार पर छुट्टी नकदीकरण और ग्रेच्युटी के लिए दायित्व को मान्यता प्राप्त प्रदान की जाती है।

छुट्टी नकदीकरण और ग्रेच्युटी के संबंध में परिभाषित लाभ दायित्व के अर्थ शेष एवं अंत शेष का समाधान नीचे दिया गया है:–

(रु. में)

विवरण	छुट्टी नकदीकरण	
	मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए	पूर्ववर्ती समीक्षाधीन अवधि के लिए
बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व	82832430	70586823
वृद्धि: अन्य पीएसयू से नए ज्वाइनी आदि से प्राप्त राशि।	-	-
वृद्धि: मौजूदा वर्ष के खर्चे के लिए प्रभारित करके उपलब्ध कराई गई राशि	33321736	15701957
कमी: अतिरिक्त प्रावधान वर्ष के दौरान वापस लिखा	-	-
कमी: लाभ का भुगतान/एन भुनाई गई छुट्टी	6992740	3456350
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	**109161426**	**82832430**

(रु. में)

विवरण	ग्रेच्युटी	
	मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए	पूर्ववर्ती समीक्षाधीन अवधि के लिए
एलआईसी के साथ साल की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व	115308669	109546929
वृद्धि: योजना एसेट पर वास्तविक वापसी	8986270	9191580
वृद्धि: वर्ष के दौरान एलआईसी को दिया गया अंशदान	-	-
कमी: एलआईसी द्वारा अदा किया गया लाभ/निपटाया गया दावा	9232291	3429840
एलआईसी के साथ साल के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	115062648	115308669
वृद्धि : ग्रेज्युटी फंड के लिए अंशदान के बदले किया गया अतिरिक्त प्रावधान	6863349	1232410
कमी: भावी समायोजन के लिए एलआईसी के साथ वाले ग्रेज्युटी न्यास में जमा की गई राशि	8790755	10023165
कमी: वापस लिखी गई ग्रेज्युटी निधि के लिए अंशदान के बदले किया गया अतिरिक्त प्रावधान		
प्रावधान के पश्चात् वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	**113135242**	**106517914**

बीमांकिक पूर्वधारणा

	ग्रेज्युटी		छुट्टी नकदीकरण	
	मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए	पूर्ववर्ती समीक्षाधीन अवधि के लिए	मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए	पूर्ववर्ती समीक्षाधीन अवधि के लिए
मृत्यु दर तालिका				
छूट की दर	6.82%	7.56%	6.82%	7.56%
भावी वेतन वृद्धि	18.00%	16.00%	18.00%	16.00%
आकर्षक दर	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%

9. CURRENT LIABILITIES – SHORT TERM PROVISIONS

(Rs.)

	Balance as at the end of previous reporting period	Addition during the year	Total	Payment/ utilization/ charged off	Written back during the year	Balance as at the end of current reporting period
Income tax	134515000	176000000	310515000	134394517	120483	176000000
Accrued leave	82832430	33577518	116409948	7248522	-	109161426
Provision for gratuity liability	-	7363349	7363349	7363349	-	-
Provision for ex-gratia	16590000	18000000	34590000	16315500	274500	18000000
Proposed dividend	73100000	87000000	160100000	73100000	-	87000000
Corporate tax on proposed dividend	14881698	17713200	32594898	14881698	-	17713200
Provision for Salary Arrears (pay revision)	-	6000000	6000000	-	-	6000000
Total	**321919128**	**345654067**	**667573195**	**253303586**	**394983**	**413874626**

i) The Proposed dividend per equity share for the current reporting period is Rs. 45.79 (Previous year Rs. 38.47).

ii) Defined Benefit Plan

The obligation for leave encashment and gratuity is recognized based on the present value of obligation determined by actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method as per revised AS-15.

The reconciliation of opening and closing balances of defined benefit obligation in respect of leave encashment and gratuity is as below:-

(Rs.)

Particulars	LEAVE ENCASHMENT	
	For the current reporting period	For the previous reporting period
Defined benefit obligation at the beginning of the year as per actuarial valuation	82832430	70586823
Add: Amount received from new joinee etc. from other PSU.	-	-
Add: Amount provided by charging to current year's expenses	33321736	15701957
Less: Excess Provision written back during the year	-	-
Less : Benefit paid/ leaves en-cashed	6992740	3456350
Defined benefit obligation at year end	**109161426**	**82832430**

(Rs.)

Particulars	GRATUITY	
	For the current reporting period	For the previous reporting period
Defined benefit obligation at the beginning of the year with LIC	115308669	109546929
Add : Actual Return on Plan Asset	8986270	9191580
Add : Contribution paid to LIC during the year.	-	-
Less : Benefit paid/ claim settled by LIC	9232291	3429840
Defined benefit obligation at year end with LIC.	115062648	115308669
Add : Further provision made against contribution towards Gratuity fund.	6863349	1232410
Less : Deposit with Gtaruuity Trust lying with LIC for future adjustment.	8790755	10023165
Less : Excess provision made against contribution towards Gratuity fund written back		
Defined benefit obligation at year end after provision.	**113135242**	**106517914**

ACTURIAL ASSUMPTION

	GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
	For the current reporting period	For the previous reporting period	For the current reporting period	For the previous reporting period
Mortality table				
Rate of discounting.	6.82%	7.56%	6.82%	7.56%
Future salary rise.	18.00%	16.00%	18.00%	16.00%
Attrition rate.	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में रा.ह.वि.नि. अनुदान

I.	**पूर्वधारणाः**	**मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए (रु. में)**
	पिछले वर्ष छूट की दर	7.56%
	पिछले वर्ष योजना परिसंपत्तियों पर वापसी की दर	7.56%
	पिछले वर्ष वेतन वृद्धि	16.00%
	पिछले वर्ष क्षयण दर	2.00%
	मौजूदा वर्ष छूट की दर	6.82%
	मौजूदा वर्ष योजना परिसंपत्तियों पर वापसी की दर	6.82%
	मौजूदा वर्ष वेतन वृद्धि	18.00%
	मौजूदा वर्ष क्षयण दर	2.00%
II.	**अनुमानित लाभ बाध्यता के मौजूदा मूल्य में परिवर्तन को दर्शाने वाली तालिका**	**मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए (रु. में)**
	अवधि की शुरुआत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	106517914
	ब्याज लागत	8052754
	वर्तमान सेवा लागत	3304950
	पिछली सेवा लागत–अवधि के दौरान किए गए गैर निहित लाभ	-
	पिछली सेवा लागत–अवधि के दौरान किए गए निहित लाभ	-
	दायित्व/अधिग्रहण में स्थानांतरित	-
	(बाहर स्थानांतरित देयता/विनिवेश)	-
	(लाभ)/ कटौती पर घाटा	-
	(निपटान पर पृथक की गई देयताएं)	-
	(नियोक्ता द्वारा सीधे अदा किया गया लाभ)	-
	(कोष से अदा किया गया लाभ)	-9232291
	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव	-
	दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि–जनसांख्यिकीय मान्यताओं के बदलने के कारण	-
	दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि–वित्तीय मान्यताओं के बदलने के कारण	5730767
	दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि–अनुभव के कारण	-1238852
	अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	**113135242**
III.	**योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाने वाली तालिका**	**मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए (रु. में)**
	अवधि की शुरुआत में योजना संपत्ति का उचित मूल्य	115308669
	योजनागत परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	8717335
	नियोक्त द्वारा योगदान	500000
	कर्मचारियों के द्वारा प्रत्याशित योगदान	-
	आस्तियों में स्थानांतरित/अधिग्रहण	-
	बाहर स्थानांतरित की गई परिसंपत्तियां/विनिवेश	-
	कोष से भुगतान किया गया लाभ	-9232291
	निपटान पर वितरित की गई परिसंपत्तियां	-
	संपत्ति की सीमा का प्रभाव	-
	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव	-
	योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(घाटा)–अनुभव के कारण	-231065
	अवधि के अंत में योजना संपत्ति का उचित मूल्य	**115062648**
IV.	**बीमांकिक (लाभ)/स्वीकार की गई हानि**	**मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए (रु. में)**
	उक्त अवधि के लिए बीमांकिक (लाभ)/दायित्व पर घाटा	4491915
	उक्त अवधि के लिए बीमांकिक (लाभ)/योजना परिसंपत्ति पर घाटा	231065
	उप कुल	**4722980**
	बीमांकिक (लाभ)/स्वीकार की गई हानि	4722980
V.	**योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक वापसी**	**मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए (रु. में)**
	योजनागत परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	8717335
	योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(घाटा)–अनुभव के कारण	-231065
	योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक वापसी	8486270

NHDC GRATUITY AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD

I.	ASSUMPTIONS:	For the current reporting period (Rs.)
	Discount rate Previous year	7.56%
	Rate of return on Plan Assets Previous year	7.56%
	Salary Escalation Previous year	16.00%
	Attrition Rate Previous year	2.00%
	Discount Rate Current year	6.82%
	Rate of return on Plan Assets Current year	6.82%
	Salary Escalation Current year	18.00%
	Attrition Rate Current year	2.00%
II.	**Table Showing Change in the Present Value of Projected Benefit Obligation**	**For the current reporting period (Rs.)**
	Present Value of Benefit Obligation at the Beginning of the Period	106517914
	Interest Cost	8052754
	Current Service Cost	3304950
	Past Service Cost - Non-Vested Benefit Incurred During the Period	-
	Past Service Cost - Vested Benefit Incurred During the Period	-
	Liability Transferred In/ Acquisitions	-
	(Liability Transferred Out/ Divestments)	-
	(Gains)/ Losses on Curtailment	-
	(Liabilities Extinguished on Settlement)	-
	(Benefit Paid Directly by the Employer)	-
	(Benefit Paid From the Fund)	-9232291
	The Effect Of Changes in Foreign Exchange Rates	-
	Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Change in Demographic Assumptions	-
	Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Change in Financial Assumptions	5730767
	Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Experience	-1238852
	Present Value of Benefit Obligation at the End of the Period	**113135242**
III.	**Table Showing Change in the Fair Value of Plan Assets**	**For the current reporting period (Rs.)**
	Fair Value of Plan Assets at the Beginning of the Period	115308669
	Expected Return on Plan Assets	8717335
	Contributions by the Employer	500000
	Expected Contributions by the Employees	-
	Assets Transferred In/Acquisitions	-
	Assets Transferred Out/ Divestments	-
	Benefit Paid from the Fund	-9232291
	Assets Distributed on Settlements	-
	Effects of Asset Ceiling	-
	The Effect Of Changes In Foreign Exchange Rates	-
	Actuarial Gains/(Losses) on Plan Assets - Due to Experience	-231065
	Fair Value of Plan Assets at the End of the Period	**115062648**
IV.	**Actuarial (Gains)/Losses Recognition**	**For the current reporting period (Rs.)**
	Actuarial (Gains)/Losses on Obligation For the Period	4491915
	Actuarial (Gains)/Losses on Plan Asset For the Period	231065
	Subtotal	**4722980**
	Actuarial (Gains)/Losses Recognized	4722980
V.	**Actual Return on Plan Assets**	**For the current reporting period (Rs.)**
	Expected Return on Plan Assets	8717335
	Actuarial Gains/(Losses) on Plan Assets - Due to Experience	-231065
	Actual Return on Plan Assets	8486270

VI.	**तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त राशि**	**मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए (रु. में)**
	उक्त अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	-113135242
	उक्त अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	115062648
	वित्तपोषित स्थिति (अधिवेष/(घाटा)	1927406
	उक्त अवधि के गैर मान्यता प्राप्त पिछली सेवा लागत	-
	तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त निवल (देयता)/परिसंपत्ति	**1927406**
VII.	**वर्तमान अवधि के लिए निवल ब्याज लागत**	**मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए (रु. में)**
	अवधि की शुरुआत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	106517914
	अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-115308669
	शुरुआत में निवल दायित्व/(परिसंपत्ति)	-8790755
	ब्याज लागत	8052754
	योजनागत परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	-8717335
	वर्तमान अवधि के लिए निवल ब्याज लागत	**-664581**
VIII.	**वर्तमान अवधि के लिए लाभ या हानि संबंधी विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय**	**मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए (रु. में)**
	वर्तमान सेवा लागत	3304950
	निवल ब्याज लागत	-664581
	बीमांकिक (लाभ)/हानि	4722980
	पिछली सेवा लागत–अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त गैर निहित लाभ	-
	पिछली सेवा लागत – अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त निहित लाभ	-
	कर्मचारियों द्वारा संभावित योगदान	-
	कटौतियों एवं निपटानों पर (लाभ)/हानि	-
	विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तनों का निवल प्रभाव	-
	परिसंपत्ति के उच्चतम मूल्य में परिवर्तन	-
	लाभ या हानि संबंधी विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	**7363349**
IX.	**तुलन–पत्र समाधान**	**मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए (रु. में)**
	शुरूआती निवल देयता	-8790755
	लाभ या हानि संबंधी विवरण में मकान्यता प्राप्त व्यय	7363349
	निवल दायित्व/(परिसंपत्ति) में स्थानांतरण	-
	निवल (दायित्व)/परिसंपत्ति का बाहर स्थानांतरण	-
	नियोक्ता द्वारा सीधे अदा किया गया लाभ	-
	नियोक्ता का योगदान	-500000
	तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त निवल दायित्व/(परिसंपत्ति)	**-1927406**
X.	**परिसंपत्तियों की श्रेणी**	**मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए (रु. में)**
	भारत सरकार की परिसंपत्तियां	-
	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	-
	विशेष जमा स्कीम	-
	ऋण उपकरण	-
	नैगमिक बॉंड्स	-
	नकद और नकद समकक्ष	-
	बीमा कोष	115062648
	परिसंपत्ति समर्थित प्रतिभूतियां	-
	संरचित ऋण	-
	अन्य	-
	कुल	**115062648**
XI.	**अन्य विवरण**	**मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए (रु. में)**
	रा.ह.वि.नि. के सक्रिय स्टाफ एवं सदस्यों की संख्या	208
	रा.ह.वि.नि. के सक्रिय स्टाफ एवं सदस्यों के लिए प्रति माह वेतन	9819411
	अनुमानित लाभ दायित्व (पीबीओ)	113135242
	अगले वर्ष के लिए निर्धारित अंशदान (12 माह)	1915149
XII.	**अनुभव समायोजन**	**मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए (रु. में)**
	दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/ घाटा–अनुभव के कारण	-1238852
	पूंजीगत परिसंपत्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/घाटा–अनुभव के कारण	-231065

VI.	**Amount Recognized in the Balance Sheet**	**For the current reporting period (Rs.)**
	Present Value of Benefit Obligation at the end of the Period	-113135242
	Fair Value of Plan Assets at the end of the Period	115062648
	Funded Status (Surplus/ (Deficit))	1927406
	Unrecognized Past Service Cost at the end of the Period	-
	Net (Liability)/Asset Recognized in the Balance Sheet	**1927406**
VII.	**Net Interest Cost for Current Period**	**For the current reporting period (Rs.)**
	Present Value of Benefit Obligation at the Beginning of the Period	106517914
	Fair Value of Plan Assets at the Beginning of the Period	-115308669
	Net Liability/(Asset) at the Beginning	-8790755
	Interest Cost	8052754
	Expected Return on Plan Assets	-8717335
	Net Interest Cost for Current Period	**-664581**
VIII.	**Expenses Recognized in the Statement of Profit or Loss for Current Period**	**For the current reporting period (Rs.)**
	Current Service Cost	3304950
	Net Interest Cost	-664581
	Actuarial (Gains)/Losses	4722980
	Past Service Cost - Non-Vested Benefit Recognized During the Period	-
	Past Service Cost - Vested Benefit Recognized During the Period	-
	Expected Contributions by the Employees	-
	(Gains)/Losses on Curtailments And Settlements	-
	Net Effect of Changes in Foreign Exchange Rates	-
	Change in Asset Ceiling	-
	Expenses Recognized in the Statement of Profit or Loss	**7363349**
IX.	**Balance sheet reconciliation**	**For the current reporting period (Rs.)**
	Opening Net Liability	-8790755
	Expense Recognized in Statement of Profit or Loss	7363349
	Net Liability/(Asset) Transfer In	-
	Net (Liability)/Asset Transfer Out	-
	Benefit Paid Directly by the Employer	-
	Employer's Contribution	-500000
	Net Liability/(Asset) Recognized in the Balance Sheet	**-1927406**
X.	**Category of Assets**	**For the current reporting period (Rs.)**
	Government of India Assets	-
	State Government Securities	-
	Special Deposits Scheme	-
	Debt Instruments	-
	Corporate Bonds	-
	Cash And Cash Equivalents	-
	Insurance fund	115062648
	Asset-Backed Securities	-
	Structured Debt	-
	Other	-
	Total	**115062648**
XI.	**Other Details**	**For the current reporting period (Rs.)**
	No of Active officers and staff of NHDC	208
	Per Month Salary For Active officers and staff of NHDC	9819411
	Projected Benefit Obligation (PBO)	113135242
	Prescribed Contribution For Next Year (12 Months)	1915149
XII.	**Experience Adjustment**	**For the current reporting period (Rs.)**
	Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Experience	-1238852
	Actuarial Gains/(Losses) on Plan Assets - Due to Experience	-231065

10. गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां - वास्तविक परिसंपत्तियां

(Rs.)

	मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए											पूर्व समीक्षाधीन अवधि के लिए
	भूमि	भवन	फर्नीचर एवं फिक्सचर	कार्यालय एवं विद्युत उपकरण	विद्युत उपकरण एवं अधिष्ठापन	कार्यालय उपकरण	कार्यशाला उपकरण	वाहन	कंप्यूटर		कुल	
									कंप्यूटर एवं डाटा प्रक्रमण इकाई	सरवर्स एवं नेटवर्क्स		
सकल खंड												
वर्ष की शुरूआत में	75909184	34269777	7623416	273467	11124203	5764983	412455	3777373	7499875	2443369	149098102	146698020
वर्ष के दौरान की गई वृद्धि	-	1071915	4966117	-	6967892	1560908	-	-	900252	9350	15476434	2635252
वर्ष के दौरान अंतरण/बिक्री/समायोजन	-	-3500	-503366	-	-347682	-546759	-74425	-	-598624	-	-2074356	-235170
वर्ष के दौरान अंतरण	-	3500	503366	-	307320	503725	74425	-	550309	-	1942645	-
वर्ष के अंत में	**75909184**	**35341692**	**12589533**	**273467**	**18051733**	**7282857**	**412455**	**3777373**	**8351812**	**2452719**	**164442825**	**149098102**
मूल्य ह्रास												
वर्ष की शुरूआत में	-	9304489	4326217	250271	4236932	3983194	122779	1921998	6045561	2076758	32268199	28472712
वर्ष के दौरान अंतरण/बिक्री/समायोजन	-	-3500	-221459	-	-186540	-375730	-15523	-	-507479	-	-1310231	-187906
वर्ष के दौरान अंतरण	-	3500	221459	-	155563	356430	15523	-	459164	-	1211639	-12397
वर्ष के दौरान मूल्य ह्रास (रिजर्व एवं अधिशेष में किया गया अंतरण)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान मूल्य ह्रास (लाभ एवं हानि खाते में किया गया अंतरण)	-	521131	826781	7254	1436057	596320	43716	400493	846031	120317	4798100	3995790
वर्ष के अंत में	**-**	**9825620**	**5152998**	**257525**	**5642012**	**4560214**	**166495**	**2322491**	**6843277**	**2197075**	**36967707**	**32268199**
निवल खंड												
वर्ष की शुरूआत में	75909184	24965288	3297199	23196	6887271	1781789	289676	1855375	1454314	366611	116829903	118225308
वर्ष के अंत में	**75909184**	**25516072**	**7436535**	**15942**	**12409721**	**2722643**	**245960**	**1454882**	**1508535**	**255644**	**127475118**	**116829903**

i) नियत परिसंपत्तियों में मुंबई स्थित कार्यालय भवन, संपत्ति की लंबित अंतरण औपचारिकता तथा उपयुक्त प्राधिकरणों में किया गया पंजीकरण शामिल है जिसकी लागत 2163293/–रु. (पिछले वर्ष 2163293/–रु.) है तथा जिसके संबंध में कब्जा ले लिया गया है परंतु उक्त परिसंपत्तियों को प्रौद्भूत होने पर पंजीकरण प्रभार अधिरोपित किया जाएगा।

ii) किसी परिसंपत्ति का बिगड़ी हुई अवस्था में जब समझा जाता है जब उस परिसंपत्ति की वहनीय लागत उसके प्राप्य मूल्य से अधिक होती है। उस परिसंपत्ति की खराबी संबंधी हानि को उस वर्ष के लाभ और हानि संबंधी विवरण में दर्शाया गया है जिस वर्ष में उस परिसंपत्ति के खराब होने की पहचान की जाती है। वर्ष के अंत में निगम के बही खातों में दर्शाई जाने वाली परिसंपत्तियों का मूल्य वह है जो उनमें दर्शाया गया है तथा किसी प्रकार की खराबी, यदि कोई हो तो उसे, तुलन–पत्र के नोट 28 में दर्शाया गया है।

iii) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31.03.2014 को अनुपयोगी समझी गई वास्तविक और अवास्तविक परिसंपत्तियों के संबंध में वर्ष के दौरान शून्य रु. के मूल्यह्रास (पिछले वर्ष 1114628/–रु.) को अधिशेष में समायोजित किया गया है।

10 NON CURRENT ASSETS- TANGIBLE ASSETS

(Rs.)

	For the current reporting period											For the previous reporting period
	Land	Building	Furniture & Fixture	Office and Electrical Equipments	Electrical Equipment and Installation	Office Equipment	Laboratory Equipmetnts	Vehicle	Computers		Total	
									Computer & Data processing Units	Servers & Networks		
GROSS BLOCK												
As at beginning of the year	75909184	34269777	7623416	273467	11124203	5764983	412455	3777373	7499875	2443369	149098102	146698020
Addition during the year	-	1071915	4966117	-	6967892	1560908	-	-	900252	9350	15476434	2635252
Transfer/ Sale/ Adjustments during the year	-	-3500	-503366	-	-347682	-546759	-74425	-	-598624	-	-2074356	-235170
Transfer to during the year	-	3500	503366	-	307320	503725	74425	-	550309	-	1942645	-
As at end of the year	**75909184**	**35341692**	**12589533**	**273467**	**18051733**	**7282857**	**412455**	**3777373**	**8351812**	**2452719**	**164442825**	**149098102**
DEPRICIATION												
As at beginning of the year	-	9304489	4326217	250271	4236932	3983194	122779	1921998	6045561	2076758	32268199	28472712
Transfer/ Sale/ Adjustments during the year	-	-3500	-221459	-	-186540	-375730	-15523	-	-507479	-	-1310231	-187906
Tansfer to during the year	-	3500	221459	-	155563	356430	15523	-	459164	-	1211639	-12397
Depreciation during the year (Transfer to Reserve and Surplus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depriciation during the year (Transfer to Profit and Loss account)	-	521131	826781	7254	1436057	596320	43716	400493	846031	120317	4798100	3995790
As at end of the year	**-**	**9825620**	**5152998**	**257525**	**5642012**	**4560214**	**166495**	**2322491**	**6843277**	**2197075**	**36967707**	**32268199**
NET BLOCK												
As at beginning of the year	75909184	24965288	3297199	23196	6887271	1781789	289676	1855375	1454314	366611	116829903	118225308
As at end of the year	**75909184**	**25516072**	**7436535**	**15942**	**12409721**	**2722643**	**245960**	**1454882**	**1508535**	**255644**	**127475118**	**116829903**

i) Fixed Assets include office building, pending transfer formality of the property and registration with the Appropriate Authorities, amounting to Rs.2163293 (Previous year Rs.2163293) at Mumbai, for which possession has been taken but Registration charges for the same will be capitalized as and when incurred.

ii) An asset is treated as impaired when the carrying cost of asset exceeds its recoverable value. An impairment loss is charged to the statement of profit and loss in the year in which the asset is identified as impaired. The assets as appearing in the books of accounts of the corporation at year end have the value at which they are appearing therein and the impairment, if any, has been shown in the Note 28, to the balance sheet.

iii) An amount of Rs. Nil (Previous Year Rs.1114628) has been adjusted from Surplus towards Depreciation during the year in respect of the Tangible and Intangible Assets which have no remaining useful life as on 31.03.2014, in accordance with the provisions of the Companies Act 2013.

11. गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां - अवास्तविक परिसंपत्तियां

(रु. में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	
	मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए	पूर्ववर्ती समीक्षाधीन अवधि के लिए
सकल खंड		
वर्ष की शुरूआत में	2447320	2447321
वर्ष के दौरान की गई वृद्धि	18,811,000	-
वर्ष के दौरान अंतरण/बिक्री/समायोजन	-	-
वर्ष के दौरान अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में	**21258320**	**2447321**
मूल्य ह्रास		
वर्ष के शुरूआत में	2292124	2240318
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के दौरान अंतरण	-	-
सामान्य रिजर्व में अंतरण	-	-
वर्ष के दौरान मूल्य ह्रास	1223605	51807
वर्ष के अंत में	**3515729**	**2292125**
निवल खंड		
वर्ष के शुरूआत में	155196	207003
वर्ष के अंत में	**17742591**	**155196**

11. NON CURRENT ASSETS- INTANGIBLE ASSETS

(Rs.)

	COMPUTER SOFTWARE	
	For the current reporting period	For the previous reporting period
GROSS BLOCK		
As at beginning of the year	2447320	2447321
Addition during the year	18,811,000	-
Transfer/ Sale/ Adjustments during the year	-	-
Transfer to during the year	-	-
As at end of the year	**21258320**	**2447321**
DEPRICIATION		
As at beginning of the year	2292124	2240318
Adjustment during the year	-	-
Tansfer to during the year	-	-
Transfer to general reserve	-	-
Depriciation during the year	1223605	51807
As at end of the year	**3515729**	**2292125**
NET BLOCK		
As at beginning of the year	155196	207003
As at end of the year	**17742591**	**155196**

12. गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां - प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य

	मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में आंकड़े (रु. में)	पूर्ववर्ती समीक्षाधीन अवधि के अंत में आंकड़े (रु. में)
प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य	-	6285800
कुल	**-**	**6285800**

प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य रु. 0 (पिछले वर्ष 6285800/–रु.)।

13. गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां - लंबी अवधि के ऋण और अग्रिम

	मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में आंकड़े (रु. में)	पूर्ववर्ती समीक्षाधीन अवधि के अंत में आंकड़े (रु. में)
प्रतिभूति जमा	398778	396078
कुल	**398778**	**396078**

14. अन्य गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां (समग्र)

		मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में आंकड़े (रु. में)	पूर्ववर्ती समीक्षाधीन अवधि के अंत में आंकड़े (रु. में)
(क)	**समग्र निधि का नियोजन (विपणन परिसर)**		
	चालू खाते में	97417	97392
	सावधि जमा खाते में	183473562	171189300
	सावधि जमा पर प्रोद्भूत परंतु अप्राप्त ब्याज	4587364	5149749
	कुल (क)	**188158343**	**176436441**
(ख)	**समग्र निधि का नियोजन (मेगा क्लस्टर)**		
	चालू खाते में	25000	25000
	सावधि जमा खाते में	30964703	28576708
	सावधि जमा पर प्रोद्भूत परंतु अप्राप्त ब्याज	1185511	1562607
	कुल (ख)	**32175213**	**30164315**
(ग)	**समग्र निधि का नियोजन (व्यापार सुविधा केंद्र)**		
	चालू खाते में	304352	7277534
	सावधि जमा खाते में	529732506	200000
	सावधि जमा पर प्रोद्भूत परंतु अप्राप्त ब्याज	573093	4325
	कुल (ग)	**530609951**	**7481859**
(घ)	**पोचमपल्ली में कोष निधि की तैनाती**		
	चालू खाते में	-	-
	सावधि जमा खाते में	233290158	-
	सावधि जमा पर प्रोद्भूत परंतु अप्राप्त ब्याज	1439320	-
	कुल (घ)	**234729478**	**-**
	कुल योग (क+ख+ग)	**985672985**	**214082615**

व्यापार सुविधा केंद्र (टीएफसी) खाते में 304352/–रु. (पिछले वर्ष 7277534/–रु.) की राशि है। इसके अतिरिक्त परियोजना प्रबंधन एजेंसी (मैसर्स एनबीसीसी) और निगम ने संयुक्त नाम में से एसक्रो खाता खोला है जिसे मैसर्स एनबीसीसी और निगम के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार मैसर्स एनबीसीसी द्वारा संचालित किया जाएगा। मंत्रालय के निदेशों के अनुसार टीएफसी टीआरए खाते से निगम द्वारा धनराशि एस्क्रो के खाते में हस्तांरित कर दी गई है। मैसर्स एनबीसीसी निर्माण एजेंसी/ठेकेदार को कार्य की प्रगति के आधार पर एस्क्रो के खाते से भुगतान करता है। एस्क्रो के खाते का लेखाकरण मैसर्स एनबीसीसी द्वारा किया जाता है।

15. मौजूदा परिसंपत्तियां - इन्वेन्ट्रीज

	मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में आंकड़े (रु. में)	पूर्ववर्ती समीक्षाधीन अवधि के अंत में आंकड़े (रु. में)
(प्रबंधन द्वारा यथा उल्लिखत, मूल्यांकित एवं प्रमाणित)		
– स्टॉक–इन–ट्रेड – लागत पर (अप्रचलन के कारण कम लिखा गया) अथवा निवल प्राप्य मूल्य, जो भी कम हो	12736571	14697546
– परिवहन माल	-	225900
कुल	**12736571**	**14923446**

12. NON CURRENT ASSETS - CAPITAL WORK IN PROGRESS

	Figures as at the end of current reporting period (Rs.)	Figures as at the end of previous reporting period(Rs.)
Capital work in progress	-	6285800
TOTAL	**-**	**6285800**

The Capital Work in Progress of Rs.0 (Previous Year Rs. 6285800).

13. NON CURRENT ASSETS - LONG TERM LOAN AND ADVANCES

	Figures as at the end of current reporting period (Rs.)	Figures as at the end of previous reporting period(Rs.)
Security Deposit	398778	396078
TOTAL	**398778**	**396078**

14. OTHER NON CURRENT ASSETS (CORPUS)

		Figures as at the end of current reporting period (Rs.)	Figures as at the end of previous reporting period (Rs.)
(A)	**Deployment of Corpus Fund (Marketing Complexes)**		
	In Current account	97417	97392
	In Fixed deposit account	183473562	171189300
	Interest accrued but not received on fixed deposit	4587364	5149749
	TOTAL(A)	**188158343**	**176436441**
(B)	**Deployment of Corpus Fund (Mega Cluster)**		
	In Current account	25000	25000
	In Fixed deposit account	30964703	28576708
	Interest accrued but not received on fixed deposit	1185511	1562607
	TOTAL(B)	**32175213**	**30164315**
(C)	**Deployment of Corpus Fund (Trade Facilitation Centre)**		
	In Current account	304352	7277534
	In Fixed deposit account	529732506	200000
	Interest accrued but not received on fixed deposit	573093	4325
	TOTAL(C)	**530609951**	**7481859**
(C)	**Deployment of Corpus Fund Pochampally**		
	In Current account	-	-
	In Fixed deposit account	233290158	-
	Interest accrued but not received on fixed deposit	1439320	-
	TOTAL(C)	**234729478**	**-**
	GRAND TOTAL(A+B+C)	**985672985**	**214082615**

The amount of Rs. 304352 (Previous Year Rs. 7277534) is lying in Trade Facilitation Centre (TFC) TRA a/c. Besides, the Project Management Agency (M/s NBCC) and Corporation has opened an Escrow a/c in joint name, which shall be operated by M/s NBCC as per terms of Memorandum of Agreement entered into between M/s NBCC and corporation. The amount from TFC TRA a/c is transferred by the corporation to Escrow a/c as per the directions of the Ministry. M/s NBCC makes payment to the construction agency/ contractor from the Escrow a/c based on the progress of work. The accounting of Escrow a/c is done by M/s NBCC.

15. CURRENT ASSETS - INVENTORIES

	Figures as at the end of current reporting period (Rs.)	Figures as at the end of previous reporting period(Rs.)
(As taken, valued and certified by the management)		
- Stock-in-trade - At cost (less written off for obsolescence) or net realizable value whichever is less.	12736571	14697546
- Goods in Transit	-	225900
TOTAL	**12736571**	**14923446**

16. मौजूदा परिसंपत्तियां - व्यापार प्राप्य

		मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में आंकड़े (रु. में)		पूर्ववर्ती समीक्षाधीन अवधि के अंत में आंकड़े लिए (रु. में)	
	विविध देनदार (असुरक्षित)				
i)	**छह महीनों में**				
	– अच्छे माने गए	155378324		115392294	
	– संदिग्ध माने गए	31634481		37178353	
		187012805		152570647	
	– कमः संदिग्ध ऋणों के लिए देनदारों के लिए प्रावधान	-31634481	155378324	-37178353	115392294
ii)	**अन्य** (अच्छे माने गए)		2055102187		2121287333
	कुल		**2210480511**		**2236679627**

i) शेष राशि की पुष्टि एक सतत प्रक्रिया है। मौजूदा समीक्षावधि के अंत में बची शेष राशि को सभी व्यापार प्राप्यों को पुष्टि के लिए भेज दिया गया है, तथापि पुष्टि निम्नानुसार प्राप्त हुई हैः–

विवरण	कुल		मौजूदा समीक्षावधि के अंत में प्राप्त पुष्टि		मौजूदा समीक्षावधि के अंत में शेष राशि की पुष्टि की प्रतिशतता	
	एजेंसियों की संख्या	बकाया राशि (रु. में)	एजेंसियों की संख्या	बकाया राशि (रु. में)	एजेंसियों की संख्या (%)	बकाया राशि (%)
व्यापार स्वीकार योग्य	1203	2242114992	425	1614181435	35.33	71.99

उपर्युक्त पुष्टि की गई शेष राशि में वह राशि शामिल नहीं है जहां किसी प्रकार का विवाद हो परंतु उसमें केवल वह शेष राशि शामिल है जहां दोनों पक्षकारों को अंतर/समाधान के कारण की गई प्रवृष्टियां स्वीकार्य हो। पुष्टि के लिए लंबित शेष राशि की यथा समय समीक्षा की जाएगी तथा उसका समाधान किया जाएगा एवं समायोजन, यदि कोई हो, जो इन मामलों में अपेक्षित हो, का यथाशीघ्र समाधान कर दिया जाएगा।

ii) 2242114992/–रु. (पिछले वर्ष 2273857980/–रु.) के व्यापार प्राप्य में 8095810 की राशि (पिछले वर्ष 9093140/–रु.) की राशि शामिल है जिसके लिए निगम द्वारा उपयुक्त न्यायालयों में मुकदमा दायर किया गया है। इसके अतिरिक्त व्यापार प्राप्य में फैबिक्र की आपूर्ति की बदले 18923994/–रु. (पिछले वर्ष 19016347/–रु.) की प्राप्य राशि शामिल है जिसमें निगम का लेनदारों से प्राप्त की जाने वाली शामिल है जो उगाही किए जाने के पश्चात् ही देय होगा। कपड़ा लेनदारों के पास 21011474/–रु. (पिछले वर्ष 21011474/– रु.) की राशि है। व्यापार प्राप्य में 102980680/–रु. (पिछले वर्ष 80834041/– रु.) की राशि भी शामिल है जिसमें समग्र निधि (क्लस्टर विकास) के रूप में निगम द्वारा प्राप्त परिक्रामी अग्रिम के बदले आपूर्ति की गई है।

iii) संदिग्ध व्यापार प्राप्यों के लिए प्रावधान का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः

(रु. में)

विवरण	पूर्ववर्ती समीक्षाधीन अवधि के अंत में शेष राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि	कुल	उगाही/समायोजित की गई राशि	वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में शेष राशि
संदिग्ध व्यापार प्राप्त के लिए प्रावधान	37178353	1447769	38626122	6991641	-	31634481

17 मौजूदा परिसंपत्तियां - नकद और नकद समकक्ष

	मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में आंकड़े (रु. में)	पूर्ववर्ती समीक्षाधीन अवधि के अंत में आंकड़े लिए (रु. में)
अनुसूचित बैंक के पास बकाया	750826312	381690033
गैर अनुसूचित बैंक के साथ बकाया	9283638	247210
हस्त नकदी तथा टिकटें	-	-
12 माह तक बैंक जमा राशि	1173704247	828078259
12 माह से अधिक बैंक जमा राशि	-	-
कुल	**1933814196**	**1210015502**

16. CURRENT ASSETS- TRADE RECEIVABLE

		Figures as at the end of current reporting period (Rs.)		Figures as at the end of previous reporting period (Rs.)	
	SUNDRY DEBTORS (unsecured)				
i)	**Over six months**				
	- Considered good	155378324		115392294	
	- Considered doubtful	31634481		37178353	
		187012805		152570647	
	- Less: Provision for doubtful debts	-31634481	155378324	-37178353	115392294
ii)	**Others** (Considered good)		2055102187		2121287333
	TOTAL		**2210480511**		**2236679627**

i) The balance confirmation is a continuous process. The year end balances as at the end of current reporting period has been sent to all the Trade Receivables for confirmation, however, confirmation has been received as follows:-

Particulars	Total		Confirmation received as at the end of current reporting period		% of Confirmation of balances as at the end of current reporting period	
	No. of agencies	Amount outstanding (Rs.)	No. of agencies	Amount outstanding (Rs.)	No. of agencies (%)	Amount outstanding (%)
Trade Receivables	1203	2242114992	425	1614181435	35.33	71.99

The confirmed balances shown above do not include those, where there is any dispute, but only those balances where the entries on account of difference/ reconciliation are acceptable to both the parties. The balances which are pending for confirmation will be reviewed and reconciled in due course and the adjustment, if any, required in these cases will be made as soon as reconciled.

ii) Trade Receivables for Rs. 2242114992 (Previous year Rs.2273857980) include a sum of Rs.8095810 (Previous year: Rs.9093140) for which suits have been filed by the corporation with appropriate courts. Further, Trade Receivables include Rs. 18923994 (Previous year Rs. 19016347) receivable against supply of fabric wherein the corporation is having corresponding dues to creditors, payable only after realization. The fabric creditors are Rs.21011474 (Previous year Rs. 21011474). Trade Receivables also includes a sum of Rs. 102980680 (Previous year Rs. 80834041) wherein supplies have been made against the revolving advance received by the corporation as Corpus Fund (Cluster Development).

iii) The details of provision for doubtful Trade Receivables is placed herein below:-

(Rs.)

Particulars	Balance as at the end of previous reporting period	Addition during the year	Total	Amount realized/ adjusted	Written off during the year	Balance as at the end of current reporting period
Provision for doubtful Trade Receivables.	37178353	1447769	38626122	6991641	-	31634481

17 CURRENT ASSETS - CASH & CASH EQUIVALENTS

	Figures as at the end of current reporting period (Rs.)	Figures as at the end of previous reporting period(Rs.)
Balances with scheduled bank	750826312	381690033
Balances with non- scheduled bank	9283638	247210
Cash and stamps in Hand	-	-
Bank deposits upto 12 month	1173704247	828078259
Bank deposit exceeding 12 month	-	-
TOTAL	**1933814196**	**1210015502**

18. मौजूदा परिसंपत्तियां - अल्पावधि ऋण और अग्रिम

		मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में आंकड़े (रु. में)		पूर्ववर्ती समीक्षाधीन अवधि के अंत में आंकड़े (रु. में)	
(i)	सुरक्षित ऋण (अच्छे समझे गए)				
	– वाहन ऋण के खिलाफ कर्मचारियों को वाहनों को गिरवी के बदले कर्मचारियों को दिया गया वाहन ऋण		1297270		1016124
(ii)	अग्रिम (असुरक्षित) (नकद अथवा उसके रूप में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए वसूली की जाने वाली राशि)				
	– आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम राशि				
	– अच्छे समझ गए	1295779		3262412	
	– संदिग्ध समझे गए	1572915		1572915	
		2868694		4835327	
	– कमीः संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-1572915	1295779	-1572915	3262412
(iii)	कर्मचारियों को अग्रिम				
	– अच्छे समझे गए	1945741		994865	
	– संदिग्ध समझे गए	126274		126274	
		2072014.95		1121139	
	– कमीः संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-126274	1945741	-126274	994865
(iv)	दूसरों को अग्रिम				
	– अच्छे समझे गए	20648646		29944618	
	– संदिग्ध समझे गए	135151		135151	
		20783797		30079769	
	– कमीः संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-135151	20648646	-135151	29944618
(v)	पूर्वदत्त व्यय		682893		611223
(vi)	स्त्रोत पर कर कटौती सहित अग्रिम आयकर		146145564		117638537
(vii)	जमा (असुरक्षित लेकिन अच्छे समझे गए)				
	– सरकारी विभागों के साथ		-		-
	– परिसरों/दूसरों के किराए के लिए				
	– अच्छे समझे गए	1268195		1157936	
	– संदिग्ध समझे गए	86130		86130	
		1354325		1244066	
	– कमीः संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-86130	1268195	-86130	1157936
(viii)	**प्राप्तियां**				
	– भारत सरकार से सहायता अनुदान के बदले		937555505		481928042
	– प्राप्य दावें		4024761		4024761
	– विपणन परिसर/अन्य के लिए बकाया राशि				
	– अच्छे समझे गए	4311016		4311017	
	– संदिग्ध समझे गए	1664418		1664418	
		5975434		5975435	
	– कमीः संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-1664418	4311016	-1664418	4311017
(ix)	उपयोगकर्ता एजेंसियों से बकाया ब्याज आस्थागित अर्जित ब्याज				
	– अच्छे समझे गए	-		-	
	– संदिग्ध समझे गए	17934693		17934694	
		17934693		17934694	
	– कमीः संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-17934693	-	-17934694	-
	कुल		**1119175370**		**644889535**

18. CURRENT ASSETS - SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

		Figures as at the end of current reporting period (Rs.)		Figures as at the end of previous reporting period (Rs.)	
(i)	Secured loans (considered good)				
	- Vehicle loan to staff against hypothecation of vehicles		1297270		1016124
(ii)	Advances (Unsecured) (Recoverable in cash or kind or for value to be received)				
	- Advance to suppliers				
	- Considered good	1295779		3262412	
	- Considered doubtful	1572915		1572915	
		2868694		4835327	
	- Less: Provision for doubtful advances	-1572915	1295779	-1572915	3262412
(iii)	Advance to staff				
	- Considered good	1945741		994865	
	- Considered doubtful	126274		126274	
		2072014.95		1121139	
	- Less: Provision for doubtful advances	-126274	1945741	-126274	994865
(iv)	Advance to others				
	- Considered good	20648646		29944618	
	- Considered doubtful	135151		135151	
		20783797		30079769	
	- Less: Provision for doubtful advances	-135151	20648646	-135151	29944618
(v)	Prepaid expenses		682893		611223
(vi)	Advance income tax including tax deducted at source		146145564		117638537
(vii)	DEPOSITS (Unsecured but considered good)				
	- With Government departments		-		-
	- For rent of complexes/ others				
	- Considered good	1268195		1157936	
	- Considered doubtful	86130		86130	
		1354325		1244066	
	- Less: Provision for doubtful deposits	-86130	1268195	-86130	1157936
(viii)	**RECEIVABLES**				
	- From the Government of India against grant-in-aid		937555505		481928042
	- Claims receivable		4024761		4024761
	- Outstanding against marketing complex/ others				
	- Considered good	4311016		4311017	
	- Considered doubtful	1664418		1664418	
		5975434		5975435	
	- Less: Provision for doubtful receivables	-1664418	4311016	-1664418	4311017
(ix)	Interest outstanding from user Agencies Deferred accrued Interest				
	- Considered good	-		-	
	- Considered doubtful	17934693		17934694	
		17934693		17934694	
	- Less: Provision for doubtful interest	-17934693	-	-17934694	-
	TOTAL		**1119175370**		**644889535**

i) संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

(रु. में)

	विवरण	पूर्ववर्ती समीक्षाधीन अवधि के अंत में शेष राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि	कुल	उगाही/समायोजित की गई राशि	वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में शेष राशि
क)	आपूर्तिकर्ताओं के लिए संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	1572915	-	1572915	-	-	1572915
ख)	कर्मचारियों को संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	126274	-	126274	-	-	126274
ग)	अन्य को संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	135151	-	135151	-	-	135151
घ)	संदिग्ध जमा राशि के लिए प्रावधान	86130	-	86130	-	-	86130
ङ)	संदिग्ध प्राप्तियों के लिए प्रावधान	1664419	-	1664419	-	-	1664419
च)	संदिग्ध आस्थगित उपार्जित ब्याज के लिए प्रावधान	17934694	-	17934694	-	-	17934694
	कुल	**21519583**	**-**	**21519583**	**-**	**-**	**21519583**

ii) अन्य को अग्रिम राशि के अंतर्गत निगम के गेज्युटी कोष के लिए एलआईसी में अग्रिम के लिए रखी हुए 1927406/–रु. (पिछले वर्ष 8790755/–रु.) की राशि शामिल है।

iii) आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम की 2868694/–रु. (पिछले वर्ष 4835327/–रु.) की राशि के अंतर्गत 726947/–रु. (पिछले वर्ष 726947/–रु.) की राशि शामिल है जिसके लिए निगम ने उपयुक्त न्यायालयों में मुकदमा दायर किया गया है।

iv) निदेशकों को दी जाने वाली ऋण एवं अग्रिम राशि शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है। वर्ष के दौरान किसी भी समय निर्देशकों से प्राप्त की जाने वाली अधिकतम राशि 438542/–रु. (पिछले वर्ष 627439/–) है जोकि यात्रा संबंधी बिलों की अग्रिम राशि से संबंधित है।

v) आयोजनों के संबंध में भारत सरकार से सहायता अनुदान के बदले प्राप्त की जाने वाली राशि में 38824366/–रु. (पिछले वर्ष 19757418/–रु.) की शामिल है जिसमें से समीक्षाधीन अवधि के अंत में सरकार के समझ दावे प्रस्तुत किए जाने हैं। उपयुक्त राशि में 27463717/–रु. (पिछले वर्ष 16840500/–रु.) की शामिल है जिसमें से कोई जीओ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

vi) 4042661/–रु. (पिछले वर्ष 4042661/–रु.) की दावा प्राप्तियों में 4024761/–रु. (पिछले वर्ष 4024761/–रु.) की राशि शामिल है, जो आयकर प्राधिकारियों द्वारा वापस किए जाने हेतु देय है जिसमें पूर्व वर्षों से संबंधित मांग के आधार पर किए जा रहे विरोध के अंतर्गत निगम द्वारा जमा की गई बड़ी राशि शामिल है।

vii) उपर्युक्त 17934694/–रु. (पिछले वर्ष 17934694/–रु.) के आस्थगित प्रौद्भूत ब्याज के संबंध में निगम द्वारा उपयुक्त न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है।

19. मौजूदा परिसंपत्तियां - अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां

		मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में आंकड़े (रु. में)		पूर्ववर्ती समीक्षाधीन अवधि के अंत में आंकड़े (रु. में)	
क)	अर्जित ब्याज लेकिन अप्राप्त		44916507		30381638
ख)	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा निधि				
	– चिकित्सा निधि के बदले एफडीआर	6055714		3470004	
	– चिकित्सा निधि पर प्रौद्भूत ब्याज	164022		113558	
	– अनुसूचित बैंक में मौजूदा खाते में शेष राशि	3969870	10189606	3613937	7197499
	कुल (क+ख)		**55106113**		**37579137**

20 परिचालकों से राजस्व

		मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में आंकड़े (रु. में)		पूर्ववर्ती समीक्षाधीन अवधि के अंत में आंकड़े (रु. में)	
क)	प्राप्तियां घटा बिक्री				
	सूत – सूत आपूर्ति स्कीम	30836786373		24496161206	
	कमी: हैंक यॉर्न पर 10% अनुवृत्ति	-1417305057	29419481316	-927510828	23568650378
	सामान्य स्कीम		56032736		43321169
	डाई एवं केमिकल्स		459665250		448429646
	फैब्रिक्स		-		41791
	कुल (क)		**29935179302**		**24060442984**
ख)	सूत आपूर्ति स्कीम के अंतर्गत व्यय की प्रतिपूर्ति के बदले सहायता अनुदान		1538997280		1247679526
	हैंक यार्न पर 10% अनुवृत्ति		1417305055		927510828
	सूत आपूर्ति स्कीम के अंतर्गत 10% यार्न अनुवृत्ति घटक के बदले सेवा प्रभार		70866309		46375543
	कुल (ख)		**3027168644**		**2221565897**
	कुल (क+ख)		**32962347946**		**26282008881**

i) सूत आपूर्ति स्कीम के अंतर्गत व्यय प्रतिपूर्ति के लिए सहायता अनुदान की राशि 3027168644/–रु. (पिछले वर्ष 2221565897/–रु.) है जोकि सूत की आपूर्ति के लिए है तथा जिसे प्रौद्भूत आधार पर लेखांकित कर दिया गया है जिसमें से मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में सरकार को प्रस्तुत करने के लिए कुल 481117512/–रु. (पिछले वर्ष 355528221/–रु.) के दावे की राशि लंबित है।

i) The details of provision for doubtful assets is placed herein below:-

(Rs.)

	Particulars	Balance as at the end of previous reporting period	Addition during the year	Total	Amount realized/ adjusted	Written off during the year	Balance as at the end of current reporting period
a)	Provision for doubtful advances to suppliers.	1572915	-	1572915	-	-	1572915
b)	Provision for doubtful advances to staff.	126274	-	126274	-	-	126274
c)	Provision for doubtful advances to others.	135151	-	135151	-	-	135151
d)	Provision for doubtful deposits.	86130	-	86130	-	-	86130
e)	Provision for doubtful receivables.	1664419	-	1664419	-	-	1664419
f)	Provision for doubtful deferred accrued interest.	17934694	-	17934694	-	-	17934694
	Total	**21519583**	**-**	**21519583**	**-**	**-**	**21519583**

ii) Advance to Others include an amount of Rs. 1927406 (Previous Year Rs. 8790755) for advance lying with LIC of India against Gratuity Fund of the corporation.

iii) Advances to suppliers of Rs. 2868694 (Previous year Rs. 4835327) include a sum of Rs. 726947 (Previous year Rs. 726947) for which suit have been filed by the Corporation with appropriate courts.

iv) Loans and advances to Directors is Rs. Nil (Previous year Rs.Nil). Maximum amount due from directors at any time during the year was Rs. 438542 (Previous year Rs. 627439) being advance against Travelling bills.

v) Receivable from Government of India against grant-in-aid includes Rs.38824366 (Previous year Rs.19757418) in respect of events wherein claims are to be submitted to the Government as at the end of current reporting period. The above amount includes Rs.27463717 (Previous year Rs.16840500) wherein no GO has yet been received.

vi) Claims receivables Rs. 4042661 (Previous year Rs.4042661) includes Rs. 4024761 (Previous year Rs.4024761), which is due to be refunded by the income tax authorities, wherein, the major amount has been deposited by the corporation under protest based on the demand for earlier years.

vii) In respect of Deferred accrued interest for Rs. 17934694 (Previous year Rs.17934694) as shown above, the suit has been filed by the corporation with appropriate court.

19. CURRENT ASSETS - OTHER CURRENT ASSETS

		Figures as at the end of current reporting period (Rs.)		Figures as at the end of previous reporting period (Rs.)	
A)	Interest accrued but not received		44916507		30381638
B)	Post Retirement Medical Corpus				
	-FDR against Medical Corpus	6055714		3470004	
	-Accrued Interest on Medical Corpus	164022		113558	
	-Balance with Scheduled Bank in Current Account	3969870	10189606	3613937	7197499
	TOTAL (A+B)		**55106113**		**37579137**

20 REVENUE FROM OPERATIONS

		Figures for the current reporting period (Rs.)		Figures for the previous reporting period (Rs.)	
(a)	Sales less returns				
	-Yarn - Yarn Supply Scheme	30836786373		24496161206	
	Less: 10% subsidy on Hank yarn	-1417305057	29419481316	-927510828	23568650378
	General Scheme		56032736		43321169
	-Dyes & chemicals		459665250		448429646
	-Fabrics		-		41791
	Total (a)		**29935179302**		**24060442984**
(b)	Grant-in-aid against reimbursement of expenditure under Yarn Supply Scheme		1538997280		1247679526
	10% Subsidy on Hank yarn		1417305055		927510828
	Service charges against 10% yarn subsidy component under Yarn Supply Scheme		70866309		46375543
	Total (b)		**3027168644**		**2221565897**
	TOTAL (a+b)		**32962347946**		**26282008881**

i) Grant in aid against reimbursement of expenditure under Yarn Supply Scheme amounting to Rs. 3027168644 (Previous year Rs. 2221565897) on account of supply of yarn has been accounted for on accrual basis. Out of which, claims totaling Rs.481117512 (Previous year Rs.355528221) are pending for submission to the government as at the end of current reporting period.

21. अन्य आय

	मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में आंकड़े (रु. में)	पूर्ववर्ती समीक्षाधीन अवधि के अंत में आंकड़े (रु. में)
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	637	1147
विविध प्राप्ति/निविदा शुल्क	5806732	1572164
प्राप्त डिपो प्रभार	734762	3324846
बैंक/वाहन ऋण/दूसरों से ब्याज	99064909	52497966
नकद छूट/कमीशन	50491	502438
अतिदेय बिल पर पक्षकारों से प्राप्त ब्याज	971264	4428907
वापस लिखी गई देयताएं/अतिरिक्त प्रावधान	642360	1469905
वापस लिखी गई ग्रेच्युटी देयता के लिए अतिरिक्त प्रावधान	-	-
ऐसे प्रावधान जिन्हें वापस लिखा जाना आवश्यक नहीं	6991648	4057813
कुल	**114262803**	**67855186**

i) अब प्रावधान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वापस लिखे गये 69,91,648 रुपए में 35,09,759 रुपए देनदारों हेतु प्रावधान के शामिल हैं और 34,81,853 रुपए देनदार हेतु प्रावधान के खिलाफ एजेंसियों से वर्ष के दौरान प्राप्त हो गए हैं।

22. व्यापारिक स्टौक की खरीद

	मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में आंकड़े (रु. में)	पूर्ववर्ती समीक्षाधीन अवधि के अंत में आंकड़े (रु. में)
क्रय घटा प्राप्तियां		
– सूत	30891185319	24540694566
– डाई एवं केमिकल्स	433337724	416945513
– फैब्रिक्स	-	41791
कुल	**31324523043**	**24957681870**

2016–17 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से प्राप्त सूत का मूल्य 19843248850/–रुपये (कुल अधिप्राप्त सूत का 64.23%) है जबकि पिछले वर्ष 2015–16 के दौरान यह मूल्य 15240259581/–रु. (कुल अधिप्राप्त सूत का 62.10%) था।

23. परिवहन/डिपो प्रभार

	मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में आंकड़े (रु. में)	पूर्ववर्ती समीक्षाधीन अवधि के अंत में आंकड़े (रु. में)
परिवहन प्रभार	416314945	364620951
डिपो प्रभार	514150191	400694372
कुल	**930465136**	**765315323**

सूत आपूर्ति स्कीम के अंतर्गत सूत की आपूर्ति के लिए 930465135/–रु. (पिछले वर्ष 765315323/–रु.) के परिवहन और डिपो प्रभार को प्रौद्भूत आधार पर लेखांकित किया गया है। इसमें से मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में सरकार को प्रस्तुत किए जाने के लिए कुल 169367078/–रु. (पिछले वर्ष 129474822/–रु.) का दावा लंबित है। उपयोगकर्ता एजेंसियों को देय परिवहन और डिपो के प्रभारों के लिए स्कीम के अनुसार प्रावधान बनाए गए हैं।

24. प्रक्रियाधीन तैयार माल की सूची में परिवर्तन और व्यापारिक स्टॉक

(In Rs.)

	दिनांक 01.04.2016 को प्रारंभिक स्टॉक	दिनांक 31.03.2017 को समापन स्टॉक	वृद्धि (–)/ कटौती (+)
सूत	9255135	8908770	346365
डाई एवं केमिकल्स	5442411	3827801	1614610
फैब्रिक्स	-	-	-
कुल	**14697546**	**12736571**	**1960975**
	दिनांक 01.04.2015 को प्रारंभिक स्टॉक	**दिनांक 31.03.2016 को समापन स्टॉक**	**वृद्धि (–)/ कटौती (+)**
सूत	6959585	9255135	-2295550
डाई एवं केमिकल्स	6278518	5442411	836107
फैब्रिक्स	-	-	-
कुल	**13238103**	**14697546**	**-1459443**

21. OTHER INCOME

	Figures for the current reporting period (Rs.)	Figures for the previous reporting period (Rs.)
Profit on sale of assets	637	1147
Miscellaneous receipt/ tender Fees	5806732	1572164
Depot charges received	734762	3324846
Interest from bank/ vehicle loan/ others	99064909	52497966
Cash discount/ commission	50491	502438
Interest received from parties on overdue bills	971264	4428907
Liabilities/ excess provisions written back	642360	1469905
Excess Provision for Gratuity liability written back	-	-
Provision no longer required written back	6991648	4057813
TOTAL	**114262803**	**67855186**

i) Provision no longer required written back for Rs. 6991648 includes Rs. 3509795 written off debtors provision and Rs. 3481853 realised during the year from agencies against debtors provision.

22. PURCHASES OF STOCK IN TRADE

	Figures for the current reporting period (Rs.)	Figures for the previous reporting period (Rs.)
Purchases less returns		
-Yarn	30891185319	24540694566
-Dyes & chemicals	433337724	416945513
-Fabrics	-	41791
TOTAL	**31324523043**	**24957681870**

The value of Yarn procured from Micro and Small Enterprises (MSEs) (including MSEs owned by SC/ ST entrepreneurs) during the year 2016-17 is Rs. 19843248850 (64.23% of total yarn procured) as against Rs. 15240259581 (62.10% of total yarn procured) during the previous year 2015-16.

23. TRANSPORTATION/ DEPOT CHARGES

	Figures for the current reporting period (Rs.)	Figures for the previous reporting period (Rs.)
Transportation Charges	416314945	364620951
Depot Charges	514150191	400694372
TOTAL	**930465136**	**765315323**

Transportation and depot charges under Yarn Supply Scheme amounting to Rs. 930465135 (Previous year Rs. 765315323) on account of supply of yarn has been accounted for on accrual basis. Out of which, claims for expenses totaling Rs. 169367078 (Previous year Rs. 129474822) are pending for submission to the government as at the end of current reporting period. Provision for transportation and depot charges payable to the user agencies has been made in accordance with the scheme.

24. CHANGES IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS WORK IN PROGRESS AND STOCK IN TRADE

(In Rs.)

	OPENING STOCK ON 1.4.2016	CLOSING STOCK ON 31.3.2017	INCREASE (-)/ DECREASE (+)
YARN	9255135	8908770	346365
DYES & CHEMICALS	5442411	3827801	1614610
FABRICS	-	-	-
TOTAL	**14697546**	**12736571**	**1960975**
	OPENING STOCK ON 1.4.2015	**CLOSING STOCK ON 31.3.2016**	**INCREASE (-)/ DECREASE (+)**
YARN	6959585	9255135	-2295550
DYES & CHEMICALS	6278518	5442411	836107
FABRICS	-	-	-
TOTAL	**13238103**	**14697546**	**-1459443**

25. कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय

		मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में आंकड़े (रु. में)	पूर्ववर्ती समीक्षाधीन अवधि के अंत में आंकड़े (रु. में)
(क)	**वेतन एवं मजदूरी**		
	वेतन और भत्ते	130733856	113542312
	वेतन और भत्ते (प्रबंध निदेशक)	2101637	2135942
	प्रोद्भूत छुट्टी के लिए प्रावधान सहित छुट्टी नकदीकरण (प्रबंध निदेशक के लिए शून्य रु. शामिल है – पूर्व वर्ष शून्य रु.)	33577518	15701957
	अनुग्रह राशि (प्रबंध निदेशक के लिए 322939/–रु. शामिल हैं–पूर्व वर्ष 304213 रु.)	18000000	16590000
	बच्चों की शिक्षा राशि की प्रतिपूर्ति (प्रबंध निदेशक के लिए शून्य रु. शामिल है – पूर्व वर्ष शून्य रु.)	320515	358914
	वाहन प्रतिपूर्ति	1824079	1731228
	भर्ती व्यय	528798	1506277
	अवकाश यात्रा रियायत/नकदीकरण (प्रबंध निदेशक के लिए 112261/– रु. शामिल है – पूर्व वर्ष शून्य रु.)	817507	979313
	चिकित्सा व्यय (प्रबंध निदेशक के लिए 25000/–रु. शामिल है –पूर्व वर्ष 22562 रुपये)	7739149	7355221
	कर्मियों को प्रशिक्षण	585429	699713
	उप कुल (क)	**196228488**	**160600877**
(ख)	**पीएफ और अन्य कोष में अंशदान**		
	सीपीएफ एवं एफपीएफ/ईडीएलआई स्कीम के लिए नियोक्ता अंशदान (एमडी के लिए 255204/–रु. शामिल हैं – पिछले वर्ष 235307/–रु.)	14820859	13414116
	ग्रेच्युटी	7363349	1232410
	उप कुल (ख)	**22184208**	**14646526**
(ग)	**कर्मचारी कल्याण खर्च**		
	कर्मचारी कल्याण खर्च (मानदेय, इनाम वर्दी और वर्दी सहित)	4210603	3790613
	समूह व्यक्तिगत दुर्घटना और उपदान बीमा	76573	206547
	मृतक कर्मचारी स्कीम के लिए भुगतान	1461800	1440400
	उप कुल (ग)	**5748976**	**5437560**
	कुल (क+ख+ग)	**224161672**	**180684963**

क) लेखांकन मानक–15 कर्मचारी लाभ के अनुसार लेखांकन मानक में यथापरिभाषित कर्मचारी लाभ का खुलासा नीचे दिया गया है:–

परिभाषित योगदान योजना

उक्त वर्ष के लिए खर्च के रूप में मान्यता प्राप्त परिभाषित योगदान योजना के लिए किया जाने वाला योगदान निम्नानुसार है:–

	मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में आंकड़े (रु. में)	पूर्ववर्ती समीक्षाधीन अवधि के अंत में आंकड़े (रु. में)
सीपीएफ/ईपीएफ एवं ईडीएलआई स्कीमों के लिए नियोक्ता का योगदान	14820859	13414116

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 की धारा 17 के अंतर्गत निगम के भविष्य निधि को छूट प्रदान की गई है। छूट की शर्तों में यह उल्लेख है कि नियोक्ता ऐसी स्थिति में ब्याज दर में कटौती करेगा जब सांविधिक दर के बदले न्यास द्वारा घोषित ब्याज दर में किसी प्रकार का अंतर हो।

ख) वर्ष 2016–17 के दौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को भुगतान किया गया पारिश्रमिक निम्नानुसार है:– (रु. में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			
		एमडी	ईडी (वित्त)	डीजीएम (एफ ऐंड ए) तथा कंपनी सचिव	कुल
01.	सकल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	2504614	1819617	1920351	**6244582**
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अंतर्गत अनुलाभों का मूल्य	228650	-	-	**228650**
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के बदले लाभ	-	-	-	-
02.	स्टॉक का विकल्प	-	-	-	-
03.	उद्यम इक्विटी	-	-	-	-
04.	आयोग				
	– लाभ के प्रतिशत के रूप में	-	-	-	-
	– अन्य, उल्लेख करें	-	-	-	-
05.	अन्य, कृपया विस्तृत विवरण दे	-	-	-	-
	कुल	**2733264**	**1819617**	**1920351**	**6473232**

उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) और कम्पनी सचिव ने दिनांक 14 मार्च, 2017 से इस्तीफा दे दिया है और उन्हें सेवामुक्त कर दिया गया है।

25. EMPLOYEE BENEFITS EXPENSES

		Figures for the current reporting period (Rs.)	Figures for the previous reporting period (Rs.)
a)	**Salary & Wages**		
	Salary and allowances	130733856	113542312
	Salary and allowances (Managing Director)	2101637	2135942
	Leave encashment-Including provision for accrued leave (includes Rs. Nil for MD -Previous year Rs.Nil)	33577518	15701957
	Ex-Gratia (Includes Rs.322939 for MD - Previous year Rs.304213)	18000000	16590000
	Children education reimbursement (includes Rs. NIL for MD - Previous year Rs. NIL)	320515	358914
	Conveyance reimbursement	1824079	1731228
	Recruitment Expenses	528798	1506277
	Leave travel concession/encashment (Includes Rs.112261 for MD - Previous year Rs. Nil)	817507	979313
	Medical expenses (Includes Rs.25000 for MD- Previous year Rs22562)	7739149	7355221
	Training to personnel	585429	699713
	Sub Total (a)	**196228488**	**160600877**
b)	**Contribution to PF & other Fund**		
	Employers contribution to CPF & FPF/ EDLI scheme (Includes Rs. 255204 for MD - Previous year Rs.235307)	14820859	13414116
	Gratuity	7363349	1232410
	Sub Total (b)	**22184208**	**14646526**
c)	**Staff Welfare expenses**		
	Staff welfare expenses (including honorarium, reward uniform & liveries)	4210603	3790613
	Group personal accident and Gratuity insurance	76573	206547
	Payment to Deceased Employee Scheme	1461800	1440400
	Sub Total (c)	**5748976**	**5437560**
	Total (a+b+c)	**224161672**	**180684963**

a) As per Accounting Standard -15 "Employee Benefits", the disclosures of Employee Benefits as defined in the Accounting Standard is given below:-

Defined Contribution Plan
Contribution to Defined Contribution Plan, recognized as expense for the year is as under:

	Figures for the current reporting period (Rs.)	Figures for the previous reporting period (Rs.)
Employer's contribution to CPF/ FPF & EDLI Schemes.	14820859	13414116

Corporation's provident fund is exempted u/s 17 of Employee's Provident Fund Act, 1952. Condition to exemptions stipulates that the employer shall make good deficiency, if any, in the interest rate declared by the trust against the statutory rate.

b) Remuneration paid to Key Managerial Personnels (KMP) during the year 2016-17 is as below:- (In Rs.)

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		MD	ED (FINANCE)	DGM (F&A) and Company Secretary	TOTAL
01.	Gross Salary				
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961	2504614	1819617	1920351	**6244582**
	(b) Value of Perquisites u/s 17(2) of Income Tax Act, 1961	228650	-	-	**228650**
	(c) Profits in lieu of salary u/s 17(3) of Income Tax Act, 1961	-	-	-	**-**
02.	Stock Option	-	-	-	**-**
03.	Sweat Equity	-	-	-	**-**
04.	Commission				
	- as % of Profit	-	-	-	**-**
	- others, specify.....	-	-	-	**-**
05.	Others, please specify.....	-	-	-	**-**
	TOTAL	**2733264**	**1819617**	**1920351**	**6473232**

DGM (F&A) and Company Secretary has resigned and releived on w.e.f 14.03.2017.

26. वित्त लागत

	मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए आंकड़े (रु. में)	पूर्ववर्ती समीक्षाधीन अवधि के लिए आंकड़े (रु. में)
बैंक/अन्य को ब्याज	-	-
अन्य उधार लागत	-	-
कुल	**-**	**-**

27. अन्य व्यय

		मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए आंकड़े (रु. में)	पूर्ववर्ती समीक्षाधीन अवधि के लिए आंकड़े (रु. में)
(a)	**प्रशासनिक व्यय**		
	यात्रा व्यय (एमडी के लिए 3342204/–रु. (विदेशी दौरों के लिए 430569/–रु.) – पिछले वर्ष 4050147/–रु.)	16837834	15820933
	लेखा परीक्षकों को भुगतान	561825	300070
	बोर्ड की बैठक के खर्च	-	-
	पुस्तकें व पत्रिकाएं	118674	130691
	वाहन खर्चे	8715440	5578519
	बिजली/पानी का खर्च	3656649	2799003
	बीमा	303403	141373
	कानूनी और व्यावसायिक प्रभार	3302565	2818202
	सदस्यता शुल्क और अंशदान	24259	265291
	कार्यालय रखरखाव	2263264	1741493
	छपाई और स्टेशनरी	3137268	2712654
	डाक/तार/टेलीफोन और टेलेक्स	6696290	4565962
	किराया दरें और कर (निवल वसूली) (प्रबंध निदेशक के लिए आवासीय आवासीय सुविधा हेतु 540000/–रु. का लीज रेंट शामिल है – पिछले वर्ष 21000/–रु.)	10814126	4807092
	मरम्मत एवं रखरखाव	2449834	1477300
	सेवा वाहन खर्चे	934499	785608
	सुरक्षा खर्चे	6328573	3968454
	विविध व्यय	88909	1266
	कुल (क)	**66233413**	**47913911**
i)	**लेखा परीक्षकों को किया गया भुगतान निम्नानुसार है:–**		
	लेखा परीक्षा शुल्क	309425	125000
	अन्य क्षमता	194063	139865
	यात्रा व्यय	58337	35205
	कुल	**561825**	**300070**
(b)	**व्यापार**		
	विज्ञापन और प्रचार	2705102	3247269
	व्यापार संवर्धन	26570222	127252
	बट्टा, कमीशन और छूट	4791805	3472865
	बैंक प्रभार	155576	122388
	माल ढुलाई और अन्य प्रभार	500293	274669
	बैठक खर्च	1967377	2776249
	निविदा शुल्क	2100	-
	बिक्री कर	366463	-
	माल पर पारगमन बीमा	-	233863
	सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन/रखरखाव का खर्च	2309220	3946059
	डाटा प्रविष्टि प्रभार	3476771	1250936
	कुल (ख)	**42844929**	**15451550**
	कुल (क+ख)	**109078342**	**63365461**

i) व्यावसायिक प्रोत्साहन व्यय में प्रदर्शनी गतिविधियों पर चालू वित्त वर्ष के दौरान मंजूर किए गए बजट से 175.67 लाख रुपए अधिक और वर्ष 2015–16 के दौरान 77.20 लाख रुपए अधिक खर्च किए गए शामिल हैं, जिन्हें पहले सरकार से प्राप्तियोग्य मद में दिखाया जाता था।

26. FINANCE COSTS

	Figures for the current reporting period (Rs.)	Figures for the previous reporting period (Rs.)
Interest to bank/ others	-	-
Other Borrowing cost	-	-
Total	**-**	**-**

27. OTHER EXPENSES

		Figures for the current reporting period (Rs.)	Figures for the previous reporting period (Rs.)
(a)	**ADMINISTRATIVE EXPENSES**		
	Travelling expenses (Including Rs. 3342204 for MD (Including Foreign tour for INR 430569)- Previous year Rs.4050147)	16837834	15820933
	Payment to auditors	561825	300070
	Board meeting expenses	-	-
	Books & periodicals	118674	130691
	Conveyance expenses	8715440	5578519
	Electricity/water charges	3656649	2799003
	Insurance	303403	141373
	Legal & professional charges	3302565	2818202
	Membership fees & subscription	24259	265291
	Office upkeep	2263264	1741493
	Printing & stationery	3137268	2712654
	Postage/telegram/telephone & telex	6696290	4565962
	Rent, rates & taxes (net of recoveries) (includes lease rent for residential accommodation of MD Rs. 540000 - Previous year Rs. 21000)	10814126	4807092
	Repair & maintenance	2449834	1477300
	Service vehicle expenses	934499	785608
	Security expenses	6328573	3968454
	Miscellaneous expenses	88909	1266
	TOTAL (a)	**66233413**	**47913911**
i)	**Payment made to auditors is as below:-**		
	Audit Fee	309425	125000
	Other Capacity	194063	139865
	Travelling Exp.	58337	35205
	TOTAL	**561825**	**300070**
(b)	**TRADE**		
	Advertisement & publicity	2705102	3247269
	Business promotion	26570222	127252
	Discount, commission & rebate	4791805	3472865
	Bank charges	155576	122388
	Freight & other charges	500293	274669
	Meeting expenses	1967377	2776249
	Tender fees	2100	-
	Sales tax	366463	-
	Transit Insurance on goods	-	233863
	Software implementation/ maintenance expenses	2309220	3946059
	Data entry charges	3476771	1250936
	TOTAL (b)	**42844929**	**15451550**
	TOTAL (a+b)	**109078342**	**63365461**

i) Business promotion expenses includes Rs 175.67 Lakh incurred on exhibition activities over and abve the sanctioned budget during the current financial year and Rs. 77.20 Lakh during 2015-16, earlier used to be shown in Receivables from Govt.

28. असाधारण मदें

		मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए आंकड़े (रु. में)	पूर्ववर्ती समीक्षाधीन अवधि के लिए आंकड़े (रु. में)
क)	**प्रावधान, बट्टा खाता आदि**		
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	27756	32414
	परिसंपत्तियों के नुकसान पर हानि	-	-
	संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधान	1447769	3595711
	देनदारियों को बट्टेखाते में डालना	3486367	-
	आपूर्तिकर्ता को संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
	उप कुल	**4961892**	**3628125**
ख)	पूर्व अवधि समायोजन	-	-537405
ग)	वीआरएस क्षतिपूर्ति	-	-
	कुल (क+ख+ग)	**4961892**	**3090720**

शून्य रुपये के लिए पूर्व वर्ष के समायोजन (निवल) – जमा राशि (पूर्व वर्ष 537405/–रु. जमा राशि) का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(रु. में)

विवरण	जमा राशि
प्राप्त डिपो प्रभार	-
कुल	**-**

29. नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय

	मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए आंकड़े (रु. में)	पूर्ववर्ती समीक्षाधीन अवधि के लिए आंकड़े (रु. में)
नैगमिक सामाजिक जिम्मेदारी पर व्यय	10021783	7396129
कुल	**10021783**	**7396129**

वर्ष 2016–17 के दौरान शुरू किए गए सी.एस.आर. कार्यकलाप का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1. वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान सी.एस.आर. कार्यकलाप पर व्यय की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि **6264594**
2. वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान व्यय की गई राशि **10021783**

(रु. में)

		मौजूदा वर्ष के दौरान अदा की गई राशि	वह राशि जिसका अभी भुगतान किया जाना है	कुल
क)	वर्ष के दौरान शौचालयों के निर्माण तथा गांवों के विकास पर खर्च की गई राशि	3511783	-	**3511783**
ख)	बैटरी से जुड़े इन्वर्टरों तथा लाइटिंग इकाईयों का बीपीएल बुनकरों में वितरण करने पर खर्च की गई राशि	**6510000**	-	**6510000**
	कुल	**10021783**	**-**	**10021783**

30. कर व्यय - मौजूदा कर (प्रावधान)

	मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए आंकड़े (रु. में)	पूर्ववर्ती समीक्षाधीन अवधि के लिए आंकड़े (रु. में)
मौजूदा वर्ष के लिए आयकर	176000000	134515000
पूर्व वर्ष के लिए आयकर	-	-
कुल	**176000000**	**134515000**

वर्ष के दौरान लेखाओं में 176000000/–रु. (पिछले वर्ष 134515000/–रु.) के आयकर का प्रावधान किया गया है:–

31. 8 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 (एमसीए नोटिफिकेशन जीएसआर 308 (ई) के अनुसार मार्च 30, 2017 की अवधि के दौरान आयोजित और किए गए निर्दिष्ट बैंक नोट्स (एसबीएन) का विवरण

विवरण	एसबीएन (पुराना)	अन्य संप्रदाय टिप्पणियां	कुल
नकदी समापन 8 नवम्बर, 2016 को	-	-	-
(+) अनुमति प्राप्त प्राप्तियां	-	-	-
(-) अनुमति प्राप्त भुगतान	-	-	-
(-) बैंकों में जमा राशि	-	-	-
नकदी समापन 30 दिसम्बर, 2016 को	-	-	-

निगम नकदी का संचालन नहीं करता है नकद हमारे ग्राहकों द्वारा जमा किया गया है, अर्थात व्यक्तिगत बुनकरों/सहकारी समितियों द्वारा सूत (यार्न) की लागत के सबंध में जमा करवाई गई राशि। नवम्बर – दिसम्बर 2016 के दौरान सूत की कुल बिक्री 418.85 करोड़ के मुकाबले 8 दिसम्बर 2016 से 30 दिसम्बर 2016 तक कुल राशि 36,15,573 रुपये थी।

28. EXCEPTIONAL ITEMS

		Figures for the current reporting period (Rs.)	Figures for the previous reporting period (Rs.)
a)	**PROVISION, WRITE OFF ETC.**		
	Loss on sale of assets	27756	32414
	Loss on impairment of assets	-	-
	Provision for doubtful debtors	1447769	3595711
	Write off debtors	3486367	-
	Provision for doubtful advances to supplier	-	-
	Sub Total	**4961892**	**3628125**
b)	Prior Period Adjustments	-	-537405
c)	VRS Compensation	-	-
	Total (a+b+c)	**4961892**	**3090720**

Details of Prior Year Adjustments (Net) for Rs. Nill-Credit (Previous year Rs. 537405-Credit) are as under:-

(Rs.)

Particulars	Credit
Depot charges received	-
Total	**-**

29. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EXPENSES

	Figures for the current reporting period (Rs.)	Figures for the previous reporting period (Rs.)
Expenses on Corporate Social Responsibility	10021783	7396129
Total	**10021783**	**7396129**

The details of CSR activity undertaken during the year 2016-17 is as below:-

1. Gross amount required to be spent on CSR Activity during the F.Y. 2016-17 **6264594**
2. Amount spent during the F.Y. 2016-17 (as per details below) **10021783**

(in Rs.)

		Paid during current year	Yet to be paid	Total
a)	Amount spent on construction of toilets,RO water and village development during the year	3511783	-	**3511783**
b)	Amount spent on distribution of Battery Linked Inverters and Lighting Units (BLILUs) to the BPL weavers	**6510000**	-	**6510000**
	Total	**10021783**	**-**	**10021783**

30. TAX EXPENSES- Current Tax (Provision)

	Figures for the current reporting period (Rs.)	Figures for the previous reporting period (Rs.)
Income Tax for Current year	176000000	134515000
Income Tax for earlier year	-	-
Total	**176000000**	**134515000**

During the year provision for income tax of Rs. 176000000 (Previous year Rs. 134515000) has been made in the accounts.

31. Details of Specified Bank Notes (SBN) held and transacted during the period 8th Nov, 2016 to 30th Dec, 2016 (pursuant to MCA notification GSR 308 (E) dated March 30, 2017)

Details	SBN (OLD)	Other denomination notes	Total
Closing cash in hand as on 8th Nov, 2016	-	-	-
(+) Permitted receipts	-	-	-
(-) Permitted payments	-	-	-
(-) Amounts deposited in banks	-	-	-
Closing cash in hand as on 30th Dec, 2016	-	-	-

The Corporation does not handle cash. The cash has been deposited by our Customers i.e. Individual Weavers / Co-operative Societies against the cost of Yarn as prevailing practice. The total amount deposited during demonetization period i.e. from 8th November 2016 to 30th December 2016 was INR 36,15,573, against the Total Sale of Yarn INR 418.85 Crores during November - December 2016.

32. अन्य टिप्पणियां

1 आकस्मिक देनदारियों और प्रतिबद्धताओं:–

(क) आकस्मिक देयताएं:–

(क) बिक्री कर– 17331290/–रु. (पिछले वर्ष 29231099/–रु.)

(i) वाणिज्य कर विभाग, महाराष्ट्र ने केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) अधिनियम की धारा 6 (2) के अन्तर्गत पारागमन बिक्री की छूट का अननुमोदन करते हुए वित्त वर्ष 2007–08 के लिए 24,22,296 रुपए (11,80,093 रुपए के ब्याज सहित) की मांग करते हुए डाइज एण्ड केमिकल्स कार्यालय, मुम्बई के सम्बन्ध में एक निर्धारण आदेश पारित किया है। निगम ने इस वित्त वर्ष के लिए एक अपील दायर की है जिसे वित्त वर्ष 2007–08 के लिए 3,75,000 रुपए के आंशिक भुगतान करने पर निर्णय सुनाने हेतु दाखिल कर लिया गया है।

आकलन प्राधिकरी, बिक्री कर कार्यालय, लखनऊ द्वारा वित्त वर्ष 2010–11 (गत वर्ष शून्य) के लिए निकाली गई 95,20,994 रुपए की एक लम्बित मांग के खिलाफ सहायक बिक्री कर आयुक्त, वाराणसी के समक्ष अपील लम्बित है।

(ii) वित्त वर्ष 2011–12 और वित्त वर्ष 2012–13 के लिए आयकर विभाग, चेन्नई द्वारा 5388000/–रु. (पिछले वर्ष 5388000/–रु.) की मांग की गई है जिस पर माननीय मद्रास उच्च न्यायलय से स्टे ले लिया गया है।

(ख) निगम के संबंध में दावों/मांगों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया।

(i) आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दावा की गई बकाया राशि पर ब्याज 293000/–रु. (पिछले वर्ष 293000/–रु.) है।

(ii) कंपनी के खिलाफ न्यायिक मामले–शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)

(iii) मैसर्स यू.पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में जारी की गई बैंक गारंटी– 200000/–रु. (पिछले वर्ष 2000000/–रु.)

(iv) क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण सामान्य सेवा प्रभार 45,77,446 रुपए (गत वर्ष 45,77,446 रुपए) बहुत लम्बी अवधि से बकाया है, दिनांक 31 मार्च, 2017 को आकस्मिक देयता और भी अधिक हो सकती है।

(ख) प्रतिबद्धता:–

1. पूंजी खाते पर कार्यान्वित की जाने वाली शेष प्राक्कलित संविदात्मक राशि शून्य रु. (पिछले वर्ष 12331720/–रु.) है।
2. चूंकि संबंधित बिक्री पर प्राधिकारियों द्वारा कर राशि का पता नहीं लगा पाने के कारण निर्धारण प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है, इसलिए केंद्र और विभिन्न राज्य बिक्री कर अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत सूत, डाई और रसायन एवं कपड़ा के संबंध में बिक्री कर देयता, यदि कोई हो, संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।
3. प्रबंध निदेशक को वर्ष के दौरान गैर–अधिकारिक यात्राओं के लिए 325/–रु. प्रति माह के भुगतान पर कंपनी की कार का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गई थी।
4. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III भाग II के अनुसरण में अतिरिक्त सूचना निम्नानुसार है।

क) निर्माण की लाइसेंसित और अधिष्ठापित क्षमता–लागू नहीं

ख) प्रारंभिक स्टॉक, क्रय, बिक्री तथा समापन स्टॉक के संबंध में मात्रात्मक सूचना निम्नानुसार है:–

(यूनिट लाख किलो में)
(मूल्य रु. में)

क्र.सं.	विवरण	सूत		डाई एवं रसायन		कपड़ा	
		यूनिट	मूल्य	यूनिट	मूल्य	यूनिट	मूल्य
1	प्रारम्भिक स्टॉक – मौजूदा वर्ष	0.263	9255135	0.239	5442411		
	– पिछले वर्ष	0.208	6959585	0.304	6278519		
2	क्रय – मौजूदा वर्ष	1802.121	30891185319	46.216	433337724	-	-
	– पिछले वर्ष	1727.869	24540694566	37.395	416945513	-	41791
3	बिक्री – मौजूदा वर्ष	1802.193	29475514052	46.224	459665250	-	-
	– पिछले वर्ष	1727.814	23611971547	37.461	448429646	-	41791
4	समापन स्टॉक – मौजूदा वर्ष	0.191	8908770	0.231	3827801		
	– पिछले वर्ष	0.263	9255135	0.239	5442411		

ग) (i) रंग एवं रसायन के संबंध में सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य शून्य रु. (पिछले वर्ष शून्य रु.) और (ii) कच्चा माल (iii) घटक एवं कलपुर्जों पूंजीगत सामानों के संबंध में शून्य रु. (पिछले वर्ष शून्य रु.) है।

घ) विदेशी मुद्रा में आए – शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रु.) हैं।

ङ) विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय–शून्य रु. (पिछले वर्ष शून्य रु.)

च) आयातित कच्चे माल, कलपुर्जों तथा उपयोग किए गए घटकों का मूल्य–शून्य रु. (पिछले वर्ष शून्य रु.)

32. OTHER NOTES

1 CONTINGENT LIABILITIES & COMMITMENTS :-

(A) Contingent Liabilities:-

(a) Sales tax- Rs. 17331290 (Previous year Rs.29231099).

(i) The Trade Tax Department, Maharashtra has passed an Assessment Order in respect of Dyes and Chemicals Office Mumbai, for Financial Year 2007-08, raising a demand of Rs. 2422296 (including interest of Rs. 1180093) by disallowing the exemption of transit sale u/s 6(2) of CST Act. The corporation has filed an appeal against these financial years which has been admitted for final hearing on part payment of Rs. 375000 against the financial year 2007-08.
An appeal is pending with Assistant Commissioner Sales Tax Varanasi against demand raised for Rs. 9520994/- by assessing authority sales tax office Lucknow for the F.Y. 2010-11 (Previous year NIL)

(ii) Demand for Rs. 5388000 (Previous Year Rs. 5388000) has been raised by the Sales Tax Department Chennai for the financial year 2011-12 and financial year 2012-13, on which a stay has been obtained from Hon'ble Madras High Court.

(b) Claims/ demands against the corporation not acknowledged as debts.

(i) Interest on outstanding claimed by the suppliers Rs. 293000 (Previous year Rs.293000)

(ii) Court cases against the company - Rs. Nil (Previous year Nil)

(iii) Bank guarantee issued in favour of M/s U P Pollution Control Board - Rs. 200000 (Previous year Rs.200000).

(iv) Lucknow Development Authority common service charges- Rs. 4577446 (Previous Year 4577446) since this is from long period. There may be more contingent liability as on 31st March 2017

(B) Commitment:-

1 Estimated amount of contract remaining to be executed on capital account is Rs. NIL (Previous year Rs.12331720).

2 Since the amount is not ascertainable pending finalization of assessment by the concerned sales tax authorities, no provision for sales tax liability, if any, under the provision of Central and various State Sales Tax Acts has been made in respect of sales of yarn, dyes & chemicals and fabrics.

3 The Managing Director was allowed the use of Company Car during the year for non-duty journeys on payment of Rs.325/- per month.

4 Additional information pursuant to Schedule III Part II to the Companies Act, 2013:-

A) Licensed and installed capacity of production - Not applicable.

B) Quantitative information in respect of Opening Stock, Purchases, Sales and Closing stock are as under:-

(Unit in Lakh Kgs)
(Value in Rs.)

Sl. No.	PARTICULARS	YARN		DYES & CHEMICAL		FABRIC	
		Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value
1	Opening Stock - Current Year	0.263	9255135	0.239	5442411		
	- Previous Year	0.208	6959585	0.304	6278519		
2	Purchase - Current Year	1802.121	30891185319	46.216	433337724	-	-
	- Previous Year	1727.869	24540694566	37.395	416945513	-	41791
3	Sale - Current Year	1802.193	29475514052	46.224	459665250	-	-
	- Previous Year	1727.814	23611971547	37.461	448429646	-	41791
4	Closing Stock - Current Year	0.191	8908770	0.231	3827801		
	- Previous Year	0.263	9255135	0.239	5442411		

C) Value of Import on CIF basis in respect of (i) Dyes & chemicals is Rs. Nil (Previous year Rs.Nil) and in respect of (ii) Raw Material (iii) Components & spare parts (iv) Capital goods is Rs. Nil (Previous year – Rs. Nil).

D) Earnings in Foreign Currency – Rs. Nil (Previous Year- Rs. Nil).

E) Expenditure incurred in foreign Currency - NIL (Previous year - Rs. Nil).

F) Value of imported raw material, spare parts and components consumed - Rs. Nil (Previous year - Rs. Nil).

5. एएस–17 अर्थात् आईसीएआई द्वारा जारी की गई खंड–वार रिपोर्टिंग की आवश्यकताओं के अनुसार रिपोर्टिंग खंड़ों के रूप में गतिविधि–वार वित्तीय विवरण जिसमें सूत, डाई एवं रसायन तथा कपड़ा का विवरण शामिल है, का ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

(राशि रु. में)

		सूत	डाई एवं रसायन	कपड़ा	कुल
क)	**प्राथमिक सूचना**				
1	खंड–वार राजस्व	29475514052	459665250	-	**29935179302**
2	खंड–वार परिणाम	579535062	11607337	-	**591142399**
3	अनाबंटित ओवरहेडस	-	-	-	**-192177501**
4	बैंक एवं अन्यों से प्राप्त ब्याज	-	-	-	**73409730**
5	अन्य आय	-	-	-	**3063357**
6	अवधि पूर्व समायोजन	-	-	-	**-**
7	सीएसआर व्यय				**-10021783**
8	कर पूर्व लाभ	-	-	-	**465416202**
9	पूर्ववर्ती वर्ष सहित कर संबंधी प्रावधान	-	-	-	**-176000000**
10	आस्थगित कर	-	-	-	**-600241**
11	कर पश्चात् लाभ	-	-	-	**288815961**
12	खंड–वार परिसंपत्तियां	2885513783	155369962	18923994	**3059807739**
13	अबंटनीय नैगमिक परिसंपत्तियां (वित्तीय परिसंपत्तियों सहित)	-	-	-	**3402794494**
14	कुल परिसंपत्तियां	-	-	-	**6462602233**
15	बैंक उधारियों सहित खंड–वार देयताएं	3880718834	58498704	21011474	**3960229012**
16	अबंटनीय नैगमिक देयताएं (बैंक उधारियों सहित)	-	-	-	**1492068395**
17	कुल देयताएं	-	-	-	**5452297407**
18	खंड–वार मूल्य ह्रास	2652821	477424	-	**3130245**

नोटः–
i. खंड–वार राजस्व में अंतर खंड लेनदेन शामिल नहीं है।
ii. खंड–वार परिणाम में बकाया बिलों पर ब्याज 971264/–रु. का आस्थगित प्रौद्भूत ब्याज शामिल हे।
iii. खंड–वार परिणाम में 7634008/–रु. (ऋण) के संबंध में देयताएं/वापस लिखा गया प्रावधान तथा 4961892/–रु. (जमा) के लिए प्रावधान तथा उसे बट्टे खाते में डालना आदि शामिल है।

(राशि रु. में)

ख)	**द्वितीयक सूचना**	**क्षेत्र का नाम**	**खंड–वार राजस्व**
1	ऐसे खंड जिनका राजस्व सभी भौगोलिक खंडों के कुल राजस्व का 10% अथवा उससे अधिक है, के लिए भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार खंड–वार राजस्व	क्षे.का. पानीपत	7824063493
		क्षे.का. कोयम्बटूर	10374182124
		क्षे.का. वाराणसी	6507127459
		क्षेत्र का नाम	**Assets**
2	ऐसे खंड जिनकी परिसंपत्तियां सभी भौगोलिक खंड़ों की कुल परिसंपत्तियों का 10% अथवा उससे अधिक है, के लिए भौगोलिक अवस्थिति के अनुसार खंड–वार परिसंपत्तियां	क्षे.का. पानीपत	1175168669
		क्षे.का. कोयम्बटूर	793337639
		क्षे.का. वाराणसी	341458057
		क्षेत्र का नाम	**नियत परिसंपत्तियों में की गई वृद्धि**
3	ऐसे खंड जिनकी परिसंपत्तियां सभी भौगोलिक खंड़ों की कुल परिसंपत्तियों का 10% अथवा उससे अधिक है, के लिए नियत परिसंपत्तियों में की गई वृद्धि	क्षे.का. पानीपत	4624583
		क्षे.का. विजयवाड़ा	812417

6 मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में बनाए गए तुलन–पत्र के साथ संलग्न नोट 1 से 32 व महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां तथा लाभ संबंधी विवरण एवं हानि तथा वर्ष की समाप्ति की तारीख को इक्विटी एवं नकदी अंतरप्रवाह में परिवर्तन लेखाओं का अभिन्न अंग है।
7 जहां कहीं पूर्व वर्ष के आंकड़ों का मौजूदा आंकड़ों के साथ तुलना करना आवश्यक प्रतीत हुआ वहां पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुनरू समूहीकृत किया गया है।
8 आंकड़ों को नजदीकी पूर्णांक रु. के रूप में दर्शाया गया है।

ह./–
नवीन गुप्ता
अधिशासी निदेशक (वित्त)

ह./–
सर्वेपल्ली श्रीनिवास
प्रबंध निदेशक

ह./–
शान्तमनु
अध्यक्ष

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
ए. श्रीवास्तव एवं का. के लिए
चार्टेड एकाउन्टेन्टस

ह./–
सी.ए. अशोक कुमार अग्रवाल
साझेदार
एम. नं. 015091
एफ.आर.नं. 511001C

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 08 सितम्बर, 2017

5 In accordance with the requirements of AS-17, i.e. Segment Reporting as issued by ICAI, Activity wise financial information as reporting segments consisting of Yarn, Dyes & Chemicals and Fabric is as under:-

(Amount in Rs.)

		Yarn	Dyes & Chemicals	Fabrics	Total
A)	**Primary information**				
1	Segment wise Revenue	29475514052	459665250	-	**29935179302**
2	Segment wise Results	579535062	11607337	-	**591142399**
3	Unallocated overheads	-	-	-	**-192177501**
4	Interest from Bank & others	-	-	-	**73409730**
5	Other Income	-	-	-	**3063357**
6	Prior period adjustments	-	-	-	**-**
7	CSR Expenditure				**-10021783**
8	Profit before tax	-	-	-	**465416202**
9	Provision for Tax including earlier year adjustments	-	-	-	**-176000000**
10	Deferred tax	-	-	-	**-600241**
11	Profit after tax	-	-	-	**288815961**
12	Segment-wise assets	2885513783	155369962	18923994	**3059807739**
13	Unallocable Corporate Assets (Including Financial Assets).	-	-	-	**3402794494**
14	Total Assets	-	-	-	**6462602233**
15	Segment wise liabilities includes Bank Borrowing	3880718834	58498704	21011474	**3960229012**
16	Unallocable Corporate liabilities (Including Bank Borrowings)	-	-	-	**1492068395**
17	Total liabilities	-	-	-	**5452297407**
18	Depreciation segment-wise	2652821	477424	-	**3130245**

Notes:-
i. There is no inter segment transaction in segment-wise revenue.
ii. Segment- wise result includes interest on overdue bills/ deferred accrued interest for Rs.971264/-.
iii. Segment-wise result includes liabilities/ provisions written back for Rs. 7634008 (credit) , and provisions & write off etc made for Rs. 4961892 (Debit).

(Amount in Rs.)

B)	**Secondary Information**	**Name of the Region**	**Segment Revenue**
1	Segment Revenue by geographical area for the segment whose revenue is 10% or more of total revenue of all geographical segments.	RO Panipat	7824063493
		RO Coimbatore	10374182124
		RO Varanasi	6507127459
		Name of the Region	**Assets**
2	Segment assets by geographical location of assets of the segment whose assets are 10% or more of total assets of all geographical segments.	RO Panipat	1175168669
		RO Coimbatore	793337639
		RO Varanasi	341458057
		Name of the Region	**Addition to Fixed Assets**
3	Additions to fixed assets for the segment where assets are 10% or more of the total assets of all geographical segments.	RO Panipat	4624583
		RO Vijaywada	812417

6 Note 1 to 32 and significant Accounting Policies annexed to Balance sheet as at the end of current reporting period and Statement of Profit and Loss, Change in Equity and Cash Flow for the year ended on that date form an integral part of Accounts.
7 The figures of previous year have been re-casted/ re-grouped wherever necessary to render them comparable with the figures of current year.
8 Figures have been rounded off to the nearest rupee.

Sd/-
Naveen Gupta
Executive Director (Finance)

Sd/-
Sarvepalli Srinivas
Managing Director

Sd/-
Shantmanu
Chairman

As per our Report of even date
For A Srivastava & Co.
Chartered Accountants

Sd/-
CA Ashok Kumar Agarwal
Partner
M.No. 015091
F.R.No. 511001C

Place: New Delhi
Date: 08 September 2017

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का टिप्पणियाँ

(क) इक्विटी शेयर पूंजी

(राशि रु. में)

समीक्षाधीन अवधि के प्रारंभ में शेष राशि		वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	समीक्षाधीन अवधि के अंत में शेष राशि
190000000		-	190000000

(ख) अन्य इक्विटी

(राशि रु. में)

	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	मिश्रित वित्तीय साधनों के इक्विटी घटक	रिर्जव्स एवं अधिशेष				अन्य समग्र आय के जरिए ऋण विलेख	नकदी अंतप्रवाह पर प्रभावी भाग	अधिशेष का पुनर्मूल्यांकन	एक विदेशी कार्यकलाप के वित्तीय विवरणों के अनुवाद पर विनिमय संबंधी मतभेद	अन्य समय आय की अन्य मदें (कृपया स्वरूप का उल्लेख करें)	शेयर वारंट्स कुल के बदले प्राप्त की गई धनराशि	कुल
			पूंजीगत रिजर्व	प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व	अन्य रिर्जव्स (कृपया स्वरूप का उल्लेख करें) विकासात्मक कार्यकलाप एवं चिकित्सा निधि के लिए रिजर्व	प्रतिधारित आय							
समीक्षाधीन अवधि की शुरूआत में शेष राशि					9687902	633050829							
पूर्व की अवधि संबंधी त्रुटियों की लेखांकन नीति में परिवर्तन					-	-							
समीक्षाधीन अवधि की शुरुआत में पुनरु उल्लिखत शेष राशि					-	-							
कुल समग्र आय					-	-							
लाभांश						87000000							
प्रतिधारित आय का अंतरण					9750350	288815961							
कोई अन्य प्रभार (निर्दिष्ट करने के लिए)					6787016	27213200							
समीक्षाधीन अवधि के अंत में शेष राशि					**12651236**	**807653590**							

ह./–
नवीन गुप्ता
अधिशासी निदेशक (वित्त)

ह./–
सर्वेपल्ली श्रीनिवास
प्रबंध निदेशक

ह./–
शान्तमनु
अध्यक्ष

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
ए. श्रीवास्तव एवं का. के लिए
चार्टेड एकाउन्टेन्टस

ह./–
सी.ए. अशोक कुमार अग्रवाल
साझेदार
एम. नं. 015091
एफ.आर.नं. 511001C

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 08 सितम्बर, 2017

NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LTD, LUCKNOW
STATEMENT OF CHANGE IN EQUITY FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2017

(A) Equity Share Capital

(Amount in Rs.)

Balance at the beginning of the reporting period		Changes in equity share capital during the year	Balance at the end of the reporting period
190000000		-	190000000

(B) Other Equity

(Amount in Rs.)

	Share application money pending allotment	Equity component of compound financial instruments	Reserves and Surplus				Debt instruments through other Comprehensive income	Effective portion on Cash Flow Hedges	Revaluation Surplus	Exchange differences on translating the financial statements of a foreign operation	Other items of other comprehensive Income (specify nature)	Money received against share warrants	Total
			Capital Reserve	Securities Premium Reserve	Other Reserves (specify nature) Reserve for Development Activity and Medical Corpus	Retained earnings							
Balance at the beginning of the reporting period					9687902	633050829							
Changes in accounting policy of prior period errors					-	-							
Restated balance at the beginning of the reporting period					-	-							
Total Comprehensive Income for the year					-	-							
Dividends						87000000							
Transfer to retained earnings					9750350	288815961							
Any other change (to be specified)					6787016	27213200							
Balance at the end of the reporting period					**12651236**	**807653590**							

Sd/-
Naveen Gupta
Executive Director (Finance)

Sd/-
Sarvepalli Srinivas
Managing Director

Sd/-
Shantmanu
Chairman

As per our Report of even date
For A Srivastava & Co.
Chartered Accountants

Sd/-
CA Ashok Kumar Agarwal
Partner
M.No. 015091
F.R.No. 511001C

Place: New Delhi
Date: 08 September 2017

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी अंतःप्रवाह का विवरण

(राशि रु. में)

	विवरण	2016-17	2015-16
(क)	प्रचालन कार्यकलापों से नकदी अंतःप्रवाह		
	कर पूर्व लाभ	465416202	369741448
	समायोजनः		
i	मूल्यह्रास	6021704	4047596
ii	विकासत्मक कार्यकलापों/चिकित्सा निधि पर किया गया व्यय		
	संगत निधि से प्रभारित किया गया	-6536666	-5279842
iii	वर्ष के दौरान वापस लिखा गया आयकर प्रावधान	-120483	-3465759
iv	परिसंपतियों की बिक्री पर हानि	27756	32414
v	परिसंपतियों की बिक्री पर लाभ	-637	-1147
	पूंजीगत परिवर्तन संबंधी कार्य करने से पूर्व प्रचालन लाभ	464807876	365074710
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन	-	-
	(नकदी एवं बैंक जमा राशियों को छोड़कर)		
	वृद्धि/कमीः		
i	माल	2186875	-1685343
ii	बुक–ऋण	26199116	-480762594
iii	ऋण और अग्रिम	-7681021	-40710976
iv	प्राप्तियां	-455627461	993247140
v	व्यापार एवं अन्य देय	972792188	161567497
	कार्यकलापों से सृजित नकद राशि	1002677573	996730434
	कमः आयकर का भुगतान	-162901544	-124272778
	कार्यशील गतिविधियों से निवल नकदी अंतःप्रवाह (क)	**839776029**	**872457656**
(ख)	निवेश कार्यकलापों से नकदी अंतःप्रवाह		
i	नियत परिसंपतियों की बिक्री	6000	3600
ii	नियत परिसंपतियों/डब्ल्यूआईपी में की गई वृद्धि	-28001634	-5726752
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी अंतःप्रवाह (ख)	**-27995634**	**-5723152**
(ग)	वित्तीय गतिविधियों से नकदी अंतःप्रवाह		
i	लाभांश का भुगतान	-87981698	-61502938
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी अंतःप्रवाह (ग)	**-87981698**	**-61502938**
(घ)	नकदी एवं नकद समतुल्य में निवल परिवर्तन (क+ख+ग)	723798697	805231566
(ङ)	नकदी एवं नकद समतुल्य–प्रारंभिक शेष	1210015502	404783936
(च)	**कुल**	**1933814199**	**1210015502**
(छ)	नकदी एवं नकद समतुल्य – समापन शेष	1933814196	1210015502
	नकदी एवं नकद समतुल्यः		
1	रोकड़ शेष	-	-
2	बैंक में चालू और सावधि जमा खाते में शेष राशि	1933814196	1210015502
	कुल	**1933814196**	**1210015502**

नोटः

1. अप्रत्यक्ष पद्धति के अंतर्गत नकदी अंतःप्रवाह संबंधी विवरण तैयार किया गया है जैसा कि आईसीएआई द्वारा जारी किए गए एएस–3 में निर्धारित किया गया है।
2. पिछले वर्ष के आंकड़े जहां कहीं प्रयोज्य हैं, उन्हें पुनः समूहीकृत किया गया है।

ह./–
नवीन गुप्ता
अधिशासी निदेशक (वित्त)

ह./–
सर्वेपल्ली श्रीनिवास
प्रबंध निदेशक

ह./–
शान्तमनु
अध्यक्ष

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
ए. श्रीवास्तव एवं का. के लिए
चार्टेड एकाउन्टेन्टस

ह./–
सी.ए. अशोक कुमार अग्रवाल
साझेदार
एम. नं. 015091
एफ.आर.नं. 511001C

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 08 सितम्बर, 2017

NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LTD, LUCKNOW
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2017

(Amount In Rs.)

	PARTICULARS	2016-17	2015-16
(A)	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
	Profit before tax	465416202	369741448
	Adjustments :		
i	Depreciation	6021704	4047596
ii	Expenditure on developmental activities/medical corpus		
	charged to relevant fund	-6536666	-5279842
iii	Income tax provision written back during the year	-120483	-3465759
iv	Loss on Sale of Assets	27756	32414
v	Profit on Sale of Assets	-637	-1147
	OPERATING PROFIT BEFORE WORKING CAPITAL CHANGES	464807876	365074710
	CHANGES IN WORKING CAPITAL	-	-
	(Excluding Cash & Bank Balances)		
	Increase/Decrease in:		
i	Inventories	2186875	-1685343
ii	Book-debts	26199116	-480762594
iii	Loans & Advances	-7681021	-40710976
iv	Receivables	-455627461	993247140
v	Trade & other Payables	972792188	161567497
	Cash Generated from Operations	1002677573	996730434
	Less : Income Tax paid	-162901544	-124272778
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITES (A)	**839776029**	**872457656**
(B)	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
i	Sale of Fixed Assets	6000	3600
ii	Addition to Fixed Assets/W.I.P	-28001634	-5726752
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	**-27995634**	**-5723152**
(C)	CASH FLOW FROM FINANCIAL ACTIVITIES		
i	Payment of Dividend	-87981698	-61502938
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	**-87981698**	**-61502938**
(D)	Net Changes in Cash and Cash Equivalent (A+B+C)	723798697	805231566
(E)	Cash and Cash Equivalent - Opening Balnace	1210015502	404783936
(F)	**TOTAL**	**1933814199**	**1210015502**
(G)	CASH AND CASH EQUIVALENT- CLOSING BALANCE	1933814196	1210015502
	Cash & Cash Equivalent represent :		
1	Cash in Hand	-	-
2	Balance with Banks in Current & Fixed deposit Account	1933814196	1210015502
	TOTAL	**1933814196**	**1210015502**

Notes :

1 Cash flow statement has been prepared under the indirect method as set out in the AS-3, issued by the ICAI.

2 Previous year's figures have been regrouped/ re-classified wherever applicable.

Sd/-
Naveen Gupta
Executive Director (Finance)

Sd/-
Sarvepalli Srinivas
Managing Director

Sd/-
Shantmanu
Chairman

As per our Report of even date
For A Srivastava & Co.
Chartered Accountants

Sd/-
CA Ashok Kumar Agarwal
Partner
M.No. 015091
F.R.No. 511001C

Place: New Delhi
Date: 08 September 2017

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के अनुसरण में सूचना, तुलन-पत्र तथा कंपनी की सामान्य व्यावसायिक रूप रेखा

i) **पंजीकरण संबंधी ब्यौरा :**	
सीआईएन सं.	U17299UP1983GOI005974
पंजीकरण सं.	5974/ 83
राज्य का कोड	20
तुलन–पत्र की तारीख	31-03-2017
ii) वर्ष के दौरान बढ़ाई गई पूंजी (राशि रु. में) जिसे भारत सरकार द्वारा सब्सक्राइब किया गया	-
iii) निधियों की गत्यात्मकता तथा उनके नियोजन की स्थिति (राशि रु. में)	
कुल देयताएं	**कुल परिसंपत्तियां**
6462602233	**6462602233**
निधियों का स्त्रोत	
चूकता पूंजी	190000000
रिजर्व एवं अधिशेष	820304825
आस्थगित कर देयता (निवल)	-26516346
समग्र निधि (विपणन परिसर एवं मेगा क्लस्टर)	985672985
अन्य गैर मौजूदा देयताएं	-
मौजूदा देयताएं	4493140768
निधियों का अनुप्रयोग	
निवल नियत परिसंपतियां – वास्तविक	127475118
– अवास्तविक	17742591
प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य	-
समग्र निधि का नियोजन (विपणन परिसर एवं मेगा क्लस्टर)	985672985
अन्य गैर मौजूदा देयताएं	398778
मौजूदा परिसंपतियां	5331312761
iv) कंपनी का कार्यनिष्पादन	
कारोबार	29935179302
कुल व्यय	29469763100
कर पूर्व लाभ	465416202
कर पश्चात् लाभ	288815961
प्रति शेयर आय रु. में	152.01
लाभांश (शेयर पूंजी का %)	45.79%
v) कंपनी के प्रमुख उत्पाद का जेनेरिक नाम	
उत्पाद का वर्णन	मद कोड सं. (आईटीसी कोड)
सूत	5208 (कॉटन)
डाई एवं रसायन	3204 (डाइज़)
फैब्रिक	लागू नहीं

ह./–
नवीन गुप्ता
अधिशासी निदेशक (वित्त)

ह./–
सर्वेपल्ली श्रीनिवास
प्रबंध निदेशक

ह./–
शान्तमनु
अध्यक्ष

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
ए. श्रीवास्तव एवं का. के लिए
चार्टेड एकाउन्टेन्टस

ह./–
सी.ए. अशोक कुमार अग्रवाल
साझेदार
एम. नं. 015091
एफ.आर.नं. 511001C

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 08 सितम्बर, 2017

INFORMATION PURSUANT TO SCHEDULE III TO THE COMPANIES ACT, 2013, BALANCE SHEET AND COMPANY'S GENERAL BUSINESS PROFILE.

i) **Registration details:**	
CIN No.	U17299UP1983GOI005974
Registration No.	5974/ 83
State Code	20
Date of Balance sheet	31-03-2017
ii) Capital raised during the year (Amount in Rs.) subscribed by Government of India.	**-**
iii) Position of Mobilization and Deployment of Funds (Amount in Rs.)	
Total Liabilities	**Total Assets**
6462602233	**6462602233**
Sources of Funds	
Paid up Capital	190000000
Reserve & Surplus	820304825
Deferred tax liability (net)	-26516346
Corpus Fund (Marketing Complex & Mega Cluster)	985672985
Other Non Current liabilities	-
Current liabilities	4493140768
Application of Funds	
Net Fixed Assets - Tangible	127475118
- Intangible	17742591
Capital work in progress	-
Deployment of Corpus Fund (Marketing Complex & Mega Cluster)	985672985
Other Non Current Assets	398778
Current Assets	5331312761
iv) Performance of the company	
Turnover	29935179302
Total Expenditure	29469763100
Profit before Tax	465416202
Profit after Tax	288815961
Earning per share **in Rupees**	152.01
Dividend (% age of Share Capital)	45.79%
v) Generic name of the principal product of the company	
Product description	Item Code No. (ITC Code)
Yarn	5208(Cotton)
Dyes & Chemicals	3204(Dyes)
Fabric	N.A.

Sd/-
Naveen Gupta
Executive Director (Finance)

Sd/-
Sarvepalli Srinivas
Managing Director

Sd/-
Shantmanu
Chairman

As per our Report of even date
For A Srivastava & Co.
Chartered Accountants

Sd/-
CA Ashok Kumar Agarwal
Partner
M.No. 015091
F.R.No. 511001C

Place: New Delhi
Date: 08 September 2017

NOTES

NOTES

34वीं वार्षिक सामान्य सभा का आयोजन रा.ह.वि.नि. के नैगमिक कार्यालय ग्रेटर नोयडा में सम्पन्न हुआ। बैठे हुए बाएं से दाएं श्री आर.वी.एस मणि, उप सचिव, समेकित वित्त प्रभाग; श्रीमती शिखा रॉय पब्बी, स्वतंत्र निदेशक; श्री शांतमनु, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प एवं हथकरघा)/अध्यक्ष रा.ह.वि.नि.; श्री आर.के. साहु, अपर विकास आयुक्त (हथकरघा); श्री सर्वेपल्ली श्रीनिवास, प्रबन्ध निदेशक, रा.ह.वि.नि.। खड़े हुए बाएं से दाएं श्री नवीन गुप्ता, अ.नि. (वित्त), रा.ह.वि.नि.; श्री शक्तिवेल पेरूमालसामी, अ.नि. (वाणिज्यि), रा.ह.वि.नि.; सुश्री गुंजन वर्मा, कम्पनी सचिव, रा.ह.वि.नि. और श्रीमति चारू अग्रवाल, प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), रा.ह.वि.नि.

34th Annual General Meeting organized at NHDC Corporate Office, Greater Noida, Sitting from left to right Shri RVS Mani, Dy. Secretary, IFW, Smt. Shikha Roy Pabbi, Independent Director, Shri Shantmanu, Development Commissioner (Handicraft & Handlooms)/Chairman NHDC, Shri R.K. Sahu, ADC (Handlooms), Shri Sarvepalli Srinivas, MD, NHDC. Standing left to right Shri Naveen Gupta, ED (Finance), NHDC, Shri Sakthivel Perumalsamy, ED (Commercial), NHDC, Ms. Gunjan Verma, Company Secretary, NHDC and Smt. Charu Agarwal, Manager (F&A), NHDC.

एम.ओ.यू. हस्ताक्षरण 2017–18 – श्री अनन्त कुमार सिंह, सचिव (वस्त्र) एवं श्री सर्वेपल्ली श्रीनिवास, प्रबन्ध निदेशक, रा.ह.वि.नि. उपस्थित श्री आर.के. साहु, अपर विकास आयुक्त (हथकरघा); श्री नवीन गुप्ता, अ.नि. (वित्त), रा.ह.वि.नि. और श्री शक्तिवेल पेरूमालसामी, अ.नि. (वाणिज्यि), रा.ह.वि.नि.।

The MoU 2017-18 signed between Shri Anant Kumar Singh, Secretary (Textiles) and Shri Sarvepalli Srinivas, MD, NHDC in presence of Shri R.K. Sahu, ADC (Handlooms), Shri Naveen Gupta, ED (Finance), NHDC and Shri Sakthivel Perumalsamy, ED (Commercial), NHDC.

रा ह वि नि
NHDC

नैगमिक कार्यालय
4वीं मंजिल, वेगमेन्स बिजनेस पार्क,
टावर 1, प्लांट नं. 3,
सेक्टर नॉलेज पार्क–तृतीय,
सूरजपुर–कासना मेन रोड
यूपी–201306
फोन नं. 0120-2329600
ईमेल conhdc@nhdc.org.in

Corporate Office :-
Wegmans Business Park
Tower 1, Plot No. 3, KP-III
4th Floor, Surajpur Kasna Road
Greater Noida-201306
Phone : 0120-2329600
E-mail : conhdc@nhdc.org.in

पंजीकृत कार्यालय
10वीं मंजिल, विकासदीप,
22 स्टेशन रोड, लखनऊ–226 001

Registered Office :-
10th Floor, Vikas Deep,
22 Station Road, Lucknow-226 001

www.nhdc.org.in